दशम माला, खंड 39, अंक 16

सोमवार, 24 अप्रैल 1995
4 वैशाख 1917 , शक

लोक सभा वाद–विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 39 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा के दिनांक 24 अप्रैल, 1995 के

वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
13	3	मध्यान्ह	मध्याह्न
18	नीचे से 1	(घ)	(च)
22	13	श्री प्रेम चन्द्र राम	श्री प्रेमचन्द राम
92	नीचे से 7	(घ)	(ख)
102	नीचे से 13	श्री हरीश नारायण भ ादये	श्री हरीश नारायण प्रभु झादये
146	17	(तरुण गगोई)	(श्री तरुण गगोई)
151	11	कार्य्र	कार्य
153	10	श्रीममी	श्रीमती
187	नीचे से 2	मुबंई	मुंबई
188	14	श्री फूलचन्द्र वर्मा	श्री फूलचन्द वर्मा
210	नीचे से 16	(क)	(क) से (ग)
226	7	श्री शांकनाद्रीश्वर वाडडे	श्री शांकनाद्रीश्वर राव वाड्डे
226	18	(क) से (घ)	(क) से (ग)
249	5	के	में

विषय-सूची

दशम माला, खंड उनतालीस, तेरहवां सत्र 1917 (शक)
अंक 15, सोमवार 24 अप्रैल 1995/4 वैशाख 1917 (शक)

	कालम
सदस्य द्वारा प्रतिज्ञान	1
निधन संबंधी उल्लेख	1
भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई और अन्यों का निधन	1-2
श्री पी. वी. नरसिंह राव	2-5
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	5-6
श्री शरद यादव	6-7
श्री सोमनाथ चटर्जी	7-8
श्री इन्द्रजीत गुप्त	8-9
श्री चन्द्रजीत यादव	9-10
श्री पी. जी. नारायणन	11
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	11
श्रीमती लवली आनन्द	11-12
श्री चित्त बसु	12
श्री मोहन रावले	12
श्री पीयूष तीरकी	12-13
श्री ई. अहमद	13
श्री राम सागर	13
श्री इन्द्रजीत	13-15
श्री पी. सी. थामस	15
श्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 281-300	15-32
तारांकित प्रश्न संख्या 2812-3101	32-248

लोक सभा

सोमवार, 24 अप्रैल, 1995/4 वैशाख, 1917 (शक)
लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा प्रतिज्ञान

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया)

11.02 म. पू.

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई और अन्यों का निधन

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों बड़े दुख और शोक के साथ मुझे सभा को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री मोरारजी देसाई तथा दो भूतपूर्व साथियों सर्वश्री के० वी० रामकृष्ण रेड्डी तथा के० के० सिंह के दुखद निधन की सूचना देनी है।

साधन तथा साध्य की शुद्धता में अटल विश्वास रखने वाले व पक्के गांधीवादी श्री मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी, 1896 को गुजरात के बलसार जिले में भदेली नामक स्थान में हुआ था। बम्बई में शिक्षा पूरी करने के पश्चात् उन्होंने 1918 में प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा में पदार्पण किया।

मातृभूमि की सेवा के आह्वान को सुनकर 1930 में प्रशासनिक सेवा से त्यागपत्र देकर वह सिविल अवज्ञा आन्दोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेते हुए 1930-34 के दौरान दो बार तथा पुनः 1940-41 व 1942-1945 के दौरान जेल में रहे।

श्री देसाई का विधायी जीवन 1937 में शुरू हुआ था जब वह तत्कालीन बम्बई विधान सभा के सदस्य बने और 1939 तक वह इसी पद पर रहे। बाद में 1946-56 तक लंबी अवधि तक वह विधान सभा के सदस्य रहे।

वर्ष 1937 से 1939 तक तथा 1946-52 के दौरान उन्होंने बम्बई राज्य के मंत्री के रूप में कार्य किया। वह बम्बई के मुख्यमंत्री बने। मंत्री और मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने 1952 से 1956 तक राज्य के प्रशासन को चुस्त--दुरस्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया।

श्री देसाई की प्रशासनिक योग्यता को देखते हुए उन्हें केन्द्र सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया तथा आगामी दो दशकों से भी अधिक अवधि तक उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में केन्द्रीय भूमिका निभाई तथा अनेक उच्च पदों को सुशोभित किया।

श्री देसाई 1957 में दूसरी लोक सभा के लिए चुने गए थे और 1979 तक वह सभा के सदस्य रहे। राष्ट्रीय जीवन में लंबी अवधि तक रहते हुए उन्होंने केन्द्रीय मंत्रीमंडल में वित्त, वाणिज्य, उद्योग, नौवहन और परिवहन तथा गृह मंत्रालयों सहित अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। वह 1967 से 1969 तक उप प्रधानमंत्री रहे और 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की सेवा की।

श्री देसाई दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता को सुदृढ़ बनाए रखने का प्रयास किया। उनकी प्रशासनिक कुशाग्रता को प्रत्येक व्यक्ति ने सराहा था। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्री देसाई के महत्वपूर्ण योगदान की प्रशंसा की गई थी। उनका संसदीय कार्यकाल भी अत्यंत महत्वपूर्ण और संसदीय लोकतंत्र की उच्च परंपराओं के अनुरूप रहा।

श्री देसाई ने विश्व भर की यात्राएं की थीं और राष्ट्रसंघ राज्य प्रमुखों के सम्मेलन सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया था और राष्ट्र के हित को बढ़ावा दिया। श्री देसाई ने भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक धरोहर का संवर्धन किया। उन्हें शिक्षा, कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में गहन रूचि थी, उनकी साहित्यिक कृतियों में "डिस्कोर्सस् ऑन दी गीता, दी स्टोरी' 'ऑफ माई लाइफ' और 'ए बुक ऑन नेचर कयोर' शामिल हैं।

श्री देसाई प्रौढ़ साक्षरता तथा शैक्षणिक प्रणाली में उच्च आदर्शों की स्थापना के अभियान के पुरजोर समर्थक थे। वह गुजरात विद्यापीठ के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे तथा अंत तक उसके कुलपति रहे। वह गुजरात के लोक भारती ग्रामीण विश्वविद्यालय, भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, राजगीर बुद्ध विहार सोसायटी, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद्, हिन्दुस्तानी प्रचार सभा और विभिन्न अन्य संगठनों के अध्यक्ष भी थे। उन्हें अनेक प्रमुख विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों से मानद उपाधियां प्राप्त हुई थीं।

श्री देसाई ने नवजीवन न्यास और महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्री लाल बहादुर शास्त्री, पंडित गोविन्द वल्लभ पंत और मौलाना आजाद के नाम में बने न्यासों सहित अनेक न्यासों के कार्यकारी मण्डलों में भी कार्य किया था।

श्री देसाई सबके लिए एक अनुकरणीय उदाहरण थे। वह समर्पित गांधीवादी थे और उन्होंने साधारण तथा सदाचारी जीवन व्यतीत किया।

श्री मोरारजी देसाई का निधन थोड़ी अवधि तक बीमार रहने के पश्चात् 10 अप्रैल, 1995 को हुआ। उनके निधन से राष्ट्र ने एक महान देशभक्त नेता, एक बेहतरीन व्यक्तित्व तथा गांधी युग के साथ एक महत्वपूर्ण सूत्र खो दिया है। श्री देसाई अब हमारे बीच नहीं लेकिन उनके आदर्श आने वाले वर्षों तक हमारे पथ प्रदर्शक रहेंगे।

श्री के० वी० रामकृष्ण रेड्डी ने दूसरी तथा तीसरी लोक सभा में आन्ध्र प्रदेश के हिन्दपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह सक्रिय राजनैतिक कार्यकर्ता थे और 1941 में सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के लिए वह जेल गये। राष्ट्रीय नेताओं को जेल में बंद रखने के

विरोध में वर्ष 1942 में उन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी।

एक कृषक के रूप में वह कृषि के विकास के लिए अनेक संगठनों से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे। ग्रामीण जनता में प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने में उन्होंने सक्रिय रूचि ली तथा अपने राज्य में कई स्थानों पर प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं आयोजित कीं।

श्री रेड्डी ने तेलुगु में 'यूथ लीग मूवमेंट' तथा किसान मजदूर राज नामक दो पुस्तकें लिखी।

श्री रेड्डी का निधन 88 वर्ष की आयु में आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में कादिरी नामक स्थान पर 27 मार्च, 1995 को हुआ।

श्री के० के० सिंह ने 1962-67 के दौरान तीसरी लोक सभा में बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह 1952-62 तक बिहार विधान सभा के सदस्य रहे और 1957 से 1961 तक बिहार सरकार में शिक्षा उप मंत्री भी रहे।

व्यवसाय से कृषक, श्री सिंह ने पत्रकार के रूप में कार्य किया। एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वह भारत सेवक समाज के साथ घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहे। वह अनेक महाविद्यालयों की प्रशासनिक संस्थाओं के अध्यक्ष रहे तथा अनेक शैक्षणिक सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ सम्बद्ध रहे। वह बिहार तथा पटना विश्वविद्यालयों की सीनेट के भी सदस्य रहे।

श्री सिंह का निधन 76 वर्ष की आयु में महाराजगंज जिले के गोरेकोठी में 1 अप्रैल, 1995 को हुआ।

हम अपने इन मित्रों के दुःखद निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोकसंतप्त परिवारों को अपनी संवेदना देने में मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े दुखी मन से महात्मा गांधी के एक समर्पित अनुयायी, स्वतंत्रता सेनानी योग्य प्रशासक और भारत के एक महान सपूत भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके रूप में हमने गांधीवादी युग के एक महान पुरूष को खो दिया है।

हम सब अत्यंत दुखी हैं कि आगामी फरवरी में ही उनकी सौवीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी चल रही थी हाल ही में मैं उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए उनसे मिलने गया था और उन्हें सौवीं वर्षगांठ समारोह मनाने की सूचना दी थी, जिसके लिए वे बड़े अनमने मन से राजी हुए थे। उस समय भी वह पूरी तरह सजग थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दिन, बापूजी, सरदार पटेल, नेहरू जी और अपने जीवन के अनुभवों को याद कर रहे थे। जितना थोडा सा समय मैं उनके पास रूका तो उन्होंने मुझे और वहां उपस्थित व्यक्तियों को इन सभी बातों की जानकारी दी। अपने पूरे जीवन में उन्होंने अनेक उतार–चढ़ाव देखे। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो यह अनुभव कर रहा था कि मैं किसी स्थितप्रज्ञ से बात कर रहा हूं जिसने जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लिया है जैसा ईश्वर ने प्रदान किया है।

मोरारजी भाई को अपने प्रारंभिक जीवन में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ा क्योंकि बालकाल में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जीवन के प्रारम्भ में ही संघर्ष करने से उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने की प्रेरणा मिली। अनेक छात्रवृत्तियां प्राप्त कर उन्होंने प्रांतीय सिविल सेवा में प्रवेश किया। शीघ्र ही उन्होंने महसूस किया अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए वह ब्रिटिश सरकार की नौकरी नहीं कर सकते हैं। शीघ्र ही वह गांधी जी के प्रभाव में आए और उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वे गांधी जी के कट्टर अनुयायी बने और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े तथा सिविल सेवा की अच्छी नौकरी छोड़ वर्षो जेल में रहे। उन्होंने वास्तव में बापू के आदर्शो को अपने में विकसित किया और अपने पूरे जीवनकाल में कड़ाई से उनका पालन किया। अपने पूरे जीवन में वह अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उन्होंने कार्यसाधकता के लिए कभी अपने सिद्धांतों तथा विश्वासों से समझौता नहीं किया। सेवा काल के दौरान उन्हें अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अप्रसन्नता का शिकार बनना पड़ा था और अपने जीवन के दौरान अपने सिद्धांतों के लिए वह अकेले खड़े होने के लिए तैयार थे। वे हमेशा सहज और एकदम सही थे और सच बोलने में कभी हिचके नहीं भले ही वह कडवा क्यों न रहा हो।

श्री मोरारजी भाई का भारतीय लोकतंत्र में अटूट विश्वास था। वे बम्बई राज्य के मुख्य मंत्री, केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री, उप प्रधान मंत्री तथा भारत के प्रधान मंत्री के रूप में भारत की अखंडता की एकता के लिए कार्य करते रहे। प्रशासनिक सुधारों के बारे में दिये गये उनके गहन प्रतिवेदन से देश के प्रशासन में सुधार के प्रति उनकी वचनबद्धता परिलक्षित होती है।

श्री देसाई एक पक्के राष्ट्रवादी तथा भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा के समर्थक थे। वे गुजरात विद्यापीठ और गुजरात में लोक भारती रूरल यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध रहे। वह अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकोपकारी सोसायटियों तथा न्यासों से संबद्ध रहे जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

महोदय, हम उनकी सौवीं वर्षगांठ वैसे नहीं मना पाएंगे जैसी हम चाहते थे लेकिन इस प्रयोजन के लिए गठित समिति ने कुछ निर्णय दिए हैं तथा मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि हम उन निर्णयों को क्रियान्वित करेंगे। सबसे पहले हम मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ गांधियन स्टीडज और मोरारजी देसाई इनस्टीट्यूट ऑफ नैचरोपैथी एंड इंडियन मेडिसन स्थापित करेंगे। इन दो के अतिरिक्त हम देखेंगे कि और कितने निर्णयों को क्रियान्वित किया जा सकता है लेकिन मेरे मन में यह दोनों प्रमुख हैं इसलिए मैं इन्हें सभा में प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं श्री के. वी. रामकृष्ण रेड्डी के निधन से भी बड़ा दुखी हूं। वह अब हमारे बीच नहीं हैं। वह एक अच्छे सहयोगी थे जिन्होंने ग्रामीणों में शिक्षा के प्रसार के लिए अथक कार्य किया। वे किसानों के उत्थान और पंचायती राज के क्रियान्वयन के प्रति वचनबद्ध थे।

मैं श्री के. वी. सिंह के निधन पर भी अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। वे तीसरी लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गहन रूचि ली और वे अनेक सांस्कृतिक संगठनों और संस्थानों से सम्बद्ध रहे।

मैं इन विशिष्ट व्यक्तियों के निधन से राष्ट्र और हम सबको हुई

हानि के लिए शोक प्रकट करता हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष जी, जीवेन शरदशतम् की वैदिक कामना जिनके जीवन से पूरी होती हुई दिखाई दी थी, किन्तु जो बाद मे पूरी नहीं हुई, मोरारजी भाई अपनी आयु का शतक पूरा नहीं कर सके। बीच में ही काल की गति ने उन्हें खेल के मैदान से हमेशा के लिए अवकाश दे दिया। जब हम उनका जन्मदिन मना रहे थे, तो ऐसा लगता है कि किसी की नजर लग गई, अन्यथा जहां 99 वर्ष पार हो गए, वहां थोड़े दिन और काटना असंभव नहीं होना चाहिए था।

मोरार जी भाई की मृत्य से एक युग का अंत हो गया। अतीत को वर्तमान से जोडने वाली एक सशक्त कडी हमारे बीच नहीं रही। एक शती का जीवन एक दृष्टि से भारत का इतिहास ही था। उसमें स्वतंत्रता का संघर्ष था। स्वतंत्रता की प्राप्ति का आनंद था, जेल की यातनाएं थीं, विभाजन की पीड़ा भी थी और फिर खंडित देश को एक–सूत्र में बांधकर विकास के पथ पर आगे बढाने की चुनौती भी थी। उस समय के हमारे नेताओं ने इस सारे कालखंड में अपने–अपने दायित्वों का भलीभांति पालन करने का प्रयास किया। मोरारजी भाई भी उन्हीं में से एक थे। वे विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी थे। उनके स्वभाव में कुछ विशेषताएं भी थी जो ठीक से न समझने वाले को उनके व्यक्तित्व के बारे में गलत धारणाएं भी दे देती थीं। उनके विचारों में दृढता थी। कभी–कभी वह दृढ़ता हठ का रूप ले रही हैं, ऐसा लगता था, लेकिन दृढता थी। शायद इसका कारण यह था कि उसके मूल में एक नैतिकता का संबल था, ईश्वर पर अटूट विश्वास था, कर्मफल में आस्था थी। व्यक्ति अपना कर्तव्य करे और जो फल मिले उसे सहज भाव से ग्रहण करे – मोरारजी भाई के जीवन में यह प्रतिबिम्बित होता हुआ दिखाई देता था। उन्होंने अनेक पदों को सम्भाला, भिन्न–भिन्न दायित्वों का पालन किया और जिस जिम्मेदारी को सम्भाला उसको ठीक तरह से निभाया भी। उन्हें भारत का प्रधानमंत्री होने का सौभाग्य मिला, अवसर मिला। जिस दिन वे प्रधानमंत्री बने उस दिन भी मैनें उन्हें देखा था, जिस दिन वे प्रधानमंत्री पद से हटे, उस दिन भी मैंने उन्हें देखा था। अवश्य ही उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का सफल अभ्यास किया था। वे कभी विजय के प्रवाह में बहे नहीं। सत्ता से अलग होते समय भी उनका मन दुःख के सागर में डूब गया हो ऐसा नहीं दिखाई देता था। पड़ौसी राष्ट्रों के साथ संबंध सुधारने के लिए जो उनके प्रयास थे वे उस समय फलीभूत हुए थे। वे ही एकमेव राजनेता हैं जिन्हें भारत का भी सबसे बड़ा सार्वजनिक सम्मान मिला और पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा सार्वजनिक सम्मान प्राप्त हुआ हैं। वे स्पष्टवादी बोलना चाहिए। मोरारजी भाई ने इसे नहीं माना। कई महत्वपूर्ण सवालों पर उनके साथ मतभेद हुए। उदाहरण के लिए गोवा को सेना के माध्यम से मुक्त करना उन्हें पसंद नहीं था। सिक्किम का जिस तरह से विलय किया गया वह उन्में पसंद नहीं था। हम लोग उनके खिलाफ थे। हमने कहा था कि सिक्किम का विलय एक सही कदम है। सिक्किम षडयंत्र का अड्डा बन जाएगा, मिला लिया, बहुत अच्छा किया। मोरारजी भाई के गले के नीचे यह बात नहीं उतरी। उसी प्रकार और भी मसले थे, समय नहीं है विस्तार से उनमें जाने का। लेकिन वे अपनी बात प्रामणिकता से कहते थे। एक बार निर्णय हो जाये तो उसको मानते भी थे। अनुशासन में रहते थे, दूसरों को अनुशासन में रखना चाहते थे। प्रधान मंत्री के रूप में मैंने उन्हें देखा कि जब उनसे मिलने के लिए समय मांगा जाये, मोरारजी भाई खाली हैं। कभी इंतजार करो, ऐसा नहीं होता था। इंतजार भी अधिक से अधिक पांच, दस या पन्द्रह मिनट का होता था। जब उनसे इसका रहस्य पूछा गया कि आप करते क्या हैं। कहने लगे मैं बहुत सवेरे उठता हू और जितनी फाइलें होती हैं, सवेरे निपटा लेता हूं। फिर बैठ जाता हू जिसको मिलना है, वह आये। इसलिए वह काफी सम्पर्क रखते थे। उनके निधन से सचमुच में सार्वजनिक जीवन में एक गहरी क्षति हुई है। जो क्षति शायद ही पूरी हो हमारे और भी सहयोगी श्री रेड्डी, श्री सिंह जो लोक सभा में साथी थे, हम उनके निधन पर भी शोक प्रकट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने और प्रधान मंत्रीजी के दिवंत साथियों के विषय में जो कुछ कहा है मैं उसके साथ स्वयं को और अपनी पार्टी को पूरी तरह सम्बद्ध करता हू। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को सद्गति प्रदान करे, कृपया हमारे शोक संवेदना का संदेश उनके परिवार वालों तक पहुंचा दें।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्षजी, स्वर्गीय मोरारजी भाई देसाई आज देश की जो राजनैतिक जमात है उसमें गौरव थे। देश की जनता स्वर्गीय मोरारजी भाई को बहुत आदर और श्रद्धा से याद करती है। उनका जीवन जो हम सब लोगों ने देखा है, वे असाधारण साहस के धनी थे। अपने उसूलों के लिए असाधारण कष्ट सहने की क्षमता और शक्ति उनमें थी। महात्माजी के जो सम्पूर्ण उसूल थे, उनमें से बहुत सीमित उसूलों पर जिंदगी भर उनका आग्रह बेमिसाल था। बहुत सीमित मुद्दे उन्होंने उठाये थे। राष्ट्रभाषा का, इस देश की सबसे बडी आबादी खेती के बाद जिससे जुड़ी थी दस्तकारी का मुद्दा, शराबबंदी का और नेचूरोपैथी का जो उनका आग्रह था, उससे जो उनका जीवन था, मैं महसूस करता हूं कि इतना अनुशासित जीवन विरले ही कहीं जिंदगी में देखने को मिला हो। वे जितना बाह्य जिंदगी में अनुशासित थे, उतना ही अंदर से भी आंतरिक बल और आंतरिक मनः स्थिति से भी मजबूत थे। उनका आंतरिक अनुशासन भी असाधारण था। मैं जब जवान था और लोक सभा में आता था तो मैंने बरसों उनको इस सदन में पीछे की सीट पर बैठे देखा था। वे इतना सीधा और तनकर चलते थे कि उनकी चाल से कभी महसूस नहीं होता था कि इतनी उम्र के हैं। वे कभी प्रचार के पीछे नहीं भागे, जैसे कि आजकल हम राजनीतिज्ञ प्रचार के पीछे दौड़ते हैं, मैंने एक ही महापुरूष को या एक ही मोरारजी भाई को देखा है जो कभी प्रचार के पीछे नहीं भागते थे, प्रचार से इतना दूर रहते थे और आलोचना करने का जितना काम हुआ है, शायद किसी दूसरे व्यक्ति का बहुत कम हुआ है लेकिन उन आलोचनाओं से विचलित होते हुये मोरारजी भाई को नहीं देखा है। मुझे भी अफसोस है कि वर्षो तक उनके जीवन को देखने के बाद मैं भी कई बार कटुता के साथ यह सोचता रहा कि वे बहुत कडे आदमी हैं और ठीक आदमी नहीं हैं लेकिन जब भी उनसे मुलाकात हुई तो वे बराबर कहा करते थे कि गुस्से से नहीं बोलना चाहिये और जो सोच रहे हो, वह सब सच नहीं है, सामने वाले लोगों के बारे में गंभीरतापूर्वक सोचकर ही अपनी जबान को, अपनी बोली को चलाना चाहिये।

अध्यक्ष जी, मोरारजी भाई को अटल जी ने बहुत करीब से देखा है लेकिन हमारे जैसे लोगों ने करीब से नहीं देखा, दूर से ही देखा है।

मैंने दुनिया में ऐसे देश में ऐसा अद्भुत चमत्कार साहस का नहीं देखा कि जब उनका प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन धरती से टकराकर गिरता तो बचता नहीं है लेकिन पायलट अनुभवी थे और उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया तो मोरारजी भाई उसमें से सीधे खड़े होकर तनकर बाहर निकल आये और दूसरे दिन ही अपने दफ्तर में काम करना शुरू कर दिया। मैं पहली बार जीतकर जब उनसे मिलने गया तो मुझसे बात नहीं की। मैं जो बात उनसे कह रहा था, उन्होंने अनसुनी कर दी और 10-20 मिनट के बाद मैं चलने लगा तो बोले कि एक बात सदा जीवन में याद रखो कि राजनीति में अपनी साख बनाकर रखो और धीरज रखो। मैं यह सोचता हूं कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनसे हमारा सम्पर्क नहीं लेकिन मोरारजी भाई से बहुत सीमित सम्पर्क था। जितना जीवन बीतता गया और जिस तरह से बम्बई में किराये के फ्लैट में रहे और बाद में सरकारी भवन में रहे तथा इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी, जैसा कबीर ने कहा है,"दास कबीर जतन से ओढ़ि, जस की तस रख दीनी चदरिया" यानि इस कहावत को चरितार्थ कर दिया कि मानव तन मिला है तो इसको मानवता की सेवा में रखकर इसको बेदाग रखना चाहिये। मैं यह महसूस करता हूं कि उनके बारे में देशभर में बहुत सारे विवाद हुये हैं लेकिन उनकी जिन्दगी बेदाग रही है और सार्वजनिक जीवन में तथा राजनीति में उनकी जिन्दगी हम लोगों के लिए गौरव है। उनका नाम हम सब लोगों का मान-सम्मान और इज्जत बढ़ाता है। बहुत उम्रदराज और उम्र लेकर इस दुनिया से चले गये। जैसा कि प्रधानमंत्री जी, आपने और अटल जी ने कहा और मैं भी इस भावना को महसूस करता हूं कि बेहतर होता कि हम मोरारजी देसाई का 100वां वर्ष मनाते तो राष्ट्र भी आनन्दित होता, सुकून मिलता लेकिन वह अवसर हमारे हाथ से निकल गया। उनको एक भरपूर जीवन मिला जिसमें उन्होंने अपने आचरण को मजबूत बनाया हुआ था। स्वास्थ्य आदमी की नियामत हैं, पूंजी है। उनके जीवन से यही सीख मिलती है। हमारी राजनैतिक जमात की बहुत तरह से देश में आलोचनायें होती हैं और उनके जीवन में भी आलोचनायें हुई हैं तो उन्हें याद करके हमें एक अनुभव होता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि उनके जैसे आदमी के लिए स्मारक बनाने के विषय पर कोई विवाद न हो तो अच्छा है क्योंकि मन को कष्ट होता है। मैं ज्यादा इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

स्व. रेड्डी और स्व. के. के. सिंह को भी अपनी और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दल और अपनी ओर से श्री मोरारजी भाई देसाई और अपने सहयोगी श्री के. वी. रामकृष्ण रेड्डी और श्री के. के. सिंह के निधन पर दुख प्रकट करता हूं।

महोदय, सभा में जो कुछ भी कहा गया मैं स्वयं उससे संबद्ध करता हूं। श्री मोरारजी देसाई एक राजनीतिज्ञ थे और उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें विधायक, मुख्य मंत्री, केन्द्रीय मंत्री और प्रधान मंत्री के रूप में बहुत अनुभव प्राप्त था। वे जिस पद पर रहे, उन्होंने अपने कर्तव्य का बड़ी योग्यता और जिम्मेदारी से पालन किया। उन्हें उनकी प्रशासनिक योग्यता के लिए जाना जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस देश में प्रशासनिक सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। हमने उन्हें देखा कि वे सादा जीवन व्यतीत करते थे तथा उनके सिद्धान्त बहुत ऊँचे थे। जो वे सही समझते थे वही कहते थे चाहे वह मुद्दा लोकप्रिय हो या न हो।

महोदय, मैं यह जानता हूं कि श्री मोरारजी देसाई जैसे प्रतिष्ठित नेताओं के निधन से जो खालीपन हो गया है उसे भरना कठिन है और उसके लिए हमें बहुत दुख है। महोदय, क्या मैं आपसे यह अनुरोध कर सकता हूं कि हमारी यह भावनाएं आप शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें?

मैं श्री मोरारजी देसाई और अन्य मित्रों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मुझे आशा है कि आप शोक संतप्त परिवार के सदस्यों तक हमारी यह भावनाएं पहुंचा देगें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सभा में श्री मोरारजी देसाई बहुत अच्छी तरह से याद हैं। लेकिन मैं उन्हें बहुत कम जानता था और मेरे उनसे गहरे सम्बन्ध नहीं थे क्योंकि हम दोनों में राजनीतिक मतभेद थे तथा हमारी आयु में भी बहुत अधिक अन्तर था। मैं आशा भी नही करता था कि उन जैसा बड़ा व्यक्ति उस समय मुझ जैसे कनिष्ठ सदस्य की ओर ध्यान देता। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा- मैं श्री वाजपेयी की बात से सहमत हूं- कि उनके प्रधान मंत्री बनने पर जब उनसे मिलना अनिवार्य होता था तो उनसे मिलने में कभी कोई कठिनाई नहीं होती थी। उनकी मेज हमेशा साफ रहती थी। मुझे स्पष्ट रूप से यह याद है कि जिस मेज पर वह बैठा करते थे उस पर कोई कागज नहीं होता था। उन्होंने अपने जीवन को ऐसे अनुशासन में ढाल लिया था कि वह अपना कार्य निपटा देते थे और खाली होकर उन लोगों से मिलते थे जो उनसे मिलने आते थे।

वह स्वतंत्र भारत के उत्कृष्ट राजनेता और अदभुत मेधा सम्पन्न व्यक्ति थे। उनके राजनीतिक प्रतिद्वन्दी भी उनकी प्रशासनिक योग्यता की प्रंशसा करते थे। वह स्पष्टवादी और अपने सिद्धांतो पर अडिग रहने वाले व्यक्ति थे। जिससे प्रत्येक व्यक्ति सहमत नहीं होता था वह इतने दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति थे कि अपने सिद्धांतो को बनाए रखने के लिए कभी हिचकिचाते नहीं थे। आज के युग में जब सार्वजनिक जीवन में बहुत सी अवांछनीय घटनाएं हो रही हैं और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जाते हैं, उन पर ऐसे आरोप कभी नहीं लगाए गए। वह अपने व्यवहार और कार्यकलाप में बहुत स्पष्टवक्ता थे। जिन व्यक्तियों ने उनके प्रधान मन्त्रित्व के अंतर्गत कार्य किया है मैंने उनसे सुना है कि वह अपने आधीन मंत्रियों के कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे। उन्हें जो कार्य सौंपा जाता था वह उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करते थे।

महोदय, एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी चाय और काफी नहीं पी है। वह कभी-कभी अपने से काफी छोटे व्यक्तियों के साथ हल्का-फुल्का परिहास भी किया करते थे। मुझे अवसर

याद नहीं है पर एक बार उन्होंने मुझ से पूछा कि "मेरे विचार से आप शाकाहारी नहीं है। मैंने कहा कि "नहीं महोदय"। तब उन्होंने कहा "आप एक दिन मेरे घर पर आइए। आपको ऐसा शाकाहरी भोजन खिलाऊंगा कि आप कभी विश्वास नहीं करेंगे कि यह शाकाहारी भोजन है।" उन्होंने मुझे अपने घर रात के खाने पर बुलाया। उनके घर पर केवल मैं ही मेहमान था अन्य कोई नहीं था। उन्होंने कहा "वह खाना उन्होंने खुश्चेव और बुल्गानिन को भी खिलाया था जब वह यहां दौरे पर आए थे और वह भी यह विश्वास नहीं कर पाए थे कि यह शाकाहरी भोजन है"। उनका एक विशेष रसोइया था जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाता था।

महोदय, यदि उन्होंने अपने जीवन के सौ वर्ष पूरे किए होते तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। यह अपनी तरह का एक ऐतिहासिक रिकार्ड होता। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया जबकि वह इसके काफी नजदीक थे। जैसा कि मैंने कहा है वह सिद्धांतवादी व्यक्ति थे और उन्होंने गांधीजी के सिद्धांतो का पालन किया।

मेरा यह कहना है कि हमारे उनसे राजनीतिक मतभेद थे। मुझे वह दिन विशेष रूप से याद है जब महाराष्ट्र भाषा के लिए आंदोलन चल रहा था। बंबई में यह मामला उनके प्रभार के अंतर्गत था और यह उनका विशेषाधिकार था कि वह किसी मांग विशेष या आंदोलन का पक्ष ले या उसका विरोध करें। इस संबंध में उन्होंने अपनी भावनाएं या विचार कभी नहीं छुपाए। वह दृढ़ता से उनके साथ खड़े हुए और मेरे विचार से आज के समय में ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। आज के समय में ऐसे स्पष्ट राजनीतिक नेता कम ही मिलते हैं, चाहे आप उनके विचारों से सहमत हों या न हों। इसलिए मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि उनका निधन हो गया है। अपनी ओर से और अपने दल की ओर से मैं उनके परिवार को संवेदना प्रकट करता हूं।

हमने उनकी मृत्यु के बाद के चित्र देखें हैं कि उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनके अनेक पोते और पडपोते हैं और इस वृद्धावस्था में वह उनसे बहुत स्नेह करते थे तथा वे भी उनके प्रति बहुत स्नेहशील थे। परिवार की एक साथ वैसी तस्वीर देखना बहुत ही संवेदनात्मक है।

महोदय, हमारें दो अन्य मित्रों श्री रेड्डी और श्री के. के. सिंह का भी देहांत हो गया है। मैं उनको भी श्रद्धाजलि अर्पित करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शोकसंतप्त परिवार को हमारी यह भावनाएं पहुंचा दें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के स्वर्गवास से हमारे राष्ट्रीय जीवन में एक भारी रिक्तता पैदा हुई है। वे वास्तव में मर्यादा पुरूष थे और जब उन्होंने विदेशी नौकरी छोड़कर के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में कूदने का फैसला किया, तो उन्होंने अपने पूरे जीवन के उद्देश्य को अपने ही शब्दों में दो वाक्यों में कहा। उन्होंने कहा था कि "अर्थोपार्जन किसी काम में नहीं लूगा, अर्थात् मात्र पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं करूंगा। 12 वर्ष तक विदेशी सरकारी नौकरी कर के देश की जो कुसेवा मैंने की, जो अपकार किया, उसके प्रायश्चित स्वरूप शेष जीवन मैं जनसेवा और देशसेवा में बिताऊंगा। स्वार्थ के निमित्त काम नहीं करूंगा।" इन्हीं दो वाक्यों में उन्होंने अपने पूरे जीवन के लक्ष्य, अपने उद्देश्य और सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों के लिए एक मार्गदर्शन छोड़ा। मोरारजी भाई विश्वास, संयम और अनुशासन पर आधारित जीवन जिए। स्पष्टवादिता और सच्चाई उनके जीवन के लक्ष्य थे।

मैं कई बार उनके करीब था और उनसे कई बार, कई बातों पर चर्चा करने का अवसर भी मिलता था। उस सब की चर्चा यहां नहीं करूंगा। केवल उदाहरणार्थ दो बातें यहां कह रहा हूं। जिस वक्त की यह बात है, उस वक्त हम कांग्रेस पार्टी में कुछ युवक बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रीविपर्स को समाप्त करने का एक अभियान चला रहे थे। उस सिलसिले में हम उनसे मिलने गए। श्री चन्द्र शेखर जी और श्री मोहन धारिया आदि हमारे साथ थे। हमारी बात एक घंटे तक बहुत ध्यान से सुनने के बाद, उन्होंने दो बातें कहीं वे ये हैं – बैंकों के राष्ट्रीयकरण से इस देश की अर्थव्यवस्था का लाभ नहीं होगा। इससे कठिनाईयां पैदा होंगी। यहां तक राजाओं के वजीफे को समाप्त करने की बात है, नैतिकता के आधार पर जो वचनबद्धता उन्हें दी गई है, उसका निर्वाह करना चाहिए। हम लोग उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन दो वाक्यों में उन्होंने अपनी बात कही।

अभी इन्द्रजीत जी ने कहा कि जब वे प्रधानमंत्री थे, तो किसी के विभाग में उनको दखलंदाजी पसंद नहीं थी, लेकिन वे अपने विभाग में भी किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करते थे। मुझे स्मरण है कि एक बार एक युवा प्रतिनिधि मंडल मास्कों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मलेन में भाग लेने के लिए जा रहा था, तो उसके लिए एक चार्टर हवाई जहाज किया गया था। उसके लिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि जब देश में विदेशी मुद्रा की इतनी कमी है, तो इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल, चार्टर हवाई जहाज से ले जाने की क्या आवश्यकता है। वह युवा प्रतिनिधि मंडल मुझ से मिला। मैं उनकी तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि आप इस मामले में दखल दीजिए क्योंकि युवकों ने सारी तैयारी कर ली है और अब ऐनवक्त पर इस प्रोग्राम को रद्द करने से अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्दिरा जी ने कहा, आप स्वयं उनसे जाकर बात कर लीजिए। मेरा बात करना उचित नहीं होगा। उनके कहने पर जब मैं उनके पास गया, तो फिर उन्होंने दो बातें कहीं। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल ले जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप मिलने आए हैं और आप अनुरोध कर रहे हैं, तो इसकी मैं इजाजत दे देता हूं। यह उनकी उदारता, उनका बड़प्पन, लोगों के मन में प्यार और आदर का प्रतीक था। आज वे नहीं हैं। सारा देश उनके आदर्शों पर चले। यह संकल्प हम सबको जो सार्वजनिक जीवन में है, लें तो देश का हित होगा।

अध्यक्ष जी, आपने और प्रधान मंत्री जी ने जो बातें कहीं हैं, उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को पूरी तरह से सम्बद्ध करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने दो बड़े स्मारक के रूप में जो ऐसे कामों की घोषणा की है, जिन दोनों में उनकी बड़ी अटूट निष्ठा थी, एक अच्छा स्मारक होगा और देश का भी उससे हित होगा।

श्री के. वी. रामकृष्ण रेड्डी तथा श्री के. के. सिंह हमारे देश के वरिष्ठ समाज सेवक थे, सांसद थे, उनका भी स्वर्गवास हुआ है। मैं अपने दल की तरफ से आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारी संवेदना सम्बद्ध परिवारों तक पहुंचा दें।

[अनुवाद]

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई का स्वर्गवास होना हमारे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वे एक अनुशासनप्रिय व्यक्तित्व के रूप में 100 वर्ष जिए। वे अपने सिद्धांतों के प्रति बड़े ही सख्त और अटल थे। उनका जीवन नई पीढ़ी के लिए एक मिसाल और प्रेरणा का स्रोत है। गांधीवाद के एक समर्थक के रूप में देश को आत्मनिर्भर बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण और अनोखा योगदान दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी उन्होंने जो समर्पित सेवा की और त्याग किया, वह भी उल्लेखनीय है। संक्षेप में मोरारजी देसाई का जीवन उच्चमूल्यों का प्रतीक है। उनकी मौत से हमारे देश ने एक महान देशभक्त और निस्वार्थ नेता खो दिया है। "अन्य दो भूतपूर्व सदस्यों जिनका निधन हो गया है, के योगदान को भी याद किया जायेगा। अन्नाद्रमुक की ओर से मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से मैं मोरारजी भाई देसाई की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त करता हूं। देश को उनकी मृत्यु में बहुत बडा नुकसान हुआ है। श्री देसाई अपनी स्पष्टवादिता, प्रशासनिक दक्षता, साहस और विचारों के लिए जाने जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस देश की जनता उन्हें आने वाले दशकों में याद करती रहेगी। जब थोड़ी अवधि के लिए वे प्रधान मंत्री थे वे मूल्यवृद्धि को रोक पाए थे और देश में आम आदमियों को बहुत ही उचित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो पाई थी। महोदय आपातकालीन के दौरान अनेक संवैधानिक संशोधन कर दिए गए और कानूनों में परिवर्तन कर दिया गया था जिसके कारण लोकतांत्रिक भावना को कुछ समय के लिए धक्का पहुंचा था और मोरारजी भाई ने लोकतंत्र को बहाल किया।

रायल सीमा के वयोवृद्ध नेता श्री राम कृष्ण रेड्डी महान किसान नेता प्रो. एन जी. रंगा के अनुयायी थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने सूखाग्रस्त और पिछडे अनन्तपुर तथा रायल सीमा जिलों में कार्य किए थे।

मेरी अपनी और अपनी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें। मैं प्रधान मंत्री जी से अपील करता हूं कि संसद भवन परिसर में मोरारजी भाई की प्रतिमा स्थापित करवाने के लिए आवश्यक उपाय करें।

[हिन्दी]

श्रीमती लवली आनन्द (वैशाली) : अध्यक्ष जी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री एवं महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री मोरारजी भाई देसाई के निधन से सारा देश आज मर्मान्तक पीडा में हैं। यह देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने जीवन भर सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। वे सादगी और सचरित्रता के प्रतिमूर्ति थे। आज के छल, छदम भरे धूर्तई, बेमानी जोड़–तोड व तिकडम के राजनैतिक माहौल में, वे नयी पीढ़ी को सदा एक नयी प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे। वे भारत के अकेले नेता था जिन्हें एक साथ भारत रत्न और शान–ए–पाकिस्तान के सम्मान से सम्मानित किया गया। वे सच्चे अर्थों में गांधीवादी थे। साथ ही वे अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका अंतिम संस्कार दिल्ली के बाहर हुआ। अतः मैं चाहूंगी कि राजधानी में किसी अच्छी जगह पर उनकी आदमकद प्रतिमा तथा सैंट्रल हाल में उनकी तस्वीर लगाई जाये ताकि उन्हें चाहने वाली देश की करोड़ों जनता की भावनाओं का आदर हो सके।

स्वर्गीय मोरारजी भाई देसाई प्राकृतिक चिकित्सा के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंन इसे अपनी लम्बी उम्र का राज भी बताया। यदि सरकार प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देकर गरीबों को सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करावे तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं उनके निधन पर अपनी गहरी सदभावना व्यक्त करती हूं तथा अपनी पार्टी की ओर से भी सद्भावना व्यक्त करती हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारसात) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा, सदन के नेता तथा अन्य माननीय नेताओं द्वारा हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई के दुखद निधन पर व्यक्त की गई हार्दिक संवेदना तथा पीड़ा के साथ अपने आपको संबद्ध करता हूं।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि मोरारजी भाई ने एक सादा, पारदर्शी, अर्थपूर्ण तथा सिद्धांतों पर आधारित जीवन बिताया। उनका जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। वे एक सच्चे गांधीवादी थे। वह गांधीवादी मूल्यों और आदर्शों के मूर्त रूप थे और उनकी जीवन के प्रति महान आकांक्षाए थी। वे सभी परिस्थितियों में बड़ी स्पष्टता तथा निर्भीकता से अपने विचार रखते थे। वह अपने निकट सहयोगियों और दल के सदस्यों से भी असंतुष्ट होने की परवाह न करते हुए अपने विचार रखते थे। वह राजनिक जीवन में अपने पद या स्थिति से कभी कर्त्तव्य विमुख नहीं हुए। मोरारजी भाई कार्यालय में तथा बाहर दोनों जगह हमेशा गांधीवादी ही रहे। यदि संकट के इस समय में स्वर्गीय श्री मोरारजी भाई देसाई की परिकल्पनाओं को कार्य रूप दिया जाता है तो राष्ट्र प्रगति कर पाएगा।

महोदय, मैं आपके साथ श्री मोरारजी देसाई के परिवारजनों, मित्रों तथा रिश्तेदारों को संवदेना व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।

इसके साथ ही मैं सदन के अन्य दो सदस्यों – श्री के. वी. रामाकृष्ण रेड्डी तथा श्री के. के. सिंह के निधन पर भी शोक प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : श्री मोरारजी देसाई आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी सौ वर्ष जीने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई उनके पास जबर्दस्त विल पावर थी और उन्होंने तथ्यों से कभी समझौता नहीं किया। मैं विनम्रतापूर्वक शिवसेना की तरफ से उस आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही यह भी बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की यह परंपरा है कि जब भी कोई बड़ा व्यक्ति गुजर जाता है तो एक प्रकार से 2-3 दिन के लिए सबका जीवन बंद हो जाता है। मोरारजी भाई देसाई के गुजर जाने के बाद भी ऐसा ही हुआ लेकिन क्या इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है, यह हमें सोचना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और सदन से विनती करता हूं कि इस बारे में सोचें।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वारस) : अध्यक्ष महोदय, मोरारजी भाई आज हमारे बीच नहीं हैं किंतु उनके कार्य सदा स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने

खुद ही अपने तरीके से एक इतिहास बना लिया। उनका जीवन बहुत निराला था, उनका चाल–चलन और काम–धंधा भी निराला था।

12.00 मध्यान्ह

मुझे याद है, जब मैं पहली दफा 1977 में चुनकर आया तो वह प्रधानमंत्री थे। वह बहुत दफा हम लोगों को देश की समस्याओं के विषय में बातचीत करने के लिए बुलाया करत थे। वह इतने महान व्यक्ति होते हुए हमारे जैसे लोगों के साथ भी सलाह –मशविरा करने के लिए तैयार रहते थे। बहुत समय लेकर हम लोग उनके साथ बातचीत भी करते थे।

आपके साथ, प्रधान मंत्री जी और दूसरे जितने लोगों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैं अपनी पार्टी आर. एस. पी. की तरफ से और मेरी तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि जो श्रद्धांजलियां हम लोग दे रहे हैं, वह उनके परिवार को भेज दी जायेंगी।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, अपने दल, अपनी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग, की ओर से मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री तथा अन्य माननीय नेताओं द्वारा प्रकट किए गए विचार से सम्बद्ध करता हूं। श्री मोरारजी भाई देसाई का महान व्यक्तित्व वर्षो तक भारतीय राजनीति में छाया रहा। जो व्यक्ति उनके विचारों से सहमत नहीं है वे भी कुछ मुद्दों पर उनसे सहमत है, उनके सुदृढ़ नैतिकता, नशाबंदी गांधी वादी दर्शन जिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास था से वह सहमत हैं। जो कुछ उन्होंने कहा उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया। मोरारजी देसाई को भावी पीढियां उनकी देश भक्ति और राष्ट्रभक्ति भावना जो उन्होंने देश की जनता में पैदा की उसके लिए हमेशा याद किया जाएगा।

महोदय मैं एक बार फिर अपने दल की तरफ से श्री मोरारजी देसाई तथा अन्य दो साथियों के शोक संतप्त परिवारों को संवेदना प्रकट करने में अपने आपको आपसे सम्बद्ध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामसागर (बाराबंकी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री स्वगीर्य श्री देसाई जी ने देश की आजादी के लिए जो काम किया और प्रधान मंत्री पद पर रहते हुए देश की जनता के लिए अच्छा कार्य किया, वह सराहनीय है। वह सादा जीवन उच्च विचार के साथ लंबी उम्र तक बिना बीमारी के रहते हुए देश की जनता मैं, जन–जन में मशहूर हो गये, चर्चित हो गये। आज उनके निधन पर जो विचार माननीय प्रधान मंत्री जी ने, माननीय नेता, विरोधी दल ने और सभी दलों के सम्मानित नेताओं ने दिये हैं, मैं उनके साथ अपने को और अपनी समाजवादी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे विचार शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता, विपक्ष के नेता तथा अन्य मित्रो के साथ श्री मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने में अपने आपको सम्बद्ध करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे 42 वर्ष से उन्हें नजदीक से जानने का सौभाग्य मिला तथा मैंने उनका स्नेह पाया। मैं सबसे पहले उन्हें 1953 में मिला था जब वह बंबई के मुख्यमंत्री थे और मेरे स्वर्गीय पिताजी ने मेरा उनसे परिचय करवाया था। उस दिन से मेरा उनसे घनिष्ठ संबंध रहा और मैंने पाया कि वे मूल सिद्धांतों के प्रति बड़े अडिग थे। वे अपनाए गए साधनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे ओर उनके विचारों में अच्छा लक्ष्य कभी भी गलत साधनों को उचित नहीं ठहरा सकता।

उन्होंने देश को स्वयं से बड़ा माना और इस संबंध में वह बड़े कठोर थे। मुझे 1979 का वह दिन याद है जब वह बहुमत खो चुके थें मैं प्रातः उनके साथ था और दोपहर तथा शाम को भी उनके पास गया था। मुझे याद है कि उनके मित्र उनके पास आए थे जिन्होंने उन्हें वह अनेक तरीके बताएं जिससे वह देश के प्रधान मंत्री बने रह सकते थे। अनेक व्यक्तियों ने उनसे यह आग्रह किया कि वह कुछ नेताओं को 'मूल्य' दे दें उन्हें बुलाकर अपना समर्थन करने के लिए मनाएं लेकिन वह अडिग थे। उन्होंने कहा कि वह अपने मूल सिद्धांतो से समझौते नहीं करेंगे और ऐसा करने से उन्होंने इंकार कर दिया। जब उन्होंने अपने विश्वासपात्र व्यक्ति तोनपे से यह कहा था कि "जाओ और पत्र का प्रारूप तैयार करो" तब मैं उनके साथ ही था। आधे घंटे में वह पत्र आ गया था और उन्होंने अनेक सदस्यों जो अभी भी यही समझते थे कि यदि वह अपने सिद्धांतों से समझौता कर लें तो वह प्रधान मंत्री बने रह सकते हैं कि भावनाओं तथा आग्रहों का ध्यान न रखते हुए उस पर हस्ताक्षर कर दिए।

महोदय, वह कभी भी दोगली बातें नहीं करते थे और न ही किसी को धोखा देते थे। उनके लिए व्यक्ति से संस्थाएं अधिक महत्वपूर्ण थीं। वह बहुत महत्वपूर्ण था। जैसा कि आपने कहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने प्रशासन को चुस्त–दुरूस्त बनाने में गहरी रूचि ली। उन्होंने अनेक सिफारिशें की और मुझे यह स्मरण करके प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने मंत्रिमंडल के सचिव पद की निश्चित अवधि संबंधी सिफारिश को क्रियान्वित किया। उनका विश्वास था कि सिविल कर्मचारियों को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिये। वह महसूस करते थे कि मंत्रीमंडल सचिव सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है इसलिए उनका निश्चित सेवाकाल होना चाहिए। पत्रकार के रूप में मैंने उनसे इसका कारण पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सिविल सेवाएं स्वतंत्र होनी चाहिएं। यदि किसी समय सिविल सेवा की उच्च परंपराएं बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल सचिव और प्रधान मंत्री के बीच कोई असहमति होती है तो मंत्रीमंडल सचिव को अपने कागजातों को बदलने का अधिकार है। इससे देश को यह जानने का अधिकार होगा कि मंत्रिमंडल सचिव ने त्यागपत्र क्यों दिया हैं। इसीलिए उन्होंने संस्थाओं विशेष रूप से प्रशासन को सुदृढ करने का समर्थन किया।

महोदय, वह बाहर से सख्त और अंदर से कोमल हृदय वाले और स्नेहशील व्यक्ति थे। ऐसा आभास दिया गया कि वह प्रेस विरोधी थे, प्रेस की स्वतंत्रता के विरोधी थे और प्रेस को अपनी इच्छानुसार चलाना चाहते थे। मुझे एक घटना विशेष याद है। 1977 में उन्होंने और तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा जाने वाले प्रतिनिधि मंडल और उनसे कहा कि मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है। लेकिन

मैं यह तय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या मुझे इस सम्मान को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मैं अपनी स्वायत्तता से समझौता नहीं करना चाहता हूं। अन्य कोई व्यक्ति या प्रधान मंत्री इस बात से नाराज हो जाता लेकिन उन्होंने मुस्कराते हुए कहा "मैं भी चाहता हूं कि आप अपनी स्वतंत्रता बनाए रखें। मैं आपको प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में भेज रहा हूं क्योंकि यह राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल है। मैं चाहता हूं कि आप इस प्रतिनिधिस मंडल के साथ जाएं यदि आपको कोई सैद्धांतिक विरोध है तो आपको मैं यह अधिकार देता हूं कि आप अपनी असहमति प्रकट करें और अपने विचार रखें।

मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। लेकिन अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि गांधी जी के मूल्यों जिनके लिए वे जिए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए पर चलना ही मोरारजी देसाई के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुझा) : अपने दल की ओर मैं मोरारजी भाई के निधन पर माननीय सदस्यों और नेताओं द्वारा व्यक्त गहरे शोक से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं। वह उच्च विचार वाले, बहुत ईमानदार व्यक्ति और योग्य प्रशासक थे। वह अच्छे सांसद थे और वह सुदृढ मन से समस्याओं का सामना करते थे। वह एक सफल राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे जिन्होंने राष्ट्र का नेतृत्व उस समय किया जब भारत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। मैं उनके विधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं।

मैं अपने दो साथियों के निधन पर भी शोक व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा के सदस्य दिवगंत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ें होगे।

12.08 म. प.

तत्पश्चात् सदस्यगण थोडी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : सभा 25 अप्रैल, 1995 के 11.00 म. पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी नीति

***281. श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया :**

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले चार्टर्ड तथा पट्टे पर लिए गए पोत आपरेटरों द्वारा कुल कितनी-कितनी मात्रा में मछली पकड़ी गई;

(ख) मात्रा और कीमत की दृष्टि से सहायता कार्य में केन्द्र सरकार का कितना हिस्सा है;

(ग) क्या विदेशी पोतों द्वारा बड़ी मात्रा में मछली पकड़े जाने के समाचार मिले हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार को चार्टर्ड तथा विदेशी पोतों द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति के विरोध में लगातार अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई):

(क) 1993-94 और 1994-95 (अनन्तिम) के दौरान चार्टर्ड जलयानों तथा पट्टे पर लिए गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के आपरेटरों द्वारा कुल घोषित शिकार क्रमश : 8919 मी. टन तथा 8550 मी. टन था।

(ख) गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की चार्टरिंग तथा लोजिंग की भारतीय कंपनियों को अनुमति है तथा ऐसे प्रचालनों में सरकार का कोई हिस्सा नहीं होता बहरहाल, भारतीय कंपनियों द्वारा चार्टर के लिए प्रतिवर्ष प्रति जलयान 10,000 रु. की दर से तथा पट्टे के लिए प्रतिवर्ष प्रति जलयान 25,000 रु. की दर से लाइसेंस शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, उनके द्वारा कुल पकड़ी गई मछली की कीमत का 1% की दर पर निर्यात उपकर का भी भुगतान किया जाता है।

(ग) और (घ) 1993-94 के दौरान 26.88 लाख टन कुल समुद्री मछली के उत्पादन की तुलना में पट्टे पर लिए गए तथा चार्टर्ड मत्स्यन जलयानों द्वारा केवल 8919 मी. टन मछली पकड़ी गई थी जो कुल शिकार का केवल 0.34% है।

(ङ) और (च) गहन समुद्री मत्स्यन नीति के खिलाफ कुछ राज्य सरकारी तथा विभिन्न तटवर्ती राज्यों के मछुआरों की एसोसिएशनों तथा अन्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हाल ही में राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तथा गहराई से अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति करके मामले की समीक्षा की गई है। तथापि तटीय मत्स्यन पर गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के परिचालन का कोई विपरीत प्रभाव प्रमाणित नहीं हुआ। दूसरी तरफ वह पाया गया कि तटीय मत्स्यन उद्यम में बेरोकटोक तथा अनियमित बढ़ोतरी से सीमित संसाधनों को पाने के लिए पारंपरिक मत्स्यन नौकाओं तथा मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों के बीच प्रतियोगिता बढ़ी है। बहरहाल, राज्य सरकारों, संसद सदस्यों और मछुवारों द्वारा की गई मांग की दृष्टि में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जब तक इस पूरे मामले की समीक्षा नहीं हो जाती तब तक गहन समुद्री मत्स्यन के लिए आवेदन पत्रों पर आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। तदनुसार, सरकार ने भारत के भूतपूर्व सचिव श्री पी. मुरारी की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की है।

परिवहन क्षेत्र का गैर -- सरकारीकरण

***282. श्री चित्त बसु :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों, राजमार्गो, जहाज निर्माण, अंतर्देशीय नौवहन, शुष्क गोदी और कन्टेनर सेवाओं आदि में गैर-सरकारी पूंजी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को इस बीच

गैर–सरकारी कंपनियों और विदेशी पूंजी निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों का क्रियान्वयन किस अवस्था में है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर):

(क) जी हां। लेकिन, राजमार्ग क्षेत्र में निजी निवेश संबंधी प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) से (घ) अनेक निजी फर्मो ने निम्नलिखित क्षेत्रों में रूचि दिखाई है:

(i) पत्तन : तरल तथा शुष्क दोनों प्रकार के बल्क कार्गो हेतु बर्थो और जैट्टियो, कन्टेनर टर्मिनलों, कार्गो हैंडलिंग उपकरणों, ड्राई डाकिंग जहाज मरम्मत सुविधाओं का निर्माण, प्रचालन और रख–रखाव तथा आबद्ध ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना।

(ii) अंतर्देशीय नौचालन : जलयानों का प्रचालन, निकर्षण, टर्मिनलों और नौचालन उपकरणों की स्थापना / रख–रखाव।

(iii) राजमार्ग : सड़को/पुलों/बाईपासों का निर्माण।

(iv) जहाज निर्माण : जहाजों/जलयानों का निर्माण।

पत्तन क्षेत्र में कुल 2500 करोड़ रु० की अनेक परियोजनाओं को इस मत्रालय ने अनुमोदित कर दिया है और ये कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। उपर्युक्त अनुमोदित परियोजनाओं के अतिरिक्त, निजी क्षेत्र ने विभिन्न उद्यमों में रूचि दिखाई है जिसके लिए लगभग 13,000 करोड़ रु० के निवेश की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

पारेषण और वितरण में होने वाली हानि

*283. **श्री गुमानमल लोढा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने हेतु पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली विद्युत की हानि को कम करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत पारेषण में सुधार लाने के लिए गैर–सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है कि पारेषण के दौरान होने वाली विद्युत की हानि को किस सीमा तक कम किया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) इस समय विद्युत वितरण का कार्य राज्य बिजली बोर्डो के हाथ में है, जिनको पारेषण और वितरण हानियों की मात्रा को कम करने के लिए समुचित उपाय करने होते हैं। तथापि, पारेषण तथा वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करने के लिए विद्युत युटिलिटिल को जारी किए गए भारत सरकार के व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों में ये शामिल है, अधिक हानियों के लिए उत्तरदायी प्रणालीगत घटकों का पता लगाने के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य करना, वोल्टता परिदृश्य में सुधार करने के लिए कपेसिटर्स अधिष्ठापित करना, अपनी पारेषण और वितरण प्रणालियों को सशक्त बनाने और इनमें सुधार करने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें तैयार करना, ऊर्जा की चोरी को रोकने के लिए टैम्पर प्रूफ मीटर बाक्स लगाना और ऊर्जा की चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए सतर्कता दलों का गठन करना। भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के प्रावधान 39 के अधीनक ऊर्जा की चोरी को अगस्त 1986 से संज्ञेय अपराध बनाया गया है। पारेषण और वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करने के लिए राज्य बिजली बोर्डो को प्रेरित करने हेतु भारत सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन स्कीम लागू की गई है।

(ख) और (ग) निजी विद्युत नीति, पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अनुमति प्रदान करती है।

(घ) और (ङ) यह देखा गया है कि उपयुक्त तकनीकी और आर्थिक उपायों के द्वारा देश की विद्यमान विद्युत प्रणाली में पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा लगभग 10-15% तक कम की जा सकती है। तथापि, वितरण का कार्य संबंधित राज्य बिजली बोर्डो के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए उनको, विद्युत के पारेषण और वितरण के दौरान प्रणाली में विद्युत की हानि की मात्रा को किस सीमा तक कम किया जा सकता है, यह पता लगाने के लिए अपेक्षित सर्वेक्षण कार्य करने होंगे।

[अनुवाद]

विदेशी विद्युत कम्पनियों के लिए प्रति - गारंटी

*284. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

श्री अनन्तराव देशमुख :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रति–गारंटी समाप्त करने संबंधी भारत के हाल के निर्णय पर अमरीका ने चिंता व्यक्त की है तथा सरकार से निवेश को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कोई वैकल्पिक उपाय करने का आग्रह किया है;

(ख) क्या जनवरी, 1995 में विद्युत के संबंध में भारत–अमरीका द्विपक्षीय वार्ता के दौरान इस मुद्दे पर भी विचार हुआ था;

(ग) क्या अमरीकी प्रतिनिधियों द्वारा अपने दौरे के दौरान अनेक सुझाव दिए गए थे;

(घ) यदि हां, तो भाग (क) से (ग) तक के संबंध में ब्यौरा क्या है और सरकार को इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) क्या उन विद्युत परियोजनाओं के मामले में विदेशी ऋण इक्विटी अनुपात में छूट दी गई है जिनके मामले में प्रति–गारंटी की मांग नहीं की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) भारतीय निजी विद्युत नीति के संबंध में भावी निवेशकर्ताओं में विश्वास को जागृत करने के लिए, भारत सरकार ने विदेशी निवेश दृष्टिकोण से स्वीकृत कुछ प्रारंभिक परियोजनाओं को प्रति–गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदुपरांत, भारत सरकार ने भारत सरकार की प्रति गारंटी के विकल्पों को खोजने का निर्णय लिया। यह मामला जनवरी, 1995 में आयोजित भारत अमरीका द्विपक्षीय ऊर्जा मंत्रणा और फरवरी, 1995 में अमरीकी ऊर्जा सचिव के दौरे के दौरान भी विचार–विमर्श हेतु उठाया गया, जहां इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि अमरीकी सरकार, अन्य देशों के अनुभव के आधार पर प्रति–गारंटी के विकल्पों को तैयार करने में सहायता प्रदान करेगी और एक कार्यशाला का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें अमरीकी वित्तीय संस्थान, अमरीकी विद्युत विभाग, यू एस ए. आई डी और अमरीकी परियोजना विकासकर्त्ता भाग ले सकते हैं।

(ग) प्रति गारंटी के वे विकल्प, जिन पर विचार किया गया, इस प्रकार हैं :

1. स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई पी पी) द्वारा उच्च वोल्टता वाले उपभोक्ताओं को विद्युत की सीधी आपूर्ति।
2. एक एस्क्रो खाता खोलना, जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा विशिष्ट भुगतानों को जमा किया जाता है और आई पी पी के प्रति भुगतान दायित्व प्रथम प्रभार होता है।
3. वित्तीय संस्थान प्रति–गारंटी सहित एस्क्रो।
4. मिश्रित प्रति–गारंटी।
5. पावरग्रिड निगम के साथ विद्युत क्रय समझौता।
6. विद्युत उत्पादन को वितरण के साथ जोड़ना।
7. राज्य सरकार की गारंटी सहित, केन्द्रीय हस्तांतरण वाली एस्क्रो व्यवस्था करना, जो खाते के सुपुर्द की जाती है।
8. विश्व बैंक गारंटी

(घ) प्रति–गारंटी के विभिन्न विकल्पों को सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ङ) और (च) गुजरात टोरेंट ऊर्जा निगम के गुजरात में गैस आधारित मिश्रित ईंधन कम्बाइंड साइकल विद्युत परियोजना के संबंध में, विदेशी ऋण इक्विटी अनुरूप में छूट दी गई है। इस परियोजना की कोई प्रति–गारंटी नहीं है।

[हिन्दी]

सड़क परियोजनाओं का गैर-सहकारीकरण

*285. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों, बाईपासों, पुलों और एक्सप्रेस मार्गों पर निर्माण/मरम्मत संबंधी कार्यों में गैर–सरकारी क्षेत्र को शमिल करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितनी गैर–सरकारी कंपनियों को ऐसे कार्य सौंपे गये हैं;

(ग) गैर–सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के साथ किये गये समझौतों में निर्धारित शर्तें क्या है ; और

(घ) सड़क परियोजनाओं में गैर–सरकारी क्षेत्र को शामिल करने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)

(क) एक्सप्रैस मार्गों, बाईपासों और पुलों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख–रखाव और प्रचालन में निजी क्षेत्र को शामिल करने का प्रस्ताव है। लेकिन केवल मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) किसी निजी पक्ष को अभी तक ऐसे कोई कार्य नहीं सौंपे गए है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि बजटगत संसाधन आवश्यकता से बहुत ही कम होते हैं इसलिए सड़क क्षेत्र के विकास में निजी उद्यमशीलता और निजी संसाधनों का उपयोग करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

समुद्री मार्ग से हज यात्रा

*286. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री मार्ग से हज यात्रा की सुविधा को 1995 से समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समुद्री मार्ग से हज यात्रा को समाप्त किए जाने के निर्णय के फलस्वरूप हज समिति को पुर्नगठित करने तथा इसका स्थान–परिवर्तन करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हज समिति अधिनियम को संशोधित करने अथवा इसके स्थान पर एक नया अधिनियम बनाने संबंधी लंबे समय से चले आ रहे प्रस्ताव पर सभी सम्बद्ध पक्षों से विचार–विमर्श कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो संशोधन विधेयक अथवा नया विधेयक कब तक पेश किया जाएगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) हज यात्रा की बदली हुई स्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा अन्य बातों के साथ–साथ इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि हज के लिए जाने वाले यात्री बम्बई के अतिरिक्त अब दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास से भी रवाना होते हैं सरकार हज अधिनियम 1959 के स्थान पर एक नया कानून बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है। इस विधेयक में शामिल किए जाने वाले विधायी प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार–विमर्श

किया जा रहा है और सभी पहलुओं की जांच के पश्चात् नए विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस से पीड़ित व्यक्ति

*287. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल के गैस–पीड़ित व्यक्तियों को राहत देना अभी पुनः चालू नहीं किया है;

(ख) क्या गैस–पीड़ित व्यक्तियों को सरकार से अभी तक कोई राहत प्राप्त नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि सभी गैस–पीड़ित व्यक्तियों को यथाशीघ्र राहत मिले?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (घ) भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को राहत का प्रावधान बंद नहीं किया गया है और इस प्रकार इसे पुनः आरंभ करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। भोपाल के गंभीर रूप से प्रभावित 36 वार्डों में प्रतिमाह 200/- रु० की दर से अंतरिम राहत वितरित की जा रही है। इसके अलावा भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 3.10.1991 के आदेशों के अनुपालन में मृत्यु और घायलों के मामलों में मुआवजा के दावों को भी निपटाया जा रहा है और 1 मार्च, 1995 तक लगभग 500 करोड़ रु० की राशि दे दी गई है। दावों को निपटाने के लिए 43 अदालतें कार्य कर रही हैं और दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए 13 और अदालतें स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कश्मीर का मुद्दा

*288. **डा. आर. मल्लू** :

डा. वसंत पवार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की हाल की बैठक में कश्मीर का मुद्दा उठाया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में भारतीय शिष्टमंडल ने कौन से प्रतिकारी कदम उठाये हैं और वे किस हद तक सफल हुए हैं;

(ग) क्या सरकार पाकिस्तान के ऐसे निरर्थक प्रयासों का मुकाबला करने के लिए अन्य देशों के साथ कोई राजनयिक पहल कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने हाल ही में संपन्न संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 51वें सत्र के दौरान कई कार्यसूची मदों के तहत कश्मीर का मसला उठाया था। तथापि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान के आरोपों का कारगर ढंग से खंडन किया और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के समक्ष तथ्यों को सही रूप से प्रस्तुत किया। भारत सरकार द्वारा कारगर समर्थन जुटाने से इस बात का सुनिश्चय हुआ कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रस्ताव रखने के लिए कोई समर्थन नहीं जुटा पाया।

(ग) और (घ) सरकार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को सही स्थिति से अवगत कराती रही है और उन्हें इस बात से भी अवगत कराती रही है कि जम्मू कश्मीर नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवाद के प्रायोजन में पाकिस्तान का हाथ है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात से भी अवगत कराती रही है कि हम सभी मतभेदों पर पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रूप से शिमला समझौते के अधीन विचार –विमर्श करने के लिए तैयार हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग

*289. **श्री प्रेम चन्द राम** :

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन नए राष्ट्रीय राजमार्गों के राज्यवार, नाम तथा ब्यौरा क्या है, जिनका निर्माण–कार्य गत एक वर्ष के दौरान आरंभ किया गया था,

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए कितनी भूमि अर्जित की गई; और

(ग) आठवीं योजना में भूमि अर्जन पर अनुमानतः कुल कितनी लागत आई और राष्ट्रीय राजमार्गों संबंधी क्या–क्या विकास कार्य किए गए?

जल -भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर):

(क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक केवल एक नए राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात् आंध्र प्रदेश में चित्तूर से करनूल तक राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 18 की घोषणा की गई है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर 132.74 लाख रु० लागत के पांच सुधार कार्यों, जिनमें भूमि–अधिग्रहण शामिल नहीं है, जो 1994-95 के दौरान मंजूरी दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए (भूमि अधिग्रहण सहित) आठवीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक वर्ष–वार आबंटित की गई राशि नीचे दी गई है :

क्रम सं०	वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु आबंटित राशि (करोड़ रु०)
1.	1992-93	437.87
2.	1993-94	535.91
3.	1994-95	677.30

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के शेयर इसके कर्मचारियों को दिया जाना

*290. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

के शेयर इसके कर्मचारियों को देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या शर्तें तय की गई हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कहीं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) भारत सरकार ने मार्च, 1994 में सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों जिसमे "सेल" भी शामिल है, उनकी शेयर धारित के एक भाग की बिक्री की पेशकश उनके उन नियमित कर्मचारियों जो 1.4.1992 और 17.3.1994 की स्थिति के अनुसार कंपनी की नामावली में थे, को की थी। यह पेशकश प्रति कर्मचारी 200 शेयर की अधिकतम सीमा की शर्त पर थी और इसमें यह शर्त भी थी कि कर्मचारियों को शेयरों की कुल बिक्री कंपनी की प्रदत्त साम्या शेयर पूंजी के 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 14120410 साम्या शेयर खरीदने के लिए "सेल" में 92369 पात्र कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया। ये शेयर सरकार द्वारा निर्धारित 26 रुपये प्रति शेयर की दर से बेचे गए। "सेल" के कर्मचारियों द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या "सेल" की प्रदत्त शेयर पूंजी का 0.35% है।

"सेल" में सरकार द्वारा धारित शेयरों की कर्मचारियों को और बिक्री करने के बारे में कोई प्रस्ताव/अभ्यावेदन इस्पात मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। हालांकि सेवा निवृत्त कर्मचारियों, सहायक कंपनियों के कर्मचारियों आदि को भी शेयरों की बिक्री करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए थे। इन सुझावों के लिए लोक उद्यम विभाग जो इन मामलों के लिए नोडल मंत्रालय हैं, सहमत नहीं हुआ।

इन्डस्ट्रीयल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन संबंधी प्रतिवेदन

***291. श्री एस. एम. लालजान बाशा :**

श्री सुधीर गिरि :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डस्ट्रीयल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (आई सी आई सी आई) ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन में रूग्णता के कारणों के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में उपलब्ध विकल्पों का ब्यौरा क्या है और आई सी आई सी आई द्वारा इसके प्रत्येक एकक को पुनः चालू करने के लिए क्या योजना सुझाई गई है और प्रत्येक के लिए कितने पूंजी निवेश की सिफारिश की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन की तकनीकी और आर्थिक कमियों को दूर करने का है; और

(ङ) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के हल्दिया एकक के कब तक चालू हो जाने की संभावना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि. (आई सी आई सी आई) को औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्नगठन बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच एफ सी) के लिए प्रचालन अभिकरण नियुक्त किया गया था। बी.आई एफ आर को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आई सी आई सी आई ने एच एफ सी के विभिन्न एककों के कालक्रमिक इतिहास, वर्तमान प्रक्रिया एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर, भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन, रूग्णता के कारण और पुनरूद्धार के विकल्प की चर्चा की।

संयंत्रों में प्रौद्योगिक कमियों के कारण निम्न क्षमता उपयोग, शुरू से ही लगातार हानियां जिसके परिणामस्वरूप संयंत्रों की दक्षता में सुधार के लिए दीर्घावधिक रणनीतियों को कार्यान्वित करने के वास्ते समय पर निधियां उपलब्ध नहीं हुई, उचित रख–रखाव की कमी, उपस्करों का पुरानापन और पर्याप्त प्राकृतिक गैस (नामरूप एकक के लिए) की अनुउपलब्धता, एच एफ सी की रूग्णता के प्रमुख कारण हैं जिन्हें आई सी आई सी आई की रिपोर्ट में उजागर किया गया है।

(ग) अलग–अलग एककों के पुनरूद्धार के लिए बिना कोई विशिष्ट सिफारिश किये, आई सी आई सी आई ने एच एफ सी के अधिकांश एककों के पुनर्वास के लिए मुख्य रूप से तीन विकल्प दिये हैं। ये विकल्प हैं (i) संयंत्रों के प्रचालनों को जारी रखने के लिए नये निवेश (ii) उत्पादन और क्षमता उपयोगिता में सुधार के लिए काफी निवेश और (iii) वर्तमान स्थलों पर नये संयंत्र स्थापित करना। प्रत्येक विकल्प में भी, विभिन्न एककों के लिए आई सी आई सी आई की रिपोर्ट में निवेश/वित्तीय त्याग के विभिन्न स्तरों को इंगित किया गया है। आई सी आई सी आई की रिपोर्ट के अनुसार, विकल्प विशेष का चयन एवं स्वीकार्यता अंततः वित्तीय व्यवहार्यता, बृहद आर्थिक इच्छा शक्ति और अतिरिक्त निवेश स्तर जैसे मानदंडों के विचार पर आधारित होगा।

(घ) से (ङ) एच एफ सी, जिसमें इसकी हल्दिया परियोजना भी शामिल है, के दीर्घावधिक भविष्य पर कोई अंतिम निर्णय, बी आई एफ आर, जो न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लम्बित कार्रवाइयों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

सड़क परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

***292. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक देश में सड़क परियोजनाओं के लिए ऋण देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैंक द्वारा कितना ऋण दिया जायेगा,

(ग) क्या प्रस्तावित सहायता योजना में परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन–किन राज्यों में इन परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग – परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 245 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि के लिए हाल में 22 मार्च, 1995 को एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) और (घ) समझौते के अनुसार परियोजनाओं के मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :

i) राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली जो विशेषतः औद्योगिक क्षेत्र के लिए सहायक हो, के सुधार के लिए सरकार के प्रयासों में सहायता करना,

ii) परिवहन की लागतों को कम करना तथा माल व यात्रियों के दक्षतापूर्वक आवागमन को सुविधाजनक बनाना।

iii) औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि करना।

iv) सरकार की संस्थागत और क्रियान्वयन व्यवस्थाओं का स्तर बढ़ाना और

v) सड़क परिवहन प्रचालनों का सुधार करना।

(ड़) ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में कार्यान्वित की जाएगी।

जल विद्युत क्षमता

*293. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध कुल जल विद्युत क्षमता के अधिकांश भाग का अभी तक लाभ नहीं उठाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आंकी गई कुल जल विद्युत शक्यता 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 84044 मे.वा. है। इस शक्यता में से 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 12436.30 मे. वा. विद्युत का विकास कर लिया गया है तथा 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 5917.47 मे. वा. और विद्युत का विकास किया जा रहा है। इस प्रकार देश में उपलब्ध कुल जल विद्युत शक्यता में से 21.84% प्रतिशत विकसित कर ली गई है अथवा विकसित की जा रही है।

(ग) से (ड.) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 2006-2007 तक राष्ट्रीय विद्युत विकास के परिदृश्य से सम्बन्धित अपनी 1991 की रिपोर्ट में 142000 मे. वा. की कुल क्षमता अभिवृद्धि में से 51637 मे. वा. की क्षमता अभिवृद्धि की आवश्यकता का मूल्यांकन किया था, जिससे 10वीं योजना के अन्त तक विद्युत की मांग पूरा किया जाना अपेक्षित था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में जल विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमोदित क्षमता अभिवृद्धि 30537.7 मे. वा. की कुल क्षमता अभिवृद्धि में से 9282.2 मे. वा. है।

देश में उपलब्ध जल विद्युत शक्यता के बेहतर समुपयोजन हेतु आरम्भ किए गए अन्य उपायों में ये शामिल हैं, बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना हेतु विशेष सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों की स्थापना करना, जल विद्युत स्कीमों के लिए बजटीय सहायता समेत योजना संसाधनों का उच्चतर आवंटन करना और जल विद्युत विकास में निजी क्षेत्र भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

सूचीबद्ध औषध निर्माता

*294. **श्री मोहन रावले :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचीबद्ध औषध निर्माताओं को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए कहा है;

(ख) क्या सूचीबद्ध बल्क औषध निर्माताओं ने सभी सूचीबद्ध बल्क औषधों की सूची केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने औषध–निर्माताओं ने यह सूची अभी तक नहीं भेजी है; और

(ड) सरकार का ऐसे औषध–निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ड़) जी, हां। औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा–4 के अनुसार, अनुसूचित प्रपुंज औषधों के निर्माताओं के लिए यह अपेक्षित है कि उनके द्वारा उत्पादित सभी अनुसूचित प्रपुंज औषधों की सूची के आदेश के प्रारम्भ होने के 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें और प्रपत्र–1 में ऐसी प्रत्येक औषध की लागत के ब्यौरे बताएं। चूंकि इस संबंध में अब तक अनुपालन संतोषजनक नहीं रहा है अतः उनसे कहा गया है कि इस अपेक्षा का अनुपालन करें, जिसके न किए जाने पर उक्त आदेश के संगत उपबंधों के अंतर्गत उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।

शहरी विकास योजना

*295. **श्री प्रमथेस मुखर्जी :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार ने शहरी विकास के लिए कोई नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो पहले से शुरू की गई अथवा शुरू की जाने वाली मैगा–सिटी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मैगा–सिटी योजना के अन्तर्गत आने वाले शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर अनुमानतः कितना खर्च आएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास हेतु केन्द्रीय सहायता बाबत राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग की सिफारिशों के आधार पर तथा राज्य सरकारों द्वारा

की गई सतत मांग के प्रति उत्तर में मेगा शहरों में अवस्थापना विकास के लिए एक केन्द्र प्रवर्तित योजना वर्ष 1993-94 में शुरू की गई थी। इस योजना की मुख्य–मुख्य बातें इस प्रकार हैं:–

1. यह योजना वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार 4.00 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए है। यह बम्बई, कलकत्ता मद्रास, हैदराबाद तथा बंगलौर शहरों पर लागू होगी।

2. यह स्कीम शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय की मार्फत चलायी जाएगी तथा धनराशि राज्य–स्तर की विशेषज्ञ संस्था/नोडल एजेंसी के माध्यम से दी जाएगी।

3. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी 25:25 के अनुपात में होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि लोक वित्त संस्थानों अथवा पूंजीगत बाजार के माध्यम से संस्थागत वित्त से जुटायी जानी है। उधार या तो नोडल एजेंसी या तो कार्यान्वयन एजेंसियां ले सकती हैं। योजना भूमि और निजी निवेश को आंशिक रूप से संस्थागत वित्त में जोड़ा जा सकता है और इस पर विचाराधीन परियोजना के समग्र मानदण्ड लागू होंगे।

4. केन्द्र तथा राज्य सरकारों से राशि अनुदान के रूप में सीधे निर्धारित संस्थान/नोडल एजेंसी को दी जाएगी। नोडल एजेंसी केंन्द्र तथा राज्य अंशों की सहायता से एक चल कोष (रिवाल्विंग फंड) बनाएगी।

5. (क) नोडल एजेंसी, जल आपूर्ति, मलजल व्ययन, जल विकास, शहरी परिवहन नेटवर्क, भूमि विकास, स्लम सुधार, कचरा निपटान आदि सहित अन्य शहरी अवस्थापनाओं के लिए परियोजना आधारित वित्त उपलब्ध कराएगी।

(ख) योजना के तहत विद्युत, दूरसंचार, बसों और ट्रामों जैसे सवारी डिब्बों, प्राथमिक स्वास्थ्य/शिक्षा, स्थानीय कोषों से आसानी से कार्यान्वित की जा सकने वाली लघु परियोजनाओं, एम.आर.टी.एस/एल.आर.टी.एस. परियोजनाओं अथवा अधिक पूंजी और लम्बी अवधि की परियोजनाओं और दीर्घकालिक अध्ययनों के लिए वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

(ग) क्षेत्रवार या नगरवार महत्व की परियोजनाओं को ही, जो क्षेत्रीय महानगरीय मास्टर/विकास योजना के अनुरूप होंगी, उन्हें ही सहायता उपलब्ध करायी जाएगी और स्थानीय परियोजनाओं पर, जिन्हें सामान्यतः नगरपालिका निकायों, जल प्राधिकरणों आदि द्वारा अपनी सामान्य बचत राशि से चलाया जाता है और जिनका सीमित प्रभाव पड़ने की उम्मीद हो, विचार नहीं किया जाएगा।

6. परियोजना की अनुमानित लागत 8वीं योजना परिव्यय वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान जारी धनराशि इस प्रकार है :–

शहर का नाम	अनुमानित परियोजना लागत	8वीं योजना परिव्यय	जारी केन्द्रीय 1993-94	अंक 1994-95
		(रूपये करोड़ों में)		
बम्बई	800	200	20.1	16.1
कलकत्ता	1600	200	20.1	16.1
मद्रास	914	100	15.1	11.1
हैदराबाद	913	100	15.1	11.1
बंगलौर	805	100	0.1	20.1
योग :	5032	700	70.50	74.50

7. पांच शहरों में मेगा सिटी योजना के कार्यान्वयन के लिए बम्बई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बी. एम. आर. डी. ए.), कलकत्ता महानगर विकास प्रधिकरण (सी एम. डी. ए), मद्रास महानगर विकास प्राधिकरण (एम.एम.डी.ए.), हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एच. यू. डी. ए), कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास तथा वित्त निगम (के.यू.आई.डी.एफ.सी) को नामित नोडल एजेंसी निर्धारित किया गया है।

8. मेगा सिटी योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं को राज्य स्तर की स्वीकृति समिति द्वारा मंजूरी दी जाएगी।

9. शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय समुचित समीक्षाओं और रिपोर्टिंग कार्य पद्धतियों द्वारा योजना की प्रगति और शहरी सेक्टर के सुधारों का निरीक्षण करेगा।

10. दो परियोजनाओं अर्थात (i) योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार परियोजनाएं और (ii) परियोजना निर्माण पर होने वाले व्यय और परियोजना से सम्बन्धित अध्ययन/अनुसंधान/मूल्यांकन आदि के लिए केन्द्र सरकार से धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी।

[हिन्दी]

औषधों की कमी

***296. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक औषधों के निर्यात में वृद्धि होने के कारण घरेलू बाजार में औषधों की उचित मूल्य पर उपलब्धता में कमी आई है, और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

रबड़ बिछी सड़कें

*297. **श्री पी. सी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में रबड़ बिछी सड़कों का परीक्षण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टिकाऊपन और सुरक्षा की दृष्टि से रबड़ बिछी सड़कों की प्रभाविता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय सड़क कांग्रेस ने कुछ महीने पहले "रबड़ बिछी सड़क" की चर्चा का एक विषय बनाया था;

(ङ) क्या रबड़ बोर्ड के विशेषज्ञों ने इस विषय पर एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था;

(च) यदि हां, तो क्या इस चर्चा के परिणामस्वरूप भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर):

(क) जी हां।

(ख) और (ग) मार्च, 1993 में 7.46 लाख रु० की एक अनुसंधान स्कीम को स्वीकृति दी गई थी जिसके तहत तीन प्रयोगात्मक खंड हैं, अर्थात, रा. रा.–2 के कानपुर–वाराणसी खंड के 184–186 कि. मी., 232–234 कि. मी. और 262–268 कि.मी.। यह कार्य मार्च, 1995 में पूरा किया गया था। निष्पादन जांच की जा रही है। रबड़ का एक संशोधक के रूप में उपयोग प्रयोगात्मक आधार पर किया जा रहा है। अभी इसके टिकाऊपन और सुरक्षा के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

(घ) से (च) जी हां।

(छ) भारतीय सड़क कांग्रेस सेमिनार में डामर के स्थान पर रबड़ और पॉलिमर, बिटुमन जैसे योज्यों के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाने की सिफारिश की गई है। निष्पादन जांच पूरी होने और विशिष्टताओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही रबड़ के एक संशोधक के रूप में उपयोग पर विचार किया जा सकता है।

द्रुत परिवहन प्रणाली

*298. **श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या सरकार का विचार "बिल्ड आन आपेट–ट्रान्सफर" (बी.ओ.ओ.टी) आधार पर महानगर द्रुत परिवहन प्रणालियों में गैर–सरकारी क्षेत्र को आमन्त्रित/शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का और महानगर द्रुत परिवहन प्रणालियों के बारे में प्राप्त अल्प प्रस्तावों का यदि कोई हैं, ब्यौरा क्या है तथा उन शहरों के नाम क्या हैं, जहां ये प्रणालियां लागू की जाएंगी; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) **दिल्ली :** जहां तक दिल्ली में व्यापक सुगम परिवहन प्रणाली (एस. आर. टी. एस.) शुरू करने की बात है, इस परियोजना को "बनाओ अपनाओं, चलाओं तथा सौंप दो" (बूट) आधार पर चलाने में किसी कम्पनी ने रूचि नहीं दिखाई है। लेकिन, भूतल परिवहन मंत्रालय ने "बूट" आधार पर प्रायवेट भागीदारी के साथ दिल्ली में शीघ्रगामी ट्राम प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस हेतु उस मंत्रालय ने विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पार्टियों से आरम्भिक प्रस्ताव मांगे हैं। प्राप्त प्रस्ताव अभी भी भूतल परिवहन मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

बंगलौर : कर्नाटक सरकार ने बंगलौर में सुगम परिवहन प्रणाली शुरू करने के लिए 1994 में एक साध्यता अध्ययन कराया था। इस अध्ययन में 4200.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 90 कि. मी. के 6 करोरीडोर पर हल्की रेल प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की गई है, तो चार चरणों में शुरू होगी। प्रथम चरण 1200 करोड़ रुपये की लागत पर लगभग 24 कि.मी. के लिए है। समूची प्रणाली सन् 2001 तक पूर्ण करने की सिफारिश है। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने बंगलौर मास ट्रांजिट लि. (बी एम आर टी एल) नामक एक कंपनी बनाई है। इस कंपनी से परियोजना चलाने हेतु विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय कंपनियों से "प्रस्ताव हेतु अनुरोध" हैं। कंपनी को भारतीय तथा विदेशी कंपनियों से प्रस्ताव मिले हैं, जिनका कर्नाटक सरकार अध्ययन व मूल्यांकन कर रही है।

हैदराबाद : आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कराये गये साध्यता अध्ययन ने 1989 मे निम्न क्रम से एक हल्की रेल परिवहन प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की थी :

1. बालानगर – खैरतादबाद (चरण-I)	- 9,549 कि.मी.
2. खैरताबाद – चारमीनार (चरण-II)	- 7,000 कि.मी.
3. एम. जे. मार्किट – दिलसुखनगर (चरण-III)	- 5,999 कि. मी.
	कुल = 22,548 कि.मी.

परियोजना की कुल अनुमानित लागत वर्ष 1992-93 के मूल्यों पर 585 करोड़ रुपये है। परियोजना चलाने के लिए अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी (यू. एम. टी. सी.) बनाई गई है। इस कंपनी से "बूट/टर्न की" आधार पर इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फर्मों से "अभिरूचि प्रस्ताव" मांगे थे। प्राप्त प्रस्तावों का कम्पनी मूल्यांकन कर रही है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा यूरो इश्यू जारी किया जाना

*299. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को प्रस्तावित यूरो इश्यू के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पूंजी जुटाने के संबंध में अंतिम स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के यूरो इश्यू से

अनुमानतः कितनी पूंजी जुटाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या "सेल" ने यूरो इश्यू के प्रबंधन के लिए किसी कंपनी का चयन किया है; और

(ड़) यदि हां, तो उनके चयन और उन्हें दिए जाने वाले सेवा शुल्कों के निर्धारण हेतु अपनाए गए मानदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) ने ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट (जी डी आर) प्रक्रिया के जरिए नए साम्या शेयर जारी करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार से धन जुटाने के लिए "सेल" को सिद्धांततः अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा अन्तिम मंजूरी "सेल" द्वारा इश्यू वास्तविक रूप से शुरू करने से पूर्व और हम संबंध में अपेक्षित सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की शर्त पर दी जाएगी।

(ग) "सेल" द्वारा जी. डी. आर. जारी करने के जरिए यू एस डी 3500 लाख अमरीकी डालर (शेयर प्रीमियम की राशि सहित) की राशि जुटाने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ड़) जी, हां। "सेल" ने प्रस्तावित जी डी आर इश्यू के लिए मैसर्स मेरिल लाइन्च इन्टरनेशलन लिमिटेड, लंदन का चयन किया है। इसके अतिरिक्त चार सह–प्रमुख प्रबंधक और कुछ सह प्रबंधक है, जो इश्यू के लिए सिंडिकेट बनाएंगे।

प्रमुख प्रबंधक का चयन निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है :

- अनुभव एवं क्षमताएं।
- प्रस्तावित बाजार नीति।
- "सेल" के शेयरों का विश्लेषण और मूल्यांकन।
- यथोचित अध्यवसाय पद्धति और समय अनुसूची।
- "सेल" के इश्यू के लिए निर्धारित स्रोत।
- इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान–शक्ति।
- शुल्क, व्यय और ब्याज–दर।
- भारत के लिए प्रतिबद्धता।

प्रस्तावित जी डी आर इश्यू के सफलतापूर्वक पूरा होने पर "सेल" द्वारा प्रमुख प्रबंधक को जी डी आर इश्यू की संपूर्ण प्राप्तियां। (सभी कुछ शामिल) का कुल 3% शुल्क दिया जाएगा।

"हुडको" की नई वित्त योजना

***300. श्री अन्ना जोशी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) की नए क्षेत्रों में पूंजी लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो "हुडको" द्वारा इस प्रयोजनार्थ चयन किए गए नए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "हुडको" के पास गैर–सरकारी भवन निर्माताओं को वित्त पोषित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) हुडको ने हाल ही में निम्नलिखित नई स्कीम शुरू की है;

(i) प्रायवेट बिल्डरों को ऋण

(ii) शहरी निर्धनों के लिए आवास परियोजनाएं शुरू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को ऋण।

(iii) भूमि अधिग्रहण तथा नई मानव बस्तियों के विकास हेतु वित्त व्यवस्था।

(iv) बेघर लोगों के लिए वित्त पोषण योजनाएं।

(ग) और (घ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, हुडको ने आम जनता के लाभार्थ आवास तथा वाणिज्यिक योजनाएं शुरू करने के लिए प्रायवेट निकासकों को परियोजना ऋण सहायता देने का निर्णय लिया है। हुडको भूमि विकास तथा भवन निर्माण की कुल अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत का वित्त पोषण करेगा और इसमें पूंजीगत ब्याज तथा पर्यवेक्षण प्रभार आदि शामिल नहीं होंगे। हुडको ऋण सहायता आवास परियोजनाओं के लिए 18.5 प्रतिशत ब्याज दर (सकल) पर तथा वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए 19.5% ब्याज दर (सकल) पर दी जायेगी। समग्र ऋण राशि की वापसी ऋण की प्रथम किस्त दिये जाने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर अर्थात् ऋण की अन्तिम किस्त की अदायगी की तारीख तक से करनी होगी।

कश्मीर को तथ्यान्वेषी मिशन भेजना

2872. श्री राम नाईक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाक अधिकृत कश्मीर के एक शिष्टमंडल द्वारा संयुक्त राष्ट्र से एक तथ्यान्वेषी मिशन जम्मू और कश्मीर में भेजे जाने का प्रयास किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कदम का विरोध करने के लिये क्या कार्यावाही की गयी है/करने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) सरकार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों को स्थिति की सही तथ्यों से अवगत कराती रही है। भारत की मुक्त सोसाइटी को देखते हुए तथ्यान्वेषी मिशन की यात्रा की आवश्यकता नहीं रह जाती।

दामोदर घाटी निगम

2873. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी वी सी (दामोदर घाटी निगम) बोकारो में अपनी तीन ताप विद्युत उत्पादन इकाईयों के कोई नवीनीकरण तथा संवर्धन कार्यक्रम शुरू कर रहा है;

(ख) यदि हां तो इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और इसके फलस्वरूप अनुमानतः कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन होगा तथा संयंत्र भार गुणक (प्लांट लोड फैक्टर) कितना होगा;

(ग) क्या इससे उत्पादित विद्युत के कुछ भाग की आपूर्ति पश्चिम बंगाल को भी किये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ये इकाईयां कोयले पर आधारित होंगी; और

(च) यदि हां तो इस पर आने वाली लागत का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ) दामोदर घाटी (डी बी सी) ने बोकारो "क" टी पी एस (3x50 मे. वा.) की यूनिट 1,2 और 3 के संबंध में मरम्मत और संवर्धन कार्य को आरंभ करने का निर्णय लिया है। मैं. भेल ने जिसे डीवी सी ने इन यूनिटों की शेष कालावधि का मूल्यांकन करने के लिए नियुक्त किया था, डी वी सी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। तथापि, इस संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन हेतु कोई परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। निर्धारित लागत अनुमान का ब्यौरा (आकलित व्यय सहित) और विद्युत की मात्रा, जिसके पश्चिम बंगाल को आपूर्ति किए जाने की संभावना है, परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही ज्ञात हो सकेगी।

इन यूनिटों से उत्पादित विद्युत में 66 मे.वा. तक और पी एल एफ के 15 प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है।

विद्यमान यूनिटें कोयला दहन आधारित हैं और प्रस्तावित मरम्मत एवं संवर्धन कार्यक्रम के पश्चात् भी कोयला दहन आधारित ही रहेंगे।

मेटाडोर वाहनों को अखिल भारतीय परमिट

2874. श्री बी एल शर्मा "प्रेम" : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि कुछ राज्य सरकारें पर्यटन उद्देश्यों के लिए मेटाडोर वाहनों को अखिल भारतीय परमिट जारी कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अखिल भारतीय परमिट जारी करने का अधिकार सभी राज्य सरकारों को समान रूप से नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी राज्य सरकारों को पर्यटन उद्देश्यों हेतु मेटाडोर वाहनों को अखिल भारतीय पर्यटन परमिट देने के अधिकार देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाएंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर):

(क) जी, हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मोटर वाहन अधिनियम में मेटाडोर आदि के लिए परमिट देने का प्रावधान पहले से ही बशर्ते कि ऐसे वाहन निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

नामरूप उर्वरक संयंत्र

2875. श्री उद्धव बर्मन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नामरूप उर्वरक संयंत्र के सभी एककों में उत्पादन बंद हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) इस संयंत्र के बंद हो जाने से कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संयंत्र को पुनः चालू करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ड़) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) नामरूप I एकक के अमोनिया संयंत्र में उत्पादन हो रहा है, तथापि नामरूप I का अमोनिया सल्फेट संयंत्र, उपस्कर सहायता और भवन संरचना की असुरक्षित परिस्थितियों के कारण बंद है। नामरूप II संयंत्र भी प्राकृतिक गैस की कमी के कारण इस समय उत्पादन नहीं कर रहा है। नामरूप III संयंत्र प्रचालन में है। चूंकि नामरूप में स्थित संयंत्र आंशिक रूप से चल रहे हैं, इसलिए कोई भी कर्मचारी प्रभावित नहीं हुआ है।

(घ) और (ड) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच एफ सी) इसके नामरूप संयंत्रों सहित को औद्योगिक और वित्तीय पुर्नसंरचना बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा रूग्ण कंपनी घोषित किया गया है। एच एफ सी नामरूप संयंत्रों के पुनरूद्वार का कोई भी निर्णय बी आई एफ आर, जो कि एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

उर्वरक संयंत्रों की रूग्णता

2876. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ सी आई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन (एच एफ सी) की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इनकी कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) इन संयंत्रों की रूग्णता और कम उत्पादन क्षमता के क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) गत वर्ष के दौरान

फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ सी आई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच एफ सी) की स्थापित क्षमता और प्रतिशत क्षमता उपयोगिता निम्न प्रकार थी :–

उपक्रम का नाम	स्थापित क्षमता (नाइट्रोजन 000 मी.टन)	क्षमता उपयोगिता (%) 1994-95
एच एफ सी	653.5	16.1
एफ सी आई	657.0	40.1

(ख) एफ सी आई और एच एफ सी की रुग्णता के मुख्य कारण उपस्कर/डिजाइन कमियों से उत्पन्न कम क्षमता उपयोगिता, बारम्बार उपस्कर खराबियां, लंबे समय तक विद्युत कटौती, संयंत्रों का पुरानापन आदि है।

[अनुवाद]

ज्वालामुखी विस्फोट

2877. श्री जगमीत सिंह बराड़ : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान देश के कई क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन स्थानों पर खनन गतिविधियों को चलाने की संभावनाओं का पता लगाने हेतु इन ज्वालामुखी विस्फोटों के अध्ययन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) केन्द्र शासित प्रदेश अंडेमान और निकोबार के बिर्रन द्वीप में पहले वर्ष 1991 में तथा फिर 1994 में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इन विस्फोटों के अध्ययन किये हैं तथा उनके अध्ययनों से खनन गतिविधि हेतु किसी खनिज भंडार का पता नहीं चलता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्देशीय जलमार्ग

2878. श्री शिव शरण वर्मा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं योजना अवधि के दौरान अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और इस संबंध में बनायी गयी योजना का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): आठवीं योजना अवधि के दौरान अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए 139.35 करोड़ रु० निर्धारित किए हैं। आठवीं योजना हेतु तैयार की गई स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

स्कीम का नाम	आठवीं योजना में अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रु०)
(क) जारी स्कीमें	
1. आई डब्ल्यू टी प्रचालकों के लिए प्रोत्साहन।	
(अ) ब्याज सब्सिडी	3.00
(ब) आई डब्ल्यू टी विकास निधि	5.00
2. तकनीकी आर्थिक अध्ययन	1.20
3. गंगा पर नदी संरक्षण कार्य	7.50
4. गायघाट (पटना) में टर्मिनल	4.90
5. हल्दिया—फरक्का के बीच आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएं	1.10
6. ब्रहमपुत्र में नदी सुधार कार्य	7.50
(ख) नई स्कीमें	
7. गंगा में नौचालन सुविधाएं	8.00
8. गंगा (कलकत्ता) में टर्मिनल	10.00
9. ब्रहमपुत्र में नौचालन सुविधाएं	5.00
10. ब्रहमपुत्र में टर्मिनल	4.80
11. पश्चिमी तटीय नहर का विकास	62.00
12. आई डब्ल्यू टी कार्मिकों को प्रशिक्षण	1.00
13. पटना और हल्दिया के बीच पायलट परियोजना	10.00
14. जलयानों एवं सर्वेक्षण उपकरणों की खरीद	0.20
(ग) अनुसंधान एवं विकास स्कीमें	1.00
(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमें	
जारी स्कीमें	
15. गोवा में मांडोवी, जुआरी और मापूसा नदियों में केपिटल निकर्षण	0.55
16. नर्मदा नदी में भादभूत और भड़ौस के मध्य जलमार्ग का विकास	2.47
17. पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर टर्मिनल सुविधाएं	1.13
नई स्कीमें	
18. केरल पश्च जल (बैक वाटर) में यात्री फेरी सेवाओं के लिए टर्मिनल सुविधाएं	3.00
	139.35

[हिन्दी]

बिहार को बिजली की सप्लाई

2879. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या विद्युत मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के लिए बिजली की सप्लाई वहां की आवश्यकता की तुलना में कम होती है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन क्षेत्र (कृषि) पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में बिजली की कितनी मांग थी और कितनी बिजली सप्लाई की गई;

(घ) क्या बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में कम बिजली सप्लाई की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) जी, हां राज्य में विद्युत की कोई सांविधिक कटौती नहीं की जाती है और कमी की पूर्ति के लिए दिन प्रतिदिन की विद्युत उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए लोड शेडिंग/प्रतिबंधों का सहारा लिया जाता है। जहां तक कृषि का संबंध है औसतन किसान प्रतिदिन पर्याप्त घंटे बिजली प्राप्त करते हैं।

(ग) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान बिहार में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(आंकड़े निवल मि.यू. में)

	1992-93	1993-94	1994-95
आवश्यकता	8223	8645	9410
उपलब्धता	5243	5583	6295
कमी	2977	3062	3115
%	36.2	35.4	33.1

(घ) अप्रैल, 94 मार्च, 95 के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को की गई विद्युत आपूर्ति की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) बिहार में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए किए जा रहे उपायों में ये शामिल है :

विद्यमान क्षमता से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, प्रभावी भार प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण उपाय करना तथा पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता प्राप्त करना आदि।

विवरण

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(सभी आंकड़े निवल मि.यू. में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	मांग	उपलब्धता	कमी	%
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	729	724	5	0.7
दिल्ली	12205	12076	129	1.1
हरियाणा	11695	11139	556	4.8
हिमाचल प्रदेश	1842	1842	0	0.0
जम्मू और कश्मीर	4045	3296	749	13.5
पंजाब	20035	19259	776	3.9
राजस्थान	17000	16080	920	5.4
उत्तर प्रदेश	37195	32652	4543	12.2
उत्तरी क्षेत्र	104746	97068	7678	7.3
प. क्षेत्र				
गुजरात	31985	30678	1307	4.1
मध्य प्रदेश	27840	25805	2035	7.3

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	49525	48558	967	2.0
गोवा	965	965	0	0.0
प. क्षेत्र	110315	106006	4309	3.9
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	31245	28757	2488	8.0
कर्नाटक	23280	19280	4000	17.2
केरल	8902	8831	71	0.8
तमिलनाडु	29570	28730	840	2.8
दक्षिणी क्षेत्र	92997	85598	7399	8.0
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	9410	6295	3115	33.1
डी वी सी	7970	7392	578	7.3
उड़ीसा	9420	8723	697	7.4
प. बंगाल	13540	12708	832	6.1
पूर्वी क्षेत्र	40340	35118	5222	12.9
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
अरूणाचल प्रदेश	157.5	118.4	39.1	24.8
असम	2437.1	2231.3	205.8	8.4
मणिपुर	337.2	287.0	50.2	14.9
मेघालय	342.8	342.8	0.0	0.0
मिजोरम	139.5	122.9	16.6	11.9
नागालैंड	136.7	116.7	20.0	14.6
त्रिपुरा	311.2	271.9	39.3	12.6
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	3862.0	3491.0	371.0	9.6
अखिल भारत	352260	327281	24979	7.1

[अनुवाद]

फास्ट ट्रैक पावर प्रोजेक्ट

2880. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में आठ "फास्ट ट्रैक पावर प्रोजेक्ट" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु किन–किन स्थानों की पहचान की गयी है;

(ग) क्या उन विद्युत परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक "काउंटर गारंटी" व्यवस्था की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ङ) सरकार ने निम्नलिखित आठ "फास्ट ट्रैक परियोजनाओं" को प्रति–गारंटी प्रदान करने की सहमति दी है :

क्र. सं०	परियोजना का नाम	राज्य (जिला)	क्षमता (मे.वा.)
1.	गोदावरी जी बी पी पी	आंध्र प्रदेश (ईस्ट गोदावरी)	208
2.	जेगुरुपाडु जीबी पी पी	आंध्र प्रदेश (ईस्ट गोदावरी)	235
3.	दाभोल टी पी एस (चरण 1)	महाराष्ट्र (रत्नागिरि)	695
4.	जीरो यूनिट एन एल सी	तमिलनाडु (नेवेली में)	250
5.	इब घाटी	उड़ीसा (सम्बलपुर)	420
6.	मंगलौर टीपीएस	कर्नाटक (साउथ कनारा)	1000
7.	विशाखापट्टनम टीपीएस	आंध्र प्रदेश (विशाखापट्टनम)	1000
8.	भद्रावती टीपी एस	महाराष्ट्र (चन्द्रपुर)	1072

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना

2881. श्री एन. जे. राठवा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों के साथ लगे क्षेत्रों में पूंजी निवेश की एक बृहत्त योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली और इसके साथ लगे क्षेत्रों में कितनी धनराशि का निवेश किया जाएगा; और

(घ) इस योजना को अंतिम रूप कब तक दे दिया जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने आठवीं योजना अवधि के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में 1846 करोड़ रुपये तथा राज्य क्षेत्र में 1967 करोड़ रुपये का निवेश कार्यक्रम तैयार किया है।

केन्द्रीय क्षेत्र के घटकों में रेल नेटवर्क का सुधार, सड़क नेटवर्क का विस्तार तथा एक्सप्रैस मार्गों का निर्माण, दूर संचार तथा ऊर्जा शामिल है जिनके लिये संबंधित केन्द्रीय रेल, भूतल परिवहन, संचार तथा ऊर्जा मंत्रालयों द्वारा योजना–वधि के दौरान अपेक्षित व्यय की पूर्ति की जानी है।

राज्य क्षेत्र कार्यक्रम में प्राथमिकता वाले कस्बों में भूमि अधिग्रहण तथा उसका विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर 34 उप क्षेत्रीय केन्द्रों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर स्थित 5 सम सुविधा संपन्न क्षेत्रों का विकास शामिल है। इसमें क्षेत्रीय सड़कों का निर्माण तथा रख–रखाव तथा बिजली के संचरण तथा वितरण नेटवर्क जैसी मदें भी शामिल है। यद्यपि क्रियाकलापों के पूर्ववर्ती समूह का वित्तपोषण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से किये जाने का प्रस्ताव है और क्रियाकलापों के पश्चातवर्ती समूह का वित्त पोषण केवल राज्यों द्वारा किया जाना है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश कार्यक्रम के अनुसार राज्य क्षेत्र के संयुक्त कार्यक्रमों में से हरियाणा को 559 करोड़ रु० उत्तर प्रदेश को 585 करोड़ रु०, राजस्थान को 156 करोड़ रु० तथा पंजाब व मध्यप्रदेश प्रत्येक को 40-40 करोड़ रु० मिलेंगे। यद्यपि दिल्ली के भीतर किसी विशिष्ट निवेश पर विचार नहीं किया गया है, किंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों में निवेश से दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थानांतरित किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का ख्याल रखा जायेगा।

डी. डी. ए. द्वारा भूमि का अधिग्रहण

2882. डा. लाल बहादुर रावल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1995 तक भूमि का मूल्य निर्धारण करने तथा भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति देने के बाद कितने भू–क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया और यह अधिग्रहण किन–किन स्थानों पर किया गया;

(ख) डी. डी. ए. ने दिल्ली में भूमि का मूल्यांकन करने के बाद भी किन–किन स्थानों पर किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डी. डी. ए. का विचार मूल्यांकन की गयी भूमि का निकट भविष्य में अधिग्रहण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 1995 तक उन्होंने निम्नलिखित इलाकों/गांवों में 5726.49 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है :

1. हसन पुर	12. बहलपुर खादर	23. कसमपुर
2. कालू सराय	13. नागली राजापुर	24. मटियाला
3. कोण्डली	14. ओखला	25. तिहाड़
4. दल्लूपुरा	15. खिजाबाद	26. ककरोला
5. घोंडा गुजरां खादर	16. जोगाबाई	27. खेड़ा कलां
6. सिविल स्टेशन	17. मदनपुर खादर	28. प्रहलादपुर बांगर
7. घोंडा चौहान खादर	18. चक चिल्ला	29. बेगमियाबाद
8. खजूरी खास	19. किलोकड़ी	30. मसूदपुर
9. सादतपुर गुजरां	20. समापुर	31. सिंगोला
10. गढ़ी मांडू	21. कोण्डली	32. नरेला
11. किलोकड़ी	22. नवादा	33. टीकरी खुर्द

34. कुरेनी	40. रिठाला	46. खेड़ा खुर्द
35. नरेला	41. बकारवाला	47. शाहबादपुर दौलतपुर
36. मामूरपुर	42. जिन्दपुर	48. नजफगढ़
37. होलम्बी खुर्द	43. बुद्धपुर	49. जसौला
38. बवाना	44. मुखमेलपुर	50. शाफीपुर रामहल्ला
39. सधोरा खुर्द	45. इसादतनगर	51. नीलोठी

गत तीन वर्षों के दौरान, डी. डी. ए. ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे/मुआवजा वृद्धि के तौर पर आवर्ती निधि में निम्नलिखित धनराशि भेजी है :

वर्ष	मुआवजा	मुआवजा वृद्धि	योग
			(करोड़ रुपयों में)
1992-93	04.06	–	04.06
1993-94	62.45	10.23	72.68
1994-95	28.25	49.80	78.05

(ख) से (घ) डी. डी. ए. ने ऐसा कोई आकलन नहीं किया है और इसलिए जहां आकलन किया जा चुका है वहां भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या II पर पुल का निर्माण

2883. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा–फतेहपुर सीकरी–जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या II 18 कि.मी. वेस्टर्न डिप्रेशन रोड पर पुल बनाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) जी हां। आगरा–फतेहपुर, सीकरी–जयपुर सड़क के 18 कि.मी. पर वैस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन पर एक पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को 1995-96 की वार्षिक योजना में शामिल कर लिया गया है। चूंकि, इस बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, अतः अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि कार्य कब तक शुरू हो जाएगा।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बिजली

2884. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्युत की मांग तथा आपूर्ति का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस क्षेत्र की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1992-93 से 1994-95 के दौरान उत्तर–पूर्वी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं। नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाना जिससे विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाना जिससे विद्युत के अन्तर्राज्यीय/क्षेत्रीय अंतरण को सुलभ बनाया जा सके। पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना और मांग प्रबंधन का क्रियान्वयन और ऊर्जा संवर्धन उपाय करना आदि।

विवरण

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति

(आंकड़े मिलियन मि. यू. में)

राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
अरूणाचल प्रदेश			
मांग	161.1	157.0	157.5
उपलब्धता	111.1	107.3	118.4
कमी	50.0	49.7	39.1
%	31.0	31.7	24.8

1	2	3	4
असम			
मांग	2423.7	2368.0	2437.1
उपलब्धता	2040.2	2098.3	2231.3
कमी	383.5	269.7	205.8
%	15.8	11.4	8.4
मणिपुर			
मांग	290.5	298.4	337.2
उपलब्धता	258.1	285.1	287.0
कमी	32.4	13.3	50.2
%	11.2	4.5	14.9
मेघालय			
मांग	288.6	304.4	342.8
उपलब्धता	282.8	304.4	342.8
कमी	5.8	0	0
%	2.0	0	0
मिजोरम			
मांग	104.1	115.2	139.5
उपलब्धता	87.2	109.9	122.9
कमी	16.9	5.3	16.6
%	16.2	4.6	11.9
नागालैंड			
मांग	143.0	144.9	136.7
उपलब्धता	121.0	136.6	116.7
कमी	22.0	8.3	20.0
%	15.4	5.7	14.6
त्रिपुरा			
मांग	276.4	273.1	311.2
उपलब्धता	231.3	245.4	271.9
कमी	45.1	27.7	39.3
%	16.3	10.1	12.6
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
मांग	3687	3661	3862
उपलब्धता	3132	3287	3491
कमी	555	374	371
%	15.1	10.2	9.6

अनधिकृत कालोनियां

2885. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी अनधिकृत कालोनियों को अभी नियमित किया जाना बाकी है;

(ख) दिल्ली सरकार ने इन कालोनियों की स्थिति के बारे में क्या रवैया अपनाया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इन कालोनियों को नियमित करने के बारे में क्या निर्णय लिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) से (ग) भारत सरकार ने 1977 में उन अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया जो 30.6.1977 (16.2.1977 तक के वाणिज्यिक ढांचे) तक बनी थी। इस निर्णय के अनुसरण में, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने 607 ऐसी कालोनियों की एक सूची तैयार की थी। इनमें से अभी तक 567 कालोनियों को नियमित किया जा चुका है।

31.3.93 को विद्यमान अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी राज्य–क्षेत्र, दिल्ली शासन से भी मिले हैं। उनकी सही–सही संख्या मालूम नहीं है। तथापि, कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी द्वारा दायर की गई एक सिविल रिट याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत सरकार सहित प्रतिवादियों को दिल्ली में अगले आदेशों तक किसी भी अनधिकृत कालोनी को नियमित करने हेतु कोई आगे निर्णय लेने अथवा कार्रवाई करने से रोक रखा है। इस प्रकार, यह मामला न्यायालय और न्यायालय के स्थगन आदेशाधीन है।

फ्लैटों का मूल्य और क्षेत्रफल

2886. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों की ली जाने वाली कीमतों और उन फ्लैटों के क्षेत्रफल का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सामूहिक आवास समितियों द्वारा फ्लैटों की ली जाने वाली कीमतों और उन फ्लैटों के क्षेत्रफल का ब्यौरा क्या है;

(ग) कीमतों में इस अंतर के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाभोल में विद्युत परियोजना

2887. श्री रामचन्द्र घंघारे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विद्युत खरीद समझौत तथा महाराष्ट्र में डाभोल में एक विशाल विद्युत परियोजना के निर्माण पर अपनी सहमति दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में क्या सुझाव दिए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी आवासों की कमी

2888. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मुम्बई में साधारण पूल के अंतर्गत सरकारी आवासों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) और (ख) जी, हां। दिनांक 31.12.94 तक के ब्यौरे इस प्रकार है:

	मांग	उपलब्धता	कमी
दिल्ली	91997	63760	28237
बम्बई	41924	08528	33396

(यह मांग चालू आवंटन वर्ष के लिए मांगे गए सीमित आवेदन–पत्रों पर आधारित है)

(ग) सामान्य पूल के सरकारी रिहायशी आवासों का निर्माण भूमि और धन की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाता है। फिलहाल निम्नलिखित क्वार्टर स्वीकृत किए गए हैं/निर्माणाधीन हैं :

दिल्ली	659
बम्बई	1366

हैदराबाद/सिंकदराबाद में द्रुत परिवहन प्रणाली

2889. श्री येल्लैया नंदी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बृहत हैदराबाद बनाए जाने तथा हैदराबाद/सिंकदराबाद में द्रुत परिवहन प्रणाली शुरू किए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजनाओं, इन पर निवेश में केन्द्र तथा राज्य सरकार के हिस्सों तथा इन पर काम पूरा होने के लिए निर्धारित समय का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) आंध्र प्रदेश सरकार से बृहत हैदराबाद बनाए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि हैदराबाद/सिंकदराबाद युग्म शहरों में हल्की रेल परिवहन प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार के आग्रह पर मे० रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा (राइट्स) द्वारा किए गए साध्यता अध्ययन में हल्की रेल प्रणाली के शुरूआत की सिफारिश की गई है, जो इस प्रकार है :

बालानगर — खैराताबाद	9.549	कि.मी.
खैराताबाद — चारमिनार	7.00	कि.मी.
एम. जे. मार्किट — दिलसुखनगर	5.999	कि.मी.
कुल	22.548	कि.मी.

परियोजना की कुल लागत वर्ष 1992-93 की कीमतों के आधार पर 585 करोड़ रुपये आंकी गई है। केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कंपनी अधिनियम के तहत यू एम टी सी लि कंपनी गठित की गई है। वर्ष 1992-93 के दौरान, भारत सरकार एवं आंध्र प्रदेश सरकार प्रत्येक द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयर के रूप में 15-15 लाख रुपये जारी किए गए हैं। वर्तातन में, यू एम टी सी लि. कुछ कंपनियों को चुनने में लगी है ताकि बनाओं, अपनाओं, चलाओं और सौंप दो (बूट) टर्नकी आधार पर प्रणाली निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। परियोजना के पूर्ण होने की समय–सीमा बता पाना अभी असामायिक होगा।

फलाई ऐश की निर्मित ईट

2890. श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ऊपरी उर्वरक मिट्टी के सरंक्षण के लिए फलाई ऐश की ईटों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दिए जा रहे प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग पर इन उपायों का कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) सरकार ईटों सहित विभिन्न किस्म की भवन एवं निर्माण सामग्री बनाने में उड़न राख के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

सरकार द्वारा भवन सामग्री के निर्माण में उड़न राख तथा इस प्रकार तैयार सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दिए जा रहे विभिन्न प्रोत्साहन हैं :

(i) कच्चे माल के रूप में 25 प्रतिशत से अधिक उड़न राख वाली सामग्री पर उत्पाद शुल्क में छूट;

(ii) 25% से अधिक उड़न राख पर आधारित भवन सामग्री के निर्माण हेतु संयंत्र व मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट.

(iii) कुछ अन्य बुनियादी प्रोत्साहन जैसे कि उड़न राख की मुफ्त आपूर्ति, राख उत्पादक स्थान के निकट रियायती दरों व शर्तो पर भूमि आवंटन।

(iv) आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको), राष्ट्रीय आवास बैंक (एन. एच. बी.) तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं उड़न राख ईट भट्टों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए मियादी कर्ज तथा साम्य पूंजी में भागीदारी जैसी सुविधाएं दे रही हैं।

(ग) इन उपायों के फलस्वरूप, उड़न राख ईटें/भवन निर्माण सामग्री बनाने के लिए भट्टे बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में कायम हो चुके हैं, तथा देश के अन्य भागों, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश राज्यों में कुछ और भट्टे स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं।

गांवों का विद्युतीकरण

2891. डा. जी. एल. कनौजिया : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गांवों के विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, क्या है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या समय सारणी निर्धारित की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) गैर–परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय ने सौर लालटेन कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण युवा बेरोजगार उत्पादन के लिए एक नया घटक आरंभ किया है।

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रत्येक बेरोजगार ग्रामीण युवक को किराए/लीज आधार पर प्रचालन करने और सौर लालटेनों के लिए ग्रामीण बाजार विकसित करने तथा उनकी मरम्मत और अनुरक्षण के लिए स्थानीय ढांचा तैयार करने के वास्ते अधिकतम 10 सौर लालटेंने प्रदान की जा सकती हैं। स्कीम के इस संघटक के लिए और लालटेन के वास्ते केन्द्रीय आर्थिक सहायता 2000 रुपये की दर से उपलब्ध है।

(ग) यह स्कीम 1994-95 में आरंभ की गई है।

[हिन्दी]

सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक

2892. श्री राम पूजन पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में स्मारक के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल के आवास को स्मारक के रूप में बदलने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

निशस्त्रीकरण पर कार्यशिविर

2893. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार राष्ट्रों के निशस्त्रीकरण सम्मेलन, जिसमें अधिकारी और गैर सरकारी विशेषज्ञ शामिल थे, द्वारा शंघाई पहल के एक भाग के रूप में गोवा में किसी कार्यशिविर का आयोजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा की गयी और इसका क्या निष्कर्ष निकला है; और

(ग) इस निष्कर्ष पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) चार राष्ट्रों की सार्वभौम एवं क्षेत्रीय अस्त्र नियंत्रण संबंधी कार्यशाला 14 से 19 जनवरी, 1995 तक गोवा में हुई थी। इस कार्यशाला का आयोजन नीति अनुसंधान केन्द्र ने, जो एक दिल्ली स्थित गैर–सरकारी संगठन है, अमरीकी वैज्ञानिक महासंघ (संयुक्त राज्य अमरीका) फूडान विश्व विद्यालय (चीन) और पाकिस्तान के रण नीति अध्ययन संस्थान के सहयोग से किया था। यह एक गैर सरकारी संगठन का कार्यकलाप था और किसी भी भारतीय अधिकारी ने इस गोवा बैठक में भाग नहीं लिया।

(ग) निरस्त्रीकरण के बारे में सरकार की नीति निरंतर एक जैसी रही है और इस पर नाभिकीय अस्त्र मुक्त एवं अहिंसक विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए भारत की कार्ययोजना में बल दिया गया है जो 1988 में निरस्त्रीकरण से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के तीसरे विशेष अधिवेशन में प्रस्तुत की गई थी। सरकार का गोवा में हुई बैठक के विचार–विमर्शों के आधार पर कोई पहल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पेयजल परियोजना

2894. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जर्मनी के सहयोग से कोई पेयजल परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है तथा किन–किन राज्यों में यह परियोजना कार्यान्वित किये जाने का विचार है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी राशि खर्च की जायेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा लिग्नाइट अयस्क का सर्वेक्षण

2895. श्री राजेश कुमार :

डा. मुमताज अंसारी :

डा. रामकृष्ण कुसमारिया :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू–गर्भ सर्वेक्षण विभाग ने देश में लिग्नाइट अयस्क के भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थानों से लिग्नाइट अयस्क के दोहन के लिए उठाए जा रहे अथवा उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने लिग्नाइट के लिये राजस्थान, गुजरात तथा तमिलनाडु राज्यों में क्षेत्रीय गवेषण किये हैं। लिग्नाइट के अनुमानित निक्षेपों निम्न प्रकार हैं :

(1) नैवेली (पूर्व और दक्षिण), लालपेट्टाई (दक्षिण अर्काट जिला) बाहूर (आंशिक रूप से पांडिचेरी में), जयनामकोन्डम – चोलापुरम और श्रीमुषनम (त्रिचि जिला) तथा भूबानगिरि और नानीलम (तंजावुर जिला) तमिलनाडु में 3943.06 मिलियन टन।

(2) उमरसर, फुलराडम, मुदिया, प्रानपुर (कच्छ जिला) तथा राजपारदीवास्तान, भरूच जिला गुजरात में 68.48 मिलियन टन।

(3) राजस्थान के बाडमेर जिले के बोटाभारका तथा गिराल क्षेत्रों में 104.35 मिलियन टन।

(ग) लिग्नाइट भंडारों का नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विदोहन किया जाता है।

[अनुवाद]

पन-बिजली परियोजना

2896. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश में पार्वती नहर पर पन–बिजली परियोजना निष्पादित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के पूरा होने के बाद प्रत्येक राज्य को तथा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश को दिए जाने वाले विद्युत के संभावित हिस्सों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास हिमाचल प्रदेश को रायल्टी के रूप में

बिना किसी शुल्क के बिजली प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी धनराशि खर्च होगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ) पार्वती घाटी पन–बिजली परियोजना की पारेषण प्रणाली समेत चरण-2 (800 मे.वा.) एवं चरण 3 (501 मे.वा.) का संयुक्त रूप से जांच कार्य और क्रियान्वयन करने के लिए तथा चरण 1 (750 मे.वा.) की व्यवहार्यता स्तर के जांच कार्य शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली के बीच 20 अक्तूबर 1992 को एक समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना से उत्पादित विद्युत का 12% हिमाचल प्रदेश को निशुल्क प्रदान किया जायेगा तथा परियोजना से उत्पादित शेष 88% विद्युत अन्य पक्षों के बीच उनकी ऊर्जा भागीदारी के अनुरूप में आवंटित की जायेगी जो कि निम्नवत है :

राजस्थान	40%
हरियाणा	25%
गुजरात	15%
दिल्ली	15%
हिमाचल प्रदेश	5%

विद्युत उत्पादन की बिक्रीदर की उत्पादन लागत में हिमाचल को निशुल्क विद्युत प्रदान किए जाने की मात्रानुसार वृद्धि की जायेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विकास

2897. श्री अवतार सिंह भडाना : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास हेतु कितनी धनराशि प्रदान किए जाने का विचार है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तीव्र विकास हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) योजना आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी योजना बोर्ड को 200 करोड़ रुपये का निवेश परिव्यय मुहैया कराया है और इतनी ही राशि सहभागी राज्यों द्वारा मुहैया कराई जानी अपेक्षित है। बोर्ड द्वारा बनाये गये निवेश कार्यक्रम में इस केन्द्रीय सहायता को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित स्तर के संसाधन जुटाने के लिए मूल पूंजी के रूप में इस्तेमाल करने की परिकल्पना है।

बोर्ड ने राज्य सेक्टर में 1967 करोड़ रु० की निवेश योजना को मंजूरी दी है जिसमें प्राथमिकता वाले शहरों में भूमि अधिग्रहण और इसका विकास, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर 34 उप–क्षेत्रीय केन्द्रों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर 5 सम–सुविधा संपन्न क्षेत्रों का विकास शामिल है जिनका वित्त पोषण बोर्ड तथा राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है। इसके अतिरिक्त, सड़क नेटवर्क तथा ऊर्जा की संचरण तथा वितरण प्रणाली के विकास जैसी कार्य मदें राज्य सेक्टर के घटक इसलिए इनका वित्त पोषण केवल राज्यों द्वारा किया जायेगा।

इनके अलावा, रेल नेटवर्क का सुधार, सड़क नेटवर्क का विस्तार तथा एक्सप्रेस मार्गों का निर्माण, दूर संचार तथा ऊर्जा जैसे केन्द्रीय सेक्टर के घटकों के लिए 8वीं योजना निवेश कार्यक्रम में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा 1844 करोड़ रु० के व्यय की परिकल्पना है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना 2001 में उल्लिखित नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार विकास किये जाने की परिकल्पना की गई है जिसमें बहुक्षेत्रीय विकास कार्यनीति अपनाई गई है। इस कार्य नीति में, अन्य बातों के साथ–साथ तीव्र आर्थिक विकास करने और अधिक रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मौजूदा प्राथमिकता वाले शहरों के आसपास नये शहरों का समुचित विकास करना शामिल है ताकि वे संभावित प्रवासियों को दिल्ली आने से रोक सकें।

[अनुवाद]

इलाहाबाद -हल्दिया जलमार्ग

2898. श्री जायनल अबेदिन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद–हल्दिया के बीच राष्ट्रीय जलमार्गों पर वाणिज्यिक आधार पर जलपोतों का संचालन शुरू कर दिया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान फरक्का बांध परियोजना के "नेविगेशनल लाक गेट" को कितने जलपोतों ने पार किया है;

(ग) क्या इस प्रकार संचालित किए जा रहे जलपोतों की संख्या अपर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी हां। गंगा नदी के हल्दिया–पटना क्षेत्र में वाणिज्यिक आधार पर जलयानों के प्रचालन के जरिए पहले ही अंतर्देशीय जल परिवहन सेवा चालू है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फरक्का नेवीगेशनल लॉक को पार करने वाले यंत्रीकृत वाणिज्यिक जलयानों की संख्या नीचे दी गई:

वर्ष	जलयानों की संख्या
1992-93	62
1993-94	57
1994-95	30

(ग) और (घ) केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम (सी आई डब्ल्यू टी सी) जो राष्ट्रीय जलमार्ग -1 पर मुख्य प्रचालक है, फरक्का से आगे भी प्रचालन करता है, यदि कार्गो उपलब्ध हो। वाणिज्यिक आधार पर

प्रचालन के लिए पर्याप्त संख्या में जलपोत उपलब्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

2899. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओस्लो, नार्वे में टिकाऊ उत्पादन और खपत पर हाल ही में हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल ने ठोस विकास प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मूलभूत ढांचागत परिवर्तन की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अन्य प्रतिनिधिमंडलों की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) 1994 के दौरान संपन्न स्थायी विकास आयोग के गत अधिवेशन में स्थायी विकास आयोग के अध्यक्ष ने भारत और नार्वे से अनुरोध किया कि वे उत्पादन और उपभोग के तौर–तरीकों पर एक अंतर्राष्ट्रीय विचार–विमर्श की शुरूआत करें। उत्पादन और उपभोग के परिवर्तनशील तौर तरीकों पर किसी भी विचार–विमर्श की शुरूआत उत्पादन और उपभोग के वर्तमान तौर–तरीकों से की जानी होगी। उत्पादन और उपभोग के तौर –तरीकों में परिवर्तन करना आसान हो जाएगा यदि धनी देश यह मान लें कि ऐसा करना उनके हित में है। स्थायी उत्पादन और उपभोग ओस्लो गोलमेज वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर बल दिया कि आर्थिक सुरक्षा ही पारिस्थितिक सुरक्षा का आधार बन सकती है। इस संदर्भ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन की मांग की।

अन्य प्रतिनिधियों ने भारत के सैद्धांतिक दृष्टिकोण की सराहना की।

[हिन्दी]

कर-मुक्त औषधियां

2900. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान कर से मुक्त घोषित की गई औषधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन औषधियों को कर–मुक्त घोषित करने की क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 29/88 सी ई दिनांक 1.3.88 की क्रम सं. 1 पर सूचीकृत औषध सूत्रयोगों तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं० 30/88 सी ई दिनांक 1.3.88 में सूचीकृत जीवन रक्षक औषधों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई थी और सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 209/81 सी यू एस में सूचीकृत जीवन रक्षक औषधों तथा दवाईयों को वर्ष 1993-94 के दौरान सीमा शुल्क से छूट दी गई थी।

(ख) इन औषधों को कर–मुक्त घोषित किया गया था क्योंकि वे या तो विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत अपेक्षित थी या उनकी संस्तुति स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई थी।

[अनुवाद]

यूरिया की मांग और आयात

2901. श्री पीयूष तीरकी :

डा. वसंत पवार :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू रबी मौसम के दौरान देश में यूरिया की कुल आवश्यकता और उपलब्धता का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1994 में किन–किन कम्पनियों से यूरिया का आयात किया गया था;

(ग) गत वित्तीय वर्ष के दौरान किन शर्तों और किस दर पर यूरिया का आयात किया गया था; और

(घ) सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यूरिया की कुल कितनी मात्रा का आयात करने का है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) रबी 1994-95 के दौरान यूरिया की अनुमानित संचित उपलब्धता 102.64 लाख टन थी जबकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत 101.99 लाख टन का आवंटन किया गया था।

(ख) 1994-95 के दौरान यूरिया के आयात एम एम टी सी लि. के माध्यम से सरणीबद्ध किए गए थे। प्रश्नाधीन अवधि के दौरान आपूर्तिकर्त्ताओं के नाम संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

(ग) आयातित यूरिया के लिए आपूर्ति ठेकों की शर्तें इस तरह से निर्धारित की जाती हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्राप्त हो रहे मांग आपूर्ति समीकरण को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर आपूर्तियों की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया जा सके। वर्ष के दौरान, एम एम टी सी द्वारा आयात एफ ओ बी/सी एंड एफ के आधार पर किये गये और मूल्य एफ ओ बी में 116.50 अमरीकी डालर से 228.50 अमेरीकी डालर और सी एंड एफ ठेकाओं में 139 अमरीकी डालर से 245 अमेरीकी डालर के बीच रहे।

(घ) इस सूचना को प्रकट करना लोकहित में नहीं है। क्योंकि यह वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील है।

उन पक्षकारों के नाम जिनसे 1994-95 के दौरान यूरिया का आयात किया गया।

1. मैसर्स कतार फर्टिलाइजर्स, कतार।
2. मैसर्स पी आई सी, कुवत।
3. मैसर्स साबिक मार्केटिंग सऊदी अरबीया।

4. मैसर्स रूवाइस फर्टिलाइजर्स, रूवाइस।

5. मैसर्स ट्रांसफर्ट मीडिल ईस्ट, दुबई।

6. मैसर्स देश ट्रेंडिंग, बंगलादेश

7. मैसर्स कोनागरा इन्टरनेशनल, सिंगापुर।

8. मैसर्स जी, प्रेमजी, सिंगापुर।

9. मैसर्स युनीफर्ट, यूरोप

10. मैसर्स ए जी एम इन्डस्ट्रिज

11. मैसर्स ट्रान्सअमोनिया ए जी, स्विटजरलैंड।

12. मैसर्स फरसैम, स्विटजरलैंड।

13. मैसर्स क्रेसेन्ट, दुबई।

14. मैसर्स फर्टिकम, स्विटजरलैंड।

15. मैसर्स फेरिको, आयरलैंड।

16. मैसर्स नेशनल आयल कार्पोरेशन लिबिया।

17. मैसर्स वी टी आई फर्टआस्को लि० साइप्रस।

18. मैसर्स पी टी प्राइमा कोमेक्सीन्डो।

19. मैसर्स टोपफर इंटरनेशमल, सिंगापुर।

20. मैसर्स हेम, जर्मनी।

21. मैसर्स आई. बी. ई ट्रेड कार्पोरेशन, न्यूयार्क

22. मैसर्स आइटोकू इंटरनेशनल, यू एस ए।

23. मैसर्स सुमीटोमो, यू एस ए।

24. मैसर्स कारगील एशिया पैशिफिक लि०, एम्सटरडम।

[हिन्दी]

कैलाश-मानसरोवर की तीर्थ यात्रा

2902. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

डा० राजागोपालन श्रीधरण :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कैलाश—मानसरोवर तीर्थयात्रियों के लिए हज यात्रियों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने प्राप्त अभ्यावेदनों के संबंध में क्या निर्णय लिए हैं तथा सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1995 के दौरान कितने तीर्थयात्रियों को कैलाश—मानसरोवर भेजा जाएगा तथा मार्च, 1995 तक इस संबंध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) कुछ व्यक्तियों और संगठनों ने सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि कैलाश—मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को ये सुविधाएं दी जाएं।

(ग) विमान अथवा समुद्री जहाज की तुलना में पैदल की जाने वाली इस यात्रा का स्वरूप और पहाड़ी मार्ग से की जाने वाली इस यात्रा के लिए किए जाने वाले प्रबंध उन प्रबंधों से बिल्कुल भिन्न हैं जो हज के लिए किए जाते हैं। इस यात्रा के लिए चीन की सरकार द्वारा जो उपाय किए जाते हैं वे भी उन उपायों से पर्याप्त रूप से भिन्न हैं जो सऊदी अरब द्वारा किए जाते हैं। इसलिए सरकार की यह मंशा है कि वायरलैस संपर्क, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं, आपात स्थिति में यात्रियों को निकालने की व्यवस्था करके तथा ऐसी ही अन्य सेवाएं देकर और तीर्थ यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कुमाऊं मंडल विकास निगम को वित्तीय सहायता मुहैया कराकर कैलाश—मानसरोवर यात्रा के निर्विघ्न संचालन को सुविधाजनक बनाया जाना जारी रहे।

(घ) वर्ष, 1995 के दौरान कैलाश—मानसरोवर यात्रा पर 400 तीर्थ यात्रियों को भेजने की संभावना है। 31 मार्च, 1995 तक 392 आवेदन प्राप्त हुए।

डी. डी. ए. की भूमि पर झुग्गियां

2903. श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

श्री छीतू भाई गामीत :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर झुग्गिया बनाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी झुग्गियों की संख्या कितनी है और ये कितनी भूमि पर बनी हुई हैं;

(ग) क्या दिल्ली सरकार का विचार इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन):

(क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण डी.डी.ए. ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन के नागरिक आपूर्ति विभाग ने जनवरी 1990 में एक सर्वेक्षण किया था, जिससे पता लगा कि दिल्ली में लगभग 929 झुग्गी समूहों में 2.50 लाख झुग्गियां हैं। इसमें से डी.डी.ए. की 459 एकड़ भूमि पर 1,32,297 झुग्गियां थीं।

(ग) से (ङ) दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग ने जानकारी दी है

कि सार्वजनिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि के स्वामित्व वाली एजेसिंयों द्वारा अपेक्षित परियोजना स्थलों से झुग्गी परिवारों के पुनः अवस्थापना हेतु दिल्ली शासन की एक प्लान स्कीम है। भूमि के स्वामित्व वाली एजेसिंयों द्वारा पुनः अवस्थापना लागत के उनके अंश के भुगतान पर सार्वजनिक परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि के स्वामित्व वाली एजेसियो के अनुरोध पर दिल्ली नगर निगम द्वारा पात्र झुग्गी परिवारों का पुनः अवस्थापन/पुनर्वास किया जाता है।

वर्ष 1994-95 के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 510 झुग्गी परिवारों को पुनः अवस्थापन लागत के प्रति 147.90 लाख रुपये जमा किए हैं।

[अनुवाद]

बरेली से अमीनगांव तक सड़क

2904. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में बरेली से अमीनगांव तक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सड़क का निर्माण दरभंगा तक कर दिया गया है;

(ग) क्या दरभंगा और फारबिसगंज के बीच अभी सड़क का निर्माण होना है;

(घ) यदि हां, तो स्वयं विलंब करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) असम में बरेली से अमीनगांव तक सड़क निर्माण कार्य शीघ्रतापूर्वक पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ङ) असम में बरेली से अमीनगांव तक पार्श्व सड़क परियोजना केन्द्र सरकार की अनुदान सहायता से चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में पहले ही पूरी कर ली गई है। किंतु दरभंगा से फारबिसगंज तक की सड़क इस पार्श्व सड़क परियोजना का हिस्सा नहीं था।

सड़क दुर्घटनाएं

2905. श्री राम कापसे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान दिसम्बर, 1994 तक राज्यवार कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने लोग हताहत हुए;

(ग) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) वर्ष 1991, 1992 और 1993 के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में किए गए विभिन्न अध्ययनों से मालूम होता है कि दुर्घटनाएं मुख्यतः ड्राइवरों की गलती, यात्रियों/पैदल यात्रियों की गलती, खराब मौसम, खराब सड़क, यांत्रिक खराबी आदि के कारण हुई।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1991, 1992 और 1993 के दौरान हुई राज्य वार सड़क दुर्घटनाओं, मारे गए और जख्मी हुए व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1991			1992(पी)			1993(पी)		
		दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	जख्मी हुए व्यक्ति	दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	जख्मी हुए व्यक्ति	दुर्घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	जख्मी हुए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	17633	5598	17545	16553	6037	19806	17677	5556	21315
2.	अरुणाचल प्रदेश	213	83	428	169	175	410	179	114	431
3.	असम	1899	867	2589	2093	940	2846	2102	1014	2995
4.	बिहार	8660	2055	1916	8018	2009	2207	7006	1911	1500
5.	दिल्ली	8065	1820	8051	8506	1727	8576	8475	1885	8099
6.	गोवा	2418	177	1683	1781	208	1683(आर)	1915	उ.न.	उ.न.
7.	गुजरात	27140	3979	25673	26726	3979(आर)	25673(आर)	27514	उ.न.	उ.न.
8.	हरियाणा	4862	1916	4986	5416	2369	5312	5642	2203	5974
9.	हिमाचल प्रदेश	1269	414	2308	1296	365	2389	1390	460	2855

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	जम्मू–कश्मीर	2451	392	2504	2645	443	2621	2476	295	2451
11.	कर्नाटक	22707	4079	25761	23380	4341	30067	24690	उ.न.	उ.न.
12.	केरल	23985	1803	31831	27093	2101	37416	उ.न.	उ.न.	उ.न.
13.	मध्य प्रदेश	26406	3398	22065	24744	3667	21716	उ.न.	उ.न.	उ.न.
14.	महाराष्ट्र	58378	6169	34943	38495	6776	38178	38812	7097	39156
15.	मणिपुर	393	111	506	341	106	551	307	107	407
16.	मेघालय	550	129	589	453	118	547	उ.न.	उ.न.	उ.न.
17.	मिजोरम	87	29	99	74	27	99	67	29	131
18.	नागालैंड	111	57	118	111	76	204	99	30	291
19.	उड़ीसा	6177	1330	6859	5363	1339	6289	उ.न.	उ.न.	उ.न.
20.	पंजाब	1817	1333	1336	1665	1176	1229	2123	1395	1767
21.	राजस्थान	11046	3736	12550	11809	3862	13693	12764	3829	15222
22.	सिक्किम	137	34	239	150	44	272	147	44	278
23.	तमिलनाडु	32522	6406	29538	34247	7073	31736	34925	7349	उ.न.
24.	त्रिपुरा	371	95	665	422	125	917	340	96	638
25.	उत्तर प्रदेश	16864	7806	12870	16480	7785	13039	16667	8381	12791
26.	पश्चिम बंगाल	16136	2587	8478	16136(आर)	2587(आर)	8478(आर)	उ.न.	उ.न.	उ.न.
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	86	5	135	72	14	101	91	9	155
28.	चंडीगढ़	277	72	155	296	96	248	321	114	282
29.	दादरा एवं नागर हवेली	50	11	61	55	11	93	52	15	92
30.	दामन एवं द्वीव	67	7	88	73	11	59	उ.न.	उ.न.	उ.न.
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	1	1	शून्य	उ.न.	उ.न.	उ.न.
32.	पांडिचेरी	724	107	633	848	132	817	977	140	1021
	कुल :	293501	56596	257202	275511	59720	277272	206758	42073	117845

उ.न. – उपलब्ध नहीं आर – आंकड़े गत वर्ष के हैं। पी – अनन्तिम

फ्लैटों का आवंटन

2906. **श्री ललित उरांव :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को बिना बारी आधार पर फ्लैट आवंटन करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आवेदनकर्त्ताओं की सूची में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विकलांगों तथा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या कितनी–कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान बिना बारी के आधार पर वर्षवार और श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित किए गये?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान् विभिन्न टाइप के फ्लैटों का बिना बारी आधार पर आवंटन करने हेतु लगभग 1000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। आवेदकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग तथा आपदाओं से पीड़ित व्यक्ति शामिल हैं। मौजूदा नीति के अनुसार, निर्मित फ्लैटों में से 2½% फ्लैट बिना बारी आधार पर आवंटन हेतु प्रतिवर्ष आरक्षित रखे जाते हैं। 2½% में से किसी श्रेणी विशेष को आवंटन करने के लिए अलग कोटा नियत

नहीं किया है अतः इन श्रेणियों से संबंधित आवेदकों की कोई अलग सूची नहीं रखी गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए बिना बारी आवंटनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	स्ववित्त योजना	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता
1992	9	13	29	4
1993	89	26	5	5
1994	27	15	6	5
	125	54	40	14
				= 233

पाकिस्तान द्वारा रूस से युद्धक विमानों की खरीद का प्रयास

2907. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा रूस से एस. यू. 27 युद्धक विमानों की खरीद के प्रयास के संबंध में हाल में प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला रूस के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर रूस की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) समय–समय पर इस आशय की खबरें मिलती रहती हैं कि पाकिस्तान रूस से रक्षा उपकरण जिनमें विमान भी शामिल हैं, हासिल करने में दिलचस्पी ले रहा है। सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है और इसकी रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है।

(ग) और (घ) इस संबंध में हमने अपनी चिंता से रूसी प्राधिकारियों को अवगत करा दिया है जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हमारी इन चिंताओं का पूरा–पूरा ख्याल रखा जाएगा। दिसम्बर, 1994 में रूस के प्रधान मंत्री श्री चेर्नोमिर्दिन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि रूस पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति नहीं कर रहा है और वह भविष्य में भी ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ रूस के संबंध पारदर्शी हैं और इस बात से भारत को अवगत करा दिया गया है।

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केरल में पुल

2908. प्रो० के. वी. थामस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत केरल में कितने पुल मंजूर किए गए हैं;

(ख) उनके निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ग) कुनबलंगी पेरमपदप्पू पुल के निर्माण में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) छह ।

(ख) 4 पुलों का निर्माण कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहा है। शेष दो पुलों का निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।

(ग) पुल की बुनियाद और उप–संरचना का निर्माण कार्य चल रहा है।

(घ) पुल को दिसम्बर, 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

आवास विकास हेतु नियम

2909. श्री सुधीर सावंत : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवास विकास के लिए नए नियम जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु पूरे देश में कितनी भूमि उपलब्ध है और भूमि एवं आवास विकास के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च किए जाने का अनुमान है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) और (ख) आवास राज्य का विषय है लेकिन केन्द्र सरकार आवास क्षेत्र योजनाओं (हाउसिंग सेक्टर स्कीमस) को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों के बारे में नीति निर्धारण करती है। संसद द्वारा, अगस्त 1994 में राष्ट्रीय आवास नीति का अनुमोदन किया गया था। इस आवास नीति में यह "सक्षमकारी दृष्टिकोण" निर्धारित किया गया है कि सार्वजनिक अभिकरण, भवन निर्माता को अपनी भूमिका को बदलकर आवास कार्यों को सुविधाजनक बनाने की भूमिका अपनाए।

(ग) चूंकि भूमि और आवास राज्यों के विषय हैं, अतः यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे ऐसी जानकारी एकत्रित करें।

बिहार द्वारा भेजी गई शहरी विकास योजना

2910. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या शहर कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को कोई नई शहरी विकास योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य की चालू शहरी विकास योजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) से (ग) छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम। आई. डी. एस. एम. टी.; बिहार राज्य सहित राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों में 1979-80 से चल रही है। आई. डी. एस. एम. टी. स्कीम का लक्ष्य 3 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में भौतिक तथा आर्थिक अवस्थापना और अन्य अनिवार्य सुविधाओं का सुधार करना है। 1979-80 से आज तक आई. डी. एस. एम. टी. के तहत बिहार राज्य के 30 कस्बे लाभान्वित किए जा चुके हैं और 9.55 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1994 तक 10.00 करोड़ रुपये के व्यय की जानकारी दी है। इस स्कीम में बाजार और विपणन परिसर, सड़कें नालों का निर्माण कार्य, स्थल और सेवाएं बस अड्डे तथा अन्य अवस्थापना सुविधाएं शामिल हैं।

वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य सरकार ने गरहवा, मुंगेर, सासाराम, भागलपुर, मुज्जफरपुर, धतरा और गुमला नामक 7 कस्बों के नए परियोजना प्रस्ताव पेश किए थे। गरहवा और मुंगेर की परियोजना रिपोर्टें अनुमोदित कर दी गई हैं और क्रमशः 10.00 लाख रुपये तथा 36.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता (पहली किस्त) राज्य सरकार को दी गई है। शेष 5 कस्बों की परियोजना रिपोर्टें संशोधित करने के लिए राज्य सरकार को कहा गया है ताकि उन्हें आई. डी. एस. एम. टी. दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाया जाए।

पश्चिम तटीय नहर

2911. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तटीय नहर के क्विलोन वेली के दूसरे खंड पर पुनः सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पूरा होने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, हां।

(ख) क्विलोन से कोवलम तक के खंड में (जिसमें क्विलोन वेली खंड भी शामिल है) पश्चिमी तटीय नहर के संबंध में पुनः सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन अक्तूबर, 1993 के दौरान शुरू किया गया था और अगस्त, 1994 के दौरान इसे परामर्शदाता द्वारा पूरा किया गया और उससे रिपोर्ट प्राप्त हुई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में बाईपास

2912. श्री महेश कनोडिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में इस समय प्रस्तावित तथा निर्माणाधीन बाईपासों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गयी है; और

(ग) निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा और कब तक समाप्त होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) आठवीं योजना में किसी बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव नहीं है। रा. रा. 8 ख पर धोरजी बाईपास निर्माणाधीन है। इसकी लंबाई 8.49 कि.मी. है और अनुमानित लागत 496.42 लाख रु० है। इस बाईपास को मार्च, 1996 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत परियोजना में गैस का रिसाव

2913. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैस रिसाव के कारण फिरोज गांधी ताप विद्युत परियोजना ऊंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के कुछ एकक कई माह से काम नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एककों के ठीक तरह से काम नहीं करने के कारण कितना घाटा हुआ है; और

(घ) भविष्य में इनके सुचारू कार्यकरण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बी. पटेल) : (क) और (ख) ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट -1 को 1994-95 के दौरान जेनरेटर स्टेटर क्षति के कारण लगभग तीन महीने के लिए बंद किया गया था तथा यूनिट -2 को हाइड्रोजन गैस रिसाव होने के कारण लगभग साढ़े तीन महीने तक के लिए बंद किया गया था।

(ग) पूर्ण क्षमता के आधार पर विद्युत उत्पादन हानि यूनिट-1 के लिए लगभग 430 मि.यू. तथा यूनिट-2 के लिए 550 मि.यू. है।

(घ) यूनिट-1 में स्टेटर बदल दिया गया है और यूनिट-2 में हाइड्रोजन गैस रिसाव के संबंध में मरम्मत कार्य कर लिया गया है तथा इसके बाद से दोनों यूनिटें संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं।

रोहिणी आवासीय योजना

2914. श्री सूरज मंडल :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री गुरूदास कामत :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1981 में दिल्ली में रोहिणी आवासीय योजना इस वादे के साथ शुरू की गई थी कि पंजीकृत व्यक्तियों को पांच वर्ष में प्लाट उपलब्ध करा दिए जायंगे;

(ख) प्लाटों के आवंटन में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि इस योजना के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है;

(ग) क्या बहुत से प्लाटों को नीलामी के माध्यम से बेचा गया है तथा इस कारण पंजीकृत व्यक्तियों को प्रतीक्षा करनी पड़ रही है;

(घ) क्या रोहिणी में पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाटों का आवंटन मिलने तक उनकी नीलामी को रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) रोहिणी योजना के अंतर्गत कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं और उन्हें प्लाट कब तक दे दिए जायंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) जी, हां। डी. डी. ए. द्वारा पांच वर्ष की अवधि के भीतर एम. आई. जी. एल. आई. जी और जनता श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को भूखंड आवंटित करने के लिए वर्ष 1981 में रोहिणी रिहायशी योजना शुरू की गयी थी। तथापि, यदि निर्धारित अवधि के भीतर मांगा गया भूखंड उपलब्ध न किए जा सकने की स्थिति में इन पंजीकृत व्यक्तियों को अपनी जमाराशि (ब्याज सहित) वापस लेने की अनुमति दी गयी।

(ख) डी. डी. ए. द्वारा बताया गया है कि दिल्ली प्रशासन द्वारा परियोजना के लिए अपेक्षित समुचित भूमि अधिग्रहण कर उनको उपलब्ध नहीं करायी गयी। दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान आदि द्वारा अवस्थापना, पेयजल, मलजल व्ययन, विद्युत मुहैया नहीं करायी गई। बदलती हुई आवकश्यकताओं यथा दंगा प्रभावित व्यक्तियों, सहकारी आवास समितियों को भूखंड तथा जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गयी है, उन्हें वैकल्पिक भूखंड और संस्थागत भूमि के आवंटन के कारण पेज I और II के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन हेतु भूमि की उपलब्धता में भी कमी आयी।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि रोहिणी रिहायशी योजना में अब तक 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के केवल 0820 प्लाटों की नीलामी की गयी है। प्रतीक्षारत पंजीकृत व्यक्तियों को ड्रा निकाल कर 100 वर्ग मीटर से कम आकार के प्लाट आवंटित किए जाते हैं। नीति अनुसार, पंजीकृत व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित किये बिना प्लाटों की उपलब्धता के आधार पर 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार के प्लाटों की ही नीलामी होती है। रोहिणी में किसी प्लाट की नीलामी रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) रोहिणी रिहायशी योजना 1981 में पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या 82384 है जिसमें से 41826 पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन कर दिये गये हैं और 1547 व्यक्तियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, को छोड़कर 39011 पंजीकृत व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार है :

श्रेणी	पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या	किये गये आवंटन	शेष
जनता	18390	13857	4533
एल. आई. जी.	38105	17109	20996
एम. आई. जी.	25889	10860	15029
	82384	41826	40558
		पंजीकरण रद्द	1547
			39011

डी. डी. ए. ने बताया है कि भूमि, अवस्थापना, धनराशि आदि की उपलब्धता के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक शेष सभी पंजीकृत व्यक्तियों को प्लाट आवंटित करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है।

[हिन्दी]

सऊदी अरब के साथ प्रत्यर्पण सन्धि

2915. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आतंकवाद, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और संगठित अपराध का मुकाबला करने के उद्देश्य से सऊदी अरब के साथ प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधि के संबंध में कोई बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोनों देशों के बीच इस संधि पर कब तक हस्ताक्षर हो जायेंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अमरीकी राष्ट्रपति की पत्नी की यात्रा

2916. श्री रवि राय : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के राष्ट्रपति की पत्नी ने मार्च, 1995 के अन्तिम सप्ताह में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच किन–किन विषयों पर विचार–विमर्श हुआ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती हिल्लेरी

रोधम क्लिंटन ने 28 से 31 मार्च, 1995 तक भारत की यात्रा की। उनके साथ उनकी बेटी और विदेश विभाग और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी भारत आए। दिल्ली के अतिरिक्त श्रीमती क्लिंटन के कार्यक्रम में आगरा और अहमदाबाद की यात्रा शामिल थी। दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति और श्रीमती विमला शर्मा से मुलाकात की। श्रीमती क्लिंटन ने प्रधान मंत्री से भी मुलाकात की। वे दिल्ली स्थित मिशनरीस आफ चेरिटी और प्रयास स्कूल परियोजना देखने भी गई और राजीव गांधी फाउन्डेशन में भाषण दिया। आगरा में अमरीका की प्रथम महिला ने ताजमहल देखा। अहमदाबाद में श्रीमती क्लिंटन ने साबरमती आश्रम और स्व–नियोजित महिला एसोसिएशन "सेवा" देखा।

(ग) श्रीमती क्लिंटन के साथ विचार–विमर्शों में कई सामाजिक मसलों पर चर्चा हुई जैसे महिलाओं की स्थिति सुधारने की आवश्यकता, गरीबों पर आर्थिक उदारीकरण का प्रभाव, भारत की एकीकृत बाल विकास योजना, समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

2917. श्री शरत पटनायक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण योजना निर्धारित समय से पीछे चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार ने 'सेल' के राउरकेला इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण परियोजना को दिसम्बर, 1995 तक पूरा करने के लिए मई, 1992 में मंजूरी दे दी थी। तथापि एक पैकेज (पुनर्तापन भट्टियां) के लिए आर्डर देने और वित्तीय व्यवस्था को अंतिम रूप देने में कुछ विलम्ब हुआ है। इसके परिणामस्वरूप आधुनिकीकरण परियोजना को पूर्ण रूप से पूरा करने की अनुसूची अगस्त, 1996 है और सरकार द्वारा मंजूर अनुसूची की तुलना में लगभग 8 माह का विलम्ब हुआ।

भारतीय मछुआरों पर हमला

2918. डा० (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान श्रीलंका की नौसेना द्वारा कितने भारतीय मछुआरों को पकडा गया था;

(ख) उक्त वर्ष के दौरान कितने भारतीय मछुआरे मारे गए तथा कितनी नावें/पोत पकड़े गए; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/ उठाएगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) 1994 के दौरान श्रीलंका की नौसेना द्वारा 19 मछेरे पकड़े गए थे; कोलम्बो स्थित भारत के हाई कमीशन के हस्तक्षेप से इन सभी 19 मछेरों की शीघ्र रिहाई करवाई गई थी।

(ख) ऐसी सूचना है कि 9 भारतीय मछेरे 1994 में श्रीलंका की नौसेना द्वारा गोलीबारी में मारे गए; भारतीय मछेरों की कोई नाव/जलयान श्रीलंका की हिरासत में नहीं है।

(ग) भविष्य में ऐसी वारदातों को रोकने के लिए उपायों पर विचार करने के उद्देश्य से श्रीलंका की सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय बातचीत होती रही है। विदेश सचिव स्तर की बातचीत अक्तूबर, 1993 में तथा अधिकारी स्तर की बातचीत मार्च, 1994 में हुई थी। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी उपायों के क्रियान्वयन की जरूरत है। इन उपायों का संबंध (i) हमारे मछेरों द्वारा एहतियात बरतने; (ii) निर्दोष मछेरों को उत्पीडित न करने के लिए श्रीलंका की नौसेना द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से है। इस मामले पर श्रीलंका के विदेश मंत्री की अप्रैल, 1994 और उसके बाद दिसम्बर, 1994 की यात्राओं के दौरान भी बातचीत की गई थी। इस विषय को मार्च, 1995 में श्रीलंका की राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान भी उठाया गया था। भारत सरकार ने जोर देकर कहा है कि श्रीलंका के नौसेनिक प्राधिकारियों को सयंम से काम लेना चाहिए। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि इस मसले को सुलझाने के लिए द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। परामर्श का एक और दौर शीघ्र ही करने का विचार है।

[हिन्दी]

स्थानान्तरणों पर व्यय

2919. श्री रामटहल चौधरी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में मिशनों और मुख्यालयों में अधिकारियों के स्थानान्तरणों पर भारी व्यय हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो के दौरान इस संबंध में प्रतिवर्ष कितना व्यय हुआ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस व्यय को न्यूनतम करने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उत्तर सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) यात्रा पर खर्च कम करने के लिए 24 मिशनों में प्रवास की अवधि दो वर्ष से बढाकर जनवरी, 1995 से तीन वर्ष कर दी गई थी।

(ङ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

खनिज पदार्थों का पूर्वेक्षण और रायल्टी का भुगतान

2920. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में 1993-94 और 1994-95 के दौरान (दिसम्बर, 1994 तक) खनिज पदार्थों के पूर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन खनिज पदार्थों का राज्य-वार कुल मूल्य कितना है;

(ग) अन्य देशों को निर्यात किये गये तथा घरेलू उपयोग के लिये चक्रित खनिज पदार्थों की प्रतिशतता और मूल्य कितना-कितना है;

(घ) विभिन्न राज्यों को खनिज पदार्थों पर कितनी रायल्टी दी गयी;

(ङ) क्या राज्यों ने खनिज पदार्थों पर रायल्टी बढ़ाने की कोई मांग की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 (दिसंबर, 1994 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों में संभावित खनिजों का ब्यौरा निम्नवत है :

कोयला : पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में 2998.24 मिलियन टन कोयला।

लिग्नाइट : तमिलनाडु में 325.00 मिलियन टन तथा गुजरात में 40 मिलियन टन लिग्नाइट।

स्वर्ण : आंध्र प्रदेश में 0.11 मिलियन टन, कर्नाटक में 0.13 मिलियन टन, राजस्थान में 1.3 मिलियन टन तथा महाराष्ट्र में 0.137 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

हीरा : आंध्र प्रदेश में हीरे के 133 टुकड़े तथा मध्य प्रदेश में 4 टुकड़े।

मैंगनीज : उड़ीसा में 1.16 मिलियम टन मैंगनीज ।

मूल धातु : राजस्थान में 57.30 मिलियन टन (ताम्र-सीसा-जस्ता) अयस्क।

इसके अलावा मोलिब्डेनम के लिए तमिलनाडु में, सिलिमेनाइट के लिए उड़ीसा में तथा चूना पत्थर के लिए मेघालय में सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) खनिजों का मूल्य अयस्क भंडारों की किस्म और मात्रा पर निर्भर करता है।

(ग) वर्ष 1992-93 तक विभिन्न अन्य देशों को 9579.4534 करोड़ रु० के 50.13% खनिजों का निर्यात किया गया। 49.87% खनिज घरेलू उपयोग के लिए रहे।

(घ) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई रायल्टी इस प्रकार है :

(करोड़ रु० में)

राज्य	1993-94	1994-95 (अनन्तिम)
कर्नाटक	38.11	40.90
पंजाब	–	1.05
हिमाचल प्रदेश	5.51	5.95
उत्तर प्रदेश	89.42	110.00
महाराष्ट्र	141.77	145.80
गुजरात	381.05	372.00
गोवा	6.78	7.50
उड़ीसा	130.71	185.05
बिहार	684.02	560.00
आसाम	242.63	280.04
मध्य प्रदेश	456.26	666.29
दिल्ली	0.28	–

(ङ) खनिजों की रायल्टी की दरों में बढ़ोतरी के लिए सरकार को किसी राज्य सरकार से कोई मांग/प्रस्ताव नहीं मिला है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में विद्युत केन्द्र

2921. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने लिग्नाइट पर आधारित विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने के लिए पौलेंड के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन विद्युत केन्द्रो पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है;

(ग) क्या इन विद्युत केन्द्रों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन विद्युत परियोजनाओं का काम कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने लिग्नाइट पर आधारित विद्युत केन्द्रों की स्थापना करने के लिए पोलेंड के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, गुजरात बिजली बोर्ड ने मै. इलैक्ट्रिक एस ए पोलेंड को पाननधरों स्थित 75 मे.वा. कच्छ लिग्नाइट ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 3 के लिए प्रमुख संयंत्र और उपस्कर की आपूर्ति, उत्थापन और चालू किए जाने के लिए 414.35 करोड़ रुपये की कुल लागत का एक आर्डर दिया है।

(ग) से (ङ) कच्छ लिग्नाइट ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-3 का निर्माण

कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा इसे दिसम्बर, 1996 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है।

शीतल पेय

2922. डा० परशुराम गंगवार : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित लहर पेप्सी, माज़ा और लिम्का जैसे घटिया किस्म के शीतल–पेयों के उत्पादन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन पर क्या कार्यवाही की है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई):

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

डी. डी. ए. फ्लैटों के लिए पंजीकृत व्यक्ति

2923. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में एच. आई. जी., एल. आई. जी. और एम. आई. जी. फ्लैटों के लिए कुल कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया है;

(ख) आज तक श्रेणीवार कितने व्यक्तियों को फ्लैट आंवटित किए गए हैं;

(ग) डी.डी. ए. द्वारा शेष व्यक्तियों को अभी तक फ्लैट आवंटित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) डी. डी. ए. शेष व्यक्तियों को कब तक फ्लैट आवंटित कर देगा और इस संबंध में उठाए जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की सूचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आवेदकों और किए गए आवंटनों की संख्या इस प्रकार है:

श्रेणी	आवेदकों की संख्या	किए गए आवंटनों की संख्या
स्व वित्त पोषित स्कीम/ उच्च आय वर्ग	80422	40409
मध्यम आय वर्ग	82732	54743
निम्न आय वर्ग	101756	71546

इसके अतिरिक्त हाल ही में घोषित विस्तारीय आवास योजना, 1995 के अंतर्गत 8451 आवेदकों को फ्लैटों का प्रस्ताव देने के लिए एक ड्रा भी निकाला गया।

(ग) और (घ) (1) डी. डी. ए. के पास दिनांक 31.3.95 तक एम. आई. जी. श्रेणी के अंतर्गत 19275 और एल. आई. जी. श्रेणी के अंतर्गत 25782 ईकाइयों को बैकलाग है। डी. डी. ए. के पास भूमि तथा अवस्थापना संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर सभी प्रतीक्षा सूचीबद्ध पंजीकृत व्यक्तियों को आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अंत तक फ्लैट मुहैया कराने की योजनाएं हैं।

(II) डी. डी. ए. के नए परियोजना क्षेत्रों में और भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस भूमि का इस्तेमाल एल. आई. जी./एम.आई.जी. श्रेणियों के समूह आवास के लिए किया जाना है।

(III) अवस्थापना सुविधाओं के प्रावधान पर शीघ्र कार्रवाई के लिए उच्च स्तरीय बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और निर्माण कार्य की प्रगति पर निगरानी के लिए अंतःवर्ती निरीक्षण किया जाता है।

शहरी सेवाएं

2924. श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री वी. कृष्णा राव :

श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों में, विशेषतः महानगरों में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शहर में शहरी सुविधाओं में सम्भावित कमियों का अध्ययन करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन):

(क) से (ग) भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार, देश की लगभग 26 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है और कुल मिलाकर यह 217 मिलियन है जो 2001 ईस्वी तक 300 मिलियन के आस–पास हो जाने की सम्भावना है। कुछेक बड़े नगरों में शहरी जनसंख्य के जमाव से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि शहरी जनसंख्या की 32.5 प्रतिशत आबादी 23 महानगरीय शहरों में है। शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित वृद्धि से बहुत से भारतीय नगरों में बुनियादी सेवाओं का अभाव हुआ है। शहरी सेवाओं की व्यवस्था का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों का है। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए धन की व्यवस्था के लिए अपने योजना दस्तावेज में उपयुक्त प्रस्ताव शामिल किये जाने अपेक्षित हैं। शहरी विकास राज्य विषय होने के नाते, केन्द्र सरकार एक समन्वयक तथा प्रबोधक की भूमिका निभाती है और केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों, संस्थागत वित्त और विशेषज्ञता के माध्यम से आवास, शहरी विकास, शहरी निर्धनता उन्मूलन के क्षेत्रों में सहायता देती है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शहरों का विकास

2925. डा० साक्षीजी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश में छोटे और मझौले शहरों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार और "हुडको" द्वारा उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम दर्जे के शहरों के विकास हेतु शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1994-95 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई और इसमें से अब तक वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (आज तक) आई. डी. एस. एम. टी. स्कीम के अन्तर्गत कस्बों के विकास हेतु स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप 10 नये परियोजना प्रस्ताव, प्राप्त हुए हैं। अवस्थापना विकास वाले सभी 10 परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गयी हैं और निम्नलिखित चयनित कस्बों के लिए केन्द्रीय सहायता रिलीज कर दी गई है:–

क्र.स.	वर्ष और कस्बे का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	केन्द्रीय सहायता (पहली किस्त)
		(लाख रूपये में)	
	1993-94		
1.	पिलखुवा	500.00	40.00
2.	थानाभवत	136.87	16.00
3.	कोटद्वार	118.87	14.00
4.	कांधला	100.67	12.00
5.	नटराजगंज	119.65	15.00
	1994-95		
6.	बस्ती	498.20	40.00
7.	फिरोजाबाद	366.13	33.00
8.	बडौत	300.00	36.00
9.	रामपुर	392.20	35.00
10.	बुढ़ाना	192.20	15.00
			256.00

(ग) छोटे और मझौले कस्बों की एकीकृत विकास की स्कीम (आई. डी.एम.एस.टी) के अन्तर्गत 1979-80 से अब तक उत्तर प्रदेश के 62 कस्बे शामिल किए गए हैं और 18.29 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गयी है। स्कीम में बाजार और विपणन परिसर, सड़के मलजल निकासी कार्य, स्थल और सेवाएं, बस स्टेंड सहित अन्य अवस्थापना सुविधाएं शामिल हैं।

(घ) चूंकि आई.डी.एस.एम.टी, की स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केवल उदार ऋण दिये जाते हैं अतः किसी विशेष राज्य के लिए नियतन नहीं किया जाता है। आई.डी.एस.एम.टी दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं की रिपोर्ट की प्राप्ति पर ही विधियां रिलीज की जाती हैं। तदनुसार, 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिए कोई विशेष नियतन नहीं किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1994 तक आई. डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत राज्यों द्वारा किया गया व्यय 26.48 करोड़ रूपये है।

खनन कार्य में लगी विदेशी कम्पनियां

2926. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कुछ विदेशी कम्पनियों ने सोना, हीरा और यूरेनियम खानों के खनन हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार की अभ्रक खानों को एक अमरीकी कम्पनी को दे दिया है; और

(घ) यदि हां, तो ये कम्पनियां देश में खनन कार्य कब से शुरू कर देंगी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, खान मंत्रालय के अधीन एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लि० ने दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला सीसे, जस्ते, तांबे, स्वर्ण और सम्बद्ध खनिजों की प्राथमिक स्तर की खोज करने हेतु बीएचपी मिनरल्स इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन इंक के साथ 26 अक्तूबर, 1994 को और दूसरा भारत में पता लगाए गये स्वर्ण के, अगर व्यवहार्य हो तो, मूल्यांकन और विकास के लिए न्युगिनी माइनिंग लि० के साथ 18 जुलाई, 1994 को केरल राज्य सरकार के एक विभागीय संगठन केरल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डिवलपमेंट प्रोजेक्ट ने भी केरल की निलाम्बर घाटी में प्लेसर स्वर्ण निक्षेपों के गवेषण और प्रायोगिक स्तरीय खनन के लिए बीआरजीएम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेयजल की कमी

2927. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि:

(क) क्या दिल्ली के नई दिल्ली नगर पालिका और अतिविशिष्ट व्यक्ति क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों को पेयजल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका/अति विशिष्ट व्यक्ति क्षेत्रों के निवासियों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) जी, नहीं। तथापि, जब दिल्ली नगर निगम के दिल्ली जल–आपूर्ति तथा मल–जल व्ययन संस्थान से जल–आपूर्ति में कमी होती है तो गरमी के महीनों में कुल कमी महसूस होती है।

(ख) और (ग) गर्मियों में इस कमी को पूरा करने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका अपने 103 नलकूपों से लगभग 20 एम. एल. डी. अतिरिक्त जल सृजित कर रही है और उपयोक्ताओं को सप्लाई कर रही है।

[हिन्दी]

नया पासपोर्ट कार्यालय

2928. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में वाराणसी में नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में पासपोर्ट कार्यालय के अभाव में वहां के लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) नया पासपोर्ट कार्यालय खोलना विभिन्न मानदंडों पर आधारित है जिनमें कार्यभार और उपलब्ध संसाधन भी शामिल हैं। नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने मात्र से ही तब तक सेवा में सुधार नहीं होगा जब तक आवश्यक आधारिक संरचना और कार्मिक उपलब्ध न हों। इसलिए सरकार बकाया आवेदनों को निपटाने, पासपोर्ट जारी करने में होने वाली देरी को कम करने तथा कार्यविधियों को कारगर एवं सरल बनाने पर ध्यान दे रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत वियतनाम सहयोग

2929. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूगर्भविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में वियतनाम के साथ सहयोग हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भूविज्ञान तथा खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत सरकार के खान मंत्रालय तथा वियतनाम समाजवादी गणतंत्र के भारी उद्योग मंत्रालय के मध्य 18 अप्रैल, 1995 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए हैं।

गुजरात में उर्वरकों का उत्पादन

2930. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

श्री हरिभाई पटेल :

श्री छीतूभाई गामीत :

श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में फर्टिलाइजर एककों द्वारा उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) गुजरात राज्य में स्थित प्रमुख उर्वरक एकक क्षमता उपयोगिता के संतोषजनक स्तर पर चल रहे हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता तथापि, मैं० इफको, कलोल में अपने अमोनिया यूरिया संयंत्र की क्षमता के विस्तार के लिए 119 करोड़ रुपए की लागत पर इस समय एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

कोरमंगल, बंगलौर के निकट ''हुडको'' आवासीय परियोजना

2931. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हुडको' ने 1996 के राष्ट्रीय खेलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोरमंगल, बंगलौर के निकट एक आवासीय परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और कितने फ्लैटों का निर्माण किया जायेगा;

(ग) क्या पूरी धनराशि 'हुडको' द्वारा की जाती है;

(घ) यदि हां, तो उन निर्माण कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें उपरोक्त कार्य सौंपा गया है;

(ङ) क्या यह सच है कि ठेकेदारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन):

(क) कर्नाटक आवास बोर्ड ने हुडको की तकनीकी वित्तीय सहायता से कोरामंगला, बंगलौर के समीप परियोजना शुरू की है।

(ख) तथा (ग) इस परियोजना में 367.73 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुमानित लागत से 2840 फ्लैटों के निर्माण का विचार किया गया है। इसमें से, हडको 270 करोड़ रुपये की वित्त व्यवस्था कर रहा है।

(घ) कर्नाटक आवास बोर्ड ने इस परियोजना का निर्माण कार्य (i) मै० इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आफ इंडिया लि० (ii) मै० बी जी शिरके एंड कंपनी तथा (iii) मै० नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा है।

(ङ) तथा (च) कर्नाटक आवास बोर्ड ने ठेकेदारों को परियोजना शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त तैयारी पेशगी दी है जो ठेका राशि की प्रथम 10% की किस्त के रूप में बैंक गारंटी पर होगा और बाद में 16% की ब्याज दर पर 5% और धन राशि दी जा सकती है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग

2932. डा० पी. वल्लल पेरूमान : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए कार्य कर रहे राज्य सरकार के संगठनों और सहकारी क्षेत्र के एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु में ऐसे उद्योगों के विस्तार हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई):

(क) से (ग) तमिलनाडु राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए तमिलनाडु एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि० को एक नोडल एजेंसी के रूप में मनोनीत किया गया है जो तमिलनाडु राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु एक उत्प्रेरक एजेन्सी के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, तमिलनाडु कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने के लिए 1993-94 में 52.00 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करायी थी, भी तमिलनाडु में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग हेतु फसलोत्तर हैंडलिंग सुविधाओं के सृजन के लिए काम कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को हाल ही में तमिलनाडु से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार हेतु सहायता मांगी गई है। इन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं

2933. श्री के. प्रधानी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उड़ीसा में तलचेर में सुपर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

(ख) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले तथा दूसरे एकक द्वारा क्रमशः फरवरी तथा सितम्बर, 1995 से कार्य शुरू कर दिए जाने की आशा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन इकाइयों की वर्तमान स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ) तलेचर सुपर ताप विद्युत परियोजना (टी एस टी पी पी) को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) द्वारा 2 चरणों मे क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है – पहले चरण में 500-500 मेगावाट की दो यूनिटें और दूसरे चरण में 500-500 मेगावाट की 4 यूनिटें शामिल हैं। इस कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा निम्नवत है :

तलचेर एस टी पी पी चरण-1 (2x500 मे.वा.)

परियोजना क्रियान्वयनाधीन है। प्रथम यूनिट का समकालिक परीक्षण फरवरी, 1995 में किया गया है। दूसरी यूनिट से संबंधित बायलर हाइड्रोलिक परीक्षण मार्च, 1995 में सफलतापूर्वक कर दिया गया है। टर्बो –जेनेरेटर और एच पी पाइपिंग कार्य प्रगति पर है। यूनिट को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरंभ किए जाने की आशा है।

तलचेर एस टी पी पी चरण-2 (4x500 मेगावाट)

1995 की प्रथम तिमाही के मूल्य स्तर के आधार पर 5601.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्ट तकनीकी–आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति के लिए मार्च, 1995 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गई है। परियोजना के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

भारत में ब्रिटिश परियोजना

2934. श्री अंकुश राव टोपे : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के महत्वपूर्ण क्षेत्र में खनन परियोजना

की स्थापना के लिए ब्रिटिश बोर्ड आफ ट्रेड के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान का नाभिकीय कार्यक्रम

2935. **श्री हरिन पाठक : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान विभिन्न देशों से परमाणु कलपुर्जे खरीद कर आयुधोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम को जारी रखे हुए है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या कदम उठा रही है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) सरकार को पाकिस्तान के गुप्त शस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम की जानकारी है। सरकार ने पाकिस्तान के नेताओं द्वारा पाकिस्तान की नाभिकीय क्षमता की पुष्टि करने से संबद्ध वक्तव्यों को भी देखा है। सरकार ने अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीतों के दौरान तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान के गुप्त शस्त्रोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम को बराबर बलपूर्वक उजागर किया है।

पाकिस्तान के साथ वार्ता

2936. **श्री ई. अहमद :**

श्री गोपीनाथ गजपति :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्री सी. के. कुप्पुस्वामी :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बकाया द्विपक्षीय मामलों के समाधान के लिए बातचीत हेतु पाकिस्तान द्वारा रखी गई पूर्व शर्तों को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत करने की एक बार फिर पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पाकिस्तान के साथ बकाया द्विपक्षीय मामलों के संबंध में भारत के दृष्टिकोण से प्रायः सभी देश सहमत हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग) पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ बातचीत करने के लिए कई बार कतिपय शर्तें एवं पूर्व शर्तें रखी गई। हमारे विचार से, इस तरह की बातचीत के लिए शर्तों और पूर्व शर्तों का रखा जाना कोई सकारात्मक पहल को द्योतक नहीं है। सरकार ने गत कुछ समय से पाकिस्तान को बिना शर्त से द्विपक्षीय बातचीत करने, शिमला समझौते के अंतर्गत प्रमुख मुद्दो/मामलों पर विचार करने के लिए सदा तैयार रहने की अपनी इच्छा को बार–बार व्यक्त किया है। सरकार पाकिस्तान से यह अनुरोध करेगी कि बातचीत करने के भारत के प्रस्ताव पर पूरी ईमानदारी से ध्यान दे।

(घ) और (ङ) भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को दूर करने के लिएं दोनों देशों में परस्पर द्विपक्षीय वार्ता की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु भारत की पहल की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अत्यंत सराहना की जा रही है।

2000 ई. तक पेय जल की आवश्यकता

2937. **डा० कृपासिंधु भोई : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सन् 2000 तक पेय जल की आवश्यकताओं के संबंध में कोई आकलन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सन् 2001 के लिए घरेलू उपयोग वास्ते पानी की वार्षिक आवश्यकता 33.521 क्यूबिक कि.मी. होने की आशा है। ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना उपायों में इस शताब्दी के अंत तक 100% शहरी आबादी को शुद्ध पेय जल की सप्लाई से लाभन्वित करने के उद्देश्य पर विचार किया गया है। इस उद्देश्य को निम्नलिखित मानकों द्वारा पूरा किया जायेगा:

(i) उन शहरी क्षेत्रों के लिये, जहां पाइपों द्वारा जल आपूर्ति तथा भूमिगत सीबरेज सिस्टम है। 125 एल पी सी डी।

(ii) उन शहरी क्षेत्रों के लिये, जहां भूमिगत सीवरेज नहीं है और पाईपों द्वारा जल आपूर्ति की व्यवस्था है, 70 एल पी सी डी।

(iii) स्थानिक स्रोतों/सार्वजनिक नलकों वाले कस्बों के लिए 40 एल पी सी डी।

20,000 तक की आबादी वाले छोटे कस्बों (1991 जनगणना के अनुसार) को केन्द्रीय सहायता से पेय जल आपूर्ति पर विशेष बल से भी शताब्दी के अंत तक 100% आबादी का उद्देश्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

विवरण

घरेलू उपयोग हेतु पानी की राज्यवार वार्षिक आवश्यकता

इकाई : क्यूबिक कि.मी.

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पानी की आवश्यकता 2001 के लिये
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2.498
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.029
3.	असम	0.883
4.	बिहार	3.242
5.	गोवा*	0.052
6.	गुजरात	1.644
7.	हरियाणा	0.663
8.	हिमाचल प्रदेश	0.161
9.	जम्मू और कश्मीर	0.287
10.	कर्नाटक	1.892
11.	केरल	1.102
12.	मध्य प्रदेश	2.545
13.	महाराष्ट्र	3.199
14.	मणीपुर	0.074
15.	मेघालय	0.072
16.	मिजोरम	0.035
17.	नागालैंड	0.052
18.	उड़ीसा	1.143
19.	पंजाब	0.791
20.	राजस्थान	1.884
21.	सिक्किम	0.019
22.	तमिलनाडु	2.234
23.	त्रिपुरा	0.088
24.	उत्तर प्रदेश	5.590
25.	पश्चिम बंगाल	2.551
26.	अंडमान एवं निकोबार	0.015
27.	चंडीगढ़	0.080
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0.005
29.	दमन एवं द्वीव	0.004
30.	दिल्ली	0.668
31.	लक्षद्वीप	0.003
32.	पाण्डिचेरी	0.035
	योग	33.521

स्रोत : भारत के जल संसाधन, 1988 केन्द्रीय जल आयोग (डब्ल्यू एम डायरेक्रेट)* दमन तथा द्वीव सम्मिलित है।

एशियाई विकास बैंक द्वारा दिया गया ऋण

2938. श्री पी. कृष्णाराव :

श्री सी. पी. मुडला गिरियप्पा :

श्री के. जी. शिवप्पा :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक से भारत को शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए बड़ी राशि ऋण के रूप में मंजूर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) और (ख) कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास परियोजना हेतु तकनीकी सहायता के लिए एशियाई विकास बैंक और कर्नाटक सरकार के मध्य 600,000 अमरीकी डालर की कुल परियोजना लागत के एक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। बंगलौर की संवृद्धि के शहर से बाहर विकेन्द्रीकरण हेतु परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट पर ए. डी. बी. द्वारा आगे कार्यवाही की जा रही। बंगलौर के समसुविधा संपन्न और उपग्रह नगरों का विकास करने हेतु अवस्थापना विकास परियोजना के लिए संभावित ए. डी. बी. वित्त व्यवस्था के बारे में इस स्तर पर ज्ञात नहीं है।

भारत के शहरी क्षेत्र की रूपरेखा पर अध्ययन करने के लिए ए. डी. बी. के साथ एक अन्य तकनीकी सहायता करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह तकनीक सहायता मुख्यत: शहरी सेक्टर की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए है ताकि देश के शहरी सेक्टर में ए. डी. बी. निवेश की क्षमता का निर्धारण किया जा सके।

बांग्लादेश को बस सेवा

2939. श्रीमती बिभू कुमारी देवी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता और अगरतला के मध्य बांग्लादेश से होकर बस सेवा शुरू करने के बारे में कोई पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सरकार ने बांग्लादेश सरकार को सीमा के पार आने जाने की सुविधा जिसमें कलकत्ता और अगरतला के बीच बस सेवा तथा बांग्लादेश में पारगमन की सुविधा भी शामिल है, प्रदान करने के लिए औपचारिक रूप से कहा है।

(ख) बांग्लादेश की सरकार ने अभी तक हमारे प्रस्ताव का उत्तर नहीं दिया है।

मोटर यान अधिनियम

2940. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए मोटर यान अधिनियम को और कड़ा बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वाहनों के आवागमन को सुरक्षित बनाने के लिए मौजूदा प्रावधानों को पर्याप्त माना गया है। तथापि, इन प्रावधानों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है जिसके लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को उपर्युक्त अनुदेश दिए गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2941. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रत्येक राज्य में विशिष्ट औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने का निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई):

(क) और (ख) विभिन्न राज्यों में अलग खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक एस्टेट की स्थापना में सहायता करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिस पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

औषधि संबंधी रासायनिक अनुसंधान के लिए दिशा-निर्देश

2942. श्री शरद दिघे :

श्री एम. वी. वी. एम. मूर्ति :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने औषधि एवं फार्मास्युटिकल उद्योग में अनुसंधान करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दिशा-निर्देशों को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार का विचार फार्मास्युटिकल उद्योग में अनुसंधान और विकास को सुदृढ़ करने हेतु दीर्घकालिक नीति तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) यद्यपि औषध और भेषज उद्योग में अनुसंधान के लिए विस्तृत मार्गनिर्देश निर्धारित नहीं किए गए हैं लेकिन भेषज उद्योग में अनुसंधान और विकास को मजबूत बनाने हेतु नीतिगत पहलें शुरू कर दी गई हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वदेशी अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहन की घोषणा, कीमत नियंत्रण से छूट और नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फार्मास्युटिकल एजूकेशन एंड रिसर्च के रूप में एक नए संस्थान की स्थापना शामिल है। एक अन्तर-मंत्रालय समिति ने अनुसंधान और विकास अन्मुख कार्य को आयकर में अधिक छूट के रूप में रियायतों और अनुसंधान उन्मुख उपस्करों और उपभोक्ता वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क में छूट की सिफारिश की है।

डी. डी. ए. द्वारा नई गृह निर्माण योजनाएं

2943. श्री विलास राव नागनाथ राव गुंडेवार :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई नई गृह निर्माण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार मध्यम और निम्न आय समूह तथा शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए नई योजनाएं शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपरोक्त योजनाओं में मकान प्रदान करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने निम्नलिखित नई स्कीम चलाई थीं।

(1) स्व-वित्त पोषित आवास योजना - I/II, 1995

(2) विस्तारीय आवास योजना - 1995

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2944. श्री कोडिकुन्नील सुरेश : *क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार के पास केरल में खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल को इस प्रयोजनार्थ दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई):

(क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित नहीं करता है। बहरहाल, इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। आठवीं योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित केरल से प्राप्त प्रस्तावों पर 145.067 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अवैध खनन

2945. श्री पवन दीवान : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की देवभोग हीरा खानों में अवैध खनन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवैध खनन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि रायपुर जिले के देवभोग क्षेत्र में कोई हीरा खान नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उड़ीसा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2946. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चल रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ख) लाभ अर्जित कर रहे उन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई):

(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए सभी स्थापित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्यवार संख्या के बारे में सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। बहरहाल, उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा के बारे में स्थिति निम्नानुसार है :

1.	चावल मिल	-	7364
2.	रोलर फ्लोर मिल	-	19
3.	फल तथा सब्जी प्रसंस्करण	-	19
4.	मृदुवातित जल	-	13
5.	मछली प्रसंस्करण	-	12
6.	एल्कोहल पेय	-	1

(ख) से (घ) लाभ तथा घाटे में चल रही यूनिट विशेष के राज्यवार ब्यौरे इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

2947. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे लोहे, स्पंज लोहे और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई प्रयास किए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षो के दौरान कच्चे लोहे, स्पंज लोहे और इस्पात के उत्पादन की तुलना में चालू वर्ष के दौरान इनके उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षो के दौरान सरकार ने देश में लोहे और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कई कदम उठाए हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य शुरू किया गया है। निजी क्षेत्र में लोहे और इस्पात के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताएं सृजित करने की सुविधा के लिए और उस प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने विभिन्न नीतिगत उपाय भी किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है।

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दे दी गई है।

(3) लोहा और इस्पात को विदेशी नियेश के उद्देश्य से उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है?

(4) लोहा और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से

नियंत्रण समाप्त कर दिया गया है।

(5) पूंजीगत सामान के आयात पर शुल्क में कमी की गई है।

(6) आयात और निर्यात नीति को उदार बनाया गया है।

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान कच्चे लोहे, स्पंज लोहे और विक्रय इस्पात का उत्पादन और पिछले 2 वर्षों की तुलना में 1994-95 के दौरान प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित है :

	उत्पादन (हजार टन)			निम्नलिखित की तुलना में 1994-95 के दौरान प्रतिशत वृद्धि	
	92-93	93-94	94-95	92-93	93-94
1. कच्चा लोहा	1844	2250	2721	48%	21%
2. स्पंज लोहा	1441	2396	2950	105%	23%
3. विक्रेय इस्पात	15749	15906	17145	9%	8%

बिहार सरकार द्वारा भेजी गई आवास योजनाएं

2948. श्री लाल बाबू राय : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने कतिपय आवास योजनाएं मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास भेजी हैं और इनके लिए वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इन सभी योजनाओं को मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन योजनाओं में से प्रत्येक के लिए कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार राज्य सरकार को शहरी आवास के लिए सीधे ही वित्तीय सहायता नहीं देती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

पासपोर्ट जारी करना

2949. श्री काशीराम राणा :

श्री राम कृपाल यादव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1992 और 30 मार्च, 1995 को पासपोर्ट कार्यालय वार पासपोर्ट हेतु कितने आवेदन लम्बित थे;

(ख) पुलिस सत्यापन पूरा होने के बाद विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट के लिए कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्टों के लिए आवेदकों की लगी भारी भीड़ की जानकारी है जिससे वहां पर कई लोग दलाली कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) 1 अप्रैल, 1992 और 30 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार बकाया पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पासपोर्ट कार्यालय-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पुलिस सत्यापन की प्राप्ति के बाद बकाया आवेदनों की संख्या का हिसाब नहीं रखा जाता है। क्योंकि प्रयास यह रहता है कि एक माह के बाद पासपोर्ट जारी कर दिए जाएं यहां तक कि उन मामलों में भी जिन में पुलिस सत्यापन प्राप्त नहीं हुआ हो। 23 पासपोर्ट कार्यालयों में से 17 पासपोर्ट कार्यालय आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर पासपोर्ट जारी कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) 1994 (जनवरी से दिसम्बर) में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में कुल 165317 आवेदन प्राप्त हुए थे। आवेदकों के अतिरिक्त दिल्ली स्थित पासपोर्ट कार्यालय में रोज बड़ी संख्या में आगन्तुक आते हैं। जहां तक दलालों का प्रश्न है क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली परिसर में उन्हें काम करने से रोकने का भरसक प्रयास किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किये जाते हैं कि लोगों को कोई अनुचित असुविधा न हो।

विवरण

1.4.92 और 30.3.95 की स्थिति के अनुसार पासपोर्ट कार्यालयों में बकाया पड़े आवेदनों की संख्या का तुलनात्मक विवरण।

क्र. सं०	कार्यालय	कुल बकाया आवेदन पत्र 1.4.92 की स्थिति के अनुसार	30.3.95 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	42330	17879
2.	बंगलौर	39942	20406
3.	बरेली	21530	3948
4.	भोपाल	4218	3484
5.	भुवनेश्वर	1293	1967
6.	बम्बई	79952	23531
7.	कलकत्ता	18696	13693
8.	चण्डीगढ़	71291	19671

1	2	3	4
9.	कोचीन	162721	7823
10.	दिल्ली	27378	17801
11.	गोवा	3957	1881
12.	गुवाहाटी	2230	2267
13.	हैदराबाद*	107128	16590
14.	जयपुर	81753	7855
15.	जालंधर	79540	36038
16.	कोजीकोड़	134166	20924
17.	लखनऊ	74605	8122
18.	मद्रास *	71585	11733
19.	नागपुर	1571	1108
20.	पटना	34415	4180
21.	त्रिची	113750	25645
22.	त्रिवेन्द्रम	33197	9646
23.	जम्मू		9923
		1207248	286115

पासपोर्ट कार्यालय, जम्मू 31/3/94 से कार्य कर रहा है।

* पासपोर्ट कार्यालय, हैदराबाद और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय मद्रास के आंकड़े 24/3/95 की स्थिति के अनुसार हैं।

अंतर्राज्यीय परिवहन योजनाएं

2950. श्री पी कुमारासामी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान दक्षिणी राज्यों में स्वीकृत की गयी अंतर्राज्यीय परिवहन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं में से प्रत्येक के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठान का विचार किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (घ) अन्तरराज्जीय प्रचालनों के लिए परिवहन स्कीमें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88, 99 और 100 के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा स्वयं तैयार की जाती हैं। तथापि, राज्य के स्वामित्व वाले परिवहन उपक्रमों द्वारा प्रचालित की जाने वाली किसी अंतर्राज्यीय परिवहन स्कीम के संबंध में केन्द्र सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है। वर्ष 1994-95 के दौरान ऐसी कोई स्कीम स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली में ट्राम-प्रणाली से ध्वनि प्रदूषण

2951. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रस्तावित द्रुतगति ट्राम प्रणाली से ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो सकती है जैसा कि ऐसी प्रणालियों से दूसरे देशों में हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) बैलास्टेड पटरियां और वाहन का डिजाइन जो ध्वनि प्रदुषण मे भूमिका निभा सकते हैं, पर परियोजना की तकनीकी संवीक्षा के समय ध्यान रखा जा रहा है। बैलास्ट रहित पटरियां जिनमें दो स्तरों पर रबड़ पैड लगाए गए हैं, एक रेल के नीचे और दूसरा कंकरीट में स्थिर कास्ट आयरन पैड के नीचे, जैसे कलकत्ता मैट्रों में लगाए गए हैं, का ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए तरजीह दी जा रही है।

मद्रास पत्तन पर व्यापार

2952. श्री चेतन पी. एस. चौहान : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन पर सुविधाओं में वृद्धि के कारण वहां व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां तो सुविधाओं में क्या वृद्धि हुई है तथा उस पर कितना व्यय हुआ है; और

(ग) व्यापार में मात्रा एवं मूल्य के दृष्टिकोण से कितनी वृद्धि हुई और इस वृद्धि का अनुपात क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ग) जी हां। वित्त वर्ष 1994-95 में मद्रास पत्तन पर 29.46 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया जबकि 1993-94 में 26.54 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया था। मंत्रालय में कार्गो के मूल्य संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते।

(घ) मद्रास पत्तन में यातायात की वृद्धि के लिए 1994-95 में निम्नलिखित मुख्य उपाय किए गए :–

(i) दो सामान्य कन्टेनर फीडर प्रचालकों के लिए दीर्घवाधिक बर्थ आरक्षण स्कीम चालू की गई।

(ii) स्वेज मैक्स, पानामैक्स और बड़े आकर के बल्क वाहकों की हैंडलिंग के लिए 90,000 रु० प्रति दिन की दर पर 10.11.94 से एक 30 टन का बोलार्ड पुल उच्च शक्ति जल ट्रैक्टर टग

ठेके के आधार पर भाड़े पर लिया गया।

(iii) दो 42 टन टाप लिफ्ट ट्रक, खाली कन्टेनरों की हैंडलिंग के लिए एक 10 टन का पारस्परिक ट्रक, छः कन्टेनर ट्रैक्टर हैड और छः कन्टेनर ट्रेलर 462.93 लाख रु० के संविदा मूल्य पर खरीदे गए।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

2953. **श्री खेलन राम जांगडे :**

श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

श्री एन. जे. राठवा :

श्री काशीराम राणा :

श्री महेश कनोडिया :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लंबित परियोजनाओं के राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार नाम क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कितनी धनराशि नियत की गयी/नियत किये जाने का विचार है; और

(घ) कार्य को पूरा करने के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की गयी है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए राज्यवार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार प्रस्तावों और दिनांक 1.4.95 की स्थिति के अनुसार लम्बित प्रस्तावों को दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़े करने सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 1995-96 के बजट प्राक्कलनों में 737.89 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है।

(घ) अलग-अलग निर्माण कार्यों को पूरा करने की समय तालिका संस्वीकृति के समय तैयार की जाती है।

विवरण

आठवीं योजना में राज्य-वार और राष्ट्रीय राजमार्ग-वार प्रावधान तथा 1.4.95 की स्थिति के अनुसार रा.रा. को चौड़ा करने से संबंधित लंबित प्रस्ताव

(लम्बाई कि.मी. में)

क्र. सं.	राज्य	चौड़ा करके 4/6 लेन बनाना			चौड़ा करके 2 लेन बनाना		
		8वीं योजना में किया गया प्रावधान (लम्बाई कि. मी. में)	1.4.95 की स्थिति के अनुसार लंबित: लम्बाई	रा. रा. सं.	8वीं योजना में किया गया प्रावधान	14.95 की स्थिति के अनुसार लंबित: लम्बाई	रा. रा. सं.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	87	87	5,7 व 9	30	4	16
2.	असम	10	10	37	55	55	31 बी 36, 39
3.	बिहार	43	43	2	80	70	23,32
4.	चन्डीगढ़	-	-	-	-	-	-
5.	दिल्ली	26	26	1, 2, 8 और 24	-	-	-
6.	गोवा	-	-	-	42	41	4 ए 17

7.	गुजरात	78	46	8,8 सी	-	-	-
8.	हरियाणा	124	124	2,8 और 10	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	175	164	20,21 और 22
10.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	-	-	-
11.	कर्नाटक	65	65	4	204	92	14,4 ए
12.	केरल	-	-	-	112	112	17,47 और 49
13.	मध्य प्रदेश	27	27	6	220	191	12,16 25 और 26
14.	महाराष्ट्र	57	57	4,8	40	40	17
15.	मणिपुर	-	-	-	41	40	39
16.	मेघालय	-	-	-	-	-	-
17.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-
18.	उड़ीसा	-	-	-	100	54	6,23 व 42
19.	पांडिचेरी	-	-	-	-	-	-
20.	पंजाब	-	-	-	-	-	-
21.	राजस्थान	55	55	8	88	68	11ए 12 और 14
1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	8	8	7	65	63	49
23.	उत्तर प्रदेश	35	35	2 और 24	-	-	-
24.	पश्चिम बंगाल	42	42	2	75	75	31सी 32 34, 35 और 55

डी.टी.सी. बसों की मरम्मत

2954. डा. रामकृष्ण कुसमारिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की अधिकांश बसें खराब हैं;

(ख) डी.टी.सी. के बेड़े में कितनी बसें हैं और आज की तिथि में उनमें से कितनी खराब हैं;

(ग) दिल्ली के अंदर और अंतर्राज्यीय मार्गों पर चल रही बसों की क्रमशः संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार खराब पड़ी बसों की मरम्मत करने का है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी नहीं।

(ख) 16.4.95 की स्थिति के अनुसार दि०प०नि० के बेड़े में 3480 बसें थी जिनमें 1166 बसें टायरों एवं कल-पुर्जो की कमी के कारण रुकी पड़ी थी तथा 348 बसें सामान्य मरम्मत और रख-रखाव कार्यों के लिए प्रचालन से बाहर थीं।

(ग) 16.4.95 की स्थिति के अनुसार 1205 बसें नगर मार्गों पर और 761 बसें अर्न्तराज्यीय मार्गों पर प्रचालन रत थीं।

(घ) और (ड.) बसों की आवश्यक मरम्मत और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य निधियों की उपलब्धता के अंतर्गत चरणबद्ध रूप में किया जाता है।

[अनुवाद]

भारत-चीन के विशेषज्ञ दल की बैठक

2955. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–चीन विशेषज्ञ दल की सीमा मामले के संबंध में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निर्धारण हेतु कई बैठकें हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बैठकों के परिणाम स्वरूप अब तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग) भारत–चीन विशेषज्ञ दल, जिसका गठन भारत–चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शांति एवं अमन बनाए रखने से संबंधित करार के क्रियान्वयन में भारत–चीन संयुक्त कार्य–दल की सहायता करने के लिए किया गया है, की अब तक तीन बैठकें हुई हैं – पहली 2-4 फरवरी, 1994 तक नई दिल्ली में, दूसरी 21-22 अप्रैल, 1994 की बीजिंग में और तीसरी 2-4 मार्च, 1995 तक नई दिल्ली में।

2. विशेषज्ञ दल को सौंपे गए कार्य में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का स्पष्टीकरण, भारत–चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप सैन्य बलों में कटौती, विश्वास–निर्माण के अन्य उपाय और सत्यापन के तरीके शामिल हैं।

3. विशेष दल की दूसरी बैठक में दोनों पक्षों में विशेषज्ञ दल के कार्य विनियमों के बारे में सहमति हुई जिसमें विशेषज्ञ दल के कार्य, भावी कार्य और तौर तरीके बताए गए हैं।

4. विशेषज्ञ दल की तीसरी बैठक में दोनों पक्षों में इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि भारत–चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के समीप स्थिति शांतिपूर्ण है। विश्वास बनाने के अतिरिक्त उपायों पर अपना विचार–विमर्श जारी रखते हुए उन्होंने सैन्य अभ्यासों की पूर्व सूचना देने और विमानों की घुसपैठ की रोकथाम के संबंध में मसौदों पर विचारों का लाभप्रद आदान–प्रदान किया। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि दोनों देशों के सीमा कार्मिकों के बीच बैठक के लिए अतिरिक्त नामोदिष्ट स्थल सिक्किम में नाथू ला में और एक स्थल, जिस पर सहमति होनी है, भारत–चीन सीमा क्षेत्रों के मध्य क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे।

5. विशेषज्ञ दल में विचार–विमर्श सुचारू रूप से चल रहा है। जिसमें दोनों पक्षों एक सकारात्मक और उत्सुकतापूर्ण दृष्टिकोण अपना रहे हैं। विशेषज्ञ दल की आगामी बैठक 1995 में किसी परस्पर सुविधाजनक तारीख को बीजिंग में होगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2956. श्री बीर सिंह महतो : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 और आठवीं योजनावधि के दौरान बिहार और पश्चिम बंगाल सरकारों ने इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई या की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) वर्ष 1994-95 तथा आठवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की संख्या इस प्रकार है :

	1994-95		आठवीं योजना	
	संख्या	लागत (करोड़ रु०)	संख्या	लागत (करोड़ रु०)
पश्चिमी बंगाल	44	30.54	108	312.68
बिहार	64	22.10	133	188.40

(ख) 1995-96 के दौरान स्वीकृत की गई/स्वीकृत की जा रही परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

	संख्या	लागत (करोड़ रु०)
पश्चिम बंगाल	83	258.48
बिहार	111	160.44

निधियां राज्य वार आवंटित की जाती हैं न कि कार्यवार।

[अनुवाद]

पेप्सीको इनकोर्पोरेटिड की संपत्तियां

2957. श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सीको इनकोर्पोरेटिड ने देश में अपनी इकाइयां स्थापित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या है;

(ग) पेप्सीको इनकोर्पोरेटिड ने देश में 1 जनवरी, 1994 और 30 जून, 1994 के बीच कितनी धनराशि भेजी; और

(घ) देश में इस प्रकार भेजी गई धनराशि के पेप्सीको इनकोर्पोरेटिड द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों के संबंध में किए गए विनियोग का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई):

(क) मैं पेप्सी इनकोर्पोरेटिड ने भारत में अपनी मैं. पेप्सीको इंडिया इकाई की स्थापन की है।

(ख) मैं. पेप्सीको इंडिया इकाई के उद्देश्य संलग्न विवरण में दिए

गये हैं।

(ग) और (घ) कंपनी से प्राप्त सूचना के अनुसार मैं. पेप्सीको इनकोर्पोरेटिड/उसकी सहायक कंपनियों द्वारा 1.1.94 से 30.6.94 के बीच पेप्सीको इंडिया इकाई को भेजी गई धनराशि 75 मिलियन अमरीकी डालर है जिसे निम्नलिखित कार्यकलापों पर इस्तेमाल किया गया है:

(1) पेय कारोबार--मैन्युफैक्चरिंग, विपणन तथा वितरण में निवेश;

(2) सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश;

(3) प्रौद्योगिकी के उन्नयन में निवेश।

विवरण

पेप्सीको इंडिया इकाई की स्थापना के मूल उद्देश्य/कार्यकलाप के क्षेत्र

(क) नई निर्यात परियोजनाओं को बढ़ावा देना;

(ख) निर्यात संबंधी कार्यकलापों में नये संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देना;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश ;

(घ) पेप्सीको इनकोर्पोरेटिड की किसी कम्पनी द्वारा भारत में किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज में निवेश;

(ङ) पेय कारोबार --मैन्युफैक्चरिंग, विपणन तथा वितरण में निवेश;

(च) सूचना प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय सेवाओं में निवेश;

(छ) प्रौद्योगिकी के उन्नयन में निवेश।

असम और मेघालय में "हुडको" द्वारा आवास एजेंसियों को ऋण

2958. श्री पीटर जी. मरबनिआंग :

श्री प्रवीण डेका :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हुडको" द्वारा असम और मेघालय में विभिन्न आवास एजेंसियों को दी जाने वाली ऋण राशि में हर वर्ष कमी आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) "हुडको" द्वारा असम और मेघालय में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई और दी गई है;

(घ) क्या "हुडको" का असम और मेघालय के लिए ऋण राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (ग) हुडको द्वारा असम और मेघालय की आवास परियोजनाओं के लिए किया गया ऋण नियतन, इन राज्यों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत वास्तविक ऋण तथा रिलीज किया गया ऋण इस प्रकार है :

असम

वर्ष	ऋण नियतन	स्वीकृत वास्तविक ऋण	रिलीज किया गया ऋण
	(रुपये करोड़ में)		
1992-93	11.83	14.60	3.18
1993-94	17.97	8.31	7.60
1994-95	20.19	23.74	13.73

मेघालय

वर्ष	ऋण नियतन	स्वीकृत वास्तविक ऋण	रिलीज किया गया ऋण
	(रुपये करोड़ में)		
1992-93	1.47	2.14	1.51
1993-94	2.48	5.09	8.53
1994-95	2.80	13.48	0.58

हुडको द्वारा असम और मेघालय राज्य को ऋण स्वीकृत और रिलीज में वर्ष 1994-95 के दौरान मेघालय राज्य को वास्तविक रिलीज में हुई कमी को छोड़कर कोई कमी नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) हुडको प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक राज्य के लिए क्षेत्र तथा आबादी के आधार पर निधियों का नियतन करता है और इसकी जानकारी प्रत्येक राज्य को देता है। हुडको के पास आवास परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए उपलब्ध कुल निधियों का 5% पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) के लिए आरक्षित होता है। तथापि, राज्यों को ऋण स्वीकृति उधार लेने वाली एजेंसियों द्वारा अंतिम रूप दी गई (अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार) तथा हुडको को प्रस्तुत की गई स्कीमों और हुडको के पास उपलब्ध निधियों पर निर्भर करती है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर पथांतरण

2959. श्री प्रवीण डेका : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 52 पर मंगलडोई के पास पथांतरण (डाइवर्जन) बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर):

(क) और (ख) मंगलदोई कस्बे के पास रा०रा० 52 पर लगभग 10 कि. मी. लंबे एक बाईपास के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है। बाईपास के संरेखण का अनुमोदन कर दिया गया है और वर्ष 1995-96 की वार्षिक योजना में भूमि अधिग्रहण का प्रावधान किया गया है।

(ग) उक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चिकारीगुंटा स्वर्ण खानें

2960. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में चिकारीगुंटा खानों (कुप्पम तालुक) में स्वर्ण खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन खानों से स्वर्ण कब से निकाला जा रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन खानों में स्वर्ण का अब तक कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) 1990-91 से लगातार खनन करके चिगारगुंटा खान से स्वर्ण निकाला जा रहा है।

(ग) वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक चिगारगुंटा खान से कुल 453.28 किलोग्राम स्वर्ण का उत्पादन किया गया है।

चीन को रूसी राकेटों की बिक्री

2961. डा. वसंत पवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रूस द्वारा चीन को राकेट मोटरों की बिक्री के संबंध में हाल के प्रेस रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) रूस द्वारा चीन को राकेट मोटरें बेचने के बारे में चीन तथा रूस के बीच बातचीत से संबंधित खबरें सरकार ने देखी हैं। इस बातचीत की वर्तमान स्थिति के बारे में ठीक–ठीक ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार उन सभी घटनाओं की बराबर समीक्षा करती है जिनका भारत की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए समुचित उपाय करती है।

मूल औषध आधारित नाम वाली दवायें

2962. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मूल औषध आधारित नाम वाली दवाओं की कीमतें ब्रांड नाम वाली दवाओं से अधिक है;

(ख) क्या कुछ घरेलू तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां दवाओं का नामकरण ब्रांड नामों के बजाए मूल औषध नामों के आधार पर कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो ये कंपनियां कौन–कौन सी हैं तथा मूल औषध नामों के आधार पर नामकरण की गई दवाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाएंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (घ) किसी भेषज कंपनी द्वारा जेनेरिक या ब्रांड नाम के अंतर्गत सूत्रयोगों का विपणन उत्पाद या उत्पादों के संबंध में समय--समय पर कंपनी द्वारा अपनाई गयी विपणन नीति पर निर्भर करता है। डी पी सी ओ, 1995 के अंतर्गत, मूल्या नियंत्रित औषधों पर आधारित और जेनेरिक नाम के अंतर्गत बेचे जाने वाले एकल संघटक सूत्रयोगों को जेनेरिक नाम के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मूल्य नियंत्रण से छूट प्राप्त है। तथापि, यह छूट ऐसे सूत्रयोग पैकों को उपलब्ध नहीं है जिनके अधिकतम मूल्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।

[हिन्दी]

गृह निर्माण परियोजना को वित्तीय सहायता देने की योजनाएं

2963. श्री हरीश नारायण झांट्ये : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गृह निर्माण परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य सरकारों के परियोजना वार स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकारों में अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गृह निर्माण नीति में व्यापक परिवर्तन करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) अर्ध--शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई गृह निर्माण नीति

तैयार करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन):

(क) छोटे कस्बों सहित शहरी क्षेत्रों में केन्द्रीय वित्तीय सहायता से निम्नलिखित आवास स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :

(i) नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत आश्रय सुधार

इस स्कीम में केन्द्र और राज्य सरकार की 60 : 40 के अनुपात में 1000/- (मात्र एक हजार) रुपये की सब्सिडी और प्रति इकाई 9950/- रुपये के हुडको ऋण की परिकल्पना है।

(ii) शहरी पटरीवासियों के लिए रैन बसेरे और सफाई सुविधाएं

इस स्कीम में रैन बसेरे के निर्माण हेतु प्रति लाभार्थी केन्द्र सरकार की 1000/- रुपये की सब्सिडी और 4000/- रुपये (चार हजार रुपये) तक हुडको ऋण तथा भुगतान करो प्रयोग करो शौचालयों के लिए प्रति व्यक्ति 350/- रुपये की परिकल्पना।

ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित केन्द्रीय सहायता प्राप्त आवास स्कीमें चल रही हैं :

(i) **इन्दिरा आवास योजना** : नेहरू रोजगार योजना के एक भाग के रूप में इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निर्धन ग्रामीणों, मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर और गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य व्यक्तियों को मुफ्त रिहायशी इकाइयां मुहैया कराना है।

(ii) **ग्रामीण आवास स्कीम** : सरकार ने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम के एक भाग के रूप में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए 1993-94 में एक ग्रामीण आवास स्कीम प्रारंभ की है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गयी निधियों और इनमें से प्रत्येक स्कीम के अंतर्गत प्राप्त संचित उपलब्धि के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम सं. स्कीम का नाम	आवंटित/रिलीज की गयी धनराशि (लाख रुपये में) 91-92	92-93	93-94	प्राप्त उपलब्धि (31.3.94 तक सीमित)
1. एन आर आई के अंतर्गत आश्रय सुधार	1088	1064	1045	3.12 लाख रिहायशी एकक (88-89 से)
2. पटरीवासियों के लिए रैन बसेरा स्कीम	-	100	-	लगभग 19000 लाभ (1990-91 से)
3. इन्दिरा आवास योजना	15739	22396	31812	7.60 लाख (1991-92)
4. ग्रामीण आवास स्कीम	-	-	1100	राज्य सरकारों से प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राष्ट्रीय आवास नीति ने अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल किए गये हैं।

[अनुवाद]

सड़क क्षेत्र में विदेशी निवेश

2964. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है और क्या विदेशी निवेशकों ने ऐसे निवेश में कोई रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा विदेशी निवेश स्थानीय पूंजी के सहयोग से किया जायेगा और क्या विदेशी निवेशकों को ऐसी परियोजनाओं में 50 प्रतिशत से अधिक इक्विटी भागेदारी करने की अनुमति दी जाएगी;

(ग) क्या ऐसी सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयोगकर्त्ताओं को पथकर देना होगा;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पथकर निर्धारण करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी होगा;

(ङ) क्या ऐसा पथकर भुगतान बेमियादी होगा अथवा परियोजना मंजूरी से सीमित समय के लिए होगा; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी हां।

(ख) से (च) सड़कों/पुलों के निर्माण में विदेशी निवेशकों सहित निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए सरकार का इरादा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को संशोधित करने का है। उद्यमी अपने संसाधनों से सुविधा का निर्माण, रख-रखाव और प्रचालन करेगा तथा उसके निवेश के बदले उसे प्रयोक्ता से एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए शुल्क वसूल करने की अनुमति दी जाएगी। विदेशी निवेश से संबंधित रूप रेखाओं और चुंगी के नियतन का निर्णय, विधान पारित होने तथा निजीकरण की नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद किया जाएगा।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना

2965. श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों हेतु पेंशन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है और फिलहाल यह बता पाना सम्भव नहीं है कि यह स्कीम कब कार्यान्वित की जाएगी। तथापि, इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

आन्ध्र प्रदेश में सड़क परियोजनाएं

2966. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश की कितनी परियोजनाएं लम्बित हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लंबित हैं; और

(ग) इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) रा. रा. 5 पर चिल्कालुरीपेट से विजयवाड़ा तक एक विदेशी सहायता प्राप्त सड़क परियोजना जुलाई, 1994 में प्राप्त हुई थी। चूंकि परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने के लिए पर्यावरणीय एवं अन्य स्वीकृतियां भी अपेक्षित हैं इसलिए अभी तक यह बता पाना संभव नहीं है कि इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी।

खनन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

2967. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1994 के प्रथम सप्ताह के दौरान कलकत्ता में "इंटरनेशनल कमेटी आफ द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस" द्वारा "माइनिंग इन द चेंजिंग वर्ल्ड" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने कार्यशाला में खनन विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के प्रभाव एवं व्यवहार्यता संबंधी जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ङ) जी, हां। विश्व खनन कांग्रेस की इंडियन नेशनल कमेटी ने, इन्सटीट्यूट ऑफ इंजिनियर्स (भारत) के प्लेटीनम जुबली समारोहों के एक भाग के रूप में 2 और 3 दिसम्बर, 1994 को बदलते विश्व में खनन विषय पर, कलकत्ता मे, एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। तथापि, उपरोक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशें अभी खान मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई हैं।

इलाहाबाद में यमुना पर पुल

2968. श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

श्री रामपूजन पटेल :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इलाहाबाद जिले में नैनी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या--27 पर यमुना नदी पर पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव कब से विचाराधीन है;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही/ औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इन औपचारिकताओं को पूरा कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस पुल के संबंध में प्राक्कलन एम.ओ.एस.टी. को प्रस्तुत कर दिए गए हैं और क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में 1991-9 की वार्षिक योजना में आवश्यक प्रावधान कर लिया गया है;

(च) यदि हां, तो एम.ओ.एस.टी. द्वारा इस पुल के निर्माण हेतु वित्त सहायता मंजूर करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(छ) इस पुल का निर्माण कब से शुरू होगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर (क) इस प्रस्ताव के लिए 1991 में अनुमान प्राप्त हुआ था।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकांश औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

(ङ) और (च) ओ. ई. सी. एफ. जापान के साथ जनवरी, 1994 हस्ताक्षरित ऋण समझौते की प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी होने के ब वित्तीय संस्वीकृति जारी कर दी गई है।

(छ) इस कार्य हेतु 1996 में निविदा जारी किए जाने की संभाव है।

सीमा सड़क संगठन द्वारा शुरू किए गये विकास कार्य

2969. श्री उद्धव बर्मन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह ब की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सडक संगठन ने भूटान में नामथांग को जो

के लिए कोठा अली से पाठशाला रेलवे स्टेशन (असम) तक विकास कार्य शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

"ट्रांस -नेशनल पावर प्रोजेक्ट"

2970. डा० आर. मल्लू : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1995 के "इकोनोमिक टाइम्स" में "ट्रांस नेशनल पावर एक्सचेंज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समाचार पर और विद्युत संयंत्रों को अधिक से अधिक जगहों पर स्थापित करने और उत्पादित विद्युत को एक साथ मिलाने तथा पर्यावरण--कुप्रभाव का कम करना सुनिश्चित करने हेतु एशिया प्रशांत देशों के बीच परस्पर विद्युत विनिमय करने के लिए एशिया प्रशांत संबंधी आर्थिक उप--समिति (ई. एल. सी. ए. पी.) द्वारा दिए गए सुझाव की व्यावहारिकता पर क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युत मंत्रालय को एशिया प्रशांत देशों के बीच विद्युत के देश पारीय विनिमय के बारे में अध्ययन से संबंधित एशिया प्रशांत संबंधी आर्थिक उप समिति (ई. एस. सी. ए. पी.)/यू. एन. डी. पी. से कोई औपचारिक प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। इस संबंध में जब कभी औपचारिक अनुरोध प्राप्त होगा तब सरकार द्वारा सुझाव की व्यवहारिकता की जांच की जाएगी। तथापि, भारत ने भूटान एवं नेपाल के साथ विद्युत के विनिमय के लिए पहले ही द्विपक्षीय व्यवस्था कर रखी है।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र में निजी कंपनियां

2971. श्री एन. जे. राठवा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संयुक्त विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु मार्च, 1995 तक निजी कंपनियों से प्राप्त आवेदनों की संख्या क्या है तथा इन कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) कितनी विदेशी तथा कितनी भारतीय कंपनियों ने इस प्रयोजनार्थ आवेदन किया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) निजी क्षेत्र में (बोली के अंतर्गत सहित) स्थापित की जाने वाली, प्रवर्तकों के नामों सहित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार इन परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा करती है और प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में आने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हो, को दूर करने में सहायता करती है।

विवरण

निजी क्षेत्र कंपनियों द्वारा व्यक्त की गई रुचि का ब्यौरा (20.4.95 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	प्रकार	कंपनी का नाम
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	भूपालापाल्ली	120 मे.वा.	कोयला	लेविस स्टेन्ली एसोसिएट्स इन्क.
2.	कुड्डापाह	420 मे.वा.	कोयला	लेविस स्टेन्ली एसोसिएट्स इन्क.
3.	ईस्ट गोदावरी	100 मे.वा.	फुरनासियोल	रायलसीमा पैट्रो केमिकल्स लि.
4.	गोदावरी	208 मे.वा.	गैस/नैफ्था	स्पैक्ट्रम टैक्नी. यूएसए/जया फूड्स एंड एनटीपीसी
5.	गोपालपाल्ली	250 मे.वा.	कोयला	ओरियंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज
6.	हैदराबाद	200 मे.वा.	फुरनासियोल	बालाजी होटल एंड इन्टरप्राइजेज लि.
7.	हैदराबाद	200 मे.वा.	एलएसएचएस	जीएमआर वासावी इण्डस्ट्रीज लि.
8.	हैदराबाद	700 मे.वा.	सी./एन. डी/गैस	मै. आर पी जी इण्डस्ट्रीज लि.

1	2	3	4	5
9.	हैदराबाद	200 मे.वा.	फुरनासियोल	बालाजी डिस्ट्रीलरीज लि.
10.	हैदराबाद	200 मे.वा.	फुरनास्यिोल	बालाजी बायोटैक लि.
11.	जैगुरूपाडु जीबीपीपी	235 मे.वा.	गैस/नैफ्था	जीवीके इण्डस्ट्रीज लि. यूएसए
12.	काकीनाडा	660 मे.वा.	नैफ्था	मैं. कुमार्स पावर
13.	काकीनाडा	250 मे.वा.	सी/एन डी/गैस	मैं. एडवांस्ड रेडियो मास्टर्स
14.	काकीनाडापोर्ट	1000 मे.वा.	कोयला	मैं. हाडोसम पीटी वाई लि.
15.	कलिंगापट्टनम टीपी एस	1x250 मे.वा.	कोयला	बोली के अधीन
16.	कलिंगापट्टनम	120 मे.वा.	कोयला	मैं. कृष्णा गोदावरी बेसिन पावर यूटिलिटीज लि.
17.	करीमनगर	120 मे.वा. .	कोयला	लेविस स्टेन्ली एसोसिएट्स इन्क.
18.	कृष्णापट्टनम टी पी एस	2x500 मे.वा.	कोयला	जी वी के इंडस्ट्रीज लि. एंड बेसोकोर्प इन्ट. पावर
19.	माचिलीपट्टनम	500 मे.वा.	सी/एल.डी/ गैस	अनाग्राम फाईनेंसिज लि.
20.	मानुगुरू	1000 मे.वा.	कोयला	सांघी ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज
21.	मानुगुरू	500 मे.वा.	एलएसएचएस	श्री शिवा पावर लि.
22.	नैल्लौर	530 मे.वा.	कोयला	जीएसएक्स इन्टरनेशनल ग्रुप इन्क होउस्टेन यूएसए
23.	निजामाबाद	200 मे.वा.	कोयला	मैं. रिचिमैन सिल्कस लि.
24.	रामागुण्डम	500 मे.वा.	सी.एन.डी. गैस	मैं. एडवांस्ड रेडियो मॅास्ट्स
25.	रामागुण्डम	2x250 मे.वा.	कोयला	बी पी एल ग्रुप
26.	रानीगुंटा	200 मे.वा.	फुरनेसओयल	बालाजी इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.
27.	सिम्हाद्री	1000 मे.वा.	कोयला	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि.
28.	ट्विन गिट्टीज	250 मे.वा.	कोयला	मैं. रिचिमैन सिल्क्स लि.
29.	विशाखांपट्टनम	650 मे.वा.	नैपथा/गैस	इस्सार इन्वेस्टमेंट्स लि.
30.	विशाखापट्टनम	500 मे.वा.	कोयला	श्री शिवा प्रिया पावर लि.
31.	विशाखापट्टनम	500 मे.वा.	सी/एन.डी/गैस	मैं. एमर्ट्रिक्स एप्लायंसेंज
32.	विशाखापट्टनम टीपीएस	2x250 मे.वा.	कोयला	अशोक लीलैण्ड एंड नेशनल पावर यू.के
33.	विजियानगरम	220 मे.वा.	नैफ्था	पान पावर कारपोरेशन
34.	वाडापल्ली	120 मे.वा.	कोयला	मैं. कृष्णा गोदावरी बेसिन पावर यूटीलिटीज लि.
जोड :	34	14403.00		
अरूणाचल प्रदेश				
35.	कामेंग एचई पी	600 मे.वा.	हाइडल	इन्टर कोर्प इण्डस्ट्रीज लि./स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग, लि.
36.	खारसांग जीबीपीपी	48 मे.वा.	गैस	इन्टर कोर्प/स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग, आस्ट्रेलिया
जोड :	2	648.00		
असम				
37.	आदमटिल्ला ओपन साइकल	15 मे.वा.	गैस	डीएलएफ पावर कंपनी लि.
38.	अमगुरी जीबीपीपी	280 मे.वा.	गैस	असम पावर पार्टनर्स, नार्दन इंजीनियरिंग इन्क/यूएसए आगरा इण्डस्ट्रीज

1	2	3	4	5
39.	बाशकाण्डी ओपन साइकल	22.50 मे.वा.	गैस	डी एल एफ पावर कंपनी लि.
40.	कारबी लांग्पी एचईपी	2x250 मे.वा.	हाइडल	मैं. भारत हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि.
41.	नामरूप टीपीएस विस्तार	90 मे.वा.		मैं. विलियमसन मागौर
जोड़ :	5	507.50		
42.	चान्दिल टीपीएस	2x250 मे.वा.	कोयला	आरपीजी इन्टरप्राइजेज
43.	जोजोबेरा	3x67.5 मे.वा.	कोयला	टाटा इलेक्ट्रीक/मिशन एनर्जी
जोड़ :	2	702.50		
दिल्ली				
44.	बवाना जीबीपीपी	800 मे.वा.	गैस	बोली के अधीन
जोड़ :	1	800.00		
गुजरात				
45.	कोस्टल टीपीएस	1x1000 मे.वा.	कोयला	बोली के अधीन
46.	घोघा	1x250 मे.वा.	लिग्नाइट	बोली के अधीन
47.	जीआईपीसीएल विस्तार पावर प्रोजेक्ट्स	145 मे.वा.	गैस	गुजरात इण्डस्ट्रीज पावर कंपनी लि.
48.	हजिरा सीसीपीपी	1x515 मे.वा.	गैस	मैं. इस्सार ग्रुप
49.	जामनगर	2x250 मे.वा.	पैट–कोक	रिलायंस पावर लि.
50.	मंगरौल टीपीएस	250 मे.वा.	लिग्नाइट	गुजरात इण्डस्ट्रीज पावर कंपनी लि. बरोदा
51.	पागुधान जीबीपीपी	655 मे.वा.	गैस	गुजरात टोर्रेंट एनर्जी कारर्पोरेशन लि./सिमेंस जर्मन
52.	पिपावाव	1x615 मे.वा.	गैस	बोली के अधीन
जोड़ :	8	3930.00		
हरियाणा				
53.	अम्बाला	75 मे.वा.	डिजल	बोली के अधीन
54.	फरीदाबाद	75 मे.वा.	डिजल	बोली के अधीन
55.	गुड़गांव	75 मे.वा.	डिजल	बोली के अधीन
56.	हिसार टीपीएस	2x250 मे.वा.	कोयला	बोली के अधीन
57.	कुण्डली	75 मे.वा.	डिजल	बोली के अधीन
58.	महेन्द्रगढ़	75 मे.वा.	डिजल	बोली के अधीन
59.	यमुना नगर टीपीएस	2x300 मे.वा.	कोयला	आइजुबर्ग ग्रुप ऑफ कं : इजरायल
जोड़ :	7	1575.00		
हिमाचल प्रदेश				
60.	आल्लियन–दुहांगन	192 मे.वा.	हाइडल	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वेविंग मिल्स लि.
61.	बास्पा	300 मे.वा.	हाइडल	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
62.	धामवारी एचईपी	70 मे.वा.	हाइडल	हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी यूएसए
63.	हिब्रा एचईपी	231 मे.वा.	हाइडल	हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी यूएसए

1	2	3	4	5
64.	करचम वांग्टू	900 मे.वा.	हाइडल	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
65.	मलाना एचईपी	86 मे.वा.	हाइडल	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वेविंग मिल्स लि.
66.	नियोगल एचईपी	12 मे.वा.	हाइडल	ओम पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली
67.	उहल 3 एचईपी	2x50 मे.वा.	हाइडल	बाल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि. दिल्ली
जोड़ :	8	1891.00		
कर्नाटक				
68.	अलमाट्टी डैम	600 मे.वा.	हाइडल	एशिया पावर कंपनी लि. (टापको) यूएसए, केपीसी
69.	बेल्लारी होस्पेट	2x150 मे.वा.	डीजल	जिन्दल ट्रेक्टेबल पावर कम्पनी लि.
70.	बिदर	20 मे.वा.	डीजल	एचएमजी पावर लि.
71.	बिजापुर	150 मे.वा.	डीजल	केई एपर्जी
72.	चुनचानकेट्टी	15 मे.वा.	हाइडल	मै. ग्रेफाइट इंडिया लि.
73.	देवांगोन्था	76 मे.वा.	डीजल	इण्डिपेंडेंट पावर सर्विसिज कारपोरेशन
74.	हेमावती एलबीसी	15 मे.वा.	हाइडल	दि सान्धुर मैगनीज एण्ड इरान ओरिया लि.
75.	हूडी	40 मे.वा.	डीजल	खीडे इंडिया लि.
76.	होस्पैट टीपीएस	2x250 मे.वा.	कोयला	होले इन्टर कोंटिनेंटल लि. यूएसए
77.	इण्डी	20 मे.वा.	डीजल	एचएमजी पावर लि.
78.	जाम खाण्डी	20 मे.वा.	डीजल	एचएमएच पावर लि.
79.	जेबीटीसी कंपनी	2x120 मे.वा.	गैस/कोयला	जिन्दल ग्रुप/ट्रेक्टेबल बेजियम
80.	वाहिनी डीपीएच	20 मे.वा.	हाइडल	मैं. सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग लि.
81.	कीर्ति होस	21 मे.वा.	हाइडल	मैं. सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग लि.
82.	कोलार	20 मे.वा.	डीजल	एचएमजी पावर लि.
83.	कोप्पाल	50 मे.वा.	डीजल	मैं. किर्लोस्कर आयल इंडियन लि.
84.	कुमारधारा	48 मे.वा.	हाइडल	मैं. भोरूका पावर कारपोरेशन लि.
85.	मंगलौर टीपीएस	4x250 मे.वा.	कोयला	कागेट्रिक्स इन्क यूएसए
86.	मंगलौर टीपीएस	3x120 मे.वा.	कोयला	जयप्रकाश इंजीनियरिंग एंड स्टील कम. लि.
87.	नागार्जुन	2x500 मे.वा.	कोयला	जैस्को (नागार्जुन ग्रुप)
88.	पीन्या	50 मे.वा.	डीजल	मैं. सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग लि.
89.	रायपुर चरण 5 एवं 6	2x250 मे.वा.	कोयला	पब्लिक पावर इन्ट. इन्क (नार्थ ईस्ट एनर्जी) यूएसए
90.	थुबिनाकेरे	130 मे.वा.	डीजल	इण्डिया पावर पार्टनर्स
91.	टुमकार	50 मे.वा.	डीजल	मैं. सुभाष प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग लि.
92.	टुंगा एनीकट	20 मे.वा.	हाइडल	मैं. डाण्डेली स्टील एंड पैररो एल लायलस लि.
93.	वाराडी आईडीपीएच	15 मे.वा.	हाइडल	मैं. भोरूका पावर कारपोरेशन लि.
94.	वाराही टेल रेस	15 मे.वा.	हाइडल	मैं सान्धुर मैगनीज एंड आयरन ओरिया लि.
95.	व्हाइट फिल्ड	200 मे.वा.	डीजल	कर्नाटक बरेवरीज एण्ड डिटिल्लरीज
जोड़ :	28	5495.00		

1	2	3	4	5
96.	अनावाचायाम एचईपी	8 मे.वा.	हाइडल	आइडियल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसिज (पी) लि.
97.	बारापोर एचईपी	9 मे.वा.	हाइडल	आइडियल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसिज (पी) लि.
98.	बूधाथानकेट्टू	16 मे.वा.	हाइडल	सिलकाल मैटलर्जिक (प्रा.) लि.
99.	चाथांकोटटुनाडा -2	7 मे.वा.	हाइडल	आइडियल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसिज (पी) लि.
100.	चेम्बूक्कादावु -2	7 मे.वा.	हाइडल	आइडियल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसिज (पी) लि.
101.	कारिक्कयाम एचई पी	12 मे.वा.	हाइडल	ट्रावान्कोल इलैक्ट्रिक कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि.
102.	कुथुंगल एचईपी	20 मे.वा.	हाइडल	इण्डसिल इलैक्टोसाईट्ल लि.
103.	पालचुराम एचईपी	3.50 मे.वा.	हाइडल	आइडियल प्रोजेक्ट्स एण्ड सर्विसिज (पी) लि.
104.	थिंक्कारीपुर टीपीपी	2x210 मे.वा.	कोयला	बीपीएल ग्रुप
105.	उल्लुंकाल एचईपी	6 मे.वा.	हाइडल	ट्रावानोल इलैक्ट्रिक केमिकल इण्डस्ट्रीज लि.
106.	विलांगाद एचईपी	7 मे.वा.	हाइडल	आइडियल प्रोजेक्ट्स एण्ड सर्विसिज (पी) लि.
107.	वैस्टर्न काल्लार एचईपी	5 मे.वा.	हाइडल	आइडियल प्रोजेक्ट्स एण्ड सर्विसिज (पी) लि.
जोड़ :	12	520.50		
महाराष्ट्र				
108.	भद्रावती टीपीएस	2x536 मे.वा.	कोयला	इस्पात अल्लॉयस लि./ईसीजीडी, यूके/ईडीएफ फ्रांस
109.	भिवपुरी सीसीजीटी	1x450 मे.वा.	गैस	मैं. टाटा इलैक्ट्रिक कंपनीज, बम्बई
110.	भिवपुरी पीएसए	1x90 मे.वा.	हाइडल	टाटा इलैक्ट्रिक कंपनी
111.	दाभोल सीसीजीटी (एलएनजी)	2015 मे.वा. (695 पीएच)	एलएनजी	एन्रॉन डेवलपमेंट कारपोरेशन, जी ई एंड बैचटेल यूएसए
112.	खापरखेड़ा टीपीएस यू 5 व 6	2x210 मे.वा.	कोयला	एरान्को लाइन शिपिंग कम्पनी, माल्टा/सिंगापुर
113.	खापरखेड़ा यूनिट 3 व 4	2x250 मे.वा.	कोयला	मैं. बैल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि.
114.	नागोथाने जीबीपीपी	410 मे.वा.	गैस	रिलायंस
115.	वानी वारोरा	500 मे.वा.	कोयला	आरपीजी ग्रुप
जोड़ :	8	5457.00		
मध्य प्रदेश				
116.	भिलाई टीपीएस	500 मे.वा.	कोयला	सेल, एल एंड टी और सी ई ए का संयुक्त उद्यम
117.	बिना टीपीएस	1000 मे.वा.	कोयला	ग्रासिम इण्ड. लि.
118.	बिरसिंहपुर टीपीएस	500 मे.वा.	कोयला	हाउस्टन एंड एनर्जी इंडिया इन्क गुजरात अम्बुजा सिमेंट एलटी
119.	दुआल फयूल नैपथा बेस्ड	330 मे.वा.	गैस	इस्सार इन्वेस्टिगेशन एल बम्बई
120.	ग्वालियर (डीजल) पी पी	120 मे.वा.	डीजल	वार्टसिला डिजल फिनलैंड
121.	कोरबा ईस्ट टीपीएस	2x250 मे.वा.	कोयला	डाइवोड कारपोरेशन साउथ कोरिया
122.	कोरबा वैस्ट विस्तार	2x210 मे.वा.	कोयला	मैं. मुकुन्द लि.
123.	कोरबा वैस्ट टीपीएस	2x250 मे.वा.	कोयला	आरपीजी इण्डस्ट्रीज लि.
124.	महेश्वर एचईपी	10/40 मे.वा.	हाइडल	मैं. एस कुमार्स/बेचटैल यूएसए

1	2	3	4	5
125.	पेंच टीपीएस	500 मे.वा.	कोयला	सारोस एण्ड मैनेजमैंट यूएस
126.	रायगढ़ टीपीएस	1000 मे.वा.	कोयला	जिन्दल स्ट्रिप्स प्रा. लि.
127.	रतलाम	120 मे.वा.	डीजल	मै. जीवीके पावर लि.
128.	तावा एचईपी (कैप्टिन)	12 मे.वा.	हाइडल	एचईजी लि.
जोड़ :	13	5902.00		
उड़ीसा				
129.	बोम्लाई टीपीएस	2x250 मे.वा.	कोयला	गैलेक्सी पावर कंपनी, यूएसए एंड इन्डेक ऑफ शिकागो
130.	चिपुलिमा बी	200 मे.वा.	हाइडल	मैं. जे. के. कारपोरेशन लि. नई दिल्ली
131.	चोउदवार सीपीपी	110 मे.वा.	कोयला	मैं. इण्डियन चार्ज क्रोम लि.
132.	डुबुरी टीपीएस	500 मे.वा.	कोयला	कालिंगा पावर कारपोरेशन (नाथ-ईस्ट पावर, यूएसए)
133.	दुर्गापुर	2x250 मे.वा.	कोयला	जे. के. कारपोरेशन लि.
134.	हिराकुड	208 मे.वा.	हाइडल	मैं. जे. के. कारपोरेशन लि. नई दिल्ली
135.	इब घाटी टीपीएस	420 मे.वा.	कोयला	ए ई एस कारपोरेशन, यूएसए
136.	बालापुट टोओई	3x6 मे.वा.	हाइडल	उड़ीसा पावर कारपोरेशन लि.
137.	कामालांग्पा टीपीएस	2x250 मे.वा.	कोयला	एल एंड टी सी ई ए के साथ, यू एस ए
138.	लापांगा टीपीएस	500 मे.वा.	कोयला	पायोनियर एंड पाण्डा इंजीनियरिंग, यूएस सामलाई (पी) लापांगा कंपनी
139.	नाराज टीपीएस	2x250 मे.वा.	कोयला	उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन एंड मै. इंडिया पावर पार्टनर्स
140.	रेंगाली टीपीएस	2x250 मे.वा.	कोयला	बोली के अधीन
जोड़ :	12	4456.00		
राजस्थान				
141.	आबु रोड़	75 मे.वा.	डीजल	बोली के अधीन
142.	बरसिंहपुर टीपीएस	240 मे.वा.	लिग्नाइट	बोली के अधीन
143.	भिवाडी	75 मे.वा.	डीजल	बोली के अधीन
144.	चित्तौडगढ़ टीपीएस	500 मे.वा.	कोयला	सैंच्युरी टैक्सटाईल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.
145.	धौलपुर	2x350 मे.वा.	कोयला	मैं. आरपी जी इन्टरप्राइजेज
146.	जयपुर	75 मे.वा.	डीजल	बोली के अधीन
147.	जालिपा	4x250 मे.वा.	लिग्नाइट	बोली के अधीन
148.	जोधपुर	75 मे.वा.	डीजल	बोली के अधीन
149.	कपुरडी	2x250 मे.वा.	लिग्नाइट	बोली के अधीन
150.	मिया अल्वर	75 मे.वा.	डीजल	बोली के अधीन
151.	सुरतगढ़ चरण -2	2x250 मे.वा.	कोयला	बोली के अधीन
152.	उदयपुर	75 मे.वा.	डीजल	बोली के अधीन
जोड़ :	12	3890.00		

1	2	3	4	5
तमिलनाडु				
153.	बेरिन ब्रिज चरण -2	200 मे.वा.	डीजल	बोली के अधीन
154.	कुडडालूर टीपीएस	2x660 मे.वा.	कोयला	इन्टरनेशन कंट्रेक्टिंग एंड मार्केटिंग /इंजी, यूएसए
155.	गुमाडी पूण्डी	1000 मे.वा.	गैस	बोली के अधीन
156.	गुमिडी पूण्डी	500 मे.वा.	कोयला	विडियोकोन इन्टरनेशनल
157.	जायमकोण्डम लिग्नाइट पीपी	3x500 मे.वा.	लिग्नाइट	मकनैल्ली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लि. एंड डिको, सयुक्त उद्यम
158.	नार्थ मद्रास-2	2x500 मे.वा.	कोयला	मै. विडियोकोन इन्टरनेशनल, लि. बम्बई
159.	नार्थ मद्रास टीपीपी -3	500 मे.वा.	कोयला	मै. परो मैजेस्टिक एसडीएन, बीएचडी मलेशिया
160.	पिल्लई पेरू मलनैल्लूर	300 मे.वा.	गैस/नैपथा	डायला विजन आफ रेड्डी ग्रुप/ जे मोकोषस्की यूएसए
161.	समायानैल्लूर डीईपीपी	100 मे.वा.	डीजल	बालाजी ग्रुप
162.	श्रीपुष्णम लिग्नाइट	200 मे.वा.	लिग्नाइट	टिकापको
163.	तूतीकोरिन-4 टीपीएस	500 मे.वा.	कोयला	मै. तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्टस लि. मद्रास
164.	जीरो यूनिट (एनएसजी)	250 मे.वा.	लिग्नाइट	एसटी पावर स्टिम्स इन्क यूएसए
जोड़ :	12	7420.00		
उत्तर प्रदेश				
165.	अलीगढ पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	डीजल	मै. यूनियन पावर लि.
166.	बोवाला -- नदप्रयाग	3x44 मे.वा.	हाइडल	बोली के अधीन
167.	चन्दौसी पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	डीजल	मै. इंडिया पावर पार्टनर्स प्रा. लि.
168.	गजरौला पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	डीजल	मै. आरपीजी इण्डस्ट्रीज
169.	ग्रेटर नोयड पी प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	डीजल	बोली के अधीन
170.	जवाहरपुर टीपीएस	800 मे.वा.	कोयला	पेसिफिक इलैक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन कनाडा
171.	कोसी कला पावर प्रोजेक्ट	60 मे.वा.	डीजल	मै. डीएसएम लि.
172.	तोहारीनाग--पाला	4x130 मे.वा.	हाइडल	बोली के अधीन
173.	मनेरी भाली -2 एचईपी	304 मे.वा.	हाइडल	बोली के अधीन
174.	मुजफ्फरनगर पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	डीजल	मै. सुभाष मार्केटिंग एंड प्रोजेक्टस लि.
175.	पाला मनेरी एचईपी	416 मे.वा.	हाइडल	बोली के अधीन
176.	पनकी पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	डीजल	मै. डालमिया ब्रोदर्स प्रा. लि.
177.	रोसा टीपीएस	2x250+1x500 मे.वा.	कोयला	इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स इंडिया एण्ड पावर जेनरेशन पीएलसी
178.	साहिबाबाद पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	कोयला	मै. मोदी मिरेरलैस ब्लैक स्टोन लि.
179.	सिकन्दराबाद पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	कोयला	मै. डालमिया ब्रादर्स प्रा. लि.
180.	श्रीनगर एचईपी	330 मे.वा.	हाइडल	मै. डुन्कान एग्रो इण्ड. लि.
181.	तपोवन विष्णुप्रयाग एचईपी	360 मे.वा.	हाइडल	बोली के अधीन
182.	विष्णुप्रयाग एचईपी	4x100 मे.वा.	हाइडल	जय प्रकाश इडस्ट्रीज लि.
जोड	18	4872.00		

1	2	3	4	5
प.बंगाल				
183.	बक्रेश्वर टीपीएस	420 मे.वा.	कोयला	डीसीएल कुलजियान कारपोरेशन सीएमएस, जेनरेशन यूएसए एंड डब्लयू पीडीसीएल
184.	बालागढ़ टीपीएस	2x250 मे.वा.	कोयला	बालागढ़ पावर कंपनी लि. (सीईएससी/ एडीबी/टीएफसी)
185.	बज–बज	2x250 मे.वा.	कोयला	सी ई एस सी लि. कलकत्ता
186.	डान्कुनी	20 मे.वा.	गैस	स्पैक्ट्रस टैक्नोलोजी, यूएसए
187.	गौरीपुर टीपीएस	2x75 मे.वा.	कोयला	बीटीएस, टीईएस, यूएसए, बीएचईएल, डब्लयूबीएसईबी
188.	सागरदीघी टीपीएस	2x500 मे.वा.	कोयला	डीसीएल कुल्जियम कारपोरेशन सीएमएस जेनरेशन, यूएसए एण्ड डब्ल्यूपीडीसीएल
जोड़ :	6	2590.00		
189.	ग्रुप आफ पावर प्रोजेक्ट	10000 मे.वा.	कोयला	कोन्सोलिडेटिड इलैक्ट्रिक पावर एशिया लि., हांगकांग
जोड़ :	1	10000		
190.	एनर्जी एफिशिएंशी सेन्टर	200 मे.वा.	बी–एमएस/एनएंटीएच	मै. जेएमसी डेवलपमेंट, यूएसए/अपोलो होस्पिटल
जोड़ :	1	200.00		
कुल जोड़ : 190		**75259.50**		

[अनुवाद]

असम में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना

2972. **श्री नुरूल इस्लाम :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने असम में गैस पर आधारित किसी विद्युत परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) असम में निम्नलिखित गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है :

	परियोजना का नाम	क्षमता
1.	कथलगुडी सी.सी.जी.टी जिला डिबरूगढ, असम नीपको	जीटी 6 x 33.5+ एस टी 3 x 30
2.	लकना गैस टबाईन चरण-2 जिला शिवसागर, असम असम राज्य बिजली बोर्ड	 3 x 20
3.	असमगुडी सीसीजीटी जिला शिवसागर, असम	360

कथलगुडी सीसीजीटी को प्रत्येक 33.5 मेगावाट की दो गैस टर्बाइन यूनिटों को समकालिक कर दिया गया है। मेगावाट की तीसरी गैस टर्बाइन यूनिट को 24.3.1995 को क्रेंक कर दिया गया था और इसे अतिशीघ्र समकालिक किए जाने की आशा है। गैस टर्बाइन की शेष तीन यूनिटों (3x33.5 मेगावाट) और स्टीम टर्बाइन की शेष तीन यूनिटों (3x30 मेगावाट) को 1995-96 में चालू किए जाने की योजना है।

लाकवा गैस टर्बाइन परियोजना की दो यूनिटों को पहले की चालू किया जा चुका है। 20 मेगावाट की तीसरी यूनिट को 31 मार्च, 1995 को क्रेंक कर दिया गया है और इसे शीघ्र ही चालू किए जाने की आशा है।

राज्य क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने के लिए अमगुड़ी संयुक्त साइकिल गैस टर्बाइन परियोजना (360 मेगावाट) को योजना आयोग द्वारा अगस्त, 1991 में स्वीकृत किया गया था। राज्य ने यह निर्णय लिया है कि इस परियोजना का क्रियान्वयन मै. असम पावर पार्टनर्स (अर्थात् मै. एनईआई, आगरा, यूएसए एण्ड सिंह इंजीनियरिंग कारपोरेशन, यूएसए, पावर पार्टनर, यूएसए) के माध्यम से कराया जाए। राज्य सरकार और असम राज्य बिजली बोर्ड ने निजी के साथ एक समझौता ज्ञापन निष्पत्र किया है। इस परियोजना के बारे में चालू किए जाने की समय सूची की परिकल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि मुख्य संयत्र एवं उपस्कर के लिए अभी तक आर्डर नहीं दिया गया है।

कायमकुलम : सुपर ताप विद्युत परियोजना

2973. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायमकुलम (2 x 210 मेगावाट) सुपर ताप विद्युत परियोजना के संशोधित प्राक्कलन के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को निवेश संबंधी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो प्राक्कलन को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ) तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में केरल के कायमकुलम में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का भारत सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था। तथापि, सोवियत संघ के विघटन से सोवियत सहायता उपलब्ध नहीं हुई। एक कोयला आधारित परियोजना के लिए उच्च पूंजी लागत एवं ऊर्जा लागत को ध्यान में रखते हुए उत्पादन की वैकल्पिक पद्धतियों के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा एक विस्तृत तकनीकी–आर्थिक समीक्षा की गई। इस अध्ययन के अनुसार तकनीकी, पर्यावरण एवं आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करीब 400 मे. वा. क्षमता के एक संयुक्त साइकिल संयंत्र की स्थापना करना बेहतर विकल्प के रूप में पाया गया है। तदनुसार, नैपथा आधारित लगभग 400 मेगावाट क्षमता के संयुक्त साइकिल संयंत्र के रूप में परियोजना का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय लिया गया है। लोक निवेश बोर्ड द्वारा परियोजना का अनुमोदन कर दिया गया है। निवेश संबंधी अनुमोदन के लिए परियोजना पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

केरल के लिए आई. डी. एस. एम. टी. योजना

2974. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लघु एवं मध्यम शहर समेकित विकास योजना (आई. डी. एस. एम. टी.) के अंतर्गत केरल के व्यामाड़ जिले के कलपट्टा शहर तथा कश्मीर जिले के कन्नौर शहर सहित विभिन्न शहरों के लिए धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शहर के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) शेष धनराशि को जारी नहीं करने के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन):

(क) से (ग) आई.डी.एम.एस.टी. स्कीम के तहत 1979-80 से अब तक केरल राज्य के 27 कस्बों को लाभान्वित किया गया है और 8.51 करोड रुपये की केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को दी गई है। दी गई केन्द्रीय सहायता के कस्बेबार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमोदित परियोजनाओं के निष्पादन की प्रगति पर निर्भर करते हुए प्रत्येक कस्बे के लिए केन्द्र सहायता की अधिकतम अनुमेय राशि किस्तों में दी जाती है। भारत सरकार द्वारा कस्बे की परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन के तत्काल पश्चात् ही प्रथम किस्त दी जाती है। तथापि, वे कस्बे ही दूसरी और अनुवर्ती किस्तों की रिलीज के लिए पात्र है जिन्होंने अनुमोदित परियोजनाओं पर पहले रिलीज की धनराशि, अर्थात् केन्द्रीय सहायता तथा राज्य अंश दोनों को मिलाकर के 70% से अधिक का मान्य व्यय हो चुका है।

विवरण

1979-80 से 31 मार्च, 1995 तक केरल राज्य में विभिन्न कस्बों को आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के तहत् दी गई केन्द्रीय सहायता

क्रमांक	कस्बे का नाम	दी गई केन्द्रीय सहायता (लाख रु० में)
1	2	3
1.	गुरूवाश्युर	44.700
2.	कोट्टायम	46.800
3.	त्रिचुर	47.000
4.	कायमकुलम	34.200
5.	तेल्लीचारी	48.800
6.	त्रिरूर	41.870
7.	छेंगनाछिरी	46.360
8.	बडगारा	48.450
9.	मल्लापुरम	49.800
10.	थोडूपुझा	52.500
11.	मंजरी	45.330
12.	पालघाट	43.500
13.	केन्नानोर	26.250
14.	कासरगुड	25.000
15.	मुवत्तापुझा	15.000
16.	पुनालूर	6.500
17.	कलपट्टा	7.000
18.	नेययाथांगरा	1.500
19.	शोरनूर	6.500
20.	छावक्काड	20.000
21.	पाथानामथिट्टा	10.000
22.	अलाप्पुझा	25.000
23.	कोल्लाम	40.000
24.	छेरथाला	13.000

1	2	3
25.	अलूवा	30.500
26.	थिरुवल्ला	60.000
27.	छालाकुडी	15.000
	योग :	850.640

यूरोपीय संघ का एशियाई सम्मेलन

2975. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर के प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तावित यूरोपीय संघ के एशियाई सम्मलेन को स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्मेलन से भारत को क्या लाभ होंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) वर्तमान संकेतों के अनुसार उक्त बैठक 1996 के पूर्वार्द्ध में हो सकती है।

(ख) और (ग) इस प्रस्तावित बैठक में सहभागिता, कार्यसूची, समय और स्थान से संबद्ध प्रश्नों पर संबंधित देशों के बीच अभी विचार–विमर्श हो रहा है।

ईरान के साथ व्यापार

2976. श्री मनोरंजन भक्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस देश की अपनी हाल की यात्रा के दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने मध्य एशिया में व्यापार और उद्योग के अवसरों के दोहन की दृष्टि से भारत के साथ सहयोगत्मक प्रयास करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही और इस बारे में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) ईरान के विदेश मंत्री डा. अली अकबर विलायती ने जनवरी, 1995 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान अपने सरकारी विचार–विमर्शों में तथा भारतीय व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ अपनी बैठकों में मध्य एशिया क्षेत्र के साथ वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध विकसित करने में भारत ईरान सहयोग के महत्व पर बल दिया। सहयोग के कई विशिष्ट क्षेत्रों पर विचार–विमर्श हुआ जिनमें मध्य एशिया क्षेत्र में पहुंचने के लिए मार्ग के लिए ऊर्जा क्षेत्र और वस्त्र क्षेत्र में आधारित संरचनात्मक विकास शामिल है।

(ख) सरकार मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ आर्थिक संबंध विकसित करने में भारत और ईरान के सहयोग करने की क्षमता का उपयोग करने का सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। विदेश मंत्री डा. विलायती की यात्रा के बाद सरकारी स्तर का एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल तकनीकी विचार विमर्शों के लिए ईरान गया। इन विचार–विमर्शों से भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच माल को लाने ले जाने के लिए पहुंच मार्ग के मसले के बारे में भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच त्रिपक्षीय सहयोग का प्रस्ताव तैयार करने में सहायता मिली। इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 19 अप्रैल, 1995 को नई दिल्ली में बैठक हुई और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सड़क और रेल परिवहन एवं पारगमन के बारे में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन संपन्न किया। यह समझौता ज्ञापन एक पूर्ण करार का आधार होगा जिसे आगामी छह महीनों के अन्दर संपन्न किए जाने का इरादा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्यों के लिए धन

2977. श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोग किए जाने हेतु पुलों से पथकर के रूप में वसूल किए गए 25 करोड़ रुपयों को राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए अब तक आवंटित नहीं किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार 1993-94 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने को ध्यान में रखकर इस धनराशि को चालू वित्त वर्ष के दौरान आवंटित करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए इस धनराशि के आवंटन हेतु क्या तिथि तय की गई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के व्यस्तम सेक्शन तथा विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के अहमदाबाद मुंबई सेक्शन के लिए विशेष धनराशि तय करने का है।

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) स्थायी पुल शुल्क निधि में से 1994-95 में गुजरात राज्य सरकार को 14.48 करोड़ रु० जारी किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) शेष राशि भविष्य में इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध बजट प्रावधान के आधार पर जारी की जाएगी।

(घ) विकास मार्गों के लिए निधियां राज्य–वार आवंटित की जाती हैं; कार्यवार नहीं।

कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों में निजी निवेश

2978. श्री चित्त बसु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन न्यास ने कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों के विस्तार और सुधार के लिए निजी क्षेत्र की घरेलू और विदेशी कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पर क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) कलकत्ता पत्तन न्यास ने सरकारी नीति का अनुसरण करते हुए हल्दिया गोदी परिसर में तीन बहुउद्देशीय/सामान्य कार्गो बर्थों के निर्माण, रख-रखाव और प्रचालन के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों से निवेश आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। उक्त प्रयोजनार्थ तटीय स्थान और पश्च क्षेत्र प्रतिष्ठित, विश्वसनीय और वास्तविक व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों को पट्टे पर देने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया गया है। पेशकशों को प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 19.8.1995 है।

जहां तक कलकत्ता गोदी प्रणाली का संबंध है, निजी निवेश के लिए अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अन्तिम निर्णय, प्राप्त पेशकशों के ब्यौरे और मौजूदा नियमों तथा सरकारी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में उनकी जांच पर निर्भर होगा।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु राष्ट्रीय नीति

2979. श्री गुमानमल लोढा :

डा० आर. मल्लू :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री नवल किशोर राय :

श्री लाल बाबू राय :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में औद्योगिक नीति में उदारीकरण के पश्चात खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कुल कितना निवेश किया गया है तथा राज्यवार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कितने-कितने हैं;

(ग) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार तथा विकास की व्यापक संभावनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कुल कितनी-कितनी सहायता दी गई है; और

(च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर राज्यों द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई):

(क) से (घ) उदारीकरण के बाद से लेकर फरवरी, 95 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में 3046 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए जिनमें 38409 करोड़ रु० का निवेश निहित है। सरकार ने विदेशी निवेश निर्यातोम्मुखी यूनिटों और औद्योगिक लाइसेंसों जैसे 587 परियोजना प्रस्तावों की भी मंजूरी दी है जिनमें 7679 करोड़ रु० का निवेश निहित है। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की विशाल संभावना पर विचार करते हुए सरकार ने प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग को विभिन्न रियायतें दी हैं।

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के लिए मंत्रालय के पास फल और सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र, अनाज मिलिंग क्षेत्र मांस तथा पौल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र, मात्स्यिकी उपभोक्ता उद्योग आदि क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमें हैं। ये स्कीमें राज्य विशिष्ट न होकर परियोजना विशिष्ट स्कीमें हैं। 1993-94 और 1994-95 के दौरान योजना व्यय क्रमशः 38.47 करोड़ रु० तथा 30.46 करोड़ रु० था।

(च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में राज्यों द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि की सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

विवरण

उदारीकरण की अवधि के दौरान किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों तथा मंजूर किए गए औद्योगिक प्रस्तावों की राज्यवार संख्या

क्र. सं०	राज्य का नाम	प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की संख्या	मंजूर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	192	115
2.	असम	3	-
3.	बिहार	21	4
4.	गुजरात	210	25
5.	हरियाणा	349	39
6.	हिमाचल प्रदेश	36	12
7.	जम्मू एवं कश्मीर	10	-
8.	कर्नाटक	74	20
9.	केरल	26	36
10.	मध्य प्रदेश	261	15
11.	महाराष्ट्र	434	113
12.	मणिपुर	0	-
13.	मेघालय	1	-
14.	नागालैंड	1	-
15.	उड़ीसा	15	5
16.	पंजाब	255	12
17.	राजस्थान	295	28
18.	तमिलनाडु	107	41

1	2	3	4
19.	त्रिपुरा	0	-
20.	उत्तर प्रदेश	601	38
21.	प. बंगाल	72	10
22.	सिक्किम	1	1
23.	अंडमान निकोबार	1	3
24.	अरूणाचल प्रदेश	0	-
25.	चंडीगढ़	2	-
26.	दादर तथा नागर हवेली	11	2
27.	दिल्ली	42	1
28.	दमन एवं द्वीव	7	4
29.	एल.एम.ए. द्वीप	0	-
30.	मिजोरम	0	-
31.	पांडिचेरी	12	2
32.	गोवा	7	17
सही स्थान का उल्लेख किया गया/ प्रस्तावित यूनिट एक से अधिक राज्य में हैं			44
	कुल योग :	3046	587

[अनुवाद]

शहरी अपशिष्ट पदार्थ

2980. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न शहरों में कितनी मात्रा में शहरी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं;

(ख) इन पदार्थों को नष्ट करने के लिए आधारमूत ढांचे की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ग) क्या उपयुक्त "अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन प्रौद्योगिकियों" के विकास हेतु अनुसंधान करने के लिए शोध और विकास की समुचित सुविधाएं मौजूद हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कानून बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन):

(क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रमुख कचरा सृजक शहरों में सृजित तथा एकत्रित शहरी कचरे और मलमूत्र के ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दर्शाये गये हैं।

(ग) और (घ) देश में कई अनुसंधान तथा विकास संस्थाएं/संगठन हैं, जिनमें उपयुक्त कचरा प्रबंध प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए अनुसंधान करने की विभिन्न सुविधाएं हैं। ऐसे कुछ संस्थानों/संगठनों की सूची संलग्न विवरण III में दी गयी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

कूड़ा कचरा प्रबंध

कुछ शहरों में सेवा स्तर - कूड़ा कचरा प्रतिदिन

शहर	आबादी	कूड़ा सृजित (टन)	कचरा एकत्रित (टन)	संग्रहणक्षता (प्रतिशत)
1	2	3	4	5
बम्बई	8,227,332	3200	3100	96.9
मद्रास	4,276,635	1819	1637	90.0
बंगलौर	2,913,537	1800	1225	68.1
अहमदाबाद	2,515,195	1200	1080	90.0
कानपुर	1,688,424	2142	1500	70.0
पूणे	1,685,300	1000	700	70.0
लखनऊ	1,006,538	600	500	83.3
	कुल:	11761	9742	82.8
कोयम्बतूर	917,155	175	113	64.6
मदुरै	904,362	310	160	51.6
इंदौर	827,071	120	100	83.3
भारूच	744,043	321	193	60.0
कोचीन	685,686	230	120	52.2
भोपाल	672,329	321	300	93.5
रिची	607,815	130	60	46.2
कालीकट	546,060	200	75	37.5
मेरठ	538,461	120	70	58.3
हुबली धारवाड़	526,493	75	60	80.0
त्रिवेन्द्रम	519,766	120	75	62.5
सेलम	515,021	130	25	19.2
मैसूर	476,446	204	122	60.0
थाने	388,577	350	200	57.1

1	2	3	4	5
जामनगर	317,037	149	89	60.0
गुलबर्गा	218,621	10	8	80.0
संभलपुर	162,190	60	36	60.0
	कुल :	3025	1806	59.0
आनन्द	83,815	34	17	50.0
कलोल	89,794	16	8	50.0
भुज	69,730	27	14	50.0
बरीपाड़ा	52,992	30	28	93.3
पनवेल	37,026	6	4	66.7
खोपोली	32,108	6	3	50.0
कोरापुट	31,644	11	6	50.0
देहगाम	24,817	9	4	44.4
अहमदाबाद	28,297	9	4	44.4
	कुल :	148	88	59.5

विवरण-II

मलजल सृजक बड़े शहरों में मल जल व्ययन की स्थिति

क्र. सं०	शहर का नाम	1988 की अनुमानित जनसंख्या	मलजल व्ययन प्रणाली			शोधन संयंत्र	
			सृजित मलमूत्र एमएल डी	एकत्रित मलमूत्र एमएल डी	लाभांवित आबादी (प्रतिशत)	स्तर	क्षमता एम एल डी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्रेटर बम्बई	10,331,657	1,714.40	-	80	प्राथमिक	81.70
2.	दिल्ली	7,464,000	1,480.00	745.00	75		745.00
3.	कलकत्ता	4,532,213	780.88				
4.	हैदराबाद	2,700,570	522.00	140.00	75		140.00
5.	अहमदाबाद	2,648,695	381.60		75		382.00
6.	बंगलौर	3,820,489	348.00	348.00	85		266.00
7.	कानपुर	1,770,154	325.60	160.00	60		160.00
8.	पटना	1,186,180	233.90		20		43.00
9.	लखनऊ	1,056,225	221.60				
10.	मद्रास	3,980,796	200.00		77		
11.	नागपुर	1,549,517	192.00		66		45.40
12.	पूणे	1,527,207	161.84	100.00	53		90.00
13.	आगरा	776,125	157.99	15.00	25		
14.	इलाहाबाद	727,733	150.00	80.00	30		
15.	चंडीगढ़	391,346	144.00	105.75	100		68.00
16.	सूरत	1,098,859	138.02	88.00	39		76.00
17.	बड़ौदा	1,007,674	139.60	98.00	75		81.00

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	वाराणसी	830,540	136.00		75		
19.	जयपुर	1,350,844	134.40				
20.	श्रीनगर	764,834	122.24				
21.	हावड़ा	749,050	118.00				
22.	रांची	771,854	117.00				
23.	इंदौर	1,090,422	108.80	40.00	30		
24.	अमृतसर	717,807	96.27	92.00			
25.	जम्मू	266,292	87.20				
26.	भिलाई नगर	488,039	85.50	85.50	100	प्राथमिक	85.50
27.	मैसूर	590,132	81.22	65.00	75	प्राथमिक	
28.	कोचीन	647,062	75.00	4.25	7	गौण	4.50
29.	मदुरै	983,622	72.00	41.85	64		
30.	मेरठ	548,770	68.34				
31.	कोयम्बतूर	821,903	68.21	10.44	40	प्राथमिक	
32.	भुवनेश्वर	365,776	68.00	21.60	37	गौण	
33.	विजयवाड़ा	600,535	65.52	18.36	25	प्राथमिक गौण	27.00
34.	ग्वालियर	657,126	65.30	22.70			
35.	जबलपुर	848,763	65.37				
36.	सोलापुर	616,138	65.20	38.00	90	प्राथमिक	54.00
37.	थाने	470.490	63.20	18.00	50	प्राथमिक और गौण	
38.	कोल्हापुर	412,574	60.48		75	प्राथमिक	21.80
39.	भोपाल	990,232	56.30				
40.	कटक	380,204	56.12				
41.	त्रिवेन्द्रम	573,963	56.00	19.83	38	प्राथमिक	
42.	उल्हासनगर	384,352	56.00				
43.	विशाखापट्टनम	827,777	54.37				
44.	जालन्धर	511.050	50.40				
45.	नासिक	346,977	50.40		25		
	कुल :	65,066.568	9,493.15	2,357.48			2,391.00

विवरण-III

विभिन्न संस्थानों/संगठनों की सूची

1. राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर।
2. अन्नामलाई यूनीवर्सिटी अन्नामलाई नगर, तमिलनाडु।
3. भारतीय कृषि औद्योगिक संस्थान, पुणे।
4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास।
5. शिव सदन नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, सांगली।
6. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, मैसूर।
7. सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात।
8. पश्चिमी पैगुईस पुणे।
9. सैंट्रल पेपर तथा पल्प अनुसंधान संस्थान, सहानरपुर।
10. भारतीय विज्ञानों का संस्थान, बंगलौर।
11. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर।
12. केन्द्रीय लैदर अनुसंधान संस्थान, मद्रास।
13. महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि, पुणे।

दक्षिण कोरिया द्वारा पूंजी निवेश

2981. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया का विचार भारतीय बंदरगाहों में पूंजी निवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

दिल्ली में ट्राम मार्ग

2982. श्री ब्रज भूषण शरण सिंह :

श्री पंकज चौधरी :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद:

श्री अंकुशराव टोपे :

श्री तारा सिंह :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में ट्राम मार्गों के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(ख) तीव्रगामी ट्राम प्रणाली किन-किन मार्गों पर शुरू की जायेगी और इससे अनुमानतः कितने लोग लाभान्वित होंगे;

(ग) इस संबंध में कितनी कंपनियों से निविदाएं प्राप्त हुई हैं; और

(घ) उन पर लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है और यह प्रणाली कब तक शुरू की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) अनुमान है कि दिल्ली में तीव्र गति की ट्राम प्रणाली पर वर्ष 1994 के मूल्यों पर प्रति कि.मी. 17.60 करोड़ रु० लागत आएगी।

(ख) चुनिंदा मार्गों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। तीव्र गति की ट्राम प्रणाली द्वारा प्रति घंटा व्यस्ततम संचालन में 10,000 व्यक्ति तक यात्रा करेंगे।

(ग) और (घ) निविदा प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 9 कम्पनियों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की थी। तथापि, उनमें से केवल छह पात्र/स्वीकार्य पाई गई। बालियों की संवीक्षा/मूल्यांकन किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस प्रणाली द्वारा 3-4 वर्षों में कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

विवरण

नौ मार्ग निम्नलिखित हैं :-

(i) आन्तरिक रिंग रोड

(ii) बल्लभबढ़ – फरीदाबाद – आश्रम चौक ।

(iii) सैक्टर – 15 तथा 32 गुडगांव के बीच रा. रा. 8 का गोल चक्कर रंगपुरी – महीपालपुर – धौलाकुआं।

(iv) प्रगति मैदान – मयूर विहार – पटपड़गंज – प्रीत विहार – कृष्ण नगर – विश्वास नगर – विवेक विहार – दिलशाद गार्डन।

(v) खानपुर – मदनगीर– मस्जिद मोढ। (एन प्लाको –ग्रे. औखला औद्योगिक क्षेत्र (कैलाश– मुलचन्द तुगलकाबाद एक्सटेंशन – गोविंदपुरी (चौराहा।

(vi) नजफगढ़– द्वारका –उत्तम नगर – विकासपुरी –जनकपुरी– हरी नगर– तिलक नगर– राजा गार्डन।

(vii) वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र– अशोक नगर– शक्ति नगर– शास्त्री नगर– सराय रोहिल्ला– आनन्द पर्वत– रानी झांसी रोड– देशबन्धु गुप्ता रोड– कनाट प्लेस।

(viii) राजा गार्डन – कीर्ति नगर– पांडव नगर– पश्चिमी पटेल नगर– राजेन्द्र प्लेस– संत नगर– देशबन्धु गुप्ता रोड– लिंक रोड– मंदिर मार्ग– तालकटोरा रोड– केन्द्रीय सचिवालय।

(ix) वुद्ध विहार– विजय विहार– रोहिणी– प्रशांत विहार– पीतम पुरा– वजीरपुर डिपो।

[अनुवाद]

कच्चातिवू समझौता

2983. श्री राम नाईक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रीलंका के कच्चातिवू प्रशासन ने भारतीय मछुआरों को दी जाने वाली कतिपय सुविधाओं के संबंध में किये गये समझौते का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि कच्चातिवू में प्रवेश के सम्बन्ध में भारतीय मछुआरों के जिन प्रारंपरिक अधिकारों की 1974 और 1976 के भारत–श्रीलंका समुद्री सीमा करारों में व्यवस्था है, पाक जलडमरूमध्य में प्रतिकूल सुरक्षा स्थिति के कारण 1983 से उनका प्रयोग नहीं हो पा रहा है।

(ख) सरकार समय–समय पर श्रीलंका की सरकार से यह बात कहती आ रही है कि हमारे मछुआरे अपने इन पारंपरिक अधिकारों को निर्बाध रूप से प्रयोग करना चाहते हैं। 1974 और 1976 के समुद्री सीमा करारों में कच्चाटीवू में प्रवेश के संबंध में भारतीय मछुआरों को जिन पारम्परिक अधिकारों की गारन्टी दी गई है उनकी बहाली से सम्बद्ध मसला दोनों सरकारों के बीच विचाराधीन है।

गाय के गोबर का आयात

2984. प्रो० राम कापसे : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हालैंड से गाय के गोबर का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1994-95 के दौरान उर्वरक के रूप में कितनी मात्रा में गाय के गोबर का प्रयोग किया गया ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान खाद के रूप में प्रयोग की गई गोबर की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया गया है। तथापि, देश में खाद के वार्षिक उत्पादन और प्रयोग का वर्तमान स्तर 272 मिलियन टन ग्रामीण कम्पोस्ट और 6.5 मिलियन टन शहरी कम्पोस्ट है।

उर्वरक एकक

2985. श्री फूलचन्द वर्मा :

प्रो० के. वी. थामस :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी क्षेत्र उर्वरक एककों का वित्तीय निष्पादन एककवार कितना–कितना रहा; और

(ख) इन उर्वरक एककों के आधुनिकीकरण, विस्तार करने और इनका समग्र निष्पादन बढ़ाने के लिए एकक–वार क्या–क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न उर्वरकों का उत्पादन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार रहा है :–

उपक्रम का नाम	(रु० करोड़ों में) शुद्ध लाभ (+)/हानि (-) (अनंतिम)
पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	(-) 8.51
राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	(+) 211.65
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	(+) 131.31
फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	(+) 72.16
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०	(-) 345.87
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	(+) 4.91
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि०	(-) 408.06
पारादीप फास्फेट्स लि०	(+) 27.0

(ख) विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों द्वारा आधुनिकीकरण, विस्तार और उनके समग्र निष्पादन में सुधार के लिए उठाए गए प्रमुख उपाय निम्नानुसार हैं :–

क्र. सं०	कम्पनी का नाम	आधुनिकीकरण/विस्तार/सुधार योजनाएं
1.	मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	(i) भटिण्डा और पानीपत एककों में कन्वर्टर रेट्रोफिट
		(ii) पानीपत एकक में यूरिया रिएक्टर
		(iii) विजयपुर एकक में यूरिया/अमोनिया क्षमता का विस्तार
2.	मैसर्स राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	(i) ट्राम्बे एकक मे पर्ज गैस और आर्गन रिकवरी
		(ii) थाल एकक में अमोनिया संयंत्र के लिए ऊर्जा बचत योजना
		(iii) थाल एकक में अमोनिया रेट्रोफिट परियोजना
3.	मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड	(i) अमोनिया रेट्रोफिट योजना

	कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	(कोचीन एकक) (ii) अमोनिया प्रतिस्थापना परियोजना उद्योग मण्डल, कोचीन।
4.	मैसर्स मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	मनाली (मद्रास) स्थित संयंत्रों का पुनरूद्धार।
5.	मैसर्स पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	अमझोर स्थित सिंगल सुपर फास्फेट संयंत्र की उच्चतर क्षमता उपयोगिता सहित वित्तीय एवं समग्र निष्पादन में सुधार के लिए टर्न एराउण्ड रणनीति।

उर्वरक उत्पादन करने वाले दो रूग्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच एफ सी) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ सी आई) के विभिन्न संयंत्रों का पुनरूद्धार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी आई एफ आर) जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

सरकारी आवास का आवंटन

2986. श्री प्रेमचन्द राम : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सामान्य पूल से तदर्थ आधार पर और बिना बारी के कितने क्वार्टर आवंटित किए गए;

(ख) ये आवंटन किन–किन आधारों पर किए गए;

(ग) क्या सरकार ने तदर्थ/बिना बारी के आवंटन हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के आवंटन के संबंध में इन मानदण्डों का अनुपालन किया गया है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान बिना बारी आवंटनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

1992	1993	1994
2256	2057	2811

(ख) सरकार वास का बिना–बारी आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है;

(i) मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, योजना आयोग के सदस्यों के निजी स्टाफ को।

(ii) उन सेवा निवृत्त होने वाले/मृतक सरकारी कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को जिनके कब्जे में साधारण पूल वास हो।

(iii) टी. बी., कैंसर, हृदय रोग जैसे चिकित्सा आधार पर और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को।

(iv) प्रधानमंत्री कार्यालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय के मुख्य कर्मिकों को।

(v) सक्षम प्राधिकारी सेवा नियम 317 ख 35 में छूट देकर अनुकम्पा आधार पर बिना बारी आवंटन कर सकता है।

(ग) से (ड) बिना बारी आवंटन कुल आवंटनों का 20 प्रतिशत तक सीमित है (अर्थात् प्रत्येक 5 आवंटनों पर। बिना बारी आवंटन)। साधारणतः प्रयास यह किया जाता है कि बिना बारी आवंटन कुल रिक्तियों के 20 प्रतिशत तक ही सीमित रहे। बिना–बारी हेतु बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होने के कारण निर्धारित अनुपात का अनुपालन करना सम्भव नहीं हो पाया है।

[अनुवाद]

इस्पात की बिक्री

2987. श्री एस. एम. लाल. जान बाशा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापट्टणम और मद्रास स्थित "सेल" स्टाकयार्ड के भंडारों से दिसम्बर, 1994 में बेचे गए इस्पात का ब्यौरा क्या है; और

(ख) यह इस्पात किस मूल्य पर बेचा गया और इसके ग्राहक कौन–कौन हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) विशाखापट्टणम और मद्रास स्थित "सेल" के स्टाकयार्डो द्वारा दिसम्बर, 1994 में बेचे गए इस्पात का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

(मात्रा : एम. टी.)

उत्पाद	मद्रास	विशाखापट्टणम
तार छड़	689	-
गोल छड़	1087	-
टारस्टील	638	373
स्ट्रक्चरल	4194	519
प्लेट	11873	6615
एच आर क्वायल/स्केल्प	3665	-
एच्र आर चादरें	1942	528
सी आर क्वायल/चादरें	5486	14

जी पी चादरें/क्वायल	877	45
जी सी चादरें	105	-
इलेक्ट्रिल शीट	197	-
टिन प्लेट	42	-
रेलवे सामग्री	39	-
त्रुटिपूर्ण/अन्य	200	-
कुल :	31034	8094

(ख) विभिन्न उपभोक्ताओं के नाम और अलग-अलग मूल्य जिन पर उन्हें विभिन्न इस्पात उत्पाद बेचे गए, बताना कम्पनी के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

अमरीका के साथ प्रत्यर्पण संधि

2988. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने हेतु अमरीका के साथ कोई वार्ता की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां। भारत और अमरीका के बीच नयी प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने के सिलसिले में बातचीत के दो दौर हो चुके हैं जिनमें से पहला नई दिल्ली में 28 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 1993 तक तथा दूसरा वाशिंगटन में 19 से 21 अक्तूबर, 1994 तक हुआ।

(ख) अधिकांश अनसुलझे मसले हल कर लिए गए हैं। भारत द्वारा दिए गए कुछ सुझाव इस समय अमरीका की सरकार के विचाराधीन हैं।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर (केरल) का कार्य निष्पादन

2989. प्रो० के. वी. थामस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर, केरल को हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कम्पनी के आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) इस कम्पनी की विभिन्न इकाइयों की उपयोग क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनमें से प्रत्येक इकाई के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है;

(ङ) इस कम्पनी द्वारा कैप्रोलैक्टम का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है; और

(च) इस कम्पनी द्वारा उत्पादित कैप्रोलैक्टम की बिक्री की क्या सम्भावनाएं हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वर्ष 1994-95 के लिए फैक्ट का अनंतिम शुद्ध लाभ 72.16 करोड़ रू० अनुमानित है।

(ख) फैक्ट उद्योग मण्डल में इसकी आधुनिकीकरण/विस्तार योजना के भाग के रूप में 900 टन प्रति दिन के अमोनिया संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है। फैक्ट अपने कोचीन प्रभाग में अमोनिया रेट्रोफिट योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

(ग) और (घ) फैक्ट ने वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित एककवार उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त किया। वर्ष 1994-95 के दौरान एककवार क्षमता उपयोगिता निम्नानुसार थी :–

क्षमता उपयोगिता प्रतिशतता (अनंतिम)

एक/प्रभाग	नाइट्रोजन	फास्फेट	कैप्रोलेक्टम
उद्योगमण्डल	89.87	93.26	-
कोचीन	86.63	92.09	-
पेट्रोकैमिकल	-	-	86.88

(ङ) और (च) वर्ष 1994-95 के दौरान फैक्ट ने 43440 टन कैप्रोलेक्टम का उत्पादन किया। वर्ष के दौरान, इसने 47000 मीटरी टन से अधिक कैप्रोलेक्टम बेचा। चालू वर्ष के दौरान भी बिक्री के लगभग उतना होने की आशा है। तथापि बहुत कुछ मांग और आपूर्ति स्थिति पर निर्भर करेगा, विशेष रूप से जिस मूल्य पर आयतित कैप्रोलेक्टम उपलब्ध होगा।

अनिवासी भारतीयों द्वारा सम्पत्तियों की खरीद

2990. श्री मोहन रावले : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवासी भारतीयों को देश में कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं है; और

(ख) यदि हां, और अनिवासी भारतीयों द्वारा फार्म हाउस खरीदे जाने के मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फलों और सब्जियों को नष्ट होना

2991. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्याप्त प्रसंस्करण एकक न होने के कारण प्रतिवर्ष फल और सब्जियां खराब/सड़ जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा फलों और सब्जियों की भारी क्षति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई):

(क) और (ख) फल तथा सब्जी में फसलोत्तर हानियां अपर्याप्त भण्डारण, ढुलाई तथा फसलोत्तर हैण्डलिंग व प्रसंस्करण सुविधाओं के कारण होती है। सरकार अनेक योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रही है तथा आवश्यक सुविधाओं के सृजन/संवर्धन के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं।

पावरग्रिड कार्यालय

2992. **श्री सूरज मण्डल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का इंडियन पावर ग्रिड लिमिटेड पूर्वी क्षेत्र से कार्यकारी निदेशक के कार्यालय को पटना से कलकत्ता ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई ऐसा नियम बनाया गया है जिसके अन्तर्गत अत्यधिक जनसंख्या वाले महानगर में नए कार्यालय खोले जाने पर रोक लगाई जाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार पावर ग्रिड पूर्व क्षेत्र को कलकत्ता ले जाना सरकार की नीति के अंतर्गत आता है; और

(ङ) क्या उपरोक्त कार्यालय के स्थानांतरण को निरस्त करने का कोई प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) पावरग्रिड के पूर्वी क्षेत्रीय मुख्यालय, जिसके अध्यक्ष महाप्रबन्धक हैं, को पटना से कलकत्ता स्थानांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विभिन्न प्रशासनिक और प्रचालनात्मक पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, कार्यकारी निदेशक, जो पूर्वी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों दोनों के अध्यक्ष हैं, का कार्यालय कलकत्ता में स्थित है, क्योंकि उन्हें कलकत्ता में स्थित क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र के कार्य को भी देखना होता है।

(ग) और (घ) दिल्ली के अलावा अन्य किसी केन्द्र के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड द्वारा कलकत्ता में कोई नया कार्यालय नहीं खोला गया है और कार्यकारी निदेशक विद्यमान कार्यालय में ही कार्य कर रहे हैं।

(ङ) उपरोक्त (क) से (घ) भागों में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

क्षेत्रीय विद्युत शुल्क बोर्ड

2993. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास देश के विभिन्न भागों में विद्युत दरों पर विचार करने हेतु क्षेत्रीय विद्युत शुल्क बोर्डों के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र/राज्य सरकारों ने यह महसूस किया है कि विभिन्न राज्यों में विद्युत लागत संरचना की जांच करने तथा अपेक्षित समान विद्युत टैरिफ की प्राप्ति के लिए विद्युत टैरिफ का निर्धारण किए जाने हेतु अपनाए जाने वाले आधार की सिफारिश करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ नियंत्रक निकाय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड स्थापित किए जाने और 5 क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ बोर्ड प्रत्येक दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर और शिलांग में सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किए जाने के लिए भारत के राजपत्र में 20.7.92 को एक संकल्प प्रकाशित किया था। प्रस्तावित टैरिफ बोर्डों को अपेक्षित शक्तियां प्रदान किए जाने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु अप्रैल, 1993 में पांच राज्य बिजली बोर्डों को शामिल करके एक कार्यदल का गठन किया गया था, तथापि, प्राधिकारियों ने सांविधिक विद्युत टैरिफ बोर्डों के लिए सिफारिश की और कुछ विधायी परिवर्तनों के सुझाव रखे। विद्युत सम्बन्धी एन.डी.सी. समिति ने भी इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

गैस पर आधारित यूरिया संयंत्र

2994. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में गैस पर आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना का है, और

(ख) यदि हां, तो ये कहां–कहां स्थापित किए जाएंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) मै० बिन्दल एग्रो कैमिकल्स लि० निजी क्षेत्र की एक कम्पनी, शाहजहांपुर (उत्तर प्रदेश) में 7.26 लाख टन प्रति वर्ष यूरिया उत्पादन करने के लिए एक गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र को स्थापित कर रहा है। चालू वित्तीय वर्ष के उत्तरार्ध के दौरान इस संयंत्र के आरम्भ होने की सम्भावना है। यद्यपि, दो अन्य गैस पर आधारित यूरिया परियोजनाएं, एक विजयपुर (मध्य प्रदेश) में नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा और दूसरी आंवला (उत्तर प्रदेश) में इफको द्वारा इस समय क्रियान्वित की जा रही हैं, परन्तु 1996-97 के उत्तरार्ध में इसके आरम्भ होने की सम्भावना है। इन दोनों परियोजनाओं का कार्य समयसूची के अनुसार चल रहा है।

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण एकक

2995. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

श्री राजेश कुमार :

श्री प्रकाश वी. पाटील :

श्री ए. वैंकटेश नायक :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

श्रीमती सरोज दुबे :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास खाद्य प्रसंस्करण एककों के विस्तार संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आठवीं तथा नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य से इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (तरुण गगोई) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता लेकिन सरकार देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना तथा विस्तार के लिए प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए वित्तीय प्रोत्साहन समेत विभिन्न नीति उपाय तथा प्रोत्साहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा मंत्रालय इस क्षेत्र के विकास के लिए 8वीं योजना के दौरान विभिन्न योजना स्कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है।

उदारीकरण से लेकर मार्च, 1995 तक किए गए विभिन्न उपायों के फलस्वरूप 3101 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए जिनमें 39098 करोड़ रुपए का निवेश निहित है। इसके अतिरिक्त 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/संयुक्त उद्यमों की स्थापना/औद्योगिक लाइसेन्सों आदि के लिए 587 प्रस्तावों (जनवरी, 1995 तक) को मंजूरी दी गई है जिनमें लगभग 7679 करोड़ रु० का निवेश निहित है। इनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए उद्यमियों द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

उदारीकरण की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों तथा मंजूर किए गए औद्योगिक प्रस्तावों का राज्यवार सारांश

क्रम सं०	राज्य का नाम	प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की संख्या	मंजूर किए गए उद्यमी औद्योगिक ज्ञापनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	197	115
2.	असम	3	-
3.	बिहार	21	4
4.	गुजरात	217	25
5.	हरियाणा	352	39
6.	हिमाचल प्रदेश	36	12
7.	जम्मू एवं कश्मीर	10	-
8.	कर्नाटक	79	20
9.	केरल	26	36
10.	मध्य प्रदेश	268	15
11.	महाराष्ट्र	436	113
12.	मणिपुर	0	-
13.	मेघालय	1	-
14.	नागालैंड	1	-
15.	उड़ीसा	15	5
16.	पंजाब	261	12
17.	राजस्थान	298	28
18.	तमिलनाडु	113	41
19.	त्रिपुरा	0	-
20.	उत्तर प्रदेश	610	38
21.	पं० बंगाल	74	10
22.	सिक्किम	1	1
23.	अंडमान तथा निकोबार	1	3
24.	अरुणाचल प्रदेश	0	-
25.	चण्डीगढ़	2	-
26.	दादर तथा नगर हवेली	11	2
27.	दिल्ली	42	1
28.	दमण एवं द्वीव	7	4
29.	एल. एम. ए. दीप	0	-
30.	मिज़ोरम	0	-
31.	पांडिचेरी	12	2
32.	गोवा	7	17

1	2	3	4
सही स्थान का उल्लेख नहीं किया गया/ प्रस्तावित यूनिट एक से अधिक राज्य में है।			44
	कुल योग :	3101	587

गुजरात में पुलों की मरम्मत

2996. डा. खुशी राम डुंगरोमल जेस्वाणी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित कितने पुलों की मरम्मत की गयी अथवा की जा रही है; और

(ख) उक्त अवधि में इस संबंध में खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) सात पुल (दो पुल 1993-94 के दौरान और पांच 1994-95 के दौरान)।

(ख) 31 मार्च, 1995 तक 54.15 लाख रु० जारी किए जा चुके हैं।

गुजरात में विद्युत आवश्यकता

2997. श्री छीतू भाई गामीत : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में कितनी मेगावाट विद्युत की आवश्यकता है;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य में विद्युत की कितनी मात्रा में उत्पादन की योजना है;

(ग) राज्य के विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाएगी; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उन्हें राज्य में कहां-कहां स्थापित किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1996-97) में गुजरात राज्य में विद्युत की मांग और उपलब्धता क्रमशः लगभग 5487 मेगावाट और 3669 मेगावाट होगी।

(ग) विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें ये शामिल हैं :– विद्यमान संयंत्रों से अधिकतम उत्पादन करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को हाथ में लेना, बेहतर मांग प्रबंध एवं ऊर्जा संवर्धन उपायों का कार्यान्वयन तथा राज्य में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देना।

(घ) 8वीं योजना अवधि के दौरान गुजरात राज्य में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं लाभ प्रदान करना शुरू कर देंगी।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कुल अधिष्ठापित क्षमता	लाभ 92-97 (मे.वा.)
	राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं		
1.	कदाना–2 यू–3 और 4 (एच)	120.00	120.00
2.	सर–सरोवर (16 प्रतिशत) (एच)	40.00	40.00
3.	कच्छ लिग्नाइट यू–3 (टी)	70.00	70.00
4.	सिक्का विस्तार यू–2 (टी)	120.00	120.00
5.	उत्तरान सीसीजीटी (जी)	99.00	33.00
6.	उत्तरान सीसीजीटी (जी)	45.00	45.00
	कुल जोड़ :	494.00	428.00

इसके अतिरिक्त, गुजरात केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं नामशः काकरपाड़ा (न्यूक्लीय–440 मेगावाट), गांधार सीसीजीटी (646 मेगावाट) एवं कवास सीसीजीटी (538 मेगावाट) से अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। ये परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

2998. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार एवं मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने के लिए आठवीं योजना का परिव्यय क्या है;

(ख) छठी और सातवीं योजना के दौरान गुजरात में कुल कितने किलोमीटर मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया गया ;

(ग) क्या राज्य में उक्त परियोजनाओं के लिए सातवीं योजना में आवंटित धनराशि को खर्च किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) गुजरात सहित विभिन्न राज्यों के लिए परिव्यय के बारे में निर्णय वर्ष दर वर्ष आधार पर लिया जाता है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1992-93 से 1994-95 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए गुजरात सरकार को 179.48 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं।

(ख) सातवीं योजना के दौरान गुजरात में 233 कि.मी. लम्बी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित किया गया है। छठी योजना के दौरान कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) निधियां राज्य वार आबंटित की जाती हैं न कि स्कीम वार।

सातवीं योजना के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास संबंधी परिव्यय एवं व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :–

वर्ष	परिव्यय	व्यय
	(करोड़ रु०)	
1985-86	13.23	13.68
1986-87	26.52	26.61
1987-88	32.00	32.06
1988-89	21.00	23.44
1989-90	32.00	31.51
जोड़ :	124.75	127.30

आन्ध्र प्रदेश में जल विद्युत संयंत्र

2999. **श्री येल्लैया नंदी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1995 तक आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले कितने बड़े और मध्यम श्रेणी के जल विद्युत संयंत्र हैं जो केन्द्र सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं तथा उनका स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा शेष मामलों में विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ग) सभी विद्युत परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जाएगी तथा उन्हें पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य तिथि क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बी. पटेल) : (क) से (ग) विद्युत मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश में कोई भी जल विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित करने हेतु अनुमोदन दिया जाना शेष नहीं है। आन्ध्र प्रदेश में इस समय निम्नलिखित 3 अनुमोदित जल विद्युत परियोजनाएं कार्य–निष्पादनाधीन हैं :–

क्र.सं.	परियोजना/जिले का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	चालू करने का कार्यक्रम	
			वास्तविक	नवीनतम
1.	श्रीसेलम एलबीपीएच करनूल	6x150	1993-95	1996-2000
2.	बालीमेला कोरापुट में आन्ध्र प्रदेश पावर हाऊस	2x30	1982-83	नौवीं योजना के पश्चात्
3.	सिंगुर मैडक	2x7.5	1993-94	1996-97

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने महबूबनगर जिले में स्थित प्रियदर्शिनी जुराला जल विद्युत परियोजना (6 x 39.9 मे.वा.) को और गुंटुर जिले में स्थित नागार्जुन सागर टेलपोण्ड बांध (2 x 25 मे.वा.) को भी तकनीकी – आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

योजना आयोग द्वारा प्रियदर्शिनी-जुराला जल विद्युत परियोजना को निवेश सम्बन्धी अनुमोदन तब प्रदान किया जाएगा जब आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार के साथ लागत और लाभों में भागीदारी से सम्बन्धित पहलुओं का समाधान कर लिया जाएगा। कार्य आरम्भ होने के बाद इस परियोजना को पूरा होने में लगने वाली अवधि चार वर्ष है।

नागार्जुन सागर टेलपौण्ड बांध पर निवेश सम्बन्धी अनुमोदन देने पर तब ही विचार किया जाएगा जब आन्ध्र प्रदेश सरकार, प्रतिपूरक वनरोपण के लिए अभिज्ञात भूमि का अधिग्रहण कर लेगी और इसे राज्य सरकार के वन विभाग को हस्तांतरित कर देगी। इस परियोजना को पूरा करने की अवधि की प्रत्याशा कार्य के आरम्भ होने से चार वर्ष लगाई गई है।

नई औषध नीति

3000. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषधियों को हाल ही में घोषित सरकारी मूल्य नियंत्रण नीति के अधिकार क्षेत्र से पृथक रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उसके क्या कारण है;

(ग) ऐसी औषधियों के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने मूल्य नियंत्रण के अधीन औषधियों का उत्पादन करने वाले निर्माताओं को कितने प्रतिशत लाभ कमाने की अनुमति दी है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत औषधों को शामिल करने के लिए अपनाए गए मानदंड, अन्य बातों के साथ–साथ, वार्षिक कारोबार, एकाधिकारी स्थिति और बाजार प्रतियोगिता हैं। ब्यौरे "औषध नीति 1986 में संशोधन" के पैरा 22.7.2 में दिए गए हैं, जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) औषधों के मूल्यों पर नजर रखी जा रही है और अनुचित वृद्धि के मामले में मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत पुनः शामिल करने जैसे उपचारी कदम उठाये जा सकते हैं।

(घ) डी पी सी ओ के पैरा 3(2) के अनुसार, प्रपुंज औषधों का अधिकतम बिक्री मूल्य नियत करते समय शुद्ध मूल्य पर 14 प्रतिशत का कर–पश्चात् प्रतिफल या लगाई गई पूंजी पर 22 प्रतिशत प्रतिफल की अनुमति दी जाती है। तथापि, यदि निर्माण आधारभूत अवस्था से है तो उपरोक्त दरों से 4 प्रतिशत अधिक प्रतिफल की अनुमति दी जाती है।

शहरों में मेट्रो रेल

3001. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता के पैटर्न पर अन्य महानगरों में मेट्रो रेल के निर्माण की योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार दिल्ली में भूमिगत मेट्रो रेल के निर्माण के लिए किसी देश से बातचीत कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी महानगर में कलकत्ता मेट्रो की पद्धति के अनुरूप मेट्रो का निर्माण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) राइट्स द्वारा 1991 के दौरान किए गए विस्तृत साध्यता अध्ययन के आधार पर दिल्ली जन द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (एम आर टी एस परियोजना के चरण–1 का निर्माण आरंभ करने का प्रस्ताव था जिसमें 19 कि. मी. के दो भूमिगत, कारीडोर, 31 कि.मी. के भूतल/उत्थित कारीडोर तथा 17.5 कि.मी. का एक सुगम बस मार्ग कुल लंबाई =67.5 कि.मी.) शामिल है। चरण 1 की अनुमानित लागत 1992-93 के मूल्यों पर लगभग 3401 करोड़ रु० थी।

तदन्तर, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच हुए विचार–विमर्श के आधार पर परियोजना के चरण 1 (55.5 कि.मी. के लिए निम्नलिखित संशोधित मार्ग स्वीकृत किया गया है :

(i) दिल्ली विश्वविद्यालय–पुसना (जीएससीटीडी), सचिवालय, अंतर्राज्य बस अड्डा –कनॉट प्लेस – केन्द्रीय सचिवालय के साथ–साथ 11 कि.मी. का भूमिगत मेट्रो (उत्तर दक्षिण कारीडोर)

(ii) शाहदरा–अंतर्राज्य बस अड्डा –रामपुरा–नांगलोई के साथ–साथ जाने वाला 25 कि.मी. का उन्नत/उत्थित रेल मार्ग (पूर्व पश्चिम कारीडोर); तथा

(iii) सब्जी मंडी –नया आजादपुर–होलंबी कलां के साथ–साथ 19.5 कि.मी. का उन्नत/उत्थित रेल मार्ग (उत्तर पश्चिम कारीडोर)।

संशोधित चरण 1 की अनुमानित लागत 1994-95 के मूल्यों पर लगभग 4027 करोड़ रु० (भूमि की लागत को छोड़कर) है।

दिल्ली में मेट्रो रेल प्रणाली की निर्माण के लिए ऋण की व्यवस्था करने हेतु ओ. ई. सी. एफ. जापान के साथ बातचीत की जा रही है। तथापि, इस संबंध में जापान के प्राधिकारियों का अन्तिम निर्णय अभी प्राप्त होना है। शेयर पूंजी, तथा अन्य स्रोतों से जुटाए जाने वाले और राजस्व के रूप में आवश्यक वित्तीय संसाधनों की पूर्ण रूप से व्यवस्था करने के बाद ही परियोजना आरंभ की जा सकेगी।

विद्युत उत्पादन क्षमता

3002. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों के लगाए जाने में प्रगति की गति अत्यंत धीमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बी. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गुजरात में सफाई सुविधाएं

3003. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार की ओर से राज्य में मलिन बस्तियों को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण और शहरी आवास तथा सफाई सुविधाओं में सुधार हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त प्रस्ताव के लिये कोई विदेशी ऋण की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि के ऋण की अनुमति दी है; और

(ङ) राज्य सरकारों को ऋण देने के लिये क्या मानदंड अपनाये गये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन):

(क) और (ख) गुजरात सरकार ने बड़ौदा शहर में स्लम सुधार के लिए ब्रिटेन (यू.के) के ओवरसिज डवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओडीए) से वित्तीय सहायता के लिए 52.79 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली एक प्रायोगिक परियोजना पेश की थी। इस परियोजना में शहर के साथ स्लम के एकीकरण पर विचार किया गया है और इसमें समुदाय विकास, आय सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार, भौतिक सुधार और पर्यावरणीय सुधार जैसे विभिन्न क्रियाकलाप शामिल हैं।

(ग) यह परियोजना सरकार द्वारा यू.के. के ओवरसिज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के समक्ष विचारार्थ पेश की गई है। इस परियोजना का अनुमोदन अभी किया जाना है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य विद्युत बोर्डों की कार्य दक्षता

3004. श्री विजय एन. पाटील : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों को और अधिक कार्यदक्ष तथा अर्थसक्षम बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास विभिन्न राज्यों में विद्युत शुल्क दरों को युक्तियुक्त बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1945 के प्रावधानों के अनुसार राज्य बिजली बोर्ड संबंधित राज्य सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन होता है। केन्द्र सरकार का प्रत्यक्ष रूप से इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तथापि राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने के लिए युक्तिसंगत टैरिफ, ग्राम विद्युतीकरण आर्थिक सहायता का नियमित भुगतान करने, संयंत्र भार अनुपात में सुधार करने, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करने आदि जैसे उपाय किए जाने के लिए राज्य सरकारों को समय समय पर सलाह दी गई है।

(ग) और (घ) विद्युत विक्रय के लिए टैरिफ का निर्धारण राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है।

उर्वरकों के मूल्य

3005. श्री सुधीर गिरि : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के मूल्यों में तीव्र उतार–चढ़ाव आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मूल्यों में उतार–चढ़ाव के कारण देश में उर्वरकों के उत्पादन में तेजी से कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो देश में उर्वरकों के मूल्य में उतार–चढ़ाव पर नियंत्रण करने तथा इनके उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) यूरिया, जो एक मात्र इस समय सांविधिक मूल्य नियंत्रणाधीन उर्वरक है, का बिक्री मूल्य पिछली बार 10.6.1994 को 20% संशोधित किया गया था। इससे पूर्व, जुलाई, 1992 में यूरिया के मूल्य में 10% की कमी की गई। उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरकों के मूल्यों को 25.8.1992 से अनियंत्रित कर दिया गया था। अतः उत्पादक/आपूर्तिकर्ता, फास्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों की बिक्री खुले बाजार मूल्य पर करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) और (घ) यूरिया के मूल्य में परिवर्तन से उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। तथापि, फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के अनियंत्रण के परिणामस्वरूप जिससे खुले बाजार में उनके मूल्यों में बढ़ोतरी हुई, इन उर्वरकों की खपत में गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप फास्फटिक उर्वरकों के उत्पादन में कमी हुई। इन उर्वरकों के खुले बाजार मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार स्वदेशी डीएपी की बिक्री पर प्रति टन 1000 रु० की रियायत तथा स्वदेशी कम्प्लेक्स उर्वरकों तथा सिंगल सुपर फास्फेट (एसएसपी) पर समानुपातिक रियायत दे रही है। म्यूरिएट आफ पोटाश (एमओपी) जिसका पूर्णतः आयात किया जाता है, पर 1000 रुपये प्रति टन की रियायत भी दी जा रही है। फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन न्यूट्रियेंट के रूप में 1993-94 के दौरान 18.16 लाख टन से बढ़कर 1994-95 के दौरान 24.93 लाख टन हो गया।

तमिलनाडु में छोटे और मझौले शहरों के समेकित विकास की योजना

3006. डा० पी. वल्लल पेरुमान : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान छोटे और मझोले शहरों के समेकित विकास योजना के अंतर्गत विकास हेतु चुने गये शहरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु की सरकार ने केन्द्र सरकार के पास चालू वर्ष के दौरान कोई शहरी योजनाएं भेजी थीं,

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कुल कितनी परियोजना लागत आयेगी, और

(घ) इन परियोजनाओं का काम कब तक पूरा हो जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन):

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, तमिलनाडु राज्य के 29 नगरों को लघु एवं मझोले नगरों के एकीकृत विकास की योजना के तहत विकास के लिये चुना गया है। नगरों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु राज्य के उन नगरों की सूची जिन्हें आई डी एस एम टी योजना के लिये चुना गया है।

	नगर का नाम	चयन वर्ष
1.	बारगुड	1992-93
2.	इडापड्डी	
3.	तेनकासी	
4.	कुडल्लौर	

1	2
5. भवानी	
6. कुमार पलायम	
7. कुरूची	
8. तिरूलंगाल	
9. अविनाशी	1993-94
10. अधिरामपटनम	
11. सुलूर	
12. सतुवधारी	
13. उसिलमपट्टी	
14. मनमदुराई	
15. कोटागिरि	
16. तिरूवल्लौर	
17. पौम्नेरी	
18. पल्लादम	
19. कांगयम	1994-95
20. वीर पाचंत्रम	
21. कासीपलयम	
22. कुलीथलायी	
23. पूवीरून्तवल्ली	
24. इनमकरूर	
25. वन्दमासी	
26. तिरूचन्दूर	
27. शोलिंगर	
28. वनियमयादी	
29. कुठानल्लौर	

जस्ते एवं सीसे का उत्पादन और मांग

3007. श्री के. प्रधानी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जस्ते एवं सीसे की मांग का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन धातुओं की वार्षिक मांग कितनी–कितनी थी;

(ग) क्या सरकार इन धातुओं की घरेलू मांग को पूरा करने में सक्षम है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन धातुओं की मांग एवं आपूर्ति के अंतर को समाप्ति करने हेतु उठाए गए वैकल्पिक कदमों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अलौह धातु पर बने कार्य दल द्वारा 1992-93 से 1994-95 तक के वर्षों के लिए जस्ते और सीसे के लिए लगाए गये मांग अनुमान निम्न प्रकार हैं :

(आंकड़े मी. टन में)

वर्ष	जस्ता	सीसा
1992-93	1,82,000	1,00,000
1993-94	1,92,000	1,07,000
1994-95	2,03,000	1,15,000

इन धातुओं की प्रभावी मांग को स्वदेशी प्राथमिक और माध्यमिक उत्पादकों और निर्यात की मार्फत पूरा किया गया।

मालवाहक और यात्री पोत

3008. श्री अंकुशराव टोपे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सातवीं और आठवीं योजना अवधि के दौरान मालवाहक और यात्री पोतों की खरीद के क्रयादेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने जल पोत खरीदे गए; और

(घ) दिए गए और लंबित क्रयादेशों की वर्तमान स्थिति क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तटीय राजमार्ग

3009. श्री हरिन पाठक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात के समुद्री तट के साथ–साथ तटीय राजमार्ग बनाने संबंधी कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस हेतु विश्व बैंक से कोई सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (घ) गुजरात सरकार ने तटीय राजमार्ग के लिए

निम्नलिखित संपर्क मार्गों सहित गुजरात में कतिपय सड़कों के सुधार के लिए विश्व बैंक से ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव पेश किया है:

तटीय राजमार्ग के लिए संपर्क मार्ग		लंबाई (कि.मी.)
(क)	सरिगाम – मुन्डा	12
(ख)	अलंग – लिंक	8
(ग)	गोधा – अलंग	38
(घ)	पियावव – लिंक	10
(ड)	सूत्रपाड़ा – लिंक	15
(च)	अंकलेश्वर – हंसोंट	20

विश्व बैंक में प्रस्तुत करने के लिए इन पर कार्रवाई की जा रही है।

पाक दुष्प्रचार

3010. **श्री अन्ना जोशी :**

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मुद्दे को उठाने का बार–बार प्रयास कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार को विफल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जायेंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को सही स्थिति की सूचना देती रही है जिसमें जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पार से आतंकवाद प्रायोजित करने में पाकिस्तान का हाथ होने की सूचना भी शामिल है।

भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों हेतु आवास योजना

3011. **श्री शिव शरण वर्मा :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान भूमिहीन ग्रामीण श्रमिकों हेतु आवास योजना के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और वास्तव में कितनी राशि का व्यय किया गया; और

(ख) इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आठवीं योजना अवधि के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इन योजनाओं से देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में भूमिहीन श्रमिक किस सीमा तक लाभान्वित हुए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान जिंक लि० का विविधीकरण

3012. **डा० कृपासिंधु भोई :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान जिंक लि० का आधुनिकीकरण विस्तार और विविधीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बनायी गयी योजना का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान जिंक लि० की निम्नलिखित आधुनिकीकरण विस्तार और विविधीकरण योजनाएं हैं :

(क) रामपुरा अगुचा खान की वर्तमान 3000 टन प्रति दिन की क्षमता का 4500 टन प्रति दिन तक विस्तार करना।

(ख) राजस्थान के बनासवाड़ा जिले में जगपुरा में स्वर्ण निक्षेपों का गवेषण और खनन।

(ग) हिन्दुस्तान जिंक लि० ने विविधीकरण योजना के एक भाग के रूप में ब्यूरो ऑफ जियोलोजी एंड माइनिंग, बी आर जी एस, फ्रांस और वियतनाम रेअर एंड प्रिसिअस मिनरल्स कारपोरेशन, वियतनाम के साथ वियतनाम के पैक लेंग क्षेत्र में स्वर्ण संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक संयुक्त उद्यम लगाने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

अम्बेडकर आवास योजना

3013 **डा० लाल बहादुर रावल :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत जनता/अल्प आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग श्रेणियों के फ्लैटों का आवंटन किन–किन स्थानों पर किया गया है और इस समय ऐसे कितने फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के फ्लैटों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा और इन्हें पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक आवंटित किया जायेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के.थुंगन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने बताया है कि अंबेडकर आवास योजना, 1989 के अंतर्गत निम्नलिखित कालोनियों में फ्लैटों का आवंटन किया गया है:

1. कोंडली – घरौली
2. रोहिणी
3. पीतमपुरा
4. हस्तल गांव
5. रघुबीर नगर
6. विकासपुरी

7. पंचशील
8. अशोक विहार
9. ज्वाला हेडी
10. दक्षिण पुरी
11. अयाचिनी
12. पुल प्रहलादपुर
13. चिल्लागांव
14. पश्चिमपुरी (नांगलोई सैयद)
15. नरेला
16. बिन्दापुर
17. झिलमिल
18. जहांगीरपुरी
19. सराय खलील
20. द्वारका (नासिरपुर)
21. जसोला
22. मयूर विहार

फ्लैटों का निर्माण एकमात्र अंबेडकर आवास योजना, 1989 के तहत नहीं किया जाता है जैसा कि कम आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग फ्लैटों का आवंटन, अन्य पंजीकृत आवेदकों को भी किए जाते हैं। अंबेडकर आवास योजना के जनता श्रेणी के सभी पंजीकृत आवेदकों को फ्लैट की पेशकश की गई है। वर्तमान नीति के तहत, प्रत्येक वर्ष कम आय वर्ग एवं मध्यम आय वर्ग के बने फ्लैटों के 25% फ्लैटों का आवंटन अंबेडकर आवास योजना 1989 के तहत पंजीकृत आवेदकों को किया जाता है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मत्स्यन

3014. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी उद्योग ने विशाखापत्तनम में अत्यधिक बर्थ शुल्क (एक्सेसिव बर्थिंग चार्जेज) तथा बंदरगाह प्रभार में कुछ रियायत देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मत्स्यन संबंधी उद्योग को लाभकारी बनाने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) और (ख) जी हां। विशाखापत्तनम स्थित मत्स्यन उद्योग ने विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट द्वारा लगाए गए बर्थ किराया शुल्क में कुछ रियायत के लिए अनुरोध किया था। परिणामस्वरूप इन दरों में 1.7.94 से संशोधन कर दिया गया।

(ग) गहन समुद्री मत्स्यन क्षेत्र को दी गई कुछ सहायता तथा प्रोत्साहनों का उल्लेख संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गहन समुद्री मत्स्यन के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता और प्रोत्साहन

(i) स्वदेशी, आयातित तथा चार्टर्ड जलयानों के विवेक सम्मत मिश्रण से गहन समुद्री मत्स्यन बेड़े का संवर्द्धन।

(ii) देश में निर्मित गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की लागत पर 33% सब्सिडी का प्रावधान।

(iii) एस. सी. आई. सी. आई. लिमि. के जरिए ऋण सुविधा का प्रावधान।

(iv) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों का सुव्यवस्थित तथा गहन सर्वेक्षण।

(v) बड़े तथा छोटे पत्तनों पर हार्बर सुविधाओं का संवर्द्धन।

(vi) गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा इस्तेमाल किए गए डीजल की लागत के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति।

(vii) मत्स्यन जलयानों को चलाने वाले व्यक्तियों को गहन समुद्री मत्स्यन प्रचालन का प्रशिक्षण।

राज्य विद्युत बोर्डों को दिशानिर्देश

3015. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को गैर–सरकारी विद्युत कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई निर्देश दिशा–निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों/राज्य सरकारों के साथ समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाली विद्युत कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समझौतों के अंतर्गत अनुमानतः कितनी विद्युत का उत्पादन होगा तथा परियोजनाओं की परियोजनावार लागत क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला बी. पटेल) : (क) निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुरोध के संबंध में प्रतिस्पर्धात्मक बोली को राज्य सरकारों को जनवरी, 1995 में जारी अनुदेशों के माध्यम से अनिवार्य कर दिया गया है। अनुदेशों के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समझौता ज्ञापनों की प्रक्रिया के माध्यम से आने वाले किसी भी प्रस्ताव पर भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों/पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि./ऊर्जा प्रबंध केन्द्र से प्राप्त सूचना के अनुसार, विद्युत कंपनियों द्वारा अभी तक 123 समझौता ज्ञापन निष्पन्न किए गए हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रकट की गई रुचियों का ब्यौरा (एम. ओ. यू. की तिथि समेत) (20.4.95 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं०	परियोजना का नाम	क्षमता	अंतिम लागत	प्रकार	समझौता ज्ञापन की तारीख	कंपनी का नाम
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश						
1.	भोपालपल्लाई	120 मे.वा.	420.000	कोयला	18.2.95	लेविस स्टेन्ली एसोसिएट्स इन्क.
2.	कुडापा	420 मे.वा.	1470.000	कोयला	18.2.95	लेविस स्टेन्ली एसोसिएट्स इन्क.
3.	पूर्वी गोदावरी	100 मे.वा.	350.000	फुरनासियोल	18.2.95	रायलसीमा पैट्रो केमिकल्स लि.
4.	गोदावरी	208 मे.वा.	748.000	गैस/नाफ्था	18.2.95	स्पैक्ट्रम टेक. यूएसए/जया फूड एंड एमटीपीसी
5.	गोपालपल्लाई	250 मे.वा.	875.000	कोयला	18.2.95	ओरियंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज
6.	हैदराबाद	200 मे.वा.	700.000	फुरनासियोल	18.2.95	बालाजी होटल एंड इन्टरप्राइजेज लि.
7.	हैदराबाद	200 मे.वा.	700.000	एलएसएचएस	18.2.95	जीएमआर वासवी इण्डस्ट्रीज लि.
8.	हैदराबाद	700 मे.वा.	2450.000	सी.एन.ई. गैस	18.2.95	मै. आर. पी. जी. इण्ड. लि.
9.	हैदराबाद	200 मे.वा.	700.000	फिरनोसआयाल	18.2.95	बालाजी डिस्ट्रीलरीज लि.
10.	हैदराबाद	200 मे.वा.	700.000	फिरनोसआयाल	18.2.95	बालाजी बायोटैक लि.
11.	जेगुरूपाडु जीवीपीपी	235 मे.वा.	827.000	गैस/नाफ्था	16.3.95	जीवीके इण्डस्ट्रीज लि. यूएसए
12.	काकीनंदा	660 मे.वा.	2310.000	नाफ्था	18.2.95	मै. कुमार्स पावर
13.	काकीनंदा	250 मे.वा.	875.000	सीएनडी गैस	18.2.95	मै. एडवांड रेडियो मास्टर्स
14.	काकीनंदापोर्ट 8	1000 मे.वा.	3500.000	कोयला	18.2.95	मै. इन्कोसम प्रा. लि.
15.	कलिंगापट्टनम	120 मे.वा.	420.000	कोयला	18.2.95	मै. कृष्णा गोदावरी बेसिन पावर यूटिलिटीज लि.
16.	करीमनगर	120 मे.वा.	420.000	कोयला	18.2.95	लेविस स्टेन्ली एसोसिएट्स इंक
17.	मछेलीपट्टनम	500 मे.वा.	1750.000	सीएनडी गैस	18.2.95	अनागर फाईनेंस लि.
18.	मनुगुरू	1000 मे.वा.	3500.000	कोयला	18.2.95	सांघी ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज
19.	मनुगुरू	500 मे.वा.	1750.000	एलएसएचएस	18.2.95	श्री शिवा पावर लि.
20.	नेलूर	530 मे.वा.	1855.000	कोयला	18.2.95	जीएसएक्स इन्टरनेशनल ग्रुप इन्क. हास्टन यूएसए
21.	निजामाबाद	200 मे.वा.	700.000	कोयला	18.2.95	मै. रिचिमैन सिल्क लि.
22.	रामागुण्डम	500 मे.वा.	1750.000	सीएनडी गैस	18.2.95	मै. एडवांस रेडियो मास्टर्स
23.	रामीगुंटा	200 मे.वा.	700.000	फिरनोसआयल	18.2.95	बालाजी इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि.
24.	सिमांद्री	1000 मे.वा.	3500.000	कोयला	18.2.95	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि.
25.	ट्वी गिटाइस	250 मे.वा.	875.000	कोयला	18.2.95	मै. रिचिमैन सिल्क्स लि.
26.	विशाखापट्टनम	650 मे.वा.	2275.000	नाफ्था/गैस	18.2.95	इस्सार इन्वेस्टमेंट्स लि.
27.	विशाखापट्टनम	500 मे.वा.	1750.000	कोयला	18.2.95	श्री शिव प्रिया पावर लि.
28.	विशाखापट्टनम	500 मे.वा.	1750.000	सीएनडी गैस	18.2.95	मै. एमर्ट्रिक्स एप्लायंसेज

1	2	3	4	5	6	7
29.	विशाखापट्टनम टीपीएस	2x500 मे.वा.	5818.000	कोयला	18.7.92	अशोक लेलैण्ड एंड नेशनल पावर यू.के.
30.	विजियनगरम	220 मे.वा.	770.000	नाफ्था	18.2.95	पान पावर कारपोरेशन
31.	वाडापल्ली	120 मे.वा.	420.000	कोयला	18.2.95	मै. कृष्णा गोदावरी बेसिन पावर यूटीलिटीज लि.
जोड़ : 31		12653.00	46628.430			
अरूणाचल प्रदेश						
32.	कमेंग एच.ई.पी.	600 मे.वा.	1800.000	हाइडल	6.3.93	इन्टर कोर्प इण्डस्ट्रीज लि./स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग, लि.
33.	खारसांग जीबीपीपी	48 मे.वा.	223.000	गैस	6.3.93	इन्टर कोर्प/स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग, आस्ट्रेलिया
जोड़ : 2		648.00	2023.000			
असम						
34.	आदमटिल्ला। ओपेन साइकल	15 मे.वा.	52.500	गैस	3.9.93	डीएलएफ पावर कंपनी लि.
35.	अमगुरी जीबीपीपी	280 मे.वा.	1280.000	गैस	10.6.93	असम पावर पार्टनर्स, नार्दन इंजीनियरिंग इन्क/यूएसए
36.	बसखण्डी ओपन साइकल	22.50 मे.वा.	78.750	गैस	3.9.93	डीएल एफ पावर कंपनी लि.
37.	कारबी लांग्पी एचईपी	2x250 मे.वा.	284.300	हाइडल	6.3.93	मै. भारत हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि.
38.	नामरूप टीपीएस विस्तार	90 मे.वा.	315.000		15.2.95	मै. विलियमसन मागौर
जोड़ : 5		507.50	2010.550			
गुजरात						
39.	मंगरौल टीपीएस	250 मे.वा.	1882.810	लिग्नाइट	15.9.94	गुजरात इण्डस्ट्रीज पावर कंपनी लि. बड़ौदा
40.	पागुथान जीबीपीपी	655 मे.वा.	2298.140	गैस	12.5.94	गुजरात टोररेंट एनर्जी कारपोरेशन लि./सिमेंस जर्मन
जोड़: 2		905.00	4180.950			
हरियाणा						
41.	यमुना नगर टीपीएस	2x350 मे.वा.	3500.000	कोयला	5.4.94	आइजनबर्ग ग्रुप आफ कं. इजरायल
जोड़ 1		700.00	3500.000			
हिमाचल प्रदेश						
42.	एलायन–दुहांगन	192 मे.वा.	672.000	हाइडल	28.8.93	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वेविंग मिल्स लि.
43.	बासपा	300 मे.वा.	867.700	हाइडल	23.11.92	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
44.	धामवाड़ी एचईपी	70 मे.वा.	272.000	हाइडल	28.8.93	हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी यूएसए
45.	हिब्रा एचईपी	231 मे.वा.	708.500	हाइडल	28.8.93	हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी यूएसए
46.	कारधन वांग्टू	900 मे.वा.	3150.000	हाइडल	25.3.93	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
47.	मलाना एचईपी	86 मे.वा.	371.000	हाइडल	28.8.93	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वेविंग मिल्स लि.
48.	नियोगल एचईपी	12 मे.वा.	42.000	हाइडल	28.8.93	ओम पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली
49.	उहल -3 एचईपी	2x50 मे.वा.	699.590	हाइडल	10.2.92	बाल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि. दिल्ली
जोड़ : 8		1891.00	6782.790			

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक						
50.	अलमाट्टी डैम	600 मे.वा.	1900.000	हाइडल	26.7.92	एशिया पावर कंपनी लि. (टापको) यूएसए, केपीएसी
51.	चुनचानकाट्टी	15 मे.वा.	52.500	हाइडल	19.4.93	मै. ग्रेफाइट इंडिया लि.
52.	होस्पैट टीपीएस	2x250मे.वा.	2240.000	कोयला	30.7.92	होले इन्टर कॉटिनेंटल लि. यूएसए
53.	जेबीटीसी कंपनी	2x120मे.वा.	1838.900	गैस/कोयला	9.12.94	जिन्दल ग्रुप/ट्रेक्टेबल बेलजियम
54.	कुमारधारा	48 मे.वा.	168.000	हाइडल	6.9.94	मै. भोरूका पावर कारपोरेशन लि.
55.	मंगलौर टीपीएस	4x250 मे.वा.	5000.000	कोयला	30.7.92	कागेट्रिक्स इन्क. यूएसए
56.	नागार्जुन	2x500 मे.वा.	4000.000	कोयला	27.1.94	जैस्को (नागार्जुन ग्रुप)
57.	रायपुर चरण 5 एवं 6	2x250 मे.वा.	1750.000	कोयला	28.7.92	पब्लिक पावर इन्ट. इन्क (नार्थ ईस्ट एनर्जी) यूएसए
58.	टुंगा एनीकट	20 मे.वा.	70.000	हाइडल	30.4.93	मै. डाण्डेली स्टील एंड पैररो एल्लायस लि.
59.	वाराही आईडीपीएच	15 मे.वा.	52.500	हाइडल	20.10.94	मै. भोरूका पावर कारपोरेशन लि.
जोड़ :	10	3938.00	16159.900			
केरल						
60.	अनाकाया एचईपी	8 मे.वा.	36.000	हाइडल	29.9.92	आइडियल एण्ड सर्विसिज (प्रा.) लि.
61.	लूथायाकेट्टू	16 मे.वा.	56.000	हाइडल	7.8.92	सिलकाल मैटलर्जिक (प्रा. लि.)
62.	चाथनकोटदुनाडा	7 मे.वा.	22.010	हाइडल	29.9.92	आइडियल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसिज (प्रा.) लि.
63.	चेम्बूक्कादावु-2	7 मे.वा.	22.290	हाइडल	29.9.92	आइडियल प्रोजेक्ट एण्ड सर्विसिज (प्रा.) लि.
64.	कारीकायाम एचईपी	12 मे.वा.	42.000	हाइडल	21.11.92	ट्रान्कानोल इलैक्ट्रो केमिकल इण्डस्ट्रीज लि.
65.	कुथुंगल एचईपी	20 मे.वा.	70.000	हाइडल	24.8.92	इण्डसिल इलैक्ट्रोसाइट्स लि.
66.	पालचुराम एचईपी	3.50 मे.वा.	12.260	हाइडल	29.9.92	आइडियल प्रोजेक्टस एण्ड सर्विसिज (प्रा.) लि.
67.	थ्रिक्कारीपुर टीपीपी	2x210 मे.वा.	1970.00	कोयला	10.1.94	बीपीएल ग्रुप
68.	उल्लुंकाल एचईपी	6 मे.वा.	21.000	हाइडल	21.11.92	ट्रान्कानोल इलैक्ट्रो कैमिकल इण्ड. लि.
69.	विलांगाद एचईपी	7 मे.वा.	24.960	हाइडल	29.9.92	आइडियल प्रोजेक्ट एण्ड इन्डस्ट्रीज (प्रा.) लि.
70.	वैस्टर्न काल्लार एचईपी	5 मे.वा.	14.240	हाइडल	29.9.92	आइडियल प्रोजेक्टस एण्ड सर्विसिज (प्रा.) लि.
जोड़:	11	511.50	1790.780			
महाराष्ट्र						
71.	भद्रावती टीपीएस	2x536मे.वा.	5187.000	कोयला	18.6.93	इस्पात अल्लायस लि/ईरीपीडी यूके/ईडीएफ फ्रांस
72.	दाभोल सीसीजीटी (एलएनजी)	2015मे.वा. (695 पीएच)	9051.270	एलएमजी	26.6.92	एन्रॉन डेवलपमेंट कारपोरेशन, जी ई एंड बेचटेल यूएसए
73.	खापरखेड़ा टीपीएस यू 5 व 6	2x210 मे.वा.	353.000	कोयला	28.1.93	एरानो लाइन शिपिंग कंपी, माल्टा/सिंगापुर
जोड़:	3	3507.00	14591.270			
मध्य प्रदेश						
74.	बिना टीपीएस	1000 मे.वा.	4000.000	कोयला	29.10.94	ग्रासिम इण्ड. लि.

1	2	3	4	5	6	7
75.	बिरसिंहपुर टीपीएस	500 मे.वा.	2000.000	कोयला	26.10.94	हाउस्टेन इंड एनर्जी इंडिया इन्क गुजरात अम्बुजा सी.ई.
76.	दुआल फयूल नैपथा बेस्ड	330 मे.वा.	1280.000	गैस	12.10.94	इस्सार इन्वेस्टिगेशन लि. बम्बई
77.	ग्वालियर (डीजल) पी पी	120 मे.वा.	420.000	डीज़ल	11.11.94	वार्टसिला डीजल फिनलैंड
78.	कोरबा ईस्ट टीपीएस	2x250 मे.वा.	875.000	कोयला	7.10.94	डाइवोड कारपोरेशन साउथ कोरिया
79.	कोरबा वैस्ट विस्तार	2x210 मे.वा.	1600.000	कोयला	28.7.93	मै. मुकुन्द लि.
80.	कोरबा वैस्ट टीपीएस	2x250 मे.वा.	1587.000	कोयला	21.1.95	आरपीजी इण्डस्ट्रीज लि.
81.	महेश्वर एचईपी	10/40 मे.वा.	1073.000	हाइडल	28.7.93	मै. एस कुमार्स/बेचटैल यूएसए
82.	पेंच टीपीएस	500 मे.वा.	1500.000	कोयला	16.6.94	सोरोस एण्ड मैनेजमैंट यूएस
83.	रायगढ़ टीपीएस	1000 मे.वा.	4000.000	कोयला	21.10.94	जिन्दल स्ट्रिप्स प्रा. लि.
84.	रतलाम	120 मे.वा.	420.000	डीज़ल	24.12.94	मै. जीवीके पावर लि.
85.	तावा एचईपी (कैप्टिव)	12 मे.वा.	65.000	हाइडल	1.11.92	एचईपी लि.
जोड़:	12	5402.00	18920.000			
उड़ीसा						
86.	बोम्लाई टीपीएस	2x250 मे.वा.	1750.000	कोयला	2.4.94	गैलेक्सी पावर कंपनी, यूएसए एंड इन्डेक आफ शिकागो
87.	चिपुलिमा बी	200 मे.वा.	700.000	हाइडल	16.9.94	मै. जे. के. कारपोरेशन लि. नई दिल्ली
88.	डुबुरी टीपीएस	500 मे.वा.	1750.000	कोयला	25.1.92	कालिंगा पावर कारपोरेशन (एनई पावर, यूएसए)
89.	दुर्गापुर	2x250 मे.वा.	1750.000	कोयला	1.11.94	जे. के. कारपोरेशन लि.
90.	हिराकुंड–ख	208 मे.वा.	1914.000	हाइडल	16.9.94	मै. जे. के. कारपोरेशन लि. नई दिल्ली
91.	इब घाटी टीपीएस	420 मे.वा.	1993.530	कोयला	9.12.92	ए ई एस कारपोरेशन, यूएसए
92.	बालापुट टाओई	3x6 मे.वा.	63.000	हाइडल	7.11.94	उड़ीसा पावर कारपोरेशन लि.
93.	लापांगा टीपीएस	500 मे.वा.	1750.000	कोयला	25.10.94	पायोनियर एंड पाण्डा इंजीनियरिंग, यूएस सामलाई (प्रा.) लापान
94.	नाराज टीपीएस	2x250 मे.वा.	1750.000	कोयला	8.10.94	उड़ीसा पावर जेनरेशन कारपोरेशन एंड मै. इंडिया पावर पार्टनर्स
जोड़:	9	3346.00	13420.630			
राजस्थान						
95.	धौलपुर	2x350 मे.वा.	2958.000	कोयला	17.2.94	मै. आरपी जी इन्टरप्राइजेज
जोड़:	1	700.00	2958.000			
तमिलनाडु						
96.	कुड्डालूर टीपीएस	2x660 मे.वा.	5664.000	कोयला	5.12.92	इन्टरनेशनल कंट्रेक्टिंग एंड मार्केटिंग /इंजी, यूएसए
97.	गुम्माडी पुण्डी	500 मे.वा.	1750.000	कोयला	25.10.94	विडियोकोन इन्टरनेशनल

1	2	3	4	5	6	7
98.	जायमकोण्ड लिग्नाइट पीपी	3x5500मे.वा.	5250.000	लिग्नाइट	27.8.93	मकमैल्ली भारत इंजीनियरिंग कंपनी लि. एंड टिडको, संयुक्त उद्यम
99.	नार्थ मद्रास	2x500 मे.वा.	3500.00	कोयला	25.10.94	मै. विडियोकोन इन्टरनेशनल, लि. बम्बई
100.	नार्थ मद्रास टीपीपी-3	500 मे.वा.	1750.00	कोयला	25.10.94	मै. परो मैजस्टिक एसडीएन, बीएचडी मलेशिया
101.	पिल्लई पेरू मलनैल्लूर	300 मे.वा.	1235.820	गैस/नाप्था	9.12.92	डायना विजन आफ रेड्डी ग्रुप/ जे माकोवस्की यूएसए
102.	समायानैल्लूर डीईपीपी	100 मे.वा.	384.000	डीज़ल	16.9.94	बालाजी ग्रुप
103.	जीरो यूनिट (एनएलजी)	250 मे.वा.	1325.110	लिग्नाइट	31.8.92	एसटी पावर स्टिम्स इन्क यूएसए
जोड़:	8	5470.000	20858.930			
उत्तर प्रदेश						
104.	अलीगढ़ पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	350.000	डीज़ल	4.2.95	मै. यूनियन पावर लि.
105.	चन्दौसी पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	350.000	डीज़ल	4.2.95	मै. इंडिया पावर पार्टनर्स प्रा. लि.
106.	गजरौला पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	350.000	डीज़ल	4.2.95	मै. आरपीजी इण्डस्ट्रीज
107.	ग्रेटर नोयडा पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	350.000	डीज़ल	4.2.95	बोली के अधीन
108.	जवाहरपुर टीपीएस	800 मे.वा.	2896.000	कोयला	17.11.93	पेसिफिक पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन कनाडा
109.	कोसी काला पावर प्रोजेक्ट	60 मे.वा.	210.000	डीज़ल	30.1.95	मै. डीएसएम लि.
110.	मुजफ्फरनगर पावर एचईपी	100 मे.वा.	350.000	डीज़ल	4.2.95	मै. सुभाष मार्केटिंग एंड प्रोजेक्टस लि.
111.	पनकी पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	350.000	हाइडल	30.1.95	मै. डालमिया ब्रादर्स प्रा. लि.
112.	रोसा टीपीएस	2x250मे.वा. +1x250	2587.470	कोयला	17.11.93	इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स इंडिया एण्ड पावर
113.	साहिबाबाद पावर परियोजना	100 मे.वा.	350.000	कोयला	4.2.95	मै. मोदी मिन्रलीस ब्लैक स्टोन लि.
114.	सिकन्दराबाद पावर प्रोजेक्ट	100 मे.वा.	350.000	कोयला	30.1.95	मै. डालमिया ब्रादर्स प्रा. लि.
115.	श्रीनगर एचईपी	330 मे.वा.	1634.000	हाइडल	27.8.94	मै. डुन्कान एग्रो इण्ड लि.
116.	विष्णुप्रयाग एचईपी	4x100 मे.वा.	868.000	हाइडल	14.10.92	जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.
जोड़:	13	3140.00	10995.470			
प.बंगाल						
117.	बक्रेश्वर टीपीएस	420 मे.वा.	1860.000	कोयला	21.9.93	डीसीएल कुलजेम कारपोरेशन सीएमएस, जेनरेशन यूएसए एंड डब्लयू पीडीसीएल
118.	बालागढ़ टीपीएस	2x250 मे.वा.	2235.000	कोयला	1.1.93	बालागढ़ पावर कंपनी लि. (सीईएससी/ एडीबी/टीएफसी)
119.	डाक्कुनी	20 मे.वा.	70.000	गैस	1.1.93	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजी, यूएसए
120.	गौरीपुर टीपीएस	2x75 मे.वा.	750.000	कोयला	20.5.94	बीटीएस, टीईएस, यूएसए, बीएचईएल, डब्लयूबीएसईबी
121.	सागरदीघी टीपीएस	2x500 मे.वा.	4960.000	कोयला	21.9.92	डीसीएल कुलजेम कारपोरेशन सीएमएस जेनरेशन, यूएसए एण्ड डब्ल्यूपीडीसीएल
जोड़	5	2090.00	9875.000			

1	2	3	4	5	6	7
122.	ग्रुप आफ पावर प्रोजेक्ट	10000 मे.वा.	35000.00	कोयला	22.9.94	कोन्सोलिडेटिड इलैक्ट्रिक पावर एशिया लि., हांगकांग
जोड़	1	10000.00	35000.000			
123.	एनर्जी एफिशिएंशी सेन्टर	200 मे.वा.	700.000	बी–मास/नाथ	13.2.95	मै. जेएमसी डेवलपमेंट, यूएसए/अपोलो होस्पिटल
जोड़	1	200.00	700.000			
कुल जोड़ :		55609.00	209595.700			

विद्युत क्षेत्र में लागत में वृद्धि

3016. श्री जगमीत सिंह बराड़ : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1995 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में 'कन्सर्न ओवर पावर यूनिट्स कास्ट ओवर रन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या अनेक निर्माणाधीन परियोजनाएं पूरे होने के अपने निर्धारित समय से सात वर्षों से भी अधिक पीछे चल रही है;

(ग) क्या इससे निर्माण लागत भी बढ़ गई है;

(घ) दिसम्बर, 1994 में निर्धारित समय से पीछे चल रही निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं; उसकी संख्या कितनी है तथा उनकी निर्माण लागत कितने प्रतिशत बढ़ गई है; और

(ङ) भविष्य में विलम्ब न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ) केन्द्रीय क्षेत्र की कुछ विद्युत परियोजनाओं, समाचार से उल्लिखित परियोजनाओं सहित, में समय और लागत में वृद्धि हुई है। विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में निर्धारित समय से अधिक समय; भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, पुनर्वास संबंधी समस्याओं, निधियों की कमी, ठेकेदारों द्वारा उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब, जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में भौगोलिक आकस्मिकताएं और कार्य के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण लगा। निर्माण की लागत में वृद्धि इस्पात, पी ओ एल जैसी निविष्टियों की लागत में वृद्धि उपस्कर एवं मजदूरी की लागत, विनियम दर परिवर्तनों, कर एवं शुल्कों में वृद्धि, निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) में वृद्धि और निर्धारित समय से अधिक समय लगने के कारण हुई। उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा, जो दिसम्बर, 1994 में निर्माणाधीन थी और जो चालू किए जाने के उनके मूल कार्यक्रम से पीछे चल रही है, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) निर्धारित समय से अधिक समय न लगने देने के लिए, जिनके फलस्वरूप लागत में भी वृद्धि होती है, सरकार/सम्बंधित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गहन मानिटरिंग जैसे कि परियोजना कार्य–स्थलों का दौरा, परियोजना प्राधिकरणों और प्रमुख उपस्कर आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ समीक्षा बैठकें उच्चतम स्तर पर आयोजित की जा रही हैं, ताकि कठिनाइयों अभिज्ञात की जा सकें और परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। समय पर आवश्यक निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए और समय में वृद्धि को रोकने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

(i) ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं हेतु अग्रिम कार्रवाई करने के लिए प्रावधान करना तथा दो स्तरीय अनुमोदन को अपनाया जाना।

(ii) ठेकेदारों द्वारा कार्यों को समय पर पूरा किए जाने के लिए प्रोत्साहनों/गैर–प्रोत्साहनों को आरंभ करना।

(iii) 50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनओं के लिए पी आई बी स्वीकृति से छूट देना।

(iv) प्रथम स्तर की स्वीकृति के पश्चात् भूमि–अधिग्रहण।

(v) निविदा और परियोजना प्रबंधन का सशक्तिकरण।

विवरण

क्र सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदन की तिथि	वास्तविक लागत	संशोधित लागत में वृद्धि का प्रतिशत	चालू किए जाने की तिथि	
					वास्तविक	संशोधित
			(करोड़ रु० में)			
1	2	3	4	5	6	7
1.	दोयांग एचई परियोजना 3x25 मे.वा. नागालैंड (नीपको)	मार्च, 1975	56.77	243.32 (अक्तूबर, 1991) (329%)	6/92	7/97

1	2	3	4	5	6	7
2.	रंगानदी एचई परियोजना अरूणाचल प्रदेश 3x135 मे.वा. (नीपको)	अप्रैल, 1987	312.78	774.11 (148%)	8/94	7/97
3.	असम गैस आधारित विद्युत कैथलगुड़ी 291 मे.वा. (नीपको)	नवम्बर, 1987	203.17	895.77 (मई, 92) (341%)	3/92	3/96
4.	नाथपा झाकरी एचई परियोजना 1500 मे.वा. हिमाचल प्रदेश (एनजेपीसी)	अप्रैल, 1989	1678.02	4337.95 (मार्च, 1993) (159%)	4/96	12/98
5.	दुलहस्ती एचई परियोजना 390 मे.वा. जम्मू एवं कश्मीर (एनएचपीसी)	जुलाई, 1989	1262.97	2496.36 (अक्तूबर, 94) (98%)	7/94	7/98
6.	सलाल एचई परियोजना चरण-2 3x115 मे.वा. जम्मू एवं कश्मीर (एनएचपीसी)	मार्च, 1989	210.62	305.20 (अक्तूबर, 94) (45%)	9/93	12/95
7.	उड़ी एचई परियोजना 4x 120 मे.वा. जम्मू एवं कश्मीर (एनएचपीसी)	जून, 1989	1632.62	3043.46 (अक्तूबर, 1993) (86%)	11/95	5/97
8.	रंगीत एचई परियोजना 3x 20मे.वा. सिक्किम (एनएचपीसी)	अप्रैल, 1990	163.49	267.31 (जनवरी, 94) (76%)	9/95	3/97
9.	मेजिया टीपीसी 3x 210 मे.वा. डीवीसी	मार्च, 1986	566.00	1861.44 (मार्च, 1994) (229%)	9/92	12/96
10	पंचेत हाइडल यूनिट-2 40 मे.वा.	जनवरी, 1978	16.02	76.04 (दिसम्बर, 1994) (375%)	10/82	6/96
11.	बोकारो "ख" चरण-2 2x210 मे.वा. डीवीसी	जुलाई, 1981	186.93	351.34 (मार्च, 92) (88%)	10/85	6/95

1	2	3	4	5	6	7
12.	कहलगांव एसटीपीपी-1	जून, 1992	884.16	2141.91	9/93	6/96
	(4x210 मे.वा.)			(जनवरी, 95)		
	(एनटीपीसी)			(142.25%)		
13.	तलचेर एसटीपीपी	नवम्बर, 1988	1404.04	2592.16	4/95	11/95
	(2x500 मे.वा.)			(अप्रैल, 94)		
	(एनटीपीसी)			(84.62%)		
14.	गांधार	फरवरी, 1992	1656.30	2500.00	9/95	94-95
	657 मे.वा.			(फरवरी, 94)		
	(एनटीपीसी)			(50.94%)		

[हिन्दी]

प्रत्यर्पण संधि

3017. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :

श्री राम कापसे :

श्री दत्ता मेघे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न देशों के साथ अपराधियों तथा आतंकवादियों को सौंपने की परस्पर व्यवस्था करने तथा नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिएं प्रत्यर्पण संधियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अन्य देशों के साथ उक्त समझौता करने हेतु देशवार क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार को उक्त समझौते के अंतर्गत अब तक कितने अपराधी सौंपे गए हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों के कितने अपराधी लौटाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी हां।

(ख) हमने भूटान, बेल्जियम, कनाडा, नेपाल, नीदरलैंड, उगांडा, यू.के. और अमरीका के साथ प्रत्यर्पण संधियां सम्पन्न की हैं। इन संधियों में उन व्यक्तियों के प्रत्यर्पण की व्यवस्था है जो एक संविदाकारी पक्ष के प्रदेश में किए गए प्रत्यर्पण योग्य किसी अपराध के अभियुक्त अथवा सिद्धदोष हों और दूसरे संविदाकारी पक्ष में पाए गए हों। इन संधियों के अधीन कार्रवाई कानून की प्रक्रिया, मानवाधिकारों, उत्पीड़न तथा दोहरी अपराधिता जैसे अन्य मौलिक सिद्धांतों के प्रति रक्षोपाओं के अनुरूप की जाती है। इन सामान्य व्यवस्थाओं के अतिरिक्त युनाइटेड किंगडम और कनाडा के साथ अभी हाल ही में संपन्न प्रत्यर्पण संधियों में निम्नलिखित व्यवस्था भी है अर्थात् कई गंभीर अपराधों के संबंध में राजनीतिक अपराध की दलील को अस्वीकार करते हुए व्यक्तियों का प्रत्यर्पण; गंभीर अपराधों के संबंध में, चाहे वे राज्य के प्रदेश से बाहर किए गए हों, क्षेत्राधिकार ग्रहण करना; राज्य के भीतर रह रहे ऐसे किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण की संभावना जो राज्य के भीतर तो रह रहा हो लेकिन उसने प्रभावित राज्य में एजेंटों के जरिए अपराध करवाए हों।

(ग) इस समय सरकार हांगकांग, जर्मन संघीय गणराज्य, यू ए ई, फ्रांस के साथ प्रत्यर्पण संधियां संपन्न करने तथा अमरीका के साथ एक नई प्रत्यर्पण संधि संपन्न करने का प्रयास कर रही है।

(घ) पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकार को प्राप्त अपराधियों की संख्या शून्य हैं। पिछले तीन वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को सौंपे गए अपराधियों की संख्या एक है।

मध्य प्रदेश में खनन कार्य

3018. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में खनिज संसाधनों का विदोहन करने और इनके उपयोग हेतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इनके क्या कारण है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में नए पासपोर्ट कार्यालय

3019. श्री कोडीकुन्नील सुरेश : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में 1995-96 के दौरान नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) केरल में इस समय तीन पासपोर्ट कार्यालय हैं, जो क्रमशः त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कोजीकोड में स्थित हैं। 1995-96 में केरल में कोई और पासपोर्ट कार्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पक्की सड़कें

3020. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के काफी बड़े भाग में पक्की सड़कें नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है,

(ग) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम मिला, और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

जनजातीय लोगों द्वारा कुकुरमुत्ता प्रसंस्करण

3021. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनजातीय लोगों द्वारा कुकुरमुत्ता प्रसंस्करण हेतु आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सहायता दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय एक योजना स्कीम चला रहा है जिसका उद्देश्य कम्पोस्ट पाश्चुरीकरण सुविधा, स्पॉन प्रयोगशाला तथा खुम्बी प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराना है। 1991-92 से अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने क्षेत्र के जनजातीय लोगों द्वारा खुम्बी प्रसंस्करण संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मिजोरम और मध्य प्रदेश स्थित संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं०	राज्य का नाम	वर्ष	जारी की गई धनराशि		
		91-92	92-93	93-94	94-95
1.	आंध्र प्रदेश	34.297	-	-	-
2.	बिहार	4.650	-	-	6.180
3.	मध्य प्रदेश	-	-	5.900	-
4.	मिजोरम	-	29.800	-	-
5.	नागालैंड	-	6.000	-	22.650

महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

3022. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो ये उद्योग कहां—कहां स्थापित किए जाएंगे और विभिन्न मदों की उत्पादन क्षमता अनुमानतः कितनी होगी;

(ग) क्या इस संबंध में रोजगार के पहलू पर भी विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्कण यूनिटों की स्थापना नहीं करता। बहरहाल, प्राप्त सूचना के अनुसार उदारीकरण से लेकर फरवरी, 1995 तक महाराष्ट्र राज्य में प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना हेतु 434 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए जिनमें लगभग 8973 करोड़ रु० का निवेश तथा 70671 लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था है। इनके अलावा, 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों। संयुक्त उद्यम/विदेशी सहयोग/औद्योगिक लाइसेंस आदि के लिए 113 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनमें महाराष्ट्र राज्य में 314 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश समेत 1337 करोड़ रुपये के निवेश की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में उपमार्ग

3023. श्री हरिकेवल प्रसाद :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में निर्माण के लिए प्रस्तावित उपमार्गों और निर्माणाधीन उपमार्गों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) प्रत्येक उपमार्ग का निर्माण कार्य पूरा करने हेतु क्या समय सीमा तय की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) (i) उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित बाईपास आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किए गए हैं :

क्र.सं०	रा०रा०सं०	बाईपास का नाम	टिप्पणी
1.	रा.रा.-24	शाहजहांपुर बाईपास	स्वीकृत
2.	रा.रा.-28	फैजाबाद बाईपास (चरण-II)	स्वीकृत
3.	रा.रा.-24	हापुड़ बाईपास	ओ ई सी एफ जापान की ऋण सहायता के तहत प्रस्तावित/विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
4.	रा.रा.-24	मुरादाबाद बाईपास	निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए प्रस्तावित स्कीमों में सम्मिलित
5.	रा.रा.-2	इटावा बाईपास (चरण-II)	निधियों के अभाव के कारण निम्न प्राथमिकता प्रदान की गई।
6.	रा.रा.-28	बस्ती बाईपास (चरण-II)	निधियों के अभाव के कारण निम्न प्राथमिकता प्रदान की गई।

(ii) निर्माणाधीन बाईपासों के ब्यौरे

क्र. सं०	रा.रा.सं०	बाईपास का नाम	पूरा करने की लक्षित तारीख
1.	रा.रा.-2	फतेहपुर बाईपास	3/96
2.	रा.रा.-2	वाराणसी बाईपास	12/96
3.	रा.रा-24	सीतापुर बाईपास	3/97
4.	रा.रा.-24	शाहजहांपुर बाईपास	3/98
5.	रा.रा.-26	ललितपुर बाईपास	12/96
6.	रा.रा.-28	फैजाबाद बाईपास चरण	3/98

(ख) राज्य सरकार के लिए निधियों का निर्धारण/आबंटन समग्र रूप से किया जाता है न कि कार्य वार। वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) निर्माण कार्यो और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 84.56 करोड़ रु० आबंटित किए गए थे।

(ग) निर्माणाधीन बाईपासें को पूरा करने की लक्षित तारीखें उपर्युक्त पैरा (क) (ii) में दी गई हैं किंतु ये निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। उन बाईपासों को पूरा करने के समय के बारे में अभी बता पाना संभव नहीं है जिन्हें अभी स्वीकृति नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिये किया गया अनुबंध

3024. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के लिए भारत तथा विदेशों में अनुसंधान हेतु अनुबंध करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्तमान अनुमानित संभाव्यता कितनी है और इससे कितनी धनराशि अर्जित किये जाने की संभावना दर्शायी गयी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) "सेल" का लोहा इस्पात का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आर. डी. सी. आई. एस.) निजी क्षेत्र को परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त पहले ही संविदागत अनुसंधान कार्य कर रहा है। "सेल" की आन्तरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद विदेशों में सीमित सीमा तक संविदागत अनुसंधान कार्य करने के लिए भी इस केन्द्र की योजना है।

(ख) लोहा और इस्पात निर्माण, रिफ्रैक्ट्रीज, मूल्य वर्धित उत्पादों, पर्यावरण और साफ्टवेयर विकास के क्षेत्रों में संभावना विद्यमान है। तथापि अनुमानित आय प्राप्त प्रत्युत्तरों पर निर्भर करेगी।

राज्य विद्युत बोर्डो की शेयर पूंजी

3025. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डो की कोई शेयर पूंजी नहीं है और वे केवल ऋण से ही कार्य चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विद्युत बोर्ड विदेशी कंपनियों के विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने की स्थिति में बहुराष्ट्रीय और निजी कंपनियों को किस प्रकार 16 प्रतिशत की दर से भुगतान करेंगे ;

(ग) क्या सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्रों को समान सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु अनुमानित विद्युत उत्पादन करने के लिए निविदाओं को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने तथा विद्युत प्रभार को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 17 राज्य बिजली बोर्डो (एसईबी) में से केवल सात राज्य बिजली बोर्डो के पास ऋण पूंजी के साथ–साथ इक्विटी पूंजी भी है और अन्य राज्य बिजली बोर्डो के पास केवल ऋण पूंजी ही है।

(ख) निजी विद्युत नीति के अंतर्गत टैरिफ अधिसूचना में, अन्य बातों के साथ–साथ उत्पादन कंपनियों द्वारा राज्य बिजली बोर्डो को 68.5%

संयंत्र भार अनुपात पर विद्युत के विक्रय के लिए टैरिफ निर्धारित भाग के रूप में इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश के आकलन का प्रावधान है। तदनुसार टैरिफ में, राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उत्पादन कंपनियों को भुगतान किए जाने वाले भुगतान संबंधी दायित्व भी शामिल हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा दिनांक 18.1.1995 को सभी राज्य सरकारों को यह मार्गदर्शी सिद्धांत परिपत्रित किए जा चुके हैं कि सभी भावी परियोजनाएं प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से अधिष्ठापित की जाएगी।

(ङ) उपरोक्त (ग) और (घ) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

जीवन रक्षक औषधियों का मूल्य

3026. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

श्री संदीपन भगवान थोरात :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रिफैम्पिसिन तथा अन्य जीवन रक्षक औषधियों का मूल्य और कम करने का है;

(ख) यदि हां, तो उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जो प्रपुंज औषधें कीमत नियंत्रण के अंतर्गत हैं उनके मूल्य औषध.कीमत नियंत्रण आदेश 1995 के उपबन्धों के अनुसार समय–समय पर निर्धारित/संशोधित और अधिसूचित किए जाते हैं। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

पाक नागरिकों को वीजा जारी करना

3027. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कराची में महावाणिज्य दूतावास के बंद होने से पूर्व और बाद में इस्लामाबाद स्थित हमारे उच्चायोग (हाई कमीशन) द्वारा पाक नागरिकों को औसत आधार पर एक महीने में कितने वीजा जारी किए गए;

(ख) उच्चायोग और भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 1 अप्रैल, 1994 और 1 अप्रैल, 1995 को कितने आवेदन लम्बित पड़े हुए थे;

(ग) क्या मुम्बई में पाकिस्तानी महावाणिज्य दूतावास और कराची मे भारतीय महावाणिज्य दूतावास के कार्यालय पारस्परिक स्वीकार्य शर्तों पर पुनः खोलने हेतु दोनों सरकारों के बीच बातचीत हुई है; और

(घ) क्या सरकार को पाकिस्तानी वीजा पाने के लिए भारी विलम्ब के कारण भारतीय नागरिकों को होने वाली असुविधा और कठिनाई की जानकारी है और क्या यह मामला पाकिस्तानी सरकार के साथ उठाया गया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) दिसम्बर, 1994 में कराची स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास के बंद होने से पूर्व इस्लामाबाद स्थित हमारे मिशन द्वारा पाक राष्ट्रिकों को प्रति माह औसतन 1600 वीजा जारी किए जा रहे थे। इस संख्या में अब लगभग 65 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। मार्च, 1995 में जारी किए गए वीजा की संख्या 2679 हो गई।

(ख) इस्लामाबाद स्थित हमारे मिशन और कराची स्थित भारत के तत्कालीन प्रधान कोंसलावास ने हमेशा एक निर्धारित वीजा प्रणाली पर अमल किया जिससे सभी वीजा आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करके उसी दिन वीजा प्रदान किए जाते हैं जिस दिन वीजा के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। अतः संदर्भगत अवधियों में बकाया पड़े वीजा आवेदन–पत्रों का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह बम्बई स्थित अपने कोंसलावास को इकतरफा रूप से बंद करने और कराची में भारत के प्रधान कोंसलावास को बंद करने के अपने निर्णय पर पुनः विचार करे। तथापि पाकिस्तान ने कोई अनुकूल उत्तर नहीं दिया।

(घ) दुर्भाग्य से भारतीय राष्ट्रिकों के लिए पाकिस्तान की एक उच्च प्रतिबंधात्मक वीजा प्रणाली है जिसमें मामला–दर–मामला आधार पर भारतीय राष्ट्रिकों के वीजा आवेदन–पत्रों का पूर्व–सत्यापन शामिल है। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस संबंध में पाकिस्तान के नकारात्मक रवैये से पाकिस्तान जाने के इच्छुक भारतीय राष्ट्रिकों को अत्यधिक कठिनाइयां और असुविधा हो रही है।

सरकार ने पाकिस्तान से बार–बार अपील की है कि वह 1974 के भारत–पाकिस्तान वीजा करार का अनुपालन करें जिसमें दोनों देश इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच यात्रा को सरल बनाने की व्यवस्था करेंगे। हमने कई अवसरों पर विशिष्ट रूप से यह प्रस्ताव किया है कि भारत–पाक संयुक्त आयोग के उप–आयोग 11/ जो वीजा से संबद्ध मामले देखता है, की बैठक तत्काल पुनः बुलाई जाए। पाकिस्तान ने इन ठोस सुझावों का सकारात्मक रूप से उत्तर नहीं दिया है।

आंध्र प्रदेश में निर्माण कार्यों को मंजूरी

3028. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 19 योजनाओं हेतु धनराशि जारी नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह धनराशि कब तक जारी कर दी जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) केन्द्रीय सड़क निधि से निधियां केन्द्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य सरकारों को ब्लाक अनुदान के रूप में वार्षिक आधार पर आबंटित की जाती हैं। ये निधियां स्कीम–वार आबंटित नहीं की जाती हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य को केन्द्रीय सड़क निधि में से 600.00 लाख रु० की राशि आबंटित की गई थी।

पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत आपूर्ति

3029. श्री उद्धव बर्मन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ऊर्जा प्राधिकरण द्वारा कराए गए "इलैक्ट्रिक पावर" सर्वेक्षण (1985 का 12 ई. पी. सी.) के आधार पर 1985 में कृषि क्षेत्र में उपभोग के लिए सस्ती दर पर बिजली उत्पादन हेतु पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ बड़ी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए सस्ती दरों पर बिजली उत्पादन/खरीद के लिए वैकल्पिक उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में अभिवृद्धि करने के लिए निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है :

क्र.सं०	परियोजना का नाम	क्षमता मे.वा.	राज्य	क्षेत्र
1.	अमगुड़ी सीसीजीटी	8 x30 जीटी 4x30 एसटी	असम	राज्य
2.	कैथलगुड़ी सीसीजीटी चरण 4-6	3x33.5	असम	केन्द्र
3.	कैथलगुड़ी एसटी चरण 1-3	3x30	असम	केन्द्र
4.	कोपाली विस्तार	2x50	असम	केन्द्र
5.	लोवर बोरपानी (हाइड्रो)	2x50	असम	संयुक्त
6.	धनश्री (हाइड्रो)	5x3x1.33	असम	राज्य
7.	डलायमा (हाइड्रो)	3x2	असम	राज्य
8.	रोखिया जीटीयू यूनिट 1,2	2x8	त्रिपुरा	केन्द्र
9.	डोयांग एच.ई	3x25	नागालैंड	केन्द्र
10.	लिकिम–रो (हाइड्रो)	3x8	नागालैंड	राज्य
11.	रंगानंदी एचई चरण-1	3x135	अरूणाचल प्रदेश	केन्द्र
12.	नूरानांग (हाइड्रो)	3x2	अरूणाचल प्रदेश	राज्य
13.	सेरोलोई–बी (हाइड्रो)	2x4.5	मिजोरम	राज्य

उत्तर पूर्वी क्षेत्र कोपपूर्वी क्षेत्र से व्यवस्ततम कालीन तथा गैर–व्यवस्ततम कालीन दोनों घंटों के दौरान अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।

उर्वरकों संबंधी रियायती योजना

3030. प्रो० सावित्री लक्ष्मणन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फास्फेट तथा पोटाश उर्वरकों संबंधी रियायती योजनाओं को मिश्रित (मिक्सचर) विनिर्माताओं पर लागू करने हेतु केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) विनियंत्रित फासफेटिक और पोटेसिक उर्वरकों पर विशेष रियायत योजना कृषि मंत्रालय से संबंधित है। उक्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस संबंध में केरल सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उर्वरक मिश्रित करने वाले एककों को यूरिया, फासफेटिक और पोटेसिक उर्वरकों की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया गया है, जैसा कि प्रत्यक्ष बिक्री के लिए लागू है। जनवरी, 1995 में केरल सरकार को उत्तर भेजा गया था कि वर्तमान योजना के तहत, उर्वरक मिश्रित करने वाले एककों को यह सुविधा नहीं दी जा सकी।

भारत गोल्ड माइन्स

3031. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक में "कोलार भारत गोल्ड माइन्स" को अर्थक्षम बनाने के लिए किसी पैकेज की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भारत गोल्ड माइंस में खनन कार्य के निजीकरण का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने भारत गोल्ड माइन्स में होने वाले भारी घाटे के कारणों की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) भारत गोल्ड माइन्स लि (बी. जी. एम. एल.) का मामला बी. आई. एफ. आर. के समक्ष है जिसने पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए मैसर्स आई. सी. आई. सी. आई. को संचालक संस्था नियुक्त किया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। हालांकि कम्पनी ने बी. जी. एम. एल. के लीज होल्ड क्षेत्र में स्वर्ण के गवेषण और विदोहन के लिए विश्व स्तर पर निविदा जारी करके प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं।

(ङ.) से (ज) सरकार ने बी. जी. एम. एल. के कामकाज की जांच करने के लिए 1995 में श्री के .एस. आर पूर्व सचिव, खान मंत्रालय तथा 1990 में हिन्दुस्तान जिंक लि० के विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। इन समितियों की रिपोर्ट की जांच की गई तथा कोलार गोल्ड फील्ड में गहन स्तर के खनन को समाप्त करने, चिगारगुन्टा खान का विकास करने, कोलार गोल्ड फील्ड में उथले स्तर पर खनन करने, नंदीदुर्ग मिल के आधुनिकीकरण तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त योजना का क्रियान्वयन करने संबंधी निर्णय लिये गए।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 को चार "लेनों" वाला बनाना

3032. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 के अहमदाबाद--महाराष्ट्र सीमा सैक्शन को चार "लेनों" वाला बनाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्ग का कौन सा भाग दो "लेनों" वाला रहेगा; और

(घ) इस दो लेनों वाले सैक्शन पर कितने "सी.पी.डी." तथा "पी. सी.यू." यातायात का आवागमन हो सकेगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में, गुजरात में रा. रा. सं. 8 के अहमदाबाद--महाराष्ट्र सीमा खण्ड के चुनिंदा भागों जिनकी कुल लम्बाई 69 कि.मी. है, को चार लेन का बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। इसमें से, 71.33 करोड़ रु० की लागत पर कुल 31 कि.मी. लम्बे खण्डों को चार,लेन का बनाने से संबंधित प्रस्तावों को पहले ही स्वीकृति दे दी गई है। ये कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं तथा इन्हें 1996-2000 के मध्य पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ग) 213 कि.मी. लम्बी शेष दो लेन वाली सड़कों को चौड़ा करने का कार्य उन्हें पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजनाओं में शामिल करने के बाद किया जाएगा और यह निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) दो लेन वाली सड़क की क्षमता 15000 पी. सी. यू. प्रतिदिन होती है। व्यावसायिक वाहनों की पी. सी. यू. 3 है और उनकी संख्या यातायात विविधता पर निर्भर करेगी।

राज्यों पर सेवा शुल्कों के बकाये

3033. श्री चित्त बसु : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में केन्द्रीय सम्पत्ति पर सेवा शुल्कों के भारी बकाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बकाए के शीघ्र और नियमित भुगतान के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों पर कर लगाने के लिए राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन निकायों को प्राधिकृत करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (ग) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 285 के अनुसार केन्द्र की सम्पत्ति किसी राज्य अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा करों से मुक्त होती है। तथा इन सम्पत्तियों पर विभिन्न प्रदत्त सेवाओं के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सेवा प्रभार देना होता है। स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये ऐसे प्रभारों की दर प्रायवेट सम्पत्तियों से प्राप्त सम्पत्ति कर के 33 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच होती है।

चूंकि राज्य सूची की प्रविष्टि--5 के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य सरकारों के दायरे में हैं, अतः केन्द्र की संपत्तियों बाबत देय सेवा प्रभारों की समय पर वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई करना संबंधित राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय का काम है।

फिर भी केन्द्रीय मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है कि शहरी स्थानीय निकायों के कोई सेवा प्रभार देय हो, तो उनकी समय पर भुगतान कर दिया है।

(घ) और (ङ) इस तथ्य को देखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 285 के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियां कराधान से मुक्त हैं, तथा उन पर शहरी स्थानीय निकायों को प्रायवेट सम्पत्तियों से प्राप्त संपत्ति कर के 33 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच सेवा प्रभार देना होता हैं, अतः राज्य सरकार/स्थानीय निकायों को केन्द्र सरकार की संपत्तियों पर कर लगाने के लिए प्राधिकृत करने बाबत कानून बनाने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

सड़क नेटवर्क

3034. श्री गुमान मल लोढ़ा :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एक्सप्रेस मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों तथा ग्रामीण सड़कों की कुल आवश्यकता या आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सड़कों के निर्माण पर होने वाले खर्च का भी अनुमान लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कुल कितनी धनराशि का व्यय होगा तथा इसे उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने किन–किन स्रोतों का पता लगाया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (घ) सांविधानिक रूप से केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है और ग्रामीण सड़कों सहित अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख–रखाव एक सतत प्रक्रिया है और सुधारों की आवश्यकताएं तथा तत्संबंधी खर्च अलग–अलग समय पर भिन्न–भिन्न होता है। तथापि, मंत्रालय ने देश में एक्सप्रैस मार्गों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार वर्ष 2015 तक 10,020 कि.मी. लम्बे एक्सप्रैस मार्गों को चरणबद्ध तरीके से विकसित करना आवश्यक होगा और इस पर 58,000 करोड रु० (1991 के मूल्य पर) खर्च होंगे। अपेक्षित निधियां जुटाने के लिए सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख–रखाव और प्रचालन में निजी क्षेत्र की सहभागिता करने पर विचार कर रही है तथा मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 को संशोधित करने का सरकार का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

भारत-ईरान संयुक्त उपक्रम

3035. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान की क्वेराम फ्री एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (क्यू–एफ ए) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव और कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड के भारत–ईरान संयुक्त उर्वरक उपक्रम के लिए गैस की आपूर्ति करने पर तैयार हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ईरान इस संधि से बाहर निकल गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव होगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) मूल्य और गैस की उपलब्धता संबंधी पुष्टि की ईरानियन प्राधिकारियों से प्रतीक्षा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुंबई बम काण्ड में शामिल व्यक्तियों का प्रत्यर्पण

3036. श्री राम कापसे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुंबई बम काण्ड में शामिल व्यक्तियों के यथा शीघ्र प्रत्यर्पण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : सरकार ने बम्बई बम काण्ड से संबंधित दोषी व्यक्तियों के प्रत्यर्पण का मामला पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की सरकारों के साथ उठाया है। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि ये व्यक्ति पाकिस्तान में नहीं है। जहां तक संयुक्त अरब अमीरात का प्रश्न है बम्बई के नामित न्यायलय द्वारा "लैटेर रोगेटरी" दुबई में संबंधित प्राधिकारियों को सौंप दिया है और वह इस मामले को देख रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन समय–समय पर इस मामले को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठा रहा है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में शहरी विकास परियोजनाएं

3037. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश की राज्य सरकार की ओर से शहरी विकास से संबंधित आवासीय योजनाओं और अन्य परियोजनाओं के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (ग) संघ सरकार को बाह्य सहायता हेतु मध्य प्रदेश सरकार से निम्नलिखित आवास तथा शहरी विकास परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं :–

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्वालियर के सम सुविधा समपन्न शहरों (काउंटर मैग्नेट सिटी) का विकास,

(ii) मध्य प्रदेश शहरी विकास परियोजना–II जिसमें विश्व बैंक की सहायता मांगी गयी है जो रिहायशी सुधार, स्लम सुधार और सफाई, निर्देशित विकास, भूमि विकास, शहरी स्तर की अवस्थापना, शहरी बस्ती अवस्थापना, पर्यावरणीय सुधार, यातायात प्रबन्ध, परिवहन, नगरपालिका विकास कोष, प्रशिक्षण अध्ययन, स्थल तथा सेवाएं आदि के लिए हैं।

(iii) भोपाल, इन्दौर, रायपुर, जबलपुर तथा ग्वालियर (राजभोगीर शहर) में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए भू–खण्डों और आवास का विकास, और

(iv) (मध्य प्रदेश में पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल संग्रहालय/सिटी पार्क/फिटनेस सेन्टर (आरोग्य केन्द्र)

उपर्युक्त में से ग्वालियर सम सुविधा संपन्न शहर परियोजना को वित्तीय सहायता हेतु जापान के ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन एण्ड (ओईसीएफ) को भेजा गया है।

मध्य प्रदेश शहरी विकास परियोजना -II सहायता हेतु विश्व बैंक को भेजी गयी थी।

राजभोगीर शहर की आवास परियोजना मध्य प्रदेश सरकार को लौटा दी गई है जिसमें कुछ कमियां पायी गयी थीं और उन्हें इस परियोजना की रूपरेखा को पुनः तैयार करने की सलाह दी गयी है ताकि इस योजना को अधिक व्यवहार्य बना कर इच्छुक लाभार्थियों के लिए वहनीय बनायी जा सके।

पर्यावरणीय संग्रहालय/सिटी पार्क/आरोग्य केन्द्र (फिटनेस सेंटर) परियोजना राज्य सरकार को लौटाई गयी और इसे संबंधित मंत्रालय को प्रस्तुत करने की सलाह दी गयी।

[अनुवाद]

वीजा प्रतिबंध

3038. डा० आर. मल्लू : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ देशों के मामले में वीजा पर लगाए प्रतिबंध उठा लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ और देशों के मामले में वीजा पर लगे प्रतिबंध को भी उठाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) वीजा नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षतिग्रस्त क्वार्टर

3039. श्री प्रेमचन्द राम : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री 21 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2214 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्वार्टरों को "क्षतिग्रस्त" घोषित करने के क्या मानदंड तय किए गए हैं;

(ख) सभी क्षतिग्रस्त क्वार्टरों की मरम्मत के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इन्हें आबंटन के लिए कब तक उपयुक्त बनाया जायेगा;

(घ) क्या सरकार ने इन क्वार्टरों में रह रहे लोगों को किसी प्रकार की दुर्घटना से बचाने के लिए कोई निवारत्मक कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) सरकारी क्वार्टर, उनकी इमारतों का तकनीकी मूल्यांकन करने के पश्चात् "क्षतिग्रस्त" घोषित किये जाते हैं।

(ख) और (ग) क्षतिग्रस्त क्वार्टरों की मरम्मत संपदा निदेशालय के माध्यम से क्वार्टर खाली कराने के बाद करनी होती है। इन क्वार्टरों की मरम्मत के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। यह क्षति की मात्रा, अपेक्षित सुधार कार्यों, धन की उपलब्धता तथा क्वार्टर खाली किये जाने, जहां संपदा निदेशालय के माध्यम से खाली कराने की आवश्यकता है, पर निर्भर करता है। तथापि, क्षतिग्रस्त क्वार्टरों की तत्परता से मरम्मत करने तथा उनके अगले आबंटन के लिये मंजूरी देने के हर प्रयास किये जाते हैं।

(घ) और (ङ) क्षतिग्रस्त घोषित किये गये क्वार्टरों के आबंटियों को वैकल्पिक वास की पेशकश की जाती है ताकि मरम्मत कार्य किया जा सके। के.लो.नि.वि. के कर्मचारियों की उनके स्वयं के जोखिम पर अस्थाई रूप से आबंटित किये गये क्षतिग्रस्त क्वार्टरों को खाली कराने के लिये भी कार्रवाई शुरू की गई है।

सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनियां

3040. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच आपसी सहयोग करने के संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात कंपनियों के बीच सहयोग की कोई संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों को एक दूसरे का सहयोग करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। यद्यपि उपक्रमों द्वारा उन क्षेत्रों जिनमें वे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, का पता लगाने के प्रयास किए गए हैं और वे परियोजनाएं शुरू करने और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने में भी सहयोग कर सकते हैं। यह एक सामान्य अवधारणा है कि इसमें सहयोग की संभावना है जिससे उपक्रमों की संयुक्त शक्ति का उपयोग करके उचित लाभ उठाया जा सकता है।

राजनयिकों का निष्कासन

3041. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने विगत एक वर्ष के दौरान कुछ राजनयिक निष्कासित किए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार पाकिस्तान से यह अनुरोध करती रही है कि वह नई दिल्ली में तैनात अपने उन चार कर्मचारियों को वापस बुला ले जो ऐसे कार्य कर रहे हैं जो उनकी हैसियत के अनुरूप नहीं है।

इस अवधि के दौरान पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और कराची में तैनात चार भारतीय कर्मचारियों को निकाल दिया था।

(ग) सरकार नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी मिशन के कार्मिकों की अवांछनीय गतिविधियों के बारे में सतर्क रहती है। सरकार ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वह राजनयिक विशेषाधिकारों से सम्बद्ध वियना अभिसमय तथा भारत और पाकिस्तान में तैनात राजनयिक/कोंसली कार्मिकों के साथ व्यवहार से सम्बद्ध आचार–संहिता के प्रावधानों का पालन करे।

माल की ढुलाई

3042. श्री मनोरंजन भक्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के लिए प्रमुख बंदरगाहों द्वारा माल की ढुलाई हेतु/निर्धारित लक्ष्य कितना था; और

(ख) उक्त अवधि के शुरूआती नौ महीनों में कुल कितनी ढुलाई हुई?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) वर्ष 1994-95 के लिए सभी महापत्तनों द्वारा कार्गो हैंडल करने का लक्ष्य 181 मिलियन टन नियत किया गया था।

(ख) वित्तीय वर्ष 1994-95 में, अप्रैल–दिसंबर, 1994 तक के पहले 9 महीनों के दौरान सभी महापत्तनों ने कुल 141 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया था।

कोचीन पत्तन का आधुनिकीकरण

3043. प्रो० के. वी. थामस : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पत्तन हेतु आधुनिकीकरण योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कोचीन पत्तन से कितनी मात्रा में माल की ढुलाई हुई;

(ग) क्या पत्तन पर पोतों के यातायात में कोई कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान कोचीन पत्तन पर कितनी मात्रा में कन्टेनर माल की ढुलाई हुई; और

(च) कोचीन पत्तन पर कन्टेनर यातायात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक विकास/आधुनिकीकरण स्कीमों के लिए कोचीन पत्तन को 200 करोड़ रु० नियत किए गए हैं। इस पत्तन को वर्ष 1995-96 के लिए 50 करोड़ रु० की राशि आबंटित की जा चुकी है। कुछ मुख्य स्कीमें हैं: मौजूदा निकर्षक के बदले एक निकर्षक की खरीद, कन्टेनर हैंडलिंग उपकरणों की खरीद, 30/35 टन बोलार्ड पुल टगों को बदलना और चैनल को गहरा करना।

(ख) पत्तन ने 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में क्रमशः 7.978, 7.619 और 8.588 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया।

(ग) और (घ) 1992-93 की तुलना में 1993-94 में कम यातायात हैंडल किया गया। प्रयोक्ता एजेंसियों द्वारा कच्चे तेल और उर्वरक हेतु कच्ची सामग्री के कम आयात के कारण ऐसा हुआ। यद्यपि, 1994-95 में हैंडल किए गए ट्रैफिक में वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान 8.588 मिलियन टन ट्रैफिक हैंडल किया गया जो कि इस पत्तन पर आज तक हैंडल किए गए ट्रैफिक की तुलना में सर्वाधिक है।

(ङ) पत्तन ने 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान क्रमशः 56000, 71000 और 86000 टीईयू (बीस फुट तुल्य इकाईयां) ट्रैफिक हैंडल किया।

(च) पत्तन में कन्टेनर ट्रैफिक में वृद्धि हेतु किए गए उपायों में ये उपाय भी शामिल हैं : नए कन्टेनर बर्थ को चालू करना, कन्टेनर हैंडलिंग के लिए व्यक्तियों की संख्या में कमी करना, कन्टेनरों की हैंडलिंग के लिए बाक्स दरें लागू करना, कन्टेनर हैंडलिंग कार्यो के लिए निजी उपकरणों की अनुमति, गोदी कामगार मंडल का पत्तन न्यास में विलय और कन्टेनर कार्गो के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पश्च प्रदेश में विभिन्न व्यापार बैठकें हुई।

सोने की खोज के संबंध में भारत -फ्रांस समझौता

3044. श्री मोहन रावले : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने देश में सोने और अन्य बहुमूल्य पत्थरों की खोज संबंधी परियोजनाएं शुरू करने के लिए फ्रांस की किसी कंपनी के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं। तथापि केरल राज्य सरकार के एक विभागीय संगठन केरल खनिज गवेषण तथा विकास परियोजना ने केरल की नीलाम्बुर घाटी में प्लेसर स्वर्ण भंडारों के गवेषण और पाइलेट स्केल खनन के लिए खनन क्षेत्र में जारी इंडो–फ्रैंच सहयोग कार्यक्रम के तहत 9 दिसम्बर, 1994 को, ब्यूरो आफ रिसर्च इन जियोलॉजी एंड मिनरल्स (बी आर जी एम) फ्रांस के साथ एक समझौता किया है।

(ख) इस समझौते की मुख्य विशेषताएं हैं : (i) नीलाम्बुर घाटी में पहले से खोजे गए प्लेसर स्वर्ण भंडारों के पाइलेट स्केल खनन के लिए एक समुचित पद्धति का चुनाव तथा क्रियान्वयन (ii) क्षेत्र में खनन योग्य स्वर्ण प्लेसर निक्षेपों की जानकारी को पूरा करना; तथा (iii) भंडारों के वाणिज्यिक विदोहन के लिए एक प्रौद्योगिक साध्यतापरक रिपोर्ट तैयार करना।

विद्युत क्षेत्र में प्रति गारंटी

3045. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने

की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने विद्युत क्षेत्र में प्रति गारंटी पर चिंता व्यक्त की है;

(ख) क्या विशेषज्ञों ने कहा है कि घरेलू बाजार राशि से मूलभूत ढांचों में विकास के लिए विदेशी निवेश आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो कितनी विद्युत परियोजनाओं को प्रति गारंटी प्रदान की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में भविष्य में प्रति गारंटी नहीं देने का निर्णय लिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार की प्रतिगारंटियों के संबंध में विद्युत क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय कार्य दल जो कि एक स्वतंत्र निकाय है, ने चिंता व्यक्त की है तथा यह भी निष्कर्ष निकाला है कि यदि स्वदेशी प्रणाली नहीं अपनाई जाती तो विदेशी निवेशकों के स्वामित्व वाली परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भारतीय बचतें कुल निवेशों के बराबर हैं। वस्तुतः चूंकि विद्युत उत्पादन और वितरण में पूंजी की काफी खपत होती है और संसाधन जुटाने के लिए घरेलू बाजार/भारतीय वित्तीय संसाधनों की क्षमता सीमित है, इसलिए बृहत क्षमताऐं, जिन्हें जोड़े जाने की आवश्यकता है, को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार का सदुपयोग किया जाना अपेक्षित है।

(ग) चूंकि, विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रति गारंटी की एक स्थायी उपाय के रूप में परिकल्पना की गई थी, इसलिए विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृत आठ प्रारंभिक परियोजनाओं को प्रति गारंटी प्रदान करने का निर्णय लिया गया था।

(घ) जी, हां।

बांग्लादेश द्वारा मछली पकड़ने वाले पोतों का जब्त किया जाना

3046. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **विदेश मंत्री** 20 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 887 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 से बांग्लादेश सरकार ने 205 चालक दल के सदस्यों के साथ जिन 14 मछली पकड़ने वाले पोतों को जब्त किया है उनकी रिहाई हेतु विभिन्न स्तरों पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) इस समय यह मामला किस चरण में है;

(ग) क्या मछुआरों के बांग्लादेश के भू-जल क्षेत्रों में भटक जाने से पूर्व उन्हें कोई चेतावनी संकेत देने वाली प्रणाली विद्यमान है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इस जटिल पहलू पर गौर करने और गहरे समुद्र में मछली पकड़ते समय अशिक्षित मछुआरों के भटक जाने से पूर्व उन्हें चेतावनी देने के लिए कोई उपाय करने का कोई विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) 1 जनवरी, 1993 से पकड़ी गई भारतीय मत्स्य नौकाओं और उनके साथ नजरबंद किए गए भारतीय कर्मीदलों को शीघ्र छुड़वाने का मसला सरकार ने बंग्लादेश की सरकार के साथ उठाया है। बंगलादेश की सरकार से औपचारिक उत्तर की प्रतीक्षा है।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारें और अन्य सभी संगत अभिकरण भारतीय मछेरों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पार करने से रोकने का भरसक प्रयास करते हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में पैट्रो-रसायन संयंत्र

3047. श्री एन. जे. राठवा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में पेट्रो रसायन संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह पेट्रो रसायन संयंत्र कब तक स्थापित हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० (आई डी सी एल) भड़ौच जिले में गंधार पेट्रोकेमिकल्स काम्पलेक्स का कार्यान्वयन कर रहा है। जिसमें सी 2/ सी 3 पृथक्करण गैस क्रैकर और अनेक डाउन स्ट्रीम इकाइयां शामिल है। चरण-I जिसमें क्लोर-अल्कली, विनाइल क्लोराइड, मोनोमर, पालीविनाइल क्लोराइड प्लांट्स शामिल है, मार्च, 1996 तक यांत्रिक रूप से पूरा होने की आशा है। चरण -II जिसमें इथेन/प्रोपेन गैस क्रैकर और पाली इथाइलिन प्लांट शामिल हैं, को 1998 तक पूरा करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

भारतीय मिशन

3048. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री महेश कनोडिया :

श्री हरिन पाठक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों की कुल परिसम्पत्ति कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों पर मिशनवार कितनी राशि खर्च की गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1995-96 के दौरान विदेशों में नये मिशन/पोस्ट को स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) 62 चांसरी, मिशन/केन्द्र प्रमुखों के 68 आवास और विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों के अन्य अधिकारियों के 512 आवास भारत सरकार के स्वामित्व में हैं।

(ख) गत तीन वर्ष अर्थात् 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों के संबंध में व्यय की गई राशि का मिशनवार ब्यौरा विवरण में संलग्न है। 1994-95 के लिए व्यय के अन्तिम आंकड़ों का अभी समेकन किया जाना है।

(ग) और (घ) जी हां। 1995-96 में निम्नलिखित मिशन/केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है :

(i) ब्रातिस्लावा, स्लोवाक गणराज्य में राजदूतावास।

(ii) पोर्ट मोरेस्बी, पपुआ न्यू गिनी में हाई कमीशन।

(iii) ग्लासगो, युनाइटेड किंगडम में प्रधान कोंसलावास।

(iv) ह्यूस्टन, यू.एस.ए. में प्रधान कोंसलावास।

विवरण

(हजार रुपयों में)

क्रम सं०	मिशन/केन्द्र	वास्तविक 1991-92	वास्तविक 1992-93	वास्तविक 1993-94
1	2	3	4	5
1.	भारत का राजदूतावास, आबिदजान	12522	18340	17301
2.	भारत का राजदूतावास, आबूधाबी	23250	40770	34171
3.	भारत का हाईकमीशन, अकरा	7561	15045	16904
4.	भारत का राजदूतावास, आदिसअबाबा	8843	11529	10692
5.	भारत का राजदूतावास, एडन	2176	3330	3085
6.	भारत का राजदूतावास, अल्माती	0	8648	20951
7.	भारत का राजदूतावास, अल्जीयर्स	13613	17360	13973
8.	भारत का राजदूतावास, अमान	4539	7368	7735
9.	भारत का राजदूतावास, अंकारा	10750	15724	15988
10.	भारत का राजदूतावास, एंटानानारिवो	5666	7288	7140
11.	भारत का राजदूतावास, एथेंस	9194	12155	15308
12.	भारत का राजदूतावास, बगदाद	13583	19848	19908
13.	भारत का राजदूतावास, बहरीन	22248	31696	32261
14.	भारत का राजदूतावास, बैंकाक	21160	37476	46728
15.	भारत का राजदूतावास, बीजिंग	22465	39235	45999
16.	भारत का राजदूतावास, बेरूत	7168	11701	16338
17.	भारत का राजदूतावास, बेलग्रेड	23761	26595	20418
18.	भारत का राजदूतावास, बर्लिन आफिस	12941	20768	22650
19.	भारत का राजदूतावास, बर्न	20899	25638	31858
20.	भारत का सहायक हाईकमीशन, बर्मिंघम	8270	11018	14262
21.	भारत का राजदूतावास, बोगोटा	5629	10181	0
22.	भारत का राजदूतावास, बोन	44298	73058	85895
23.	भारत का राजदूतावास, ब्रासीलिया	19331	34277	28356
24.	भारत का राजदूतावास, ब्रुसेल्स	24185	33875	42388
25.	भारत का हाईकमीशन, ब्रूनी	0	0	16950
26.	भारत का राजदूतावास, बुखारेस्ट	8214	12319	15203
27.	भारत का राजदूतावास, बुडापेस्ट	7281	11790	15771
28.	भारत का राजदूतावास, ब्यूनस आइरस	12968	24312	22863
29.	भारत का राजदूतावास, काहिरा	17323	27391	37009
30.	भारत का हाईकमीशन, केनबरा	13267	18512	20200
31.	भारत का हाईकमीशन, काराकस	6642	11205	10850
32.	भारत का कोंसलावास, चियांगमाई	3055	4063	4789
33.	भारत का प्रधान कोंसलावास, शिकागो	19751	28115	32991
34.	भारत का सहायक हाईकमीशन, चिट्टगांव	2755	3890	6151
35.	भारत का हाईकमीशन, कोलंबो	33749	43739	47715
36.	भारत का राजदूतावास, कोपन हेगेन	9381	15787	14333
37.	भारत का राजदूतावास, डकर	11121	13535	14320
38.	भारत का राजदूतावास, दमिश्क	13209	14811	22802
39.	भारत का हाईकमीशन, दारेसलाम	12282	16003	15100
40.	भारत का हाईकमीशन, ढाका	24438	37100	51006
41.	भारत का राजदूतावास, दोहा	18441	21549	23782
42.	भारत का प्रधान कोंसलावास, दुबई	25032	31714	39896
43.	भारत का राजदूतावास, डबलीन	10393	12113	13048
44.	भारत का प्रधान कोंसलावास, फ्रैंकफर्ट	12520	17814	19644
45.	भारत का हाईकमीशन, गेबरोन	11445	14956	16221
46.	भारत का स्थायी मिशन, जेनेवा	43460	59335	73690
47.	भारत का हाईकमीशन, जॉर्जटाउन	9247	10568	13398
48.	भारत का राजदूतावास, दहेग	18449	26541	29451

1	2	3	4	5
49.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हैम्बर्ग	1309	2846	3220
50.	भारत का राजदूतावास, हनोई	13011	17903	20040
51.	भारत का हाई कमीशन, हरारे	7788	11022	9715
52.	भारत का राजदूतावास, हवाना	9285	9627	17456
53.	भारत का राजदूतावास, हेलसिंकी	9533	15320	14447
54.	भारत का प्रधान कोंसलावास, हो ची मिन्ह सिटी	6272	6590	8057
55.	भारत का कोंसलावास, हांगकांग	20941	35571	37422
56.	भारत का कोंसलावास, इस्तांबुल	0	0	4480
57.	भारत का राजदूतावास, इस्लामाबाद	35605	42140	53734
58.	भारत का राजदूतावास, जकार्ता	11922	21248	27183
59.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जद्दा	40806	57257	62206
60.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जोहानेसबर्ग	0	0	17283
61.	भारत का राजदूतावास, काबुल	0	12413	17024
62.	भारत का हाई कमीशन, कम्पाला	11014	16986	11923
63.	भारत का सहायक हाईकमीशन, कैंडी	4207	5973	5121
64	भारत का प्रधान कोंसलावास, कराची	13746	20711	11433
65.	भारत का राजदूतावास, काठमांडू	16594	22039	24409
66.	भारत का राजदूतावास, खारतूम	7251	10292	10467
67.	भारत का राजदूतावास, कीव	0	18365	22904
68.	भारत का हाई कमीशन, किंग्स्टन	6937	3249	7718
69.	भारत का राजदूतावास, किन्शासा	7682	9952	0
70.	भारत का प्रधान कोंसलावास, कोबे	8442	17975	36445
71.	भारत का हाई कमीशन, कुआलालम्पुर	17881	24471	25774
72.	भारत का राजदूतावास, कुवैत	21330	32661	3282
73.	भारत का हाई कमीशन, लागोस	9269	11049	14799
74.	भारत का हाई कमीशन, लिलांग्वे	7319	8555	6092
75.	भारत का राजदूतावास, लीमा	7332	11286	11669
76.	भारत का राजदूतावास, लिस्बन	8806	13644	12365
77.	भारत का हाई कमीशन, लंदन (सी डी + आई एस आई)	126164	157001	150463
78.	भारत का राजदूतावास, लुआंडा	7294	8363	9930
79.	भारत का राजदूतावास, लुसाका	12415	13326	11605
80.	भारत का राजदूतावास, मेडरिड	14084	19579	25230
81.	भारत का हाई कमीशन, माहे	8197	10239	9640
82.	भारत का हाई कमीशन, माले	7769	14992	15517
83.	भारत का हाई कमीशन, माल्टा	6325	5306	5293
84.	भारत का राजदूतावास, मनीला	6416	9847	10447
85.	भारत का राजदूतावास, मपूतो	8701	11786	12093
86.	भारत का प्रधान कोंसलावास, मेदान	1430	2021	2474
87.	भारत का राजदूतावास, मेक्सिको, सिटी	13813	18966	20805
88.	भारत का प्रधान कोंसलावास, मिलान	8282	12775	17919
89.	भारत का राजदूतावास, मिंस्क	0	5679	8876
90.	भारत का कोंसलावास, मोम्बासा	1767	2664	2782
91.	भारत का राजदूतावास, मास्को	37222	41773	44185
92.	भारत का राजदूतावास, मस्कट	14353	20996	22516
93.	भारत का हाई कमीशन नैरोबी	10504	14761	14336
94.	भारत का प्रधान कोंसलावास, न्यूयार्क	34158	49242	44184
95.	भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क	66387	92441	84642
96.	भारत का हाई कमीशन, निकोसिया	4401	6437	8479
97.	भारत का प्रधान कोंसलावास, ओडेसा	0	2297	3938
98.	भारत का राजदूतावास, ओस्लो	10764	13966	13213
99.	भारत का हाई कमीशन, ओटावा	26082	34733	36104
100.	भारत का राजदूतावास, पनामा	11757	14998	18275
101.	भारत का राजदूतावास, पारामारिबो	7543	10283	11290
102.	भारत का राजदूतावास, पेरिस	42005	77239	90561
103.	भारत का राजदूतावास, नोम पेन्ह	4637	8958	10502
104.	सम्पर्क अधिकारी, फुंटशोलिंग	705	1119	1221
105.	भारत का हाई कमीशन, पोर्ट लुई	11050	18333	18338
106.	भारत का हाई कमीशन, पोर्ट आफ स्पेन	13593	16822	23109
107.	भारत का प्रधान कोंसलावास, पोर्ट सईद	1745	2604	3184
108.	भारत का राजदूतावास, प्राग	9167	15028	24468
109.	भारत का राजदूतावास, प्योंगयांग	6125	8782	7662
110.	भारत का राजदूतावास, रबात	6931	11813	12760
111.	भारत का सहायक हाई कमीशन राजशाही	1500	1841	2928
112.	भारत का राजदूतावास, यांगोन	11546	17406	19984
113.	भारत का राजदूतावास, रियाद	37179	51263	61872
114.	भारत का राजदूतावास, रोम	29758	45546	47729

1	2	3	4	5
115.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सेंट डेनिस	5403	6478	8006
116.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सेंट पीटर्सबर्ग	0	1268	10964
117.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सनफ्रांसिस्को	21912	29193	31685
118.	भारत का राजदूतावास, साना	6546	10607	9224
119.	भारत का राजदूतावास, सान्तियागो	6849	8509	9494
120.	भारत का राजदूतावास, सियोल	18957	29501	46576
121.	भारत का प्रधान कोंसलवास, शंघाई	0	5389	14875
122.	भारत का कोंसलावास, शिराज	3893	4360	2621
123.	भारत का हाई कमीशन, सिंगापुर	14116	20792	25146
124.	भारत का राजदूतावास, सोफिया	4078	6977	12129
125.	भारत का राजदूतावास, स्टॉक होम	22610	22946	23041
126.	भारत का प्रधान कोंसलावास, सिडनी	7685	11205	15367
127.	भारत का राजदूतावास, ताशकंद	5560	7917	11866
128.	भारत का राजदूतावास, तेहरान	24279	27506	31216
129.	भारत का राजदूतावास, तेल अबीब	0	40610	44318
130.	भारत का राजदूतावास, थिम्पु	8052	13917	11937
131.	भारत का राजदूतावास, टोक्यो	47527	70385	96188
132.	भारत का प्रधान कोंसलावास, टोरन्टो	10605	13263	20677
133.	भारत का राजदूतावास, त्रिपोली	18124	20762	24754
134.	भारत का राजदूतावास, ट्यूनिस	3389	5092	4579
135.	भारत का राजदूतावास, उलान बटोर	6078	6872	6879
136.	भारत का प्रधान कोंसलावास, वनकूवर	13067	15636	16243
137.	भारत का राजदूतावास, वियना	25890	40074	38756
138.	भारत का राजदूतावास, विएनतियाने	4089	4877	5536
139.	भारत का प्रधान कोंसलावास, व्लादीवोस्तोक	0	3555	7666
140.	भारत का राजदूतावास, वार्सा	11054	19334	18735
141.	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन	104921	154040	155080
142.	भारत का हाई कमीशन, वेलिंगटन	8319	14292	15414
143.	भारत का हाई कमीशन, विंधोक	6497	10432	10736
144.	भारत का कोंसलावास, जाहिदान	4217	5119	2398
145.	भारत का प्रधान कोंसलावास, जंजीबार	1511	2136	2533
		2029758	2973499	3307349

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि के आबंटन

3049. श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री हरिभाई पटेल :

श्री शंकर सिंह वाघेला :

श्री राम टहल चौधरी :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री पी. कुमारासामी :

श्री प्रबीन डेका :

श्री पीटर जी. मरबनिआंग :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सड़क निधि से 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस धनराशि से किन-किन परियोजनाओं का वित्तपोषण हुआ;

(ग) केन्द्र सरकार ने अब तक कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्य सरकारों को अभी भारी धनराशि दी जानी है;

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या अब तक आवंटित धनराशि इस प्रयोजनार्थ नियत धनराशि से कम है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) 1995-96 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में से आवंटित की गई राज्य वार राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय सड़क निधि में से एकमुश्त अनुदान राज्यवार आबंटित किया जाता है न कि परियोजना-वार।

(ग) 67

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) आबंटित की गई राशियां राज्य सरकारों के लिए अनन्तिम रूप से जमा होने वाली राशियों से कम रही हैं। ये आबंटन उपलब्ध बजटगत प्रावधानों तथा स्वीकृत कार्यों की प्रगति पर निर्भर करते हैं।

(ज) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यों के लिए जारी की जाने वाली प्रस्तावित राशि के बारे में निर्णय संसद द्वारा बजट प्राक्कलनों को पारित कर दिए जाने के बाद लिया जाएगा।

विवरण

(लाख रु०)

क्रम सं.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आन्ध्र प्रदेश	33.00	50.00	600.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	60.00	40.00	42.00
4.	बिहार	100.00	40.00	166.00
5.	चण्डीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य
6.	दिल्ली	12.00	100.00	835.00
7.	गोवा	1.00	5.00	55.00
8.	गुजरात	70.00	80.00	239.00
9.	हरियाणा	39.00	35.00	250.00
10.	हिमाचल प्रदेश	-	15.00	35.00
11.	जम्मू-कश्मीर	50.00	15.00	50.00
12.	कर्नाटक	80.00	50.00	288.00
13.	केरल	20.00	55.00	104.00
14.	मध्य प्रदेश	50.00	45.00	236.00
15.	महाराष्ट्र	100.00	110.00	1100.00
16.	मणिपुर	-	10.00	शून्य
17.	मेघालय	25.00	10.00	7.00
18.	मिजोरम	35.00	-	11.00
19.	नागालैण्ड	-	10.00	34.00
20.	उड़ीसा	7.00	40.00	28.00
21.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य
22.	पंजाब	-	60.00	259.00
23.	राजस्थान	25.00	5.00	103.00
24.	सिक्किम	-	20.00	8.00
25.	तमिलनाडु	50.00	80.00	505.00
26.	त्रिपुरा	11.00	5.00	1.00
27.	उत्तर प्रदेश	79.50	100.00	157.00
28.	पश्चिम बंगाल	40.00	20.00	56.00

[अनुवाद]

अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रैस मार्ग परियोजना

3050. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्सप्रैस मार्ग परियोजना की वर्तमान परिस्थिति क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गुजरात सरकार ने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु कोई नयी मांग की है और इस संदर्भ में चालू वित्तीय बजट में कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) गुजरात राज्य में प्रश्नगत परियोजना इस समय प्रगति पर है और मार्च, 1995 तक कुल 53.2 प्रतिशत वास्तविक प्रगति हुई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार के अनुरोध पर विधिवत् विचार करते हुए निधियों की समग्र उपलब्धता और अन्य कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर 1994-95 में इस परियोजना के लिए 2500.00 लाख रु० आबंटित किए गए थे।

निशस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन

3051. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि ने निरस्त्रीकरण के बारे में संयुक्त राष्ट्र को चौथे विशेष अधिवेशन के दौरान कायरो सम्मेलन में भारत द्वारा उठाये गये अपनी पिछली मांग को दोहराया है;

(ख) यदि हां, तो मांग की सुस्पष्ट शर्तें क्या हैं; और

(ग) इसके क्या परिणाम हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र महासभा के 49वें सत्र के दौरान भारत ने "निरस्त्रीकरण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र महासभा का चौथा विशेष सत्र बुलाने" के बारे में पहल की। इस प्रस्ताव को इससे पहले जून 1994 के दौरान काहिरा में सम्पन्न गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा पारित किया जा चुका था। भारत की इस पहल का "नाम" ग्रुप के देशों द्वारा स्वागत किया गया और इसे "नाम" प्रायोजित प्रस्ताव के रूप में रखा गया। महासभा में सर्वसम्मति से "सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया गया कि यदि संभव हुआ तो निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध चतुर्थ विशेष सत्र 1997 में बुलाया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 1995 में होने वाले 50वें सत्र में इस सम्मेलन की निश्चित तारीख तय करने से सम्बद्ध मसले पर विचार किया जाएगा।"

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की नयी शाखायें

3052. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का उद्देश्य क्या है तथा इसका वर्तमान वार्षिक बजट कितना है;

(ख) इस समय किन–किन देशों में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की शाखाएं कार्यरत हैं;

(ग) इस समय देश के किन–किन शहरों में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की शाखाएं कार्यरत हैं;

(घ) क्या 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान विदेशों में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् की कुछ नयी शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितना खर्च होगा; और

(च) उक्त प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) भारतीय सांस्कृतिक परिषद् के उद्देश्य नीचे लिखे अनुसार हैं :–

(i) भारत के वैदेशिक सांस्कृतिक संबंधों से संबद्ध नीतियां और कार्यक्रम बनाने और उनके कार्यान्वयन में भाग लेना;

(ii) भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध और आपसी समझबूझ विकसित और सुदृढ़ करना;

(iii) अन्य देशों और लोगों के साथ सांस्कृतिक आदान–प्रदान संवर्धित करना;

(iv) संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध स्थापित और विकसित करना;

(v) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में यथा अपेक्षित उपाय करना; परिषद् का वर्तमान वार्षिक बजट 20.30 करोड़ रुपये है।

(ख) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् ने मिस्र (काहिरा), जर्मनी (बर्लिन), गयाना (जार्जटाउन,) इन्डोनेशिया (जकार्ता), कजाकिस्तान (अल्माती), मारीशस (पोर्ट लुई), यू. के (लंदन), रूस (मास्को), सूरीनाम (पारामारिबो) और उजबेकिस्तान (ताशकन्द) में सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं।

(ग) भारत में इस समय बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, मद्रास और त्रिवेन्द्रम में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद् के केन्द्र कार्यरत हैं।

(घ) जोहान्सबर्ग में एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र और डर्बन (दक्षिण अफ्रीका) में एक उप–केन्द्र खोलने का निर्णय लिया गया है।

(ङ) भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र, जोहान्सवर्ग/डर्बन के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

(च) सरकार ने इस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

उर्वरकों का उत्पादन

3053. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री अनिल बसु :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छह माहों के दौरान फास्फेट उर्वरकों सहित उर्वरकों का उत्पादन, उसकी मांग एवं आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उर्वरकों विशेषकर फास्फेट उर्वरकों की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) 1994 में उर्वरकों का खुदरा मूल्य कितना निर्धारित किया गया था?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वांछित सूचना निम्न प्रकार है :–

(आंकड़े लाख टन में)

वर्ष	अथशेष भण्डार नाइट्रोजन(एन)+ फास्फेटस (पी) पोटास (के)	स्वदेशी उत्पादन	आयात (एन+पी+के)	खपत (एन+पी+के)
1992-93	9.00	97.36	29.76	121.55
1993-94	13.11	90.47	31.67	123.66
*1994-95	15.34	49.12	12.46	64.24

(खरीफ मौसम) *अनंतिम

(ख) यूरिया का स्वदेशी उत्पादन, जो कि मूल्य वितरण और संचलन नियंत्रणाधीन है, को इष्टतम बना दिया गया है और स्वदेशी उपलब्धता और मांग के बीच के अन्तर को आयातों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। जहां तक विनियंत्रित फासफेटिक और पोटेसिक उर्वरकों का संबंध है, अगस्त, 1992 में अनियंत्रण से मांग के स्तर को प्राप्त करने के संदर्भ में सम्पूर्ण उपलब्धता बिल्कुल संतोषजनक रही है। फास्फेटिक उर्वरकों के लिए स्वदेशी उत्पादन को इष्टतम बनाने के लिए स्वदेशी उर्वरकों की बिक्री पर एक विशेष रियायत 1993-94 से प्रदान की गई है। यह रियायत उन पोटेसिक उर्वरकों पर भी उपलब्ध है जिनका आयात किया जाना होता है, क्योंकि देश में पोटाश के दोहन योग्य ज्ञात स्त्रोत नहीं हैं।

(ग) 10.6.1994 से यूरिया ही केवल ऐसा उर्वरक है जो संविधिक मूल्य नियंत्रणाधीन है। यूरिया का अधिकतम फुटकर मूल्य 3320 रु० प्रति टन है, जिसमें स्थानीय कर शामिल नहीं है।

अमरीकी कंपनी के साथ-विद्युत क्रय समझौता

3054. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने अमरीका स्थित कम्पनी "कोगेनट्रिक्स एनर्जी इंक" के साथ अंतिम विद्युत क्रय समझौते हेतु केन्द्रीय सरकार से गारंटी मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या गारंटी दे दी गई है;

(ग) प्रस्तावित मंगलौर विद्युत संयंत्र द्वारा कितनी बिजली तैयार की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इस परियोजना को शुरू किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) मै. मंगलौर पावर कंपनी (काजेन्ट्रिक्स इंक यू. एस. ए. तथा जनरल इलैक्ट्रिक, कैपिटल कारपोरेशन की एक सहायक कंपनी) द्वारा स्थापित की जाने वाली मंगलोर ताप विद्युत परियोजना (4x250 मे.वा.) से 1000 मे. वा. विद्युत उत्पादित किये जाने की प्रत्याशा है।

(घ) इस परियोजना का प्रस्ताव के.वि.प्रा. के जांचाधीन है। परियोजना के. वि. प्रा. की स्वीकृति प्राप्त किए जाने के बाद ही प्रारम्भ की जायेगी, जिसके लिए कंपनी द्वारा सभी आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां अभी सुनिश्चित की जानी है। संयंत्र चालू करने से पहले वित्तीय समापन भी प्राप्त करना होगा। 250 मे.वा. की प्रथम यूनिट को वित्तीय समापन से 42 महीने के भीतर शुरू किए जाने की प्रत्याशा है।

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र

3055. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में निजी एवं सरकारी क्षेत्रों में कितने लघु और बड़े संयंत्र लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इस संबंध में सरकार के पास लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इनमें से कुछ प्रस्तावों को हाल ही में स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र का इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि हाल ही में उडीसा राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार उडीसा में एक शीत बेलन मिल और पांच इस्पात संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) जुलाई 1991 में घोषित नई औद्यागिक नीति के तहत लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई है। इसलिए निश्चित प्रतिबंधित स्थानों को छोड़कर इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

पन-विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में भारत-भूटान समझौता

3056. श्री के. प्रधानी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूटान में पन विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु भूटान के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिमी भूटान में, टर्न– की आधार पर राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के माध्यम से कुरिचु जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भूटान की महामहिम सरकार के साथ जनवरी, 1994 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह परियोजना, जिसकी अधिष्ठापित क्षमता 15 मे. वा. की 3 यूनिटें हैं और जिसमें, भारत–भूटान सीमा के समीप कुरिचु से नागलुम तक 132 के.वी. पारेषण लाइन समेत, 15 मे.वा. की एक और यूनिट जोड़े जाने का प्रावधान है, भारत सरकार की वित्तीय सहायता से निर्माण के लिए हाथ में ली जा रही है। परियोजना पर 273 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया है और इस 5 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना से प्राप्त होने वाली अधिशेष विद्युत भारत सरकार द्वारा आपस में तय की गई दरों पर खरीदी जाएगी।

लघु इस्पात संयंत्र

3057. श्री हरिन पाठक : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने वाले लघु इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और ये संयंत्र कहां–कहां लगाए जायेंगे;

(ख) क्या इन परियोजनाओं का कार्य शुरू हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दे दी गई है। लोहा अथवा इस्पात इकाई स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को औद्योगिक लाइसेंस के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते कि प्रस्तावित संयंत्र 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की मानक शहरी क्षेत्र की सीमा के 25 कि. मी. के भीतर स्थित न हो।

साधारणतया: "लघु इस्पात संयंत्र" का अभिप्राय, विद्युत चाप भट्टी प्रक्रिया के जरिए तुलनात्मक रूप से इस्पात विनिर्माण की कम क्षमता की इकाइयों से है।

सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5 लाख टन तक की वार्षिक क्षमता की निम्नलिखित विद्युत चाप भट्टी इकाइयां स्थापित की जा रही हैं :–

नाम	स्थान-स्थिति	क्षमता (टन वार्षिक)	चालू होने की सम्भावित तारीख
नोवा स्टील (इण्डिया) लि०	बिलासपुर, मध्य प्रदेश	2.0 लाख	अक्तूबर, 1995
राजेन्द्र स्टील लिमिटेड	रायपुर, मध्य प्रदेश	1.7 लाख	मध्य, 1995
रेमी मैटल (गुजरात) लिमिटेड	भरौच, गुजरात	1 लाख	जून, 1995
जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड	रायगढ़, मध्य प्रदेश	5.0 लाख	दिसम्बर, 1995

कोर समिति

3058. श्री अन्ना जोशी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कॉफी उद्योग से जुड़े मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए कोर समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की अब तक हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रिपोर्ट को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (तरुण गगोई) : (क) और (ख) जी हां। काफी उद्योग से संबंधित मुद्दों की जांच करने के लिए 30-1-95 को वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक कोर समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक अभी आयोजित की जानी है।

(ग) समिति कॉफी उद्योग तथा सरकार के बीच निकट बातचीत के लिए एक मंच का काम करेगी तथा कॉफी उत्पादन, विपणन और निर्यात से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सुझाव पेश करेगी। समिति द्वारा कोई औपचारिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का विचार नहीं है।

आई. बी. वैली विद्युत परियोजना

3059. डा. कृपासिंधु भोई : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई. बी. वैली विद्युत परियोजना की कार्यक्षमता में सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आई.बी. वैली विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है तथा इस परियोजना की विद्युत उत्पादन दर कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस विद्युत परियोजना को बेचने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) उड़ीसा में ईब घाटी ताप विद्युत परियोजना की 200-200 मेगावाट की दो यूनिटें हैं। 22.5.94 को यूनिट–I चालू हुई थी तथा इस यूनिट का कार्य निष्पादन संतोषजनक है। भेल द्वारा सामग्री की सप्लाई में देरी तथा टी. जी. उत्थापन की धीमी प्रगति के कारण यूनिट-II कार्यक्रम से पिछड़ गई है।

(ग) एवं (घ) मै. कम्युनिटी एनर्जी आलटरनेटिव यू. एस. ए. ने ईब घाटी ताप विद्युत केन्द्र के यूनिट–I एवं II (2x200 मे.वा.) का अधिग्रहण करने के उपरांत इसके स्वामित्व, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर उड़ीसा सरकार द्वारा विचार किया गया था, उन्होंने सूचित किया है कि प्रस्ताव को त्याग दिया गया है। और राज्य सरकार द्वारा ईब घाटी टीपीएस के यूनिट -I और II के लिए कंपनी के साथ एक संयुक्त उद्यम विकल्प का निर्णय किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं का निजीकरण

3060. डा. लाल बहादुर रावल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कुछ विद्युत परियोजनाओं के निजीकरण हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के निजी विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य राज्यों से किन्ही विद्यमान विद्युत परियोजनाओं के निजीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य बिजली बोर्डों/पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड/ऊर्जा प्रबंधन केन्द्र से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 55609 मे.वा. की क्षमता अभिवृद्धि हेतु 123 विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापना हेतु समझौता ज्ञापनों (एम. ओ. यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

[अनुवाद]

उर्वरक एकक

3061. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नई उर्वरक उत्पादन एककों की स्थापना के लिए विदेशी उर्वरक फर्मों से सहयोग मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को कम करना

3062. श्री वी. सोभनाद्रीश्वर राव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने पाकिस्तान को उन देशों की सूची में शामिल नहीं किया है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तथा अन्य देशों में सक्रिय आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने और हथियारों की सप्लाई करने के लिए उसे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों में शामिल करने के मुद्दे पर अमरीका से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो अमरीका की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) जुलाई, 1993 और उसके बाद जनवरी, 1994 में अमरीका की सरकार के निश्चय का निष्कर्ष यह था कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि "पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी कार्रवाईयों को बार-बार समर्थन दिया है।"

(ग) सरकार बार-बार अमरीका की सरकार को जोर देकर यह बात कहती रही है कि इस बात के अकाट्य साक्ष्य हैं कि पाकिस्तान हथियारों, उपकरणों की सप्लाई करके, प्रशिक्षण देकर तथा घुसपैठ करके भारत में आतंकवाद को सक्रिय रूप से बराबर प्रायोजित कर रहा है। इस साक्ष्य से अमरीका के सरकारी प्राधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

(घ) अमरीका की सरकार ने यह कहा है कि "अमरीका के पास उपलब्ध साक्ष्य से इस तर्क को समर्थन नहीं मिलता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी की सूची में रखा जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

विदेशी जेलों में भारतीय सैनिक

3063. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों की जेलों में कितने-कितने भारतीय सैनिक बंद हैं; और

(ख) उन्हें जल्दी रिहा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

तीर्थ यात्रा

3064. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हज तीर्थ यात्रियों के लिए सऊदी अरब की समुद्री पोत सेवा बन्द करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार हज तीर्थ यात्रियों हेतु विमान सेवा शुरू करने का है;

(घ) विमान और पोत किराए में कितना अन्तर है;

(ङ) क्या सरकार का विचार हज यात्रियों को विमान किराये में रियायत देने का है;

(च) यदि हां, तो कितने प्रतिशत रियायत दी जायेगी;

(छ) क्या सरकार का येरूसलम, रोम अथवा अन्य धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को भी विमान किराये में रियायत देने का प्रस्ताव है;

(ज) क्या यह रियायत अन्तर-राज्यीय उड़ानों में भी दी जायेगी; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) सरकार ने निर्णय लिया है कि हज 1995 से सभी हाजियों को वायुयान से ले जाया जाएगा। समुद्री जहाज से हज यात्रा को बंद करने के कारण नीचे लिखे अनुसार हैं।

(i) हज पर जाने वाले भारतीय हाजियों की कुल संख्या की तुलना में अपेक्षाकृत केवल थोड़े से हज यात्रियों को ही समुद्री जहाज द्वारा यात्रा की सुविधा उपलब्ध थी।

(ii) सऊदी प्राधिकारियों द्वारा सऊदी अरब में हाजियों के आगमन और वहां से उनके प्रस्थान के बारे में निर्धारित समय-सीमा का समुद्री जहाज से हज पर जाने वाले हाजियों के मामले में पालन करना कठिन था।

(iii) सऊदी प्राधिकारी हवाई यात्रा से हज करने को प्रोत्साहन देते हैं। उन्होंने हवाई यात्रा से आने वाले सभी हाजियों के लिए आधारभूत सुविधाएं मुहैया करायी हैं।

(iv) समुद्री जहाज से जाने वाले हाजियों को 65 दिन तक सऊदी अरब में ठहरना पड़ता था जबकि हवाई यात्रा से जाने वाले

हाजियों को 45 दिन ही सऊदी अरब में ठहरना पड़ता है। सऊदी अरब में जीवनयापन की उच्च लागत को देखते हुए बहुत से हाजियों को निधियों में कमी होने की समस्याएं पेश आती थीं।

(v) *1994 तक भारत विश्व के उन चार देशों में से एक था जो समुद्री मार्ग से अपने हाजियों को भेजते थे। हज 1995 के लिए सऊदी अरब के केवल दो पड़ौसी देश अर्थात् मिस्र और सूडान ही अपने हाजियों को समुद्री मार्ग से भेजेंगे।*

(vi) हज 1994 के लिए समुद्री मार्ग से यात्रा के लिए दी गई प्रति हाजी इमदाद की रकम 32000 रु० थी जबकि हवाई मार्ग से 5000 रुपये थी। सरकार का यह विचार है कि हज पर होने वाले व्यय का सभी हाजियों के लिए यात्रा सुविधाओं में सुधार करने के लिए बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है।

(घ) हज 1994 के लिए सऊदी अरब जाने और वहां से वापस आने के लिए प्रत्येक हाजी से हवाई यात्रा के लिए 12000 रुपये लिए गए थे। समुद्री मार्ग से यात्रा करने वाले हाजियों से लिया गया किराया नीचे लिखे अनुसार है :

बंक श्रेणी		3,750	रुपये
केबिन श्रेणी	I	8,750	रुपये
केबिन श्रेणी	II	8,500	रुपये
केबिन श्रेणी	III	8,250	रुपये

(ङ) और (च) उम्मीद है कि मंत्रिमंडल हज 1995 के लिए हाजियों से लिए जाने वाले किराए और इस संबंध में सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय की राशि के संबंध में शीघ्र ही निर्णय ले लेगा।

(छ) येरूसलम, रोम अथवा अन्य धार्मिक स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को हवाई किराए में रियायत देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ज) और (झ) रवानगी स्थानों अर्थात् दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास पहुंचने के लिए हज यात्रियों को अन्तरदेशीय हवाई यात्रा के संबंध में कोई रियायत नहीं दी जाती है।

राज्य विद्युत बोर्ड

3065. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ राज्य सरकारों ने यह शिकायत की है कि राज्यों को केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से विद्युत की सप्लाई अक्सर अनियमित होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : *(क) और (ख) केन्द्रीय क्षेत्र से प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकारों के परामर्श पर तैयार केन्द्रीय फार्मूले के अनुसार की जा रही है। फार्मूले के अनुसार 85 प्रतिशत विद्युत का आवंटन, जिस राज्य में विद्युत केन्द्र स्थापित किया गया है, इसके समेत, क्षेत्र में राज्यों के मध्य किया जाता है। शेष 15 प्रतिशत अनाबंटित विद्युत केन्द्र के पास रहती है, जो राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अपनी मौसमी तथा अन्य परिवर्तनशील भार मांगों को पूरा करने के लिए समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती है।*

(ग) बिज्ली (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा-59 के प्रावधान के अन्तर्गत बोर्डों द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में निवल स्थायी परिसम्पत्तियों के 3 प्रतिशत से अधिक का अधिशेष प्राप्त करना अपेक्षित होता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए बोर्डों से अनुरोध किया गया है, यथा, कृषि टैरिफ समेत टैरिफ का युक्तिकरण, ऋण का इक्विटी में परिवर्तन करना, संशोधित आर्थिक सहायता अनुमान का नियमित रूप से भुगतान, संयंत्र भार अनुपात में सुधार करना तथा पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना।

[अनुवाद]

उर्वरकों पर राजसहायता

3066. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 मार्च, 1995 को "फाइनेंनशियल एक्सप्रेस" में "फर्टिलाइजर इन्डस्ट्री कन्फयूज्ड ओवर सबसिडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा राज सहायता वापस लिए जाने के कारण बंद हुए एककों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इस प्रश्न में संदर्भित समाचार दिनांक 22 मार्च, 1995 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ था।

(ख) और (ग) समाचार का संबंध अनियंत्रित फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों, जो कृषि मंत्रालय द्वारा शासित है, पर विशेष रियायत की योजना से था। उक्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्ष 1995-96 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण में इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई थी। योजना की वर्तमान पद्धति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

यूरिया की उपलब्धता और इसका उत्पादन

3067. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 अप्रैल, 1994 को यूरिया का कुल कितना भंडार था;

(ख) वर्ष 1994 के दौरान यूरिया का कुल कितना घरेलू उत्पादन हुआ है और इसका कुल कितना आयात किया गया है;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान इसकी राज्यवार उपलब्धता कितनी-कितनी थी और इसका उपयोग कितना-कितना था;

(घ) क्या देश के कुल हिस्सों में यूरिया की उपलब्धता में कमी आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 1994-95 के दौरान अथवा जिस वर्ष के अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं उस दौरान राज्यवार प्रति हेक्टेयर यूरिया की खपत कितनी-कितनी थी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के दौरान अथशेष भंडार, स्वदेशी उत्पादन और यूरिया का आयात क्रमशः 13.47, 142.02 और 28.70 लाख टन थे।

(ग) खरीफ 1994 और रबी 1994-95 के दौरान (28.2.95 तक) राज्यवार यूरिया की उपलब्धता और बिक्री संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(घ) और (ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत किये गये आबंटन के संदर्भ में, देश में खरीफ 1994 और रबी 1994-95 के दौरान यूरिया की उपलब्धता पूर्ण रूप में संतोषजनक थी। चालू वर्ष के खरीफ मौसम में 101% और रबी मौसम में 102% संतुष्टी प्रतिशत था। वर्ष के दौरान अस्थायी और स्थानीय कमियों को वैकल्पिक स्रोतों से आपूर्ति को तेजी से पूरा करने के लिए दक्षता से पूरा किया गया था।

(च) उर्वरकों की खपत के प्रति हेक्टेयर आंकड़े केवल पोषकों के रूप में रखे जाते हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान राज्यवार प्रति हैक्टर नाइट्रोजन की खपत, जिसके लिए यूरिया प्रमुख स्रोत हैं, संलग्न विवरण-II में दर्शायी गयी है।

विवरण-I

खरीफ मौसम 94 और रबी 1994-95 (28.2.1995 तक) के लिए यूरिया की उपलब्धता और बिक्री

(आंकड़े 000 मी.टन)

क्रमांक	राज्य	खरीफ 1994		रबी 1994-95	
		उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता 28.2.95 तक	बिक्री 28.2.95 तक
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	887.20	776.82	969.09	866.34
2.	कर्नाटक	414.36	386.83	332.16	266.52
3.	केरल	65.43	57.37	51.18	42.21
4.	तमिलनाडु	250.45	224.29	458.40	429.54
5.	अंडमान व निकोबार	0.41	0.41	0.00	0.00
6.	पांडिचेरी	10.02	9.54	8.34	7.80
7.	गुजरात	423.68	391.05	491.48	446.86
8.	मध्य प्रदेश	601.79	560.25	491.49	442.34
9.	महाराष्ट्र	966.08	900.68	566.99	406.52
10.	राजस्थान	414.34	352.34	484.27	437.27
11.	दादर, नगर हवेली	1.29	1.29	0.25	0.25
12.	गोआ	3.06	3.06	0.89	0.61
13.	दमन और दीव	0.17	0.17	0.00	0.00
14.	हरियाणा	473.48	439.93	585.00	507.60
15.	हिमाचल प्रदेश	23.83	20.93	22.16	16.11
16.	जम्मू-कश्मीर	57.32	55.33	10.43	3.91
17.	पंजाब	914.40	867.49	993.21	892.59
18.	उत्तर प्रदेश	1814.93	1675.44	2174.12	1938.43
19.	चंडीगढ़	0.32	0.32	0.44	0.44
20.	दिल्ली	7.64	7.64	20.05	20.03
21.	बिहार	519.87	491.09	515.41	481.81
22.	उड़ीसा	167.94	157.23	96.93	79.49
23.	पश्चिम बंगाल	347.60	334.27	423.65	373.78
24.	असम	26.85	26.84	29.70	20.36
25.	मणिपुर	16.98	14.43	3.40	2.90
26.	मेघालय	2.28	2.26	1.77	1.22
27.	नागालैंड	0.51	0.51	0.22	0.09
28.	सिक्किम	0.30	0.30	0.13	0.13
29.	त्रिपुरा	9.73	9.73	3.85	2.89
30.	अरूणाचल प्रदेश	0.22	0.21	0.08	0.08
31.	मिजोरम	0.23	0.14	0.34	0.09
32.	टी बोर्ड (एन ई)	19.48	17.90	28.69	28.69
	अखिल भारत	8442.19	7786.09	8764.72	7716.90

विवरण -II

1993-94 के दौरान फसल वाले क्षेत्र के लिए नाइट्रोजन की प्रति हैक्टेयर अनुमानित खपत

(किलोग्राम/हैक्टेयर)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	82.30
2.	कर्नाटक	38.15
3.	केरल	25.69
4.	तमिलनाडु	59.32
5.	अंडमान और निकोबार	5.63
6.	पांडिचेरी	255.91
7.	गुजरात	45.03
8.	मध्य प्रदेश	22.57
9.	महाराष्ट्र	40.05
10.	राजस्थान	20.23
11.	दादर और नगर हवेली	24.81
12.	गोआ	20.25
13.	दमन और दीव	39.35
14.	हरियाणा	93.87
15.	हिमाचल प्रदेश	25.14
16.	जम्मू और कश्मीर	32.53
17.	पंजाब	125.90
18.	उत्तर प्रदेश	73.32
19.	चंडीगढ़	126.75
20.	दिल्ली	201.18
21.	असम	5.37
22.	मणिपुर	42.71
23.	मेघालय	7.56
24.	नागालैंड	2.31
25.	सिक्किम	4.54
26.	त्रिपुरा	11.68
27.	अरूणाचल प्रदेश	1.13
28.	मिजोरम	3.62
29.	टी बोर्ड (एन ई)	-
30.	बिहार	46.48
31.	उड़ीसा	15.75
32.	पश्चिम बंगाल	49.08
	अखिल भारत	48.10

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग

3068. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल को हाल ही की भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) हाल ही की भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए 1994-95 के दौरान कुल 175 लाख रुपए जारी किए गए हैं।

चीन द्वारा पाकिस्तान को परमाणु संयंत्र की बिक्री

3069. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीन द्वारा पाकिस्तान को अन्य परमाणु शक्ति संयंत्र की बिक्री के संबंध में हाल ही की रिपोर्ट की जानकारी है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान चीन से एक और नाभिकीय शक्ति संयंत्र हासिल करने का प्रयास कर रहा है।

पाकिस्तान गत कई वर्ष से शस्त्रोन्मुख गुप्त नाभिकीय कार्यक्रम चला रहा है। सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि पाकिस्तान अपने इस गुप्त नाभिकीय कार्यक्रम के लिए विभिन्न स्रोतों से नाभिकीय जानकारी और संघटक हासिल करने की कोशिश कर रहा है।

शांतिपूर्ण नाभिकीय कार्यक्रम को चलाने के संबंध में भारत की स्थिति सुज्ञात है। तथापि पाकिस्तान का चोरी छिपे और शस्त्रोन्मुख स्वरूप का नाभिकीय कार्यक्रम भारत सरकार की गंभीर चिंता का कारण है।

सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है जिनका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है और इसकी रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

गुजरात और हरियाणा में नए पासपोर्ट कार्यालय

3070. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और हरियाणा में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) पासपोर्ट जारी करने से संबंधित प्रक्रिया को कारगर बनाने और प्रतीक्षा की अवधि को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) गुजरात और हरियाणा में क्रमशः अहमदाबाद और चंडीगढ़ में पहले ही क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय विद्यमान हैं। और कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नए पासपोर्ट कार्यालय खोलना कई बातों पर निर्भर करता है जिनमें कार्य की मात्रा और उपलब्ध संसाधन शामिल हैं और नए कार्यालय खोल देने मात्र से ही तब तक सेवाओं में सुधार नहीं होता जब तक आवश्यक आधारभूत संरचना और कार्मिक उपलब्ध न हों।

(ग) पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यस्थित बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जैसे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना, कार्यालय सुविधाओं को बेहतर बनाना जिनमें कम्प्यूटरीकरण भी शामिल है, विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से प्रणालियों और क्रियाविधियों की समीक्षा तथा पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं उस पर अनुवर्ती कार्रवाई।

द्वितीय विवेकानन्द सेतु, कलकत्ता

3071. श्री चित्त बसु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में उत्तर 24- परगना बाराहनगर में गंगा नदी पर दूसरे विवेकानन्द सेतु के निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना तैयार करने का कार्य किसी विदेशी संगठन को दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी हां।

(ख) तकनीकी–आर्थिक व्यावहार्यता अध्ययन किया जा रहा है। उसके बाद प्रस्तावों के ब्यौरों का पता चलेगा।

(ग) और (घ) यह कार्य एक भारतीय फर्म, कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (पी.) लि. को सौंपा गया है जो डिवीडॅग सिस्टम इन्टरनेशनल कंसलटिंग डिवीजन, म्यूनिख के सहयोग से कार्य करेगी। 147.71 लाख रु० की अनुमानित लागत वाले इस कार्य को 31.3.93 को मंजूरी दी गई थी और इसे सितम्बर, 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

कोचीन पत्तन न्यास

3072. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन न्यास ने उत्पादकता में सुधार लाने और दुलाई आदि की मूल्य लागत में कमी करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मौजूदा पत्तन सुविधाओं के सदुपयोग में वृद्धि करने हेतु अनेक विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) कोचीन पत्तन न्यास ने उत्पादकता में सुधार करने के उद्देश्य से पत्तन में कार्यरत अधिकांश यूनियनों के साथ 6 जून, 94 को एक समझौता किया है। समझौते के तहत कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड और पत्तन न्यास में विलय कर दिया जाएगा और कोचीन गोदी श्रमिक बोर्ड और पत्तन न्यास के मजदूरों की गैंगों की बुकिंग के प्रयोजनार्थ एक सामान्य रोस्टर में शामिल किया जाएगा और जहाज तथा तट पर कार्य करने के लिए उनकी आपस में पूरी तरह अदला–बदली की जा सकेगी। विलय के प्रथम चरण के रूप में मजदूरों के गैंगों की अन्तरपरिवर्तनीय 11 जुलाई, 1994 से शुरू कर दी गई है। विलय संबंधी समझौते में कम व्यक्ति तैनात करने का प्रावधान है जिससे और अधिक गैंग सुलभ होंगे तथा कोचीन पत्तन में कार्गो हैंडल करने की इकाई लागत कम हो जाएगी।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास/आधुनिकीकरण की कई स्कीमों के लिए 200 करोड़ रु० निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 1995-96 के लिए पत्तन को 50 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं। मौजूदा निकर्षक के स्थान पर एक निकर्षक की खरीद, कन्टेनर हैंडलिंग उपकरणों की खरीद, 30/35 टन बोलाई पुल टगों को बदलना और चैनल को गहरा करने जैसी कुछ बड़ी स्कीमें हैं जिमसे कोचीन पत्तन में मौजूदा पत्तन सुविधाओं के उपयोग में निःसंदेह वृद्धि होगी।

नई उर्वरक मूल्य नीति

3073. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई उर्वरक मूल्य नीति से घरेलू उर्वरक उत्पादक एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) घरेलू उर्वरक उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास

विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) से (ग) इस समय मात्र यूरिया, जो प्रमुख नाइट्रोजनी उर्वरक है सांविधिक मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत शामिल है। इसका बिक्री मूल्य पिछली बार 10.6.1994 से 20 प्रतिशत बढ़ाया गया था। इस बढ़ोत्तरी के बावजूद यूरिया के मूल्य पर भारी राजसहायता की जानी जारी है और औसत रूप से सरकार किसानों को बेचे गए प्रति टन यूरिया पर लगभग 2500 रुपए था राजसहायता भार उठाती है। नियंत्रित उर्वरक होने के कारण यूरिया के उपभोक्ता मूल्य में किसी संशोधन का उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि प्रतिधारण मूल्य सह राज सहायता योजना के अंतर्गत निर्माताओं को सरकार द्वारा यथा मूल्यांकित उत्पादन लागत और उपभोक्ता मूल्य के रूप में प्राप्ति के मध्य अन्तर को राज सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है।

जहां तक फास्फेटी और पोटाशी उर्वरकों का संबंध है, उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 25.8.1992 से इन उर्वरकों से मूल्य एवं संचलन नियंत्रण हटा लिए गए। निर्माता अब खुले बाजार में बिना किसी राजसहायता के इन उर्वरकों की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, इन अनियंत्रित उर्वरकों के मूल्य में बढ़ोत्तरी के प्रभाव को कम करने के लिए किसान को स्वदेशी फास्फेटिक उर्वरकों और आयातित पोटाश पर विशेष रियायत प्रदान की जा रही है। अनियंत्रित उर्वरकों पर विशेष रियायत की योजना लगातार चौथे वर्ष के लिए जारी रखी जाएगी।

कृषि आधारित उद्योग

3074. डा० आर. मल्लू :

श्री दिलीपभाई संघाणी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान कृषि–आधारित उद्योगों के विकास के लिए कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) संबंधित स्थानों और ग्रामीण युवाओं के रोजगार हेतु किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में किए गए कुल विदेशी पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) से (घ) उदारीकरण से लेकर जनवरी, 1995 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/संयुक्त उद्यमों/औद्योगिक लाइसेंस/विदेशी सहयोग आदि के 587 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है जिनमें 2528 करोड़ रु० के विदेशी निवेश समेत 7679 करोड़ रुपये के निवेश का कार्यक्रम है। फरवरी, 1995 तक 3046 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए जिनमें 38409 करोड़ रु० के निवेश का कार्यक्रम है। इनके कार्यान्वित होने पर गैर–शहरी क्षेत्रों में लगभग 5.92 लाख लोगों को रोजगार मिलने की आशा है।

मंजूर किए गए प्रस्तावों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उदारीकरण की अवधि के दौरान किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों तथा मंजूर किए गए औद्योगिक प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तुत किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की संख्या	मंजूर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	192	115
2.	असम	3	-
3.	बिहार	21	4
4.	गुजरात	210	25
5.	हरियाणा	349	39
6.	हिमाचल प्रदेश	36	12
7.	जम्मू एवं कश्मीर	10	-
8.	कर्नाटक	74	20
9.	केरल	26	36
10.	मध्य प्रदेश	261	15
11.	महाराष्ट्र	434	113
12.	मणिपुर	0	-
13.	मेघालय	1	-
14.	नागालैंड	1	-
15.	उड़ीसा	15	5
16.	पंजाब	255	12
17.	राजस्थान	295	29
18.	तमिलनाडु	107	41
19.	त्रिपुरा	0	-
20.	उत्तर प्रदेश	601	38
21.	पश्चिम बंगाल	72	10
22.	सिक्किम	1	1
23.	अंडमान निकोबार	1	3
24.	अरूणाचल प्रदेश	0	-

1	2	3	4
25.	चण्डीगढ़	2	-
26.	दादर तथा नागर हवेली	11	2
27.	दिल्ली	42	1
28.	दमन एवं दीप	7	4
29.	एल.एम.ए. द्वीव	0	-
30.	मिजोरम	0	-
31.	पांडिचेरी	12	2
32.	गोआ	7	17
सही स्थान का उल्लेख नहीं किया गया/ प्रस्तावित यूनिट एक से अधिक राज्य में हैं			44
	कुल योग :	3046	587

बिहार में नए पासपोर्ट कार्यालय

3075. **श्री प्रेमचन्द राम :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में कोई नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नया पासपोर्ट कार्यालय खोलना विभिन्न मानदण्डों पर आधारित है जिनमें कार्यभार और उपलब्ध संसाधन भी शामिल हैं। नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने मात्र से ही तब तक सेवा में सुधार नहीं होगा जब तक आवश्यक आधारिक संरचना और कार्मिक उपलब्ध न हों। इसलिए, सरकार पासपोर्ट जारी करने में होने वाली देरी को कम करने तथा कार्यविधियों को कारगर एवं सरल बनाने का प्रयास कर रही है।

यात्री-सह-मालवाहक पोत

3076. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान–निकोबार प्रशासन के लिए एक अत्याधुनिक यात्री–सह–मालवाहक पोत के निर्माण हेतु हिन्दुस्तान शिपिंग लिमिटेड और शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब से आरम्भ हो जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) जी नहीं। वस्तुतः अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए 52.03 मिलियन अमरीकी डालर (भारतीय मुद्रा में देय) मूल्य पर 1200 यात्री व 1500 मीट्रिक टन कार्गो क्षमता के एक जलयान के डिजाइन, निर्माण और डिलीवरी के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० तथा अंडमान और निकोबार प्रशासन के बीच 11 मार्च, 1994 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) इस परियोजना पर कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका है और 22.3.1994 को कील डाली गई थी।

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति

3077. **श्री एस. एम. लालजान बाशा :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक उद्योग समन्वय समिति में चयन/नामनिर्दिष्ट करने के मानदंड और एफ. आई. सी. एल. के उद्देश्य के साथ–साथ सदस्य संबंधी वर्तमान ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके गठन में कुछ परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) उर्वरक उद्योग समन्वय समिति (एफ. आई. सी. सी) का गठन निम्नानुसार हैं :

1.	सचिव, उर्वरक विभाग	अध्यक्ष
2.	सचिव, उद्योग मंत्रालय	सदस्य
3.	सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग	
4.	सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	
5.	अध्यक्ष, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो	
6.	उर्वरक उद्योग के दो प्रतिनिधि	
7.	कार्यकारी निदेशक	सदस्य सचिव

उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्य निम्नानुसार हैं :

(i) प्रतिधारण मूल्य पद्धति को संचालित करने के उद्देश्य से सृजित उर्वरक मूल्य निधि लेखा का प्रचालन करना,

(ii) लेखाओं का रख–रखाव करना तथा भुगतान करना तथा उर्वरक कंपनियों से राशि वसूल करना,

(iii) लागत निर्धारित करना तथा अन्य तकनीकी कार्य करना,

(iv) उत्पादन आंकड़े, लागत और अन्य सूचना एकत्र करना तथा विश्लेषण करना,

(v) औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के साथ परामर्श करके

आवधिक रूप से प्रतिधारण मूल्यों की समीक्षा करना तथा प्रतिधारण मूल्यो में जहां आवश्यकता हो, सरकार की पूर्व सहमति से समायोजन करना,

(vi) भावी मूल्य निर्धारण अवधियों के लिए प्रतिधारण मूल्य तैयार करने के लिए आवश्यक जांच करना।

(vii) ऐसे कार्य करना जिन्हें सरकार समय–समय पर समिति को सौंपे।

(ख) और (ग) इसके गठन में कोई परिवर्तन विचाराधीन नहीं है। तथापि, उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने 1992 में उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के कार्य के बारे में टिप्पणी किया था। परिणामस्वरूप प्रबंध विशेषज्ञों की एक संस्था ने उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के संबंध में सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन मे उर्वरक उद्योग समन्वय समिति के समग्र कार्य के संदर्भ में अनेक सुझाव दिये गये हैं। इसकी कार्य प्रणाली को कारगर बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। उर्वरक उद्योग समन्वय समिति की भूमिका, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों से संबंधित मुद्दे भी जांच के अधीन है।

परिवहन नीति पर गोष्ठी

3078. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सार्क" देशों में परिवहन नीति पर एक तीन–दिवसीय गोष्ठी का आयोजन नई दिल्ली में फरवरी, 1995 में किया गया था,

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में कितने देशों ने भाग लिया था;

(ग) गोष्ठी में दिए गए सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन्हें लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मोटर यानों की उपयोग अवधि निर्धारित करना

3079. श्री मोहन रावले : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी प्रकार के मोटर यानों की उपयोग अवधि निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या उद्देश्य हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत पाक जनस्तरीय सम्मेलन

3080. श्री सनत कुमार मंडल :

श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के कुछ विख्यात व्यक्तियों ने शान्ति और भाई चारे को प्रोत्साहन देने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने सम्मेलन की सफलता का कोई आकलन किया है और इससे तनावों को समाप्त करने तथा द्विपक्षीय विवादों के समाधान का मार्ग प्रशस्त करने में कहां तक सफलता मिली?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) शांति और लोकतंत्र संबंधी पाकिस्तान–भारत लोक मंच ने जो एक गैर–सरकारी निकाय है, 24 और 25 फरवरी, 1995 को नई दिल्ली में एक अनौपचारिक भारत–पाकिस्तान बैठक आयेजित की। उपलब्ध सूचना के अनुसार छियानबे पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने इस बैठक में भाग लिया। इस सम्मेलन ने भारत–पाक संबंधों पर एक वक्तव्य जारी किया।

(ग) सरकार का विचार है कि लोगों से लोगों के स्तर पर संपर्को से भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भाव और समझ–बूझ बढेगी।

[हिन्दी]

शहरों में नागरिक सुविधाएं

3081. श्री एन. जे. राठवा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा आवास और शहरी विकास निगम ने विभिन्न राज्यों में छोटे और मझौले शहरों में बेहतर नागरिक एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ योजनाओं को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से गुजरात के बडोदरा भारूच तथा पंचमहल जिलों में इस योजना के अंतर्गत बतायी गयी परियोजनाओं के नाम क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गयी है; और

(ङ) गुजरात में इस मद के अंतर्गत 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) और (ख) नागरिक सुविधाओं का प्रावधान करना संबंधित स्थानीय निकायों का दायित्व है। ये स्थानीय निकाय संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श में अपनी योजनाएं तैयार करते हैं। राज्य सरकारें अपनी ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत तथा हुडको, एल.आई.सी. जैसे वित्तीय संस्थानों से उधार लेकर स्थानीय निकायों की सहायता देती है। भारत सरकार केवल

नोडल तथा उत्प्रेरक की भूमिका अदा करती है।

तथापि, राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में छोटे तथा मंझोले शहरों के समन्वित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना (आई डी एस एम टी) वर्ष 1979-80 से शुरू कर दी गयी है। आई. डी. एस. एस. टी. योजना का लक्ष्य 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में भौतिक तथा आर्थिक अवस्थापना और अन्य अत्यावश्यक सुविधाओं तथा सेवाओं में सुधार करना है। योजना के प्रारंभ से लेकर आज तक विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के 749 शहरों को आई. डी. एस. एम. टी. के तहत शामिल किया जा चुका हैं तथा 230.17 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गयी है। इन योजनाओं में बाजार तथा विपणन परिसर, सड़कें जल निकाय तथा स्थल और सेवाएं, बस स्टैण्ड और अन्य अवस्थापना सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) से (ङ) इन तीन जिलों के जिन शहरों को आई. डी. एस. एम. टी. के तहत शामिल किया गया है और केन्द्रीय सहायता जारी की गयी है उनके नाम इस प्रकार है :

शहर का नाम	जिला	केन्द्रीय सहायता
		(लाख रुपए में)
धनोई	वड़ोदरा	13.50
पादरा	वड़ोदरा	36.00
भारूच	भारूच	24.00
अंकलेश्वर	भारूच	38.34
डहोद	पंचमहल	39.95
गोधरा	पंचमहल	40.00

वर्ष 1994-95 के दौरान, गुजरात सरकार को 1.50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गयी है। राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर, 1993 तक किया गया व्यय, जिसकी सूचना उपलब्ध नहीं है, 17.38 करोड़ रुपए हैं।

भारत-बंगलादेश सीमा

3082. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत और बंगलादेश के बीच सीमा संबंधी विवादों का समाधान करने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) जी, हां। दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी विवादों को हल करने के लिए सरकार भारत-बंगलादेश्या भू-सीमा करार, 1974 के अधीन बंगलादेश की सरकार के साथ निरंतर बातचीत करती रही है। अभी हाल ही में 21-23 नवम्बर, 1994 तक ढाका में भारत-बंगलादेश सर्वेक्षण बातचीत के दौरान इन मसलों पर विचार-विमर्श हुआ था।

(ग) कुछ कानूनी, संवैधानिक और प्रशासनिक पूर्वापेक्षाएं हैं। केन्द्र तथा संबंधित राज्य सरकारों के संबंधित अभिकरणों को उन आवश्यक औपचारिकताओं की जानकारी है जिन्हें पूरा किया जाना है।

[हिन्दी]

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम

3083. श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री शोभनादीश्वर वाड्डे :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम में व्यापक संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य-मुख्य बातें क्या है, और

(ग) संशोधनों के लिए विधेयक को संसद के समक्ष कब तक जायेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (घ) सरकार द्वारा नगर भूमि अधिकतम सीमा तथा विनियमन अधिनियम 1976 के संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है परंतु अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। प्रक्रिया जटिल होने के कारण इस मामले में निर्णय लेने के लिए समय सीमा पहले से बताना कठिन है।

[अनुवाद]

इस्पात उत्पादन

3084. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मौजूदा वित्त वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान कुल कितने तैयार इस्पात का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के लिए योजना अनुमान की तुलना में इस्पात का उत्पादन कम हुआ है;

(ग) क्या इस्पात की मांग में निरंतर कमी आ रही है और चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान इसकी खपत में गत वर्ष की तुलना में कमी आई है;

(घ) क्या देश में कतिपय इस्पात संयंत्र अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं; और

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी मुख्य कारक क्या हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) अप्रैल-नवम्बर, 1994 के दौरान कुल 108.6 लाख टन परिसज्जित इस्पात का उत्पादन हुआ जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में

10.6% की वृद्धि दर्शाता है। तथापि उत्पादन इस अवधि के लिए योजना की तुलना में 7% कम हुआ था।

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में 1994-95 के दौरान इस्पात की मांग में वृद्धि हुई है। प्रथम आठ माह अर्थात् अप्रैल से नवम्बर, 1994 के दौरान परिसज्जित इस्पात की खपत में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13% की वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) एकीकृत इस्पात संयंत्रों में केवल "सेल" का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और विशाखापट्नम इस्पात संयंत्र निम्नलिखित कारणों की वजह से 1994-95 में विक्रेय इस्पात के अपने उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके :

1. आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दुर्गापुर में बेसिक आक्सीजन फर्नेश (बी. ओ. एफ.) शॉप को चालू करने में विलम्ब।
2. स्वदेशी कोककर कोयला अच्छी क्वालिटी का न होना और क्वालिटी में उतार–चढाव होना।
3. कतिपय अप्रत्याशित सम्भारिकी समस्याओं, दक्षता अंतर अपर्याप्त स्वचलन और प्रचालन आरंभ करने के फलस्वरूप अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्कयताओं के कारण इस्पात गलनशाल और सतत् दुलाई मशीनों के उत्पादन के स्थिरीकरण में विशाखाट्टनम इस्पात संयंत्र द्वारा सामना की जा रही समस्याएं।

केन्द्रीय सड़क कोष से धनराशि दिया जाना

3085. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु केन्द्रीय सड़क कोष (सी. आर. एफ.) से अपर्याप्त धनराशि दिए जाने की लगातार शिकायत करती रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जेनेवा में मानवाधिकार आयोग की बैठकें

3086. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जेनेवा में आयोजित हो रही बैठकों के लिए भारतीय शिष्टमंडल के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शिष्टमंडल में गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैठकों में हुए विचार विमर्श में उनका कितना योगदान रहा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग) भारतीय प्रतिनिधिमंडल की संरचना का विवरण संलग्न है। इसमें सरकार के मंत्री, अधिकारी और सार्वजनिक जीवन के गणमान्य व्यक्ति शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल के सभी सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विचार–विमर्शों के दौरान भारतीय परिदृश्य को उजागर करने के संबंध में उत्कृष्ट योगदान दिया।

विवरण

भारतीय प्रतिनिधिमंडल की संरचना

सरकार के मंत्री

1. डा. मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री
2. श्री गुलाम नबी आजाद, नागरिक उड्डयन मंत्री
3. श्री सलमान खुर्शीद, विदेश राज्य मंत्री
4. श्री भुवनेश चतुर्वेदी, राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री का कार्यालय

अधिकारी

1. श्री सतीश चन्द्र, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, जेनेवा
2. सुश्री सावित्री कुनाडी, संयुक्त सचिव (यू.एन. इक्नामिक) विदेश मंत्रालय
3. श्री दिनकर प्रकाश श्रीवास्तव, निदेशक, (यू. एन पोलिटिकल) विदेश मंत्रालय
4. सुश्री सुजाता मेहता, निदेशक (प्रधान मंत्री का कार्यालय)
5. सुश्री एम. मणिवेक्कलयी, प्रथम सचिव, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क

सार्वजनिक जीवन के गणमान्य व्यक्ति

1. श्री आई. के. गुजराल, ससंद सदस्य
2. डा० फारूख अब्दुला
3. श्री इन्द्रजीत, संसद सदस्य
4. श्री ब्रजेश मिश्रा
5. श्री नटवर सिंह
6. प्रोफेसर खुसरो

विद्युत पारेषण

3087. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री अंकुशराव टोपे :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावर ग्रिड कारपोरेशन ने बिजली का निर्बाध पारेषण सुनिश्चित करने और इस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक लागू किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग) पावरग्रिड विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की उत्पादन परियोजनाओं से भार केन्द्रों तक विद्युत का अंतरण करने हेतु पारेषण प्रणाली का स्वामित्व रखता है, उसका निर्माण करता है और उसका प्रचालन करता है। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड, प्रभावी ग्रिड प्रचालनों के लिए और विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता को सुधारने हेतु भार प्रेषण और संचार स्कीमों के संस्थापन के वास्ते स्कीमों का क्रियान्वयन भी कर रहा है। पावरग्रिड ने राष्ट्रीय ग्रिड, जिसमें क्षेत्रीय ग्रिडों के अंतर सम्बद्ध भी शामिल हैं, का गठन करने के लिए भी कार्रवाई की है, ताकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत के अंतरण को सुलभ बनाया जा सके और उपलब्ध उत्पादन संसाधनों का इष्टतम समुपयोजन किया जा सके। क्षेत्रीय ग्रिडों को राष्ट्रीय ग्रिड में समन्वित करने हेतु स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1) विन्ध्याचल स्थित 500 मे.वा. एच वी डी सी बैक–टू–बैक पारेषण लिंक को उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ता है, पहले से ही मौजूद है।

(2) चन्द्रपुर स्थित 1000 मे.वा. एचवीडीसी बैक–टू–बैक केन्द्र जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ता है, कार्यनिष्पादनाधीन है और इसे वर्ष 1997-98 में चालू किए जाने की प्रत्याशा है।

(3) विशाखापट्टनम स्थित 500 मे.वा. एचवीडीसी बैक–टू–बैक लिंक जो पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों को जोडता है, को भी वर्ष 1998-99 के दौरान चालू किए जाने तक लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

(4) 500 मेगावाट एचवीडीसी बैक–टू–बैक बिहार शरीफ परियोजना के लिए भी पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र को जोड़ने के लिए नौवीं योजना के दौरान चालू किए जाने हेतु योजना बनाई गई है।

(5) भविष्य की उत्पादन परियोजनाओं के साथ अन्य महत्वपूर्ण लिंकों की भी योजना बनाई जाएगी।

उड़ीसा में खानों का बंद किया जाना

3088. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के मयूरभुज, क्योंझर तथा सुन्दरगढ़ जिलों में लौह अयस्क तथा मैंगनीज की कितनी खानों को बंद किया गया है,

(ख) ये खानें कब से बंद पड़ी हैं;

(ग) इन खानों को बंद करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन खानों को पुनः चालू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उड़ीसा के मयूरभुंज, क्योंझर और सुन्दरगढ़ जिले में बंद पड़ी लौह अयस्क और मैंगनीज की खानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे गैर–निजी खानों से उनके अयस्क उठाने के लिए वृद्धि करने हेतु प्रमुख क्रेताओं जैसे खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम.एम.टी.सी.) और स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। "सैल" ने उक्त खानों से दोबारा खरीदना आरंभ कर दिया है और बाजार स्थिति में सुधार हो रहा है। आशा है कि बाजार अड़चनों के कारण बंद हुई खानें निकट भविष्य में पुनः खुल जाएंगी।

विवरण

बंद खानें, तारीख और बंद होने के कारण दर्शाने वाला विवरण

बंद खानें

खान तथा पट्टा धारिती का नाम	जिला	खनिज का नाम	बंद होने का वर्ष	कारण
बादामरिडा (आर.के.पाडिया)	मयूरभूंज	लौह अयस्क	1990	पट्टाधारिती की मृत्यु
कसीरा (ओएमसीलि.)	सुन्दरगढ़	लौह अयस्क	1993	बाजार तथा क्वालिटी संबंधी अड़चनें
भांजापाली (ओएमसीलि)	क्योंझर	लौह अयस्क	1993	–वही–
भालूबेडा (एम आर दास)	क्योंझर	लौह तथा मैंगनीज अयस्क	1993	–वही–
रानीसाल (आर एल मोहन्ती)	सुन्दरगढ़	लोहा तथा मैंगनेशिया	1994	–वही–
तेहराई (सिको)	सुन्दरगढ़	लौह तथा मैंगनीज अयस्क	1994	–वही–
राइकेला (सी.पी.शर्मा)	सुन्दरगढ़	लौह तथा मैंगनीज अयस्क	1994	बाजार तथा क्वालिटी संबंधी अड़चनें

सोनपाथाली	--वही--	मैंगजीन	1994	--वही--
टेन्दुलीडीह (ओ. एम. एम.)	--वही--	मैंगजीन	1994	--वही--
कुसुमडीह (ओ. एम. एम.)	--वही--	मैंगजीन	1994	--वही--
कुसुमडीह (बीको)	--वही--	मैंगजीन	1994	वही
रायडा "डी" (ओ.एम.सी.लि०)	क्योंझर	मैंगजीन	--	वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमति न मिलना

नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

3089. श्री अन्ना जोशी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था" के विचार को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में पुनः प्रचालित करने हेतु राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा तीसरी दुनिया के देशों से सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा ही प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) और (ख) भारत ने हमेशा न्याय और समानता पर आधारित स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यस्था का समर्थन किया है। इस संबंध में की गई पहल कदमियों में दक्षिण--दक्षिण परामर्श एवं सहयोग के बारे में शिखर--सम्मेलन स्तर के दल (जी--15) की ओर से भारत द्वारा 1993 में टोकियो में सम्पन्न जी--7 की शिखर बैठक को सम्बोधित संदेश शामिल है। अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक मसलों के बारे में उत्तर--दक्षिण भागीदारी और वार्ता के लिए मूलाधार मार्च, 1994 में भारत में आयोजित जी--15 शिखर सम्मेलन में दोहराया गया। अर्न्तराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग पर "विकास के लिए कार्यसूची" के संदर्भ में आगे विचार--विमर्श हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के पिछले अधिवेशन में भागीदारी के जरिए अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास सहयोग सुदृढ करने के बारे में पुनः वार्ता" के संबंध में गुट--निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष की हैसियत से इंडोनेशिया द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें भारत की सक्रिय सहभागिता रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन

3090. डा. लाल बहादुर रावल : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ;

(ख) राज्य में विद्युत की मांग तथा उपलब्धता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश को उक्त अवधि के दौरान किन--किन केन्द्रीय संयंत्रों द्वारा विद्युत की आपूर्ति की गई है तथा विद्युत की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) वर्ष 1992-93 से 1994-95 तक उत्तर प्रदेश में उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा निम्नवत है :--

उत्तर प्रदेश

वर्ष	उत्पादित विद्युत (मिलियन यूनिट)
1992-93	44266
1993-94	50958
1994-95	54292

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्युत्त आपूर्ति की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है :--

(आंकड़े मि. यू. निवल)

	1992-93	**1993-94**	**1994-95**
आवश्यकता	32415	33735	37195
उपलब्धता	29110	30476	32652
कमी	3297	3259	4543
प्रतिशत	10.2	9.7	12.2

(ग) उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत केन्द्रों नामशः सिंगरौली एसटीपीएस, रिहन्द एसटीपीएस, अन्ता सीसीजीटी, औरैया सीसीजीटी, ऊँचाहार टीपीएस, दादरी गैस आधारित केन्द्र, एनसीआर टीपीपी (दादरी), सलाल एचईपीएस, चमेरा एचईपीएस, टनकपुर एचईपीएस और नरोरा एपीएस से विद्युत का हिस्सा प्राप्त होता है।

1992-93 से 1994-95 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र केन्द्रों से विद्युत की वास्तविकता निकासी इस प्रकार से है :--

वर्ष	**केन्द्रीय क्षेत्रों से वास्तविक निकासी** (मि. यू.)
1992-93	12930
1993-94	12873
1994-95	12813

[अनुवाद]

विदेशों में उर्वरक संयंत्रों की खरीददारी

3091. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में उर्वरक संयंत्रों की खरीददारी संबंधी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस चरण में है; और

(ग) उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विचाराधीन सुझावों का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) यू एस ए/रूस में फारफेटिक उर्वरक संयंत्रों में साम्य सांझेदारी प्राप्त करने के लिए "डियू डिलीजेंस प्रक्रिया" (विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना) आरम्भ करने के लिए कृभको के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस कार्य के लिए यू एस ए में एक संयंत्र और रूस में दो संयंत्रों की संक्षिप्त सूची तैयार की गई है।

(ग) देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में कठिनाइयों के कारण, उन देशों में जहां पर पर्याप्त मात्रा में सस्ती दरों पर गैस उपलब्ध है अमोनिया/यूरिया संयंत्रों को स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए उर्वरक कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे भारत को यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित होगी तथा मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करने में सहायता देगी। इसके अतिरिक्त इस समय देश में अनेक परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

इस्पात का मूल्य

3092. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा बेचे जा रहे विभिन्न श्रेणियों के इस्पात का प्रति टन मूल्य कितना-कितना है; और

(ख) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, हिन्दुस्तान स्टील और भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा विपणन किये जा रहे उक्त श्रेणियों के इस्पात का तुलनात्मक विक्रय मूल्य कितना-कितना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, स्टील अथॉरिटी आर्फे इण्डिया लिमिटेड और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड द्वारा बेची जा रही इस्पात की समान श्रेणियों के तुलनात्मक कारखाना बाह्य बिक्री मूल्य नीचे दिए गए हैं :–

क्रम सं०	श्रेणी		वी.एस.पी. के कारखाना बाह्य-मूल्य (रुपए/टन)	'सेल' के कारखाना बाह्य-मूल्य (रुपए/टन)	टिस्को के बाह्य मूल्य (रुपए/टन)
1.	बिलेट 125 मि.मी.		10,180	9,788	9,420
2.	तार छड़ 8 कि.मी.		12,240	11,570	-
	7 मि.मी.		12,380	-	12,452
	5.5 मि. मी.		12,980	-	12,797
3.	गोल छड़ें 18 से 25 मि.मी.		11,180	11,225	11,187
4.	टार इस्पात 18 से 25 मि.मी.		11,850	11,915	11,855
5.	कोण				
	(क)	65x65x6	11,670	11,513	11,877
	(ख)	100x100x8/10	12,710	12,893	-
6.	चैनल				
	(क)	75x40/100x50	11,560/11,460	11,628	11,747
	(ख)	150x75	13,180	13,353	13,265
7.	बीम				
	(क)	125x70	-	12,318	12,897
	(ख)	150x75	-	13,870	13,323

[हिन्दी]

बीयर प्रसंस्करण एकक

3093. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में बीयर प्रसंस्करण एकक है;

(ख) यदि हां, तो इन एककों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास और अधिक बीयर प्रसंस्करण एकक स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार बीयर मैन्यूफैक्चरिंग यूनिटों की स्थापना नहीं करती है।

विवरण

	नाम	स्थान (जिला)
1.	मै. एसोसिएटिड ब्रेवरीज एण्ड डिस्टिलरीज	ठाणे
2.	मै. हिन्दुस्तान ब्रेवरीज एण्ड बॉटलिंग लिमि०	ठाणे
3.	मै. मोहन राकी स्प्रिंगवाटर ब्रेवरीज लिमि०	रायगढ़
4.	मै. स्कोल ब्रेवरीज लिमि०	रायगढ़
5.	मै. दुर्बा लेजर ब्रेवरीज (प्रा.) लिमि०	सतारा

[अनुवाद]

खनन अधिनियम में संशोधन

3094. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने खनन कार्य में गैर–सरकारी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए खनिज रियायत नियम, 1960 और खनिज संरक्षण तथा विकास नियमों (एम. सी. डी. आर.) में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) एम. सी. डी. आर. में संशोधन कब किए जाएंगे?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) सरकार ने खनन में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने हेतु दिनांक 27.9.94 को असाधारण अधिसूचना जी. एस. आर. नं० 724 (ई) द्वारा खनिज रियायत नियम, 1960 में संशोधन किया है।

(ख) यह अधिसूचना लोकसभा के पटल पर 12.12.1994 को रखी गई थी।

(ग) और (घ) खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 में भी संशोधन किया जा रहा है और इस संबंध में शीघ्र ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी।

नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन

3095. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1994 से दिसंबर, 1994 की अवधि के दौरान नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का राज्य–वार और एकक–वार निर्धारित लक्ष्य कितना–कितना था; और

(ख) इस अवधि में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का राज्य–वार और एकक–वार वास्तविक उत्पादन कितना–कितना हुआ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) अप्रैल–दिसम्बर, 1994 की अवधि के दौरान नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और उसी अवधि के लिए वास्तविक उत्पादन (राज्यवार और एककवार) संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अप्रैल-दिसम्बर, 1994 के लिए उर्वरकों का राज्यवार, एककवार, लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन

क्षेत्र/राज्य/संयंत्र का नाम	उत्पाद का नाम	अप्रैल-दिसम्बर, 1994					
		लक्ष्य			वास्तविक		
		मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी
1	2	3	4	5	6	7	8
दक्षिण क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश							
एफ.सी.आई. रामागुंडम	यूरिया	109.0	50.1	0.0	20.0	69.2	0.0
सी.एफ.एल. विजाग	28:28	250.0	70.0	70.0	214.9	60.2	60.2
	14:35:14	20.0	2.8	7.0	15.5	2.2	5.4
	20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	योग	270.0	72.8	77.0	230.4	62.3	65.6
जीएफसीएल : काकीनाडा	डीएपी	305.0	54.0	140.3	243.7	43.9	112.1
एनएफसीएल : काकीनाडा	यूरिया	451.0	207.5	0.0	509.4	234.3	0.0
ए/एस यूनिट्स	ए/एस	21.0	4.4	0.0	20.8	4.4	0.0
एसएसपी यूनिटस	एसएसपी	70.0	0.0	11.2	65.0	0.0	10.4
राज्य का योग		1226.0	389.7	228.5	1089.3	354.1	188.1
केरल							
एफएसीटी : उद्योगमंडल	ए/एस	125.7	26.4	0.0	140.1	29.4	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
	20:20	73.5	14.7	14.7	99.3	19.9	19.9
	योग	199.2	41.1	14.7	239.4	49.3	19.9
एफएसीटी : कोचीन -I	यूरिया	165.1	75.9	0.0	171.6	78.9	0.0
एफएसीटी : कोचीन-II	20:20	333.4	66.7	66.7	364.1	72.8	72.8
	डीएपी	20.0	3.6	9.2	10.2	1.8	4.7
	योग	353.4	70.3	75.9	374.3	74.7	77.5
राज्य का योग		717.7	187.3	90.6	785.3	202.9	97.4
कर्नाटक							
एमसीएफ : मंगलोर	यूरिया	239.9	110.4	0.0	221.8	102.0	0.0
	डीएपी	101.5	18.3	46.7	97.3	17.5	44.8
	20:20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एमसीएफ : मंगलोर	योग	341.4	128.6	46.7	319.1	119.5	44.8
राज्य का योग		341.4	128.6	46.7	319.1	119.5	44.8
तमिलनाडु							
एमएफ एल – मद्रास	यूरिया	190.0	87.4	0.0	135.5	62.3	0.0
	17:17:17	494.0	84.0	84.0	470.4	80.0	80.0
आयातित यूरिया (एनपीके)		138.8	-63.8	0.0	-38.9	-17.9	0.0
स्वदेशी यूरिया (एनपीके)		0.0	0.0	0.0	-61.8	-28.4	0.0
एमएफएल–मद्रास	योग	545.2	107.5	84.0	505.2	96.0	80.0
एनएलसी–नेवेली	यूरिया	88.4	39.7	0.0	74.1	34.1	0.0
इसपीक–तुतीकोरीन	यूरिया	474.0	218.0	0.0	486.2	223.7	0.0
	डीएपी	233.0	41.9	107.2	309.7	55.7	142.5
इसपीक – तूतीकोरिन	योग	707.0	260.0	107.2	795.9	279.4	142.5
ईआइडी–पैरी इन्नोर	16:20	113.0	18.1	22.6	103.2	16.5	20.6
टीएसी –तूतीकोरीन	ए/सी	53.4	13.3	0.0	53.4	13.3	0.0
ए/एस यूनिट्स	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी यूनिटस	एसएसपी	170.0	0.0	27.2	160.0	0.0	25.6
राज्य का योग		1675.0	438.7	241.0	1691.8	439.3	268.7
दक्षिण क्षेत्र का योग		3960.1	1144.3	606.7	3885.5	1115.8	598.9
पश्चिम क्षेत्र							
गोवा							
जेडएसी : गोवा	यूरिया	278.7	128.2	0.0	255.5	117.5	0.0
	19:19:19	133.0	25.3	25.3	109.3	120.8	20.8

1	2	3	4	5	6	7	8
	28:28	0.0	0.0	0.0	20.8	5.8	5.8
	डीएपी	102.0	18.4	46.9	65.1	11.7	29.9
	20:20	30.0	6.0	6.0	48.1	9.6	9.6
	योग	543.7	177.8	78.2	498.8	165.5	66.2
राज्य योग		543.7	177.8	78.2	498.8	165.5	66.2
मध्य प्रदेश							
एनएफएल – विजयपुर	यूरिया	579.3	266.5	0.0	632.2	290.8	0.0
ए/एस यूनिटस	ए/एस	33.0	6.9	0.0	32.0	6.7	0.0
एसएसपी यूनिटस	एसएसपी	230.0	0.0	36.8	225.0	0.0	36.0
राज्य योग		842.3	273.4	36.8	889.2	297.5	36.0
महाराष्ट्र							
आरसीएफ – ट्राम्बे	यूरिया	66.0	30.4	0.0	50.0	23.0	0.0
	15:15:15	192.0	28.8	28.8	161.7	24.3	24.3
आरसीएफ – ट्राम्बे -IV	20.7:20.7	145.0	30.0	30.0	199.0	41.2	41.2
आरसीएफ – ट्राम्बे-V	यूरिया	247.0	113.6	0.0	213.4	98.2	0.0
आरसीएफ – थाल	यूरिया	1076.0	495.0	0.0	994.9	457.7	0.0
आरसी एफ – योग		1726.0	697.8	58.8	1619.0	644.3	65.4
डीएफसीआई : तलोजा	23:23	110.0	25.3	25.3	44.2	10.2	10.2
ए/एस यूनिटस	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी यूनिटस	एसएसपी	160.0	0.0	25.6	152.0	0.0	24.3
राज्य योग		1996.0	723.1	109.7	1815.2	654.4	99.9
गुजरात							
इफको–कांडला	10:26:26	225.0	22.5	58.5	175.1	17.5	45.5
	12:32:16	189.0	22.7	60.5	244.0	29.3	78.1
	डीएपी	255.0	45.9	117.3	361.7	65.1	166.4
इफको – कांडला	योग	669.0	91.1	236.3	780.8	111.9	290.0
इफको – कलोल	यूरिया	280.0	128.8	0.0	324.3	149.2	0.0
कृभको – हजिरा	यूरिया	1076.0	495.0	0.0	1667.4	537.0	0.0
जीएसएफ सी – बड़ोदा	यूरिया	250.0	115.0	0.0	265.1	121.9	0.0
	ए/एस	188.1	39.5	0.0	151.6	31.8	0.0
	डीएपी	43.4	7.8	20.8	22.7	4.1	10.4
	20:20	117.0	23.4	23.4	157.5	31.5	31.5
जीएसएफसी – बड़ोदा	योग	598.5	185.7	43.4	596.9	189.4	41.9

1	2	3	4	5	6	7	8
जीएनएफ सी – भारूच	यूरिया	493.0	226.8	0.0	502.6	231.2	0.0
	सीएएन	119.0	29.8	0.0	103.9	26.0	0.0
	23:23	0.0	0.0	0.0	24.3	5.6	5.6
	20:20	106.0	21.2	21.2	76.1	15.2	15.2
जीएनएफ सी – भारूच	योग	718.0	277.7	21.2	706.9	278.0	20.8
जीएसएफसी – सिक्का	डीएपी	365.0	65.7	167.9	402.2	72.4	185.0
ए/एस यूनिटस	ए/एस	9.0	1.9	0.0	8.0	1.7	0.0
एसएसपी यूनिटस	एसएसपी	60.0	0.0	9.6	59.0	0.0	9.4
राज्य योग		3775.5	1245.9	478.3	4045.5	1339.5	547.2
राजस्थान							
एचसी एल – खेतरी	एसएसपी	0.0	0.0	0.0	20.9	0.0	3.3
एसएफसी – कोटा	यूरिया	279.6	128.6	0.0	281.6	129.5	0.0
चम्बल फर्ट	यूरिया	540.1	248.4	0.0	560.9	258.0	0.0
ए/एस यूनिटस	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी यूनिटस	एसएसपी	60.0	0.0	9.6	59.8	0.0	9.6
राज्य योग		879.7	377.1	9.6	923.2	387.6	12.9
पश्चिम क्षेत्र कुल		8037.2	2797.2	712.6	8171.9	2844.5	762.2
पूर्व क्षेत्र							
बिहार							
एफसीआई – सिन्दरी	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	यूरिया	222.0	102.1	0.0	221.9	102.1	0.0
एफसीआई – सिन्दरी	कुल	222.0	102.1	[illegible]0	221.9	102.1	0.0
एचएफ सी आई – बरौनी	यूरिया	50.0	23.0	0.0	33.6	15.5	0.0
पीपीसीएल	एसएसपी	146.0	0.0	23.4	115.9	0.0	18.5
ए/एस एककों	ए/एस	24.0	5.0	0.0	23.0	4.8	0.0
एसएसपी एककों	एसएसपी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
राज्य योग		442.0	130.2	23.4	394.4	122.4	18.5
उड़ीसा							
एफसीआई – तलचर	यूरिया	75.0	34.5	0.0	23.0	10.6	0.0
सेल – राऊरकेला	सीएएन	186.9	46.7	0.0	165.0	41.3	250.0
पीपीएल – पारादीप	डीएपी	505.0	90.9	232.3	509.4	91.7	234.3
	10:26:26	30.0	3.0	7.8	0.0	0.0	0.0
	12:32:16	40.0	4.8	12.8	2.3	0.3	0.7

1	2	3	4	5	6	7	8
ए/एस एककों	ए/एस	9.5	2.0	0.0	9.0	1.9	0.0
एसएसपी एककों	एसएसपी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
राज्य योग		846.4	181.9	252.9	708.7	145.7	235.1
पश्चिम बंगाल							
एचएफसी–दुर्गापुर	यूरिया	50.0	23.0	0.0	2.8	1.3	0.0
एचएलएल – हल्दिया	डीएपी	150.0	27.0	69.0	125.5	22.6	57.7
ए/एस यूनिटस	ए/एस	15.2	3.2	0.0	15.2	3.2	0.0
एसएसपी यूनिटस	एसएसपी	80.0	0.0	12.8	72.0	0.0	11.5
राज्य योग		295.2	53.2	81.8	215.5	27.1	69.3
आसाम							
एचएफसी – नामरूप-I	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एचएफ सी नामरूप-II	यूरिया	66.0	30.4	0.0	2.3	1.1	0.0
एचएफसी – नामरूप-III	यूरिया	139.0	63.9	0.0	88.5	40.7	0.0
ए/एस यूनिटस	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी यूनिटस	एसएसपी	1.6	0.0	0.3	1.2	0.0	0.2
राज्य योग		206.6	94.3	0.3	92.0	41.8	0.2
पूर्व क्षेत्र कुल		1790.2	459.6	358.3	1410.6	336.9	323.0
उत्तर क्षेत्र							
हरियाणा							
एनएफएल पानीपत	यूरिया	343.1	157.8	0.0	334.5	153.9	0.0
ए/एस यूनिटस	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी यूनिटस	एसएसपी	50.0	0.0	8.0	40.0	0.0	6.4
राज्य कुल		393.1	157.8	8.0	374.5	153.9	6.4
पंजाब							
एनएफ एल नांगल-I	सीएएन	202.0	50.5	0.0	167.1	41.8	0.0
एनएफएल नांगल-I	यूरिया	243.0	111.8	0.0	278.0	127.9	0.0
एनएफएल भटिंडा	यूरिया	357.8	164.6	0.0	383.8	176.5	0.0
पीएनएफ–नांगल	ए/सी	43.2	10.8	0.0	48.9	12.2	0.0
एसएसपी यूनिटस	एसएसपी	107.0	0.0	17.1	101.0	0.0	16.2
राज्य कुल		953.0	337.7	17.1	978.8	358.4	16.2
उत्तर प्रदेश							
एफसीआई – गोरखपुर	यूरिया	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
इफको – फूलपुर	यूरिया	432.0	198.7	0.0	490.4	225.6	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8
इफको – आंवला	यूरिया	609.0	280.1	0.0	620.3	285.3	0.0
चांदछाप – कानपुर	यूरिया	509.0	234.1	0.0	524.0	241.0	0.0
आईजीएफसीसी–जगदीशपुर	यूरिया	668.0	307.3	0.0	576.0	265.0	0.0
टीसीआई – बबराला	यूरिया	175.0	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0
ए/एस यूनिटस	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी यूनिटस	एसएसपी	511.0	0.0	81.8	481.0	0.0	77.0
राज्य कुल		2904.0	1100.8	81.8	2691.7	1016.9	77.0
उत्तर क्षेत्र कुल		4250.1	1596.3	106.9	4045.0	1529.2	99.5
कुल योग		18037.6	5997.4	1784.6	17513.0	5826.4	1783.7

[हिन्दी]

बिहार में विद्युत परियोजनाएं

3096. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान पर्याप्त संसाधनों, उपयुक्त/यंत्र एवं आधारभूत संरचना की अनुपलब्धता के कारण बिहार में कुछ विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाएं कौन–कौन सी हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख) गत तीन वर्षो के दौरान बिहार की निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ है :–

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.)	अभ्युक्ति
1.	ताप विद्युत		
2.	केन्द्रीय क्षेत्र		
	कहलगांव टीपीएस चरण–1	4x210	यूनिट–1,2 और 3 चालू कर दिया गया है।
राज्य क्षेत्र			
1.	तेनुघाट टीपीपी चरण–1	2x210	यूनिट–1 को चालू कर दिया गया है।
2.	तेनुघाट टीपीपी चरण–2	3x210	
जल विद्युत			
केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	कोयलकारो	4x172.5+1x20	
राज्य क्षेत्र			
1.	पूर्वी गण्डक कैनाल	3x5	यूनिट–1 चालू कर दी गई है।
2.	सोन पूर्वी कैनाल	2x1.65	
3.	उत्तरी कोयल	2x12	
4.	चांदिल	2x4	
5.	सोन पश्चिमी कैनाल	4x1.65	चालू कर दिया गया है।

(ग) विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए इस मामले को बिहार सरकार और परियोजना प्राधिकरणों के साथ उठाया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक परियोजना के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अभिज्ञात करने और समस्याओं का तकनीकी दृष्टिकोण से समाधान करने तथा कठिनाइयों का प्राथमिका के आधार पर समाधान करने के लिए आवधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि इन परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने सम्बन्धी गतिविधियों में तेजी लाई जा सके।

हुर्रियत कान्फ्रेंस को पर्यवेक्षक का दर्जा

3097. श्री गुरूदास कामत : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वदलीय हुर्रियत कान्फ्रेंस को इस्लामिक कान्फ्रेंस सगठन में एक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल भाटिया) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटिश फूड मिशन की भारत यात्रा

3098. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में भारतीय खाद्य उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दृष्टि से उच्च प्रौद्योगिक वाली मशीनों की आपूर्ति और यूरोपीय मानदण्डों के अनुरूप बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए समझौते करने के लिए ब्रिटिश फूड मिशन ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो किन–किन मुद्दों पर चर्चा हुई; इस संबंध में प्राप्त अंतिम परिणाम और इसके प्रभावों का ब्यौरा क्या है।

(ग) खाद्य क्षेत्र में निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए; और

(घ) 1994-95 के दौरान खाद्य क्षेत्र में किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है और 1995-96 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार बड़े खाद्य परामर्शदात्री फर्मों, बड़ी कृषि कंपनियों, संघटक निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों तथा ब्रिटिश सरकार के कृषि तथा मात्स्यिको और खाद्य, विदेशी संबंधों तथा व्यापार संवर्धन प्रभाग के एक प्रतिनिधि समेत लार्ड एडवर्ड फिट्ज राय, निर्यात प्रोमोटर, भारत व्यापार तथा उद्योग विभाग के नेतृत्व में ब्रिटिश फूड मिशन अप्रैल, 1995 के दूसरे सप्ताह में भारत आया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा 1993 के दौरान शुरू किए गए भारतीय–ब्रिटिश साझेदारी के अंग के रूप में परस्पर दौरों का समन्वय दोनों देशों के बिजनेस चैम्बरों द्वारा किया गया। उन्होंने उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए व्यवसायिकों के साथ विचार–विमर्श किया जहां ब्रिटिश प्रौद्योगिकी भारत में ब्रिटिश खाद्य उद्योगों के लिए विपणन के अवसरों का मूल्यांकन और पता लगाने तथा ब्रिटेन और भारतीय संगठनों के बीच संयुक्त उद्यमों की स्थापना के अवसरों का पता लगाने में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की सहायता कर सके।

(ग) और (घ) सरकार की विभिन्न एजेंसियां/विभाग अपनी स्कीमों के तहत फलात्तोर प्रबंध के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विकास, बाजार संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण संयंत्रों आदि का उन्नयन, पैकेजिंग और बाजार सूचना के प्रसार के लिए सहायता उपलब्ध कराती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु विकासात्मक योजना स्कीमें भी चलाता है।

1994-95 के दौरान काजू, चाय, काफी, मसाले और खाद्य तेल को छोड़कर समुद्री उत्पादों समेत खाद्य का निर्यात तथा 1995-96 के लिए अनन्तिम लक्ष्य निम्नानुसार है :

1994-95	-	6086.0	करोड़ (अनुमानित)
1995-96	-	6841.8	करोड़ (लक्ष्य)

बंदियों पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

3099. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सुरक्षा बलों के कैदियों पर कथित अत्याचार के संबंध में हाल के संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्ट की जांच कर ली है और उस पर कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (घ) विभिन्न देशों में मानवाधिकारों संबंधी स्थितियों का कार्य देखने वाले संयुक्त राष्ट्र के संबंधित तंत्रों द्वारा नेमी तौर पर तैयार की जाने वाली रिपोर्टों की सरकार को जानकारी है। इन रिपोर्टों की नियमित रूप से जांच करके जहां कहीं आवश्यक होता है भारत के संबंध में सही तथा तथ्य पूरक सूचना दी जाती है।

खाद्य प्रसंस्करण एककों के लिए धनराशि

3100. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य–वार प्रतिवर्ष कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने कोई विशेष कार्य योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन–किन खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना की गई एवं उनका ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) से (घ) राज्य विशेष कोई स्कीम तैयार नहीं की गई है लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 8वीं योजना अवधि के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास हेतु सहायता देने के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की हैं और वह उन्हें लागू कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना अथवा उनका विस्तार करने, किसानों के साथ बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने, विपणन सहायता, सूअर मांस, पोल्ट्री और अन्य मांस तथा मांस प्रसंस्करण सुविधाएं, टूना और अन्य मछली प्रसंस्करण, कोल्डचेन स्थापित करने, खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग में अनुसंधान तथा विकास तथा कतिपय क्षेत्र में जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारी निकायों/स्वैच्छिक संगठनों/संयुक्त क्षेत्रों आदि को सहायता देना शामिल है।

अमरीका के साथ प्रत्यर्पण संधि

3101. श्री चित्त बसु : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी प्रतिनिधि सभा के कुछ सदस्यों ने सेक्रेटरी आफ स्टेट को यह मांग करते हुए पत्र लिखा था कि भारत और अमरीका के बीच हस्ताक्षर की जाने वाली

किसी प्रत्यर्पण संधि में 'उत्पीड़न विरोधी'' उपबंध निश्चित रूप से शामिल किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका के हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव्ज के 43 सदस्यों ने 10 फरवरी, 1995 को अमरीका के विदेश मंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें भारत और अमरीका के बीच संपन्न की जाने वाली प्रत्यर्पण संधि में उत्पीड़न विरोधी प्रावधान न शामिल किए जाने के बारे में चिंता व्यक्त की है जो जाति, धर्म, राष्ट्रिकता या राजनीतिक विश्वास के आधार पर उत्पीड़न से लोगों की सुरक्षा करेगा।

इस प्रत्यर्पण संधि के बारे में बातचीत में अधिकांश अनिर्णीत मसलों का समाधान कर लिया गया है। भारत और अमरीका के बीच संपन्न की जाने वाली प्रत्यर्पण संधि में शामिल किए जाने के लिए किसी अन्य आशोधन का अमरीका की सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

12.09 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 25 अप्रैल, 1995/5 वैशाख 1917 (शक) के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/39/15/95 (एन०)
250

© 1994 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और सनलाईट प्रिन्टर्स, 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली—110006 द्वारा मुद्रित।